खण्ड-434, अंक-2
सोमवार, 4 वैशाख, शक संवत् 1922
(24 अप्रैल, 2000 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2000)

खण्ड 434 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2000

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाओं को उठाने का प्रयास	1–2
प्रश्नोत्तर	2–42
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं	42–43
जनपद बदायूं के तहसील बिल्सी के ग्राम खेड़ा पूर्वी परगना कोर में पुनः चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	43
जनपद चित्रकूट के वन क्षेत्र को अधिक वृक्ष लगा कर हरा भरा बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	43–44
जनपद हरदोई के मल्लावां के सहिजना ड्रेन की खुदाई/सफाई कराने के साथ कतिपय पुलियों का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	44
जनपद एटा के भोगांव क्षेत्रान्तर्गत कतिपय कस्बों को विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	44–45
मेरठ में आयोजित नौचन्दी मेले में होने वाले विपणन को ग्वालियर मेले की भांति कर मुक्त कराने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना...	45
जनपद बस्ती के भानपुर सोनहा तहसील के भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	45
जनपद फिरोजाबाद के ग्राम अलहदादपुर में चेचक खसरा मोतीझला आदि बीमारियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	46
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	46
प्रश्नों के उत्तर के संलग्नकों पर मंत्री के हस्ताक्षर न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	46–47
जनपद चित्रकूट के थाना मानिकपुर के थानाध्यक्ष द्वारा मारपीट तथा धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	47–55
आय-व्ययक पर चर्चा के लिये सदन में पर्याप्त समय न मिल पाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	55–57
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं	57
पंचायत चुनाव में अनियमितता तथा प्रत्याशियों के नामांकन में हुई दुर्व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना (जारी)	57–70
जनपद झांसी के बबीना क्षेत्र में चिरगांव के पास रामनगर टहरौली मार्ग पर राम नगर घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राकेश वर्मा आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	70

विषय	पृष्ठ-संख्या
पंचायत चुनाव में अनियमितता तथा प्रत्याशियों के नामांकन में हुई दुर्व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	70
जनपद मिर्जापुर के कोतवाली वार्ड नं० 27 के कतिपय मोहल्लों में गली एवं नाली का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अजय सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	70–71
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	71–88
वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) ...	88–106
कार्यमंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	106–107
प्रदेश में राशन की दुकानों पर भारत सरकार से प्राप्त कोटे के अनुरूप कम चीनी, मिट्टी का तेल, गेहूं, चावल आदि उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा ...	107–116
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	117
प्रदेश में खाद्य पदार्थों के सैम्पल भरे जाते समय व्यापारियों को सैम्पल न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री का वक्तव्य	117–119
जनपद वाराणसी में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षिकाओं को बकाये वेतन का भुगतान किये जाने तथा भविष्य में नियमित वेतन भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का वक्तव्य ...	119–121
पूर्वी उत्तर प्रदेश के कतिपय जनपदों में प्रतिवर्ष बाढ़ से होने वाली तबाही रोकने तथा टूटे तटबन्धों से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के सम्बन्ध में श्री विनोद मणि द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत सिंचाई राज्य मंत्री का वक्तव्य	122
जनपद पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्रान्तर्गत राजस्व विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण भारतीय भूमि पर नैपाली नागरिकों की अवैध कब्जेदारी के सम्बन्ध में श्री गोपाल कृष्ण द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत निर्धारित वक्तव्य का स्थगन... ...	122
जनपद मुरादाबाद में अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों के निर्माण और पुनर्निर्माण पर रोक लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अकबर हुसैन आदि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य	122–123
जनपद लखीमपुर के हैदराबाद क्षेत्रान्तर्गत श्री कालिका प्रसाद की हत्या तथा थाना मितौली में अबोध बालिका के साथ हुई दुराचार की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अरविन्द गिरि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन ...	123

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद गौतमबुद्धनगर में किसानों की भूमि के प्रतिकर पर आयकर तथा सरचार्ज की कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन...	123
जनपद मुरादाबाद के हिन्दू कालेज मुरादाबाद का क्रीड़ा मैदान, भवन एवं 20 लाख रुपया अवैध रूप से निजी संस्था को देकर सम्पत्ति का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में श्री सौलत अली एडवोकेट द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य	123–124
रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, लखनऊ के निदेशक पद की चयन प्रक्रिया में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री का केवल वक्तव्य	124–125
जनपद संत रविदास नगर, भदोही के विकास खण्ड सुरियावां के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्राम छतरीपुर का राजकीय नलकूप चालू न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	125
तारा गर्ल्स इण्टर कालेज, बहराइच में वर्ष 1998 के हड़ताली शिक्षकों को हड़ताल की अवधि के वेतन भुगतान हेतु निर्गत शासनादेश के अनुरूप वेतन भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में डा० वकार अहमद शाह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य	126
प्रदेश में सड़कों के किनारे लगे हरे पेड़ों को काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वन मंत्री का केवल वक्तव्य	126–127
मिर्जापुर नगर में खण्डवा नाला पर गंगा नदी के कटाव को रोककर जन जीवन की सुरक्षा किये जाने के सम्बन्ध में डा० सरजीत सिंह डंग द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य	127–128

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

सोमवार, दिनांक 24 अप्रैल, 2000

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :—

अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	दलवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
अजय कुमार पोइया, श्री	मथुरा	धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकर नगर
अजय राय, श्री	वाराणसी	नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
अनीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
अनिल कुमार, श्री	बलिया	प्रदीप कुमार, श्री	सहारनपुर
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर	प्रभा द्विवेदी, श्रीमती	फर्रुखाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी	प्रेम प्रकाश सिंह, श्री	देवरिया
अमर मणि, श्री	महराजगंज	बंश नारायण सिंह, श्री	भदोही
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ	बच्चा पाठक, श्री	बलिया
अम्मार रिज़वी, डा०	सीतापुर	बनारसी दास चान्दना, श्री	मेरठ
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी	बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच	बालेश्वर त्यागी, श्री	गाजियाबाद
अशोक यादव, श्री	फिरोजाबाद	बिहारी लाल आर्य, श्री	झांसी
ओमकार सिंह, श्री	बदायूँ	भगवान सिंह शाक्य, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर	मंगल सिंह सैनी, श्री	मुरादाबाद
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	मंजू, श्रीमती	बलिया
काजिम अली खां, उर्फ		महेन्द्र कुमार, श्री	बुलन्दशहर
नवेद मियां, श्री	रामपुर	मुस्ताक सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली	मोती लाल, श्री	खीरी
के० सी० सिंह "बाबा", श्री	ऊधम सिंह नगर	यशवन्त, श्री	आजमगढ़
कैलाश, श्री	गाजीपुर	रघुराज प्रताप सिंह	
गंगा बख्श सिंह, श्री	उन्नाव	"राजा भईया", कुवंर	प्रतापगढ़
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर	रवीन्द्र शुक्ला, श्री	झांसी
चौधरी बाबू लाल, श्री	आगरा	राकेश त्यागी, श्री	बुलन्दशहर
छोटे लाल राजभर, श्री	बलिया	राकेश धर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद	राजा राम पाण्डेय, श्री	प्रतापगढ़
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ		राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
पप्पू भइय्या, श्री	गोरखपुर	राजेन्द्र यादव, श्री	गाजीपुर
ज्ञान चन्द, श्री	उत्तरकाशी	राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री	फतेहपुर
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर	राधेश्याम, श्री	कानपुर देहात

राम आसरे सिंह कुशवाहा, डा० कानपुर नगर
राम खिलाड़ी, श्री बदायूं
राम चन्द्र मौर्य, श्री मिर्जापुर
रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
राम लखन, श्री सुल्तानपुर
रामवीर उपाध्याय, श्री अलीगढ़
राम स्वरूप शर्मा, श्री मथुरा
राम स्वरूप सिंह, श्री बिजनौर
लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री लखनऊ
लालमणि प्रसाद, श्री बस्ती
वहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
विजय प्रकाश, श्री इलाहाबाद
विजय सिंह, श्री सोनभद्र
विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू", श्री गोण्डा
विरेन्द्र सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
विरेन्द्र सिंह, श्री वाराणसी
विरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
वेद प्रकाश, श्री बस्ती
शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
शिव पूजन राम, श्री वाराणसी
शिव शंकर, श्री बांदा
शिवाकान्त, श्री प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ
शिव बाबू, श्री महराजगंज
शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
श्याम लाल रावत, श्री सीतापुर
श्रीराम, श्री मऊ
संजय सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
सत्य प्रकाश सोनकर, श्री वाराणसी
सन्त राम सिंह, श्री जालौन
सीमा द्विवेदी, श्रीमती जौनपुर
सुखपाल पाण्डेय, श्री बस्ती
सुखवीर सिंह पुण्डीर, श्री सहारनपुर
सुमन लता सिंह, श्रीमती बरेली
सुरेश चन्द्र आर्य, श्री ऊधम सिंह नगर
हरिनारायण, श्री बलिया
हरि प्रसाद उर्फ घमंडी, श्री सोनभद्र
हरि शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
हीरालाल गौतम, श्री आजमगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 24 अप्रैल, 2000

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

नियम–311 के अन्तर्गत सूचनाओं को उठाने का प्रयास

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, पंचायतों के चुनाव के संदर्भ में हुई धांधली विषयक नियम–311 में हमने सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें–

अभी मैं लिखित सूचना सदन को दे दूंगा। नियम–311 की जो सूचनाएं आती हैं उस पर माननीय सदस्य बहुत आग्रह करते हैं सुनने के लिए। इससे परिणाम यह होता है कि इस सदन की कार्यवाही जिस प्रकार से चलनी चाहिए नियमों के अनुसार वह नहीं चल पाती है। अभी तक यह प्रयास करता था कि जो कुछ महत्वपूर्ण विषय हों भले ही उतने आवश्यक न हों नियम–56 में परिवर्तित कर दिये जाते थे। आज मेरे कक्ष में माननीय सदस्य बैठे थे मैंने कहा कि मैं यह सूचना सदन को दे दूंगा कि नियम–311 की सूचनाओं पर तब तक अनुज्ञा नहीं मिलेगी जब तक उस पर प्रस्तुत करने की अनुमति न दे दूं। यदि कोई सदस्य अपेक्षा करते हैं कि नियम–56 में उस सूचना को परिवर्तित कर दिया जाय तो जो नियम–56 की शर्तें हैं, उनका वे अनुपालन करती होंगी तभी परिवर्तित करेंगे। हम सब नियमों का पालन करें जो बहुत सा समय सदन का इन सब बातों में व्यर्थ हो जाता है उसका हम उपयोगी कामों में उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा विचार-विमर्श इस सदन में हो पायेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, जो बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं वह 311 में लिये जा सकते हैं। अभी पंचायती राज चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष–

उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय का स्थगन है प्रतीक्षा कर लें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

उसमें नामांकन के नाम पर धांधली हुई और अरबों रुपया का घोटाला हुआ।

श्री अध्यक्ष–

मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है हम प्रतीक्षा कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हो सकता है वे पुनर्नामांकन के बारे में आदेश दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, 10 रुपये का स्टाम्प पेपर अफरा-तफरी में 500 रुपये तक बिका है, यदि परिसीमन की घोषणा समय रहते कर दी गयी होती तो यह अफरा-तफरी का माहौल न बनता।

श्री अध्यक्ष–

मैंने अनुज्ञा नहीं दी है। यह नियम 311 के लायक विषय नहीं है। इसके बाद कुछ नहीं लिखा जायेगा।

(श्री जगदम्बिका पाल, श्री बी० आर० वर्मा एवं कुं० रेवती रमण सिंह के खड़े होने पर)

इस पर आपत्तियां आमंत्रित की गयी हैं, किसी विशेष क्षेत्र गांव, विकास खण्ड के बारे में आपत्ति होगी तो उसका निस्तारण वहां होगा इस सदन में निस्तारण नहीं होगा।

श्री बी० आर० वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, इस समय प्रश्न प्रहर है मैं अनुरोध करूंगा कि प्रश्न प्रहर में प्रश्न प्रहर हो लेकिन हम लोगों ने सूचना दी है । सुप्रीमकोर्ट में जो मामला विचाराधीन है, उसके अधिकार क्षेत्र में कहीं कोई उस पर चर्चा की बात नहीं है महज बात यह है कि जो अफरा-तफरी हुई है ।

श्री अध्यक्ष–

पहले प्रश्न प्रहर हो जाने दीजिए उसके बाद नियम–300 और नियम-301 के बाद इसको देख लेंगे ।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के मकान किराया भत्ता में असमानता

**1.–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान प्रदेश सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों, स्थानीय निकाय एवं सार्वजनिक निगमों के कर्मचारियों को आवासीय भत्ता दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी")–

जी, नहीं ।

मकान किराया भत्ता के लिये राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से समानता की मांग को कभी स्वीकार नहीं किया गया है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, किसी शासन में असंतुष्ट कर्मचारी अपने काम को पूरे मनोयोग से नहीं कर पाते हैं। समान कार्य के लिये समान वेतन, समान सुविधायें यह एक नैसर्गिक न्याय पूर्ण सिद्धान्त है । माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के दूसरे भाग में कहा है कि इस मांग को कभी स्वीकार नहीं किया गया । मान्यवर, वेतन समिति की संस्तुतियों पर 11 जून, 1999 का शासनादेश है जिसमें स्पष्ट उल्लेख है, वेतन समिति में तब बातें जाती हैं जब उसकी मांगें उठती हैं और उस पर वेतन समिति बैठकर निर्णय करती है, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट कही गयी हैं । एक तो प्रस्तर–6 में पृष्ठ–5 पर लिखा है ।

"ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों, जो उत्तर प्रदेश के बाहर नियुक्त हैं को मकान किराया भत्ता उसी दर पर अनुमन्य होगा जो उस नगर में नियुक्त भारत सरकार के कर्मचारियों को उतने वेतन पर देय हो ।"

मान्यवर, मेरे पास, केन्द्र सरकार के जो भत्ते हैं और इस शासनादेश के अनुसार उसमें कोई बहुत अधिक अन्तर नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि समान कार्य के लिये समान वेतन समान सुविधायें और कर्मचारी संतुष्ट रह करके जनता की सेवा कर सकें, इसके लिये क्या इस बात का आश्वासन देंगे कि इस पर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

मान्यवर, जहां तक राज्य कर्मचारियों का प्रश्न है पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों को पूरी तरह से लागू कर देने के कारण वे पूरी तरह से संतुष्ट हैं, दो विषयों के सम्बन्ध में, केन्द्र के समान वेतन और महंगाई भत्ता देने के लिये सरकार ने सिद्धान्ततः स्वीकार किया था कि देंगे और दोनों को दे दिया है । मान्यवर, जो माननीय विधायक जी ने कहा है स्वयं वेतन समिति ने इस बात को समझकर

कि चूंकि पुनरीक्षित वेतनमान बढ़ा है, महंगाई भत्ता बढ़ा है, आवासीय भत्ते को ध्यान में रखकर उसको बढ़ा दिया जाय, वेतन समिति ने जो संस्तुति दी वह पूरी तरह से आवासीय मकान किराया भत्ता के मामले में राज्य सरकार ने लागू कर दिया, जो विगत दरों से बढ़ी दर है, इसलिये मैं समझता हूं कि कर्मचारियों में असंतोष होने का कोई कारण नहीं बनता है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रदेश के राज्य कर्मचारी और शिक्षक सभी संतुष्ट हैं यह मंत्री जी ने कहा है तो आपके माध्यम से मैं जानना चाहता हूं कि पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद इस मकान किराया भत्ता के संबंध में उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी संगठनों से कितने प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं और उन प्रतिवेदनों पर सरकार ने अब तक अद्यतन क्या कार्यवाही की है और इसके अतिरिक्त क्या प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य सुविधायें एल० टी० सी० नकदीकरण और बोनस की कटौती करने का निर्णय सरकार ने लिया है ।

श्री अध्यक्ष–

यह बाद वाला प्रश्न एल० टी० सी० वगैरह का मूल्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है मूल प्रश्न आवासीय भत्ता से सम्बन्धित है ।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

मान्यवर, मेरे संज्ञान में है कि अभी तक कर्मचारियों की तरफ से इस तरह का कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है, जिसमें उन्होंने आवासीय भत्ते के बारे में कुछ कहा हो । मैं वेतन समिति के सम्बन्ध में एक अंश पढ़ देना आवश्यक समझता हूं जो पृष्ठ–5 के 2(4) बिन्दु पर है । समिति ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये मकान किराया भत्ता के संबंध में विचार किया । समिति के मत में बाजार में मकान के किराये की स्थिति को देखते हुए, कर्मचारियों की कार्यदक्षता और क्षमता में इसका विपरीत प्रभाव न हो, मकान किराये भत्ते की उचित बढ़ोत्तरी वांछनीय है । इसी प्रकार आगे कहा है हालांकि आवास सूचकांक के आधार पर मकान किराया भत्ता में कम वृद्धि होनी चाहिए, किन्तु आवास की समस्या को देखते हुए कर्मचारियों को यथोचित लाभ मिल सके, इसलिये समिति ऊंची दर पर मकान किराया भत्ता संस्तुत कर रही है । इस प्रकार जो भत्ता स्वीकृत किया, वह पूर्व के निर्धारित भत्ते से ज्यादा है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

केन्द्र के समान आवास भत्ता या वेतन देने का जो सिद्धान्त प्रतिपादित हुआ था, इसकी जगह पर क्या सरकार अपने खजाने के अनुसार वेतन भत्ते देने पर विचार करेगी ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

मान्यवर, जितनी आवश्यकता होती है, उतना देते जा रहे हैं । इस समय तत्काल ऐसी कोई आवश्यकता नहीं हो रही है, इसके अलावा वित्तीय स्थिति को देखते हुए कर्मचारी संतुष्ट हैं, शान्त हैं और वह पूरी तरह शासन का सहयोग कर रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से, माननीय वित्त मंत्री जी को स्मरण दिलाते हुए जानना चाहूंगा कि 1989 में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई थीं और तत्कालीन नारायण दत्त तिवारी सरकार ने निर्णय लिया था और कर्मचारियों और सरकार के बीच एक समझौता हुआ था, उस समय वर्तमान संसदीय कार्य मंत्री भी सरकार में शामिल थे । समझौता यह हुआ था कि केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों को जो वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधायें देती हैं, उसी वेतनमान व अन्य सुविधाओं को प्रदेश सरकार अपने

कर्मचारियों, निकाय कर्मचारियों और शिक्षकों को देगी। मान्यवर, सरकार एक सतत प्रक्रिया है, सरकार चलाने वाले बदल सकते हैं, लेकिन सरकार के शासन के समझौते नहीं बदला करते हैं। इसलिये 1989 के समझौते के अनुरूप क्या प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों को आवास का भत्ता देने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य 1989 के अनुबंध की बात कर रहे हैं, यह पंचम वेतन आयोग जो सरकार ने अपने कर्मचारियों को दिया है, यह उसके बाद बैठा या उसका निर्णय उसके बाद हुआ था अथवा नहीं, यह भी बता दें ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं पांचवें वेतन आयोग की बात नहीं कर रहा हूं। मान्यवर, मैं कदाचित् याद दिला दूं, उस समय 89 में जो निर्णय हुआ था, चतुर्थ वेतन आयोग के बारे में हुआ था और यह निर्णय हुआ था कि चतुर्थ वेतन आयोग हो या जो भी आयोग हो जो भी संस्तुति दे, केन्द्र सरकार के समान प्रदेश सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू होंगी।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

मान्यवर, यह निर्णय वेतनमान और महंगाई भत्ता के संबंध में था। जो बजाज वेतन समिति बैठायी गयी और उसने आवासीय भत्ते के संबंध में जो भी संस्तुति दी, उसे पूरी तरह लागू कर दिया है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, आज भी प्रदेश के शिक्षकों के ऊपर.....

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें, मैंने डा० डंग को बुला लिया है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि सभी कर्मचारी संतुष्ट हैं। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। 2500–3000 तक जिनकी तनख्वाह है, उनका मकान किराया भत्ता 380 रुपया और जिनकी 25 हजार रुपये तनख्वाह है, उनका 3870 रुपया है। यह बिल्कुल अव्यावहारिक है। 380 या 400 रुपये में जिस श्रेणी के ये लोग हैं, नहीं रह सकते। इसलिये वे संतुष्ट कैसे हो सकते हैं। माननीय मंत्री जी से मैं पहली बात यह जानना चाहता हूं कि जो आवासीय भत्ता दिया जा रहा है, उसे व्यावहारिक बनाने की चेष्टा करेंगे ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि किसी शासनादेश में यह लिखा है कि जिन स्थानीय निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों की आर्थिक स्थिति ठीक है वह अपने कर्मचारियों को आवासीय भत्ता केन्द्र सरकार के अनुरूप दे सकते है। मान्यवर, अभी इसी विधान सभा में शासन ने स्वीकार किया है कि 27 सार्वजनिक उपक्रम घाटे में हैं, क्या उन 27 सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप आवासीय भत्ता सरकार देगी ? तीसरा जो हमारे अधिकारी प्रदेश से बाहर काम कर रहे हैं, उसे तो आप केन्द्रीय सरकार के समान आवासीय भत्ता दे रहे हैं तो क्या प्रदेश में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनका क्या अपराध है, यह मंत्री जी बता दें ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

मान्यवर, जहां तक स्थानीय निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों के सम्बन्ध में बजाज समिति की संस्तुति है, स्पष्ट शब्दों में है कि वेतन समिति की संस्तुतियां मार्गदर्शक होंगी वे अपनी वित्तीय स्थिति और भुगतान की क्षमता को देखते हुए निर्णय ले सकते हैं। मान्यवर, उस निर्णय के अनुमोदन के लिये उनको मंत्रि परिषद् तक ले जाना होगा। मान्यवर, दूसरा जो प्रश्न है, जो प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश के कर्मचारी नियुक्त होते हैं, उन्हें केन्द्रीय सरकार से जो अनुमन्य मकान किराया भत्ता है, प्राप्त होगा, कारण है कि प्रदेश के बाहर रहने के लिये और उनको कहीं भी जाना पड़ सकता है, उनकी कठिनाइयों

को देखकर केन्द्र सरकार ने किया था। उसी प्रकार प्रदेश के बाहर जाने वाले कर्मचारियों के लिये भी यह निर्णय लिया गया है।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैंने 3 प्रश्न पूछे थे, क्या इसको आप व्यावहारिक बनायेंगे, इसका उत्तर नहीं आया। कर्मचारियों का अपराध क्या है, उत्तर नहीं आया और जो 27 सार्वजनिक उपक्रम मुनाफे में हैं, उनके कर्मचारियों को केन्द्र के समान मकान किराया भत्ता देंगे ? ये ऐसे प्रश्न हैं जो जनता की सेवा में लगे कर्मचारियों के स्वाभिमान से सीधे सम्बन्धित हैं। मंत्री जी सीधा उत्तर नहीं दे सकते तो कुछ आश्वासन देना चाहेंगे। यह नसर्गिक न्याय की मांग है कि जो समान काम कर रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'–

मान्यवर, कर्मचारियों का कोई अपराध नहीं है। सरकार राज्य कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार आवासीय भत्ता दे रही है।

प्रदेश में गन्ना, चीनी तथा शीरा के विपणन की समेकित नीति

**2–श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में गन्ना, चीनी तथा शीरा के विपणन की कोई समेकित नीति बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास मंत्री (डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)–

जी, नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है और गन्ना इस प्रदेश की प्रमुख फसल है। इससे चीनी, शीरा, खोई निकलते हैं और कागज तथा तमाम प्रकार के सामान खोई से बनाये जाते हैं। गन्ने का उचित मूल्य न मिल पाने के कारण खेतों में गन्ना जला दिया जाता है। चीनी का निर्यात किया जाता है और देश में भी इसकी खपत होती है लेकिन गन्ना तथा शीरा व चीनी के सम्बन्ध में कोई समेकित नीति नहीं बनायी जा रही है जिससे गन्ना किसान की समस्या ज्यों की त्यों है। मैंने पूछा था कि क्या सरकार ने कोई समेकित नीति बनायी है मंत्री जी ने जवाब दिया है "जी नहीं", प्रश्न नहीं उठता। मान्यवर, इस देश में महाराष्ट्र प्रदेश हो या चीनी पैदा करने वाले विदेशी देश क्यूबा हो वहां पर इस संबंध में नीति बनाकर कार्य किया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न पूछिये।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूछा था कि गन्ना, चीनी, शीरा के विपणन के बारे में कोई समेकित नीति है तो मैं कहना चाहूंगा कि समेकित नीति जरूरी नहीं है लेकिन सरकार की गन्ना विकास और चीनी मिलों के संबंध में अलग-अलग नीतियां हैं। इसी के अन्तर्गत यह व्यवस्था की जाती है कि चीनी मिलों को गन्ना मिले और गन्ना किसानों को गन्ने का मूल्य मिले और गन्ना मूल्य का भुगतान समय से हो इसके लिये सरकार कटिबद्ध है। केन्द्र सरकार ने इस प्रदेश के लिये न्यूनतम गन्ना मूल्य 56.10 रुपये निर्धारित किया है जिसको सरकार ने 85 और 90 रुपया क्विंटल निर्धारित किया है। किसानों के हित को दृष्टि में रखकर 22-4-2000 तक उत्तर प्रदेश के अन्दर 3845 करोड़ रुपया

बकाया था जिसमें से 3025.82 करोड़ रुपयों का भुगतान किया जा चुका है जो 78.69 प्रतिशत है । जहां तक गन्ना किसानों का संबंध है उनके हित को दृष्टि में रखकर, पिछले वर्ष शीरा 40 प्रतिशत डिकंट्रोल्ड था इस वर्ष हमारी सरकार ने 80 प्रतिशत शीरा डिकंट्रोल्ड किया है जिससे गन्ना किसानों को भुगतान मिल सके । इसी तरह से भारत सरकार की नीति जो थी उसके अनुसार 40 प्रतिशत लेवी शुगर थी जिसको घटाकर 30 प्रतिशत कर दिया गया है जिससे फ्री शुगर अधिक बिकेगी और गन्ने के मूल्य का भुगतान हो सकेगा ।

(इस समय 11 बजकर 23 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मुन्ना चौहान पीठासीन हुए)

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, प्रदेश की 95 गन्ना समितियां ऐसी हैं जिन्होंने गन्ना मूल्य के 30 करोड़ रुपयों का भुगतान किसानं को न करके अन्य मदों में उपयोग कर लिया है । तो क्या मंत्री जी इस 30 करोड़ रुपये को अनुदानित करेंगे ताकि गन्ना किसानों को मूल्य मिल सके क्योंकि गन्ना समितियां गन्ना मूल्य का भुगतान करने के काबिल नहीं हैं ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि प्रदेश की कुछ गन्ना समितियां ऐसी हैं जिन्होंने किसानों के पैसों का अन्य मदों में व्यय कर लिया है, ऐसी गन्ना समितियों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं । किसानों के गन्ना मूल्य के भुगतान के बारे में टोटलिटी से विचार कर रहे हैं ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, समितियों ने पैसे का अन्य मदों में उपयोग कर लिया है जिससे किसानों को गन्ने मूल्य का भुगतान नहीं मिला है । माननीय मंत्री जी किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान किस तारीख तक दिलाने की कृपा करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, 95 गन्ना समितियों का मामला है, इसका उत्तर आ जाये कि कब तक भुगतान करेंगे ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, मैंने अपने उत्तर में कह दिया है कि जो गन्ना मूल्य का पैसा मिलों द्वारा समितियों को दिया गया था उसे उन्होंने गलत मदों में खर्च किया उस पर हम कार्यवाही कर रहे हैं । लेकिन गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए टोटलिटी पर विचार कर रहे हैं ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता जी, अभी माननीय मंत्री जी ने शीरा के बारे में कहा कि 80 फीसदी नियंत्रण मुक्त कर दिया इससे गन्ना किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा । इसी सदन में शीरा नियंत्रण का एक विधेयक भी आया था जिसमें बहुत सारी बातें कही गयीं । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जब डि-कण्ट्रोल कर दिया तब से कितना फायदा गन्ना किसानों को मिला ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, इसके लिये आंकड़े की आवश्यकता होगी लेकिन इतना अवगत कराना चाहता हूं कि 80 फीसदी शीरा नियंत्रण मुक्त हुआ उससे शीरा मूल्य बढ़ गया और गन्ना किसानों को भुगतान करने में सहायता मिली ।

डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह बात मानी है कि गन्ना, चीनी तथा शीरा तीनों का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है । लेकिन इसकी क्या कोई समेकित नीति बनी है मंत्री जी ने कहा कि नहीं बनी है । जब तीनों गन्ना, चीनी तथा शीरा का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है और किसान उद्योगपति, व्यापारी और उपभोक्ता के हितों का सम्बन्ध है तो क्या सरकार इन तीनों को मिलाकर भविष्य में कोई समेकित नीति बनायेगी ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय अधिष्ठाता जी, अभी माननीय मंत्री जी ने यह स्वीकार किया कि कोई समेकित नीति नहीं है लेकिन अलग-अलग नीति की बात कही है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश में गन्ना नीति है उसके अन्तर्गत जो उत्तर प्रदेश की मौजूदा चीनी मिलें हैं उन चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति करने के सम्बन्ध में क्या शर्तें हैं और क्या मानक निर्धारित किया गया है और जो चीनी मिलें इस सरकार की निष्क्रियता और अदूरदर्शिता के कारण बन्द हो गयीं ? उन चीनी मिलों के क्षेत्र का गन्ना दूसरे चीनी मिलों में आपूर्ति करने के सम्बन्ध में जो डायवर्ट किया है उस सम्बन्ध में किस मानक और नीति का निर्धारण करके आपूर्ति किया गया है । माननीय अधिष्ठाता जी, इसमें जो उद्योगपति प्रभावित कर ले गये उनको दे दिया । आपने सहकारी मिलों और फेडरेशन की मिलों को नहीं दिया, इसमें करोड़ों का वारा-न्यारा हुआ । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो निजी चीनी मिलों को गन्ना डायवर्ट किया उसका क्या मानक था और जो कोटा आवंटित किया गया उसका क्या मानक था ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, किसी गन्ना किसान का गन्ना बाकी न रहे इसलिए गन्ना मिलों को डायवर्ट किया । 11 मिलें बन्द हुई हैं क्योंकि उनका एकुमुलेटेड लॉस अधिक हो गया था जिससे इन मिलों को बन्द करना पड़ा । जहां तक नीति की बात है माननीय सदस्य जानते होंगे बहुत विस्तार से दिया गया है माननीय सदस्य अगर चाहेंगे तो हम उन्हें उपलब्ध करा देंगे । स्पष्ट नीतियां दी हुई हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि 11 चीनी मिलें इसलिये बन्द की गयी क्योंकि वह घाटे में थीं, घाटा तो अब भी हो रहा है । पहले वाले मंत्री जी होते तो अब तक 11 के बजाय 33 बन्द हो जातीं । मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि भविष्य में चीनी मिलें नहीं बन्द कर रहे हैं । जो 11 चीनी मिलें बन्द हैं उनको पुनः चलाने के लिये विचार करेंगे ?

श्री राम नरेश यादव–

माननीय मंत्री जी ने कहा कि गन्ना किसानों का 78 प्रतिशत से ऊपर भुगतान हो चुका है तो मैं जानना चाहता हूं कि जो बचा हुआ पैसा है उसको किसानों की वर्तमान में दयनीय स्थिति को ध्यान

में रखते हुए कब तक भुगतान कर दिया जाएगा ? आपने कोई समय सीमा निर्धारित की है । अगर समय सीमा निर्धारित नहीं की है तो क्या बाद में उसका ब्याज सहित भुगतान करेंगे ?

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

मान्यवर, सरकार संवेदनशील है इसीलिये जो प्राइवेट मिल ओनर्स हैं जिनका 20 प्रतिशत से अधिक भुगतान नहीं हुआ था उनकी बैठक बुलाकर स्पष्ट आदेश दिया कि यथाशीघ्र भुगतान करें । उन्होंने इसका आश्वासन भी दिया । जहां तक सरकारी चीनी मिल का प्रश्न है उसमें यथाशीघ्र भुगतान हो जाएगा ।

श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी–

सरकार तो संवेदनशील है लेकिन मंत्री संवेदनहीन हैं इससे क्या औचित्य रह जाता है । मैं मंत्री जी से कई बार दुद्धवल चीनी मिल के संदर्भ में तमाम कृषकों के साथ, गन्ना समितियों के अध्यक्ष के साथ मिला था । महामहिम राज्यपाल महोदय से भी मिला था महामहिम राज्यपाल महोदय का पत्र भी हमारे पास उपलब्ध है । उसमें गन्ना सचिव की आख्या भी उपलब्ध है लेकिन उस पत्र को प्राप्त हुए डेढ़ महीने से ऊपर हो गये हैं आज तक सरकार की संवेदनशीलता हमको दिखाई नहीं दी । आज तक भुगतान नहीं हुआ । सरकार कब तक भुगतान करेगी वह समय सीमा हमको बताए ? 45 दिन से ज्यादा राज्यपाल का पत्र प्राप्त हुए हो गये । दो महीने आपसे मिले हुए हो गये लेकिन आज तक सरकार में संवेदनशीलता नहीं दिखाई दी ।

डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर–

हमने पहले ही कहा कि यथाशीघ्र भुगतान कराने का प्रयास करेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

यह सरकार समय सीमा बताने में असमर्थ है एवं सरकार गन्ना मिल मालिकों के हाथ बिकी हुई है इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है ।

(अतारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर से असंतुष्ट होकर श्री प्रमोद कुमार अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग कर चले गये ।)

नत्थी "ख"

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।

प्रदेश में पूंजी निवेश में वृद्धि हेतु उद्योग परक औद्योगिक नीति

*1–डा० सरजीत सिंह डंग–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में पूंजी निवेश में वृद्धि हेतु गत वर्ष में कोई योजना लागू की गयी है ? यदि हां, तो उस योजना के लागू होने के उपरान्त वित्तीय वर्ष 1999-2000 में कितना पूंजी निवेश हुआ है ? क्या सरकार पूंजी निवेशकों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु कोई नयी योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर एवं स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

जी हां ।

प्रदेश में उद्योग परक औद्योगिक नीति 1998 कार्यान्वित है ।

वर्ष 1998-99 में आई० ई० एम्स तथा एल० ओ० आई० के अन्तर्गत रु० 3092.00 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित हुआ था । जबकि वर्ष 1999-2000 में आई० ई० एम्स तथा एल० ओ० आई० के अन्तर्गत रु० 4761.26 करोड़ का पूंजी निवेश प्रस्तावित हुआ है ।

प्रदेश सरकार द्वारा पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये पहले ही औद्योगिक नीति, खनिज नीति, फिल्म नीति, निर्यात एव सूचना प्रौद्योगिकी नीति लागू की जा चुकी है । इन नीतियों के कार्यकाल तक किसी अन्य नीतियों/नीति का लागू करना उचित नही होगा अन्यथा निवेशकों में नीतियों के स्थायित्व/स्थायीकरण के प्रति संशय उत्पन्न होगा ।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, शासन की ओर से उत्तर आया है कि 98-99 में 3000 करोड़ रुपये और 99-2000 में 4761.26 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश प्रस्तावित हुआ है । मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि 98-99 और 99-2000 में वास्तव में कितना निवेश हुआ है ? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या यह सरकार सुनिश्चित करेगी कि जो उद्योग लगाने वाले उद्योगपति हैं, उनको जो कठिनाई के निवारण के लिये शासन को पत्र दिया जाता है उसका निस्तारण 15 दिनों में करेगी या नहीं ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने अपने उत्तर में बताया है कि 98-99 और 99-2000 में कितना पूंजी निवेश प्रस्तावित हुआ है । निवेश की जानकारी मैं अभी देता हूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

आप तैयारी करके नहीं आये । इसको स्थगित करवा दिया जाय ?

श्री हुकुम सिंह–

मैं तैयारी करके आया हूं । वर्ष 98 में क्रियान्वयन की दृष्टि से प्रस्ताव प्राप्त हुआ । 98-99 की सभी योजनाओं के बारे में.....

डा० सरजीत सिंह डंग–

मै दोनों की बात अलग-अलग पूछ रहा हूं । चूंकि उत्तर में लिखा है पूंजी निवेश बढ़ रहा है । प्रश्न स्पष्ट है ।

श्री हुकुम सिंह–

आपने फाइनेंशियल ईयर की बात पूछी है तो 31 मार्च अभी खत्म हुआ है इसके बारे में भारत सरकार से जानकारी प्राप्त करनी है फिर उसके फीगर्स उपलब्ध करा दिये जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न सिर्फ इतना है कि आपने स्वीकार किया है कि 98-99 और 99-2000 में इतने-इतने प्रस्ताव प्राप्त हुए उसमें से कितने प्रस्ताव ऐसे थे जिनमें से वास्तव में पूंजी निवेश हुआ है ?

श्री हुकुम सिंह–

वर्ष 98 में लगभग एक हजार करोड़ रुपये की पूंजी का निवेश हुआ और 99 में लगभग चार सौ करोड़ रुपये का इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है । यह मैं इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय डंग साहब के प्रश्न का दूसरा हिस्सा था कि क्या सरकार उद्योगपतियों के किसी प्रार्थना-पत्र का निस्तारण जो शासन को लिखा जाता है निर्धारित समय सीमा में करेगी या रिजेक्ट करेगी तो उसका कारण क्या होगा ? यह सब बतायेगी यह सरकार ?

श्री हुकुम सिंह–

जो उद्योग नीति लागू की गयी थी वह विस्तृत है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसका उल्लेख भी किया था । उसमें यह सारे बिन्दु शामिल हैं । मैं प्रयत्न करूंगा कि उन प्रार्थना-पत्रों का शीघ्र निस्तारण होना चाहिए । मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इसमें विलम्ब नहीं होगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, उद्योग-बन्धु उत्तर प्रदेश में बना हुआ है और हर प्रदेश में उद्योग बन्धु की मीटिंग में वहां के मुख्य मंत्री जाते हैं लेकिन हमारे प्रदेश में मुख्य मंत्री जी नहीं जाते हैं, यही कारण है कि 4 हजार तथा 5 हजार करोड़ के प्रस्ताव आने के बाद भी 1998-99 में मात्र 1 हजार करोड़ रुपये का और 1999-2000 में मात्र 400 करोड़ रुपये का निवेश हो पाया । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा को छोड़कर प्रदेश के अन्य जिलों में, बुन्देलखण्ड में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पर्वतीय इलाकों में कितना पूंजी-निवेश हुआ है और उन जिलों का नाम क्या है ?

श्री हुकुम सिंह–

माननीय सदस्य जहां के रहने वाले हैं, इलाहाबाद में ट्रैक्टर फोरम इक्वीपमेंट का प्रस्ताव आया है और उधम सिंह नगर में महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा का प्रस्ताव आया है । अलग-अलग की फीगर्स मेरे पास इस समय नहीं है । यह सही है कि अधिकांश निवेश नोएडा में ही हो रहा है ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, अगर माननीय मंत्री जी के पास सूचना उपलब्ध नहीं है तो मेरा अनुरोध है कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप स्थगित कर दें और यदि माननीय मंत्री जी के पास सूचनायें हैं तो मेरा कहना यह है कि पहले तो उत्तर प्रदेश में पूंजी-निवेश के प्रस्ताव आते ही नहीं हैं, फिर 3092 करोड़ रुपये का जो प्रस्ताव आये भी, उसमें से भी वास्तविक रूप से मात्र 1 हजार करोड़ रुपये का निवेश हो पाया और 1999-2000 में जो 5 हजार करोड़ के प्रस्ताव आये थे उसके विरुद्ध मात्र 400 करोड़ का निवेश हुआ ! मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आखिर वह कौन से कारण थे कि प्रस्तावों के आने के बावजूद भी, दो साल बीत जाने के बाद भी पूंजी निवेश नहीं हो पाया । दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो 1998-99 तथा 1999-2000 में जो प्रस्ताव आये, नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा को छोड़कर शेष भागों के लिये कितने धन के प्रस्ताव आये ?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी ने दूसरे भाग का उत्तर दे दिया है कि इलाहाबाद तथा उधम सिंह नगर के लिये प्रस्ताव आये थे । दूसरे भाग का माननीय मंत्री जी उत्तर देना चाहें तो दे दें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इलाहाबाद के लिये 50 करोड़ का प्रस्ताव आया है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्री वर्मा जी का पहला प्रश्न यह है कि लगभग 5 हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव आने के बावजूद भी मात्र 400 करोड़ रुपये का निवेश हुआ, इसका कारण क्या है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं । शायद अन्दाजा इस बात का है जितने प्रस्ताव प्राप्त होते हैं सभी पूंजी निवेश में तब्दील हो जाते हैं । पूरे भारतवर्ष का आंकलन है इम्प्लीमेंटेशन का अनुपात, 40 प्रतिशत का है । जितने प्रस्ताव प्राप्त होते हैं उसका 40 प्रतिशत ही इम्प्लीमेंट हो पाता है । उत्तर प्रदेश का प्रतिशत 48 है । हम लोग पूरे भारत में तीसरे नम्बर पर हैं ।

(व्यवधान)

आप 99-2000 की बात कर रहे हैं । मैंने बताया कि मेरे पास 400 करोड़ के आंकड़े थे उसकी जानकारी मैंने आपको दे दी है । महाराष्ट्र और गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश भारत में पूंजी निवेश के मामले में तीसरे नम्बर पर है ।

(श्री बी० आर० वर्मा व श्री अम्बरीष जी के साथ-साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी का प्रश्न है कि क्या कोई स्पैसिफिक कारण है जिस वजह से पूंजी निवेश प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद भी नहीं हो पाता है ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैने बताया कि जैसे लोगों की धारणा बन गई है कि जितने प्रस्ताव प्राप्त होगें वे सभी इम्प्लीमेन्ट होंगे । ऐसा नहीं है । मैंने बताया कि पूरे भारतवर्ष में 40 प्रतिशत ही इम्प्लीमेन्ट हो पाता है ।

श्री अम्बरीष कुमार–

99-2000 के वित्तीय वर्ष के पूरे आंकड़े आपके पास उपलब्ध नहीं है । जो 400 करोड़ रुपये आपने अभी बताया कि इतने का पूंजी निवेश हो चुका है तो मैं जानना चाहता हूं कि यह किस महीने तक के आंकड़े हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

यह आंकड़े अक्टूबर, 99 तक के हैं उसके बाद के नहीं है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, स्थिति भयावह है और यह इसलिये है कि जो प्रस्ताव निवेश और वास्तविक निवेश के बीच में बड़ा अन्तर है । आप औद्योगिक नीति बदलना नहीं चाहते हैं । प्रश्न के एक भाग में आपने कहा है कि इससे लोगों के मन में संशय होगा । आप नीति को लेकर चलना चाहते हैं तो नियोजन कहीं गड़बड़ है, अधिकारियों की नीयत में कहीं गड़बड़ है । उद्योग लगाने के लिये उद्योगपति आते हैं और डिस्करेज होकर चले जाते हैं । अवस्थापना सुविधाओं को अच्छा बनाने के लिये और उद्योग लगाने वालों को अच्छी सुविधा मिल सके इस तरह की कोई योजना बनायेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

इसकी शुरूआत हो चुकी है । जो नई उद्योग नीति आई है आपने उसका अवलोकन किया होगा । यह सबसे बड़ी बात की है कि हमने समय सीमा बान्ध दी है । प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद 60 दिन के अन्दर उस पर अंतिम निर्णय ले लेना होगा । हमने वन विन्डो सिस्टम बना दिया है । एक जगह पर ही उसको सारी सुविधाएं मिल जायेंगीं जगह-जगह नहीं जाना पड़ेगा जो समय उसका अनावश्यक रूप से बर्बाद होता था वह बचेगा । जो अनावश्यक रूप से लाइसेंस लेना होता था उसको समाप्त कर दिया है,

इन्स्पेक्टर राज समाप्त कर दिया है । यह सब इस प्रकार से कार्य किये हैं जिससे आशा के अनुरूप उपलब्धि मिली है ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

माननीय मंत्री जी से इस बात का आश्वासन नहीं निर्देश चाहता हूं कि जैसा आपने कहा कि हमने समय सीमा निर्धारित कर दी है कि 60 दिन के अन्दर आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद कार्यवाही हो जानी चाहिए तो क्या मंत्री जी ऐसे निर्देश जारी करेंगे कि जो अधिकारी इन आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं उनको कठोर दण्ड देंगे उनकी इन्टीग्रिटी रोक देंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

आपने जो यह प्रश्न किया यह केवल इण्डस्ट्रियल डिपार्टमेंट के लिए चीजें जरूरी हैं या रेजमर्रा के लिए जरूरी हैं ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मैं यहीं तक सीमित रख रहा हूं "सारे जहां का दर्द मेरे जिगर में है" यह और बात है ।

श्री अधिष्ठाता–

यह कुशल प्रशासन के लिए आवश्यक है ।

प्रदेश सरकार द्वारा भूतपूर्व विधायकों को जारी कूपन रेलवे बोर्ड द्वारा बन्द किये जाने पर पुनः विचार करने हेतु रेल मंत्रालय से अनुरोध

*2–श्री प्रमोद कुमार–

क्या संसदीय कार्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश सरकार द्वारा भूतपूर्व विधायकों को दिये जाने वाले 10,000/- (दस हजार) रुपये के रेलवे कूपन को रेलवे बोर्ड द्वारा आगामी 1 अप्रैल, 2000 से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कूपन के स्थान पर कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

जी हां ।

शासन द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रस्तावित नहीं है । इस सम्बन्ध में पुनर्विचार हेतु रेल मंत्रालय से अनुरोध किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठाये ।

प्रश्न नहीं उठाये ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है यह भूतपूर्व विधायकों से जुड़ा है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो भूतपूर्व विधायकों को 10 हजार रुपये के कूपन मिलते थे उसकी एवज में उत्तर प्रदेश सरकार धनराशि जमा करती थी, एक तरह से दस हजार के कूपन खरीदते थे । इसमें रेल मंत्रालय का कोई एहसान नहीं था । हम पैसा देते थे और कूपन लेते थे, जैसा कि वर्तमान विधायकों के लिये भी है, लेकिन क्या इस सरकार की साख इतनी गिर गयी है कि केन्द्र सरकार को विश्वास नहीं रहा, 31 मार्च के बाद से उसने कूपन देना बंद कर दिया है, मंत्री जी, जब तक रेल मंत्रालय पुनः इस व्यवस्था को लागू करने पर तैयार नहीं हो जाता है कि वह दस हजार रुपया जमा करने पर कूपन देगा तब तक क्या दस हजार रुपये की धनराशि भूतपूर्व विधायकों को यात्रा भत्ते के रूप में देने की कृपा करेंगे, जिससे वह बस, ट्रेन जैसे चाहे यात्रा कर सकें ?

श्री हुकुम सिंह–

माननवर, मैं कहना चाहता हूं कि दस हजार के कूपन इसी सरकार ने दिये थे, पूर्ववर्ती सरकार पर मैं किसी तरह का आरोप नहीं लगाना चाहता हूं इन्होंने सरकार गिरने की बात कही तो मैं बताना चाहूंगा कि भूतपूर्व विधायकों के कूपन का विषय केवल उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित नहीं है और प्रदेश की सरकारों ने भी कूपन अनुमन्य किये हैं। बिहार सरकार ने हमसे पहले ही भूतपूर्व विधायकों को कूपन अनुमन्य किया था और उनका प्रस्ताव रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत हो गया था फिर इसमें दुबारा रेलवे बोर्ड ने विचार किया और सूचित किया कि पूरे देश में हम यह सुविधा वर्तमान विधायकों को दे सकते हैं, पूर्व विधायकों को नहीं दे सकते हैं क्योंकि कूपन छपवाने पड़ते हैं, भेजने पड़ते हैं, स्टाफ रखना पड़ता है, इस तरह की कठिनाइयां हैं। इस संबंध में चिन्ता व्यक्त की गई और इस पर नेतागणों की बैठक में भी विचार हुआ, माननीय अध्यक्ष जी से भी आग्रह किया गया, उनकी गुडविल का इस्तेमाल किया गया उन्होंने कहा है कि रेलवे बोर्ड की बैठक को बुलाकर इस समस्या का निस्तारण करायेंगे।

श्री बी० आर० वर्मा–

माननवर, 31 मार्च समाप्त हो गया है। 31 मार्च के बाद से किसी विधायक को कूपन नहीं मिल रहे हैं वह कूपन से यात्रा नहीं कर सकते हैं। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि प्रयास कर रहे हैं यह पूरे देश का मामला है प्रदेश का मामला नहीं है। पूरे देश के लिये रेलवे बोर्ड ने फैसला लिया कि कूपन भूतपूर्व विधायकों को देने में असमर्थ हैं। हमारी सरकार कूपन का पैसा जमा कराती है तब कूपन देती है, वर्तमान विधायकों को वह कूपन दे रहे हैं मैं जानना चाहता हूं कि विकल्प के रूप में क्या सरकार भूतपूर्व विधायकों को कूपन के एवज में पैसा देगी। 12 महीने का पैसा डिवाइड करके भूतपूर्व विधायकों को यात्रा भत्ता देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री हुकुम सिंह–

अभी पैसा देने की बात कहां से आ गई, मैंने कहा कि पहले अन्तिम रूप से तय हो जाए हम प्रयासरत हैं। माननीय अध्यक्ष जी प्रयासरत हैं उन्होंने आश्वस्त किया है। जल्दी ही मीटिंग बुलाई जाएगी। पहले माननीय अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में बैठक हो जाए, रेलवे बोर्ड को दुबारा मनाने को तैयार किया जाए, अगर रेलवे बोर्ड तैयार हो जाता है तो अच्छी बात है। अभी वैकल्पिक व्यवस्था का सवाल नहीं उठता है। पहले समस्या का निस्तारण हो जाना चाहिए।

श्री बी० आर० वर्मा–

31 मार्च बीत चुका है। अप्रैल का महीना बीत रहा है। भूतपूर्व विधायक इसमें यात्रा नहीं कर सकते हैं क्या आप इसमें पैसा देने पर विचार करेंगे ?

श्री बाबू राम यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि यही सरकार थी जिसने भूतपूर्व माननीय विधायकों को दस हजार रुपये के कूपन दिया और यही सरकार है जिसने वापस भी ले लिया है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यही सरकार यहां पर भी है और केन्द्र सरकार में भी यही है तो क्या वह रेलवे बोर्ड को आदेश नहीं दे सकती है ? क्या केन्द्र सरकार यह आदेश देगी कि इसी महीने में फैसला हो जाय ?

श्री हुकुम सिंह–

माननवर, माननीय बाबू राम यादव जी ने कहा कि क्या केन्द्र सरकार अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके इसका फैसला करायेगी। माननवर, यह मामला विचाराधीन था लेकिन बाद में तय हुआ था कि रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को बुलाकर निर्णय करा लिया जाय।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, यह सरकार सीधा आदेश दे सकती है । रेलवे बोर्ड तो आपके नीचे है ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रदेश सरकार सीधा आदेश नहीं दे सकती है ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार एक ही चीज है ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि भूतपूर्व विधायकों की समस्या से सभी परिचित हैं और एक दिन सभी को भूतपूर्व होना है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि एक अप्रैल, 2000 को यह सुविधा समाप्त करने का निर्णय लिया है और आज 24 अप्रैल है । फिर दूसरे उत्तर में आपने कहा कि इस संबंध में पुनर्विचार हेतु रेलवे मंत्रालय से अनुरोध किया गया है । आपने एक अप्रैल को समाप्त कर दिया और आज 24 अप्रैल है तो इन 24 दिनों में आपने क्या व्यवस्था की? दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि कब तक रेलवे मंत्रालय से यह सरकार अनुरोध करेगी, अगर विलम्ब हो रहा है तो यह सरकार संवेदनशील सरकार नहीं हो सकती है । तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कब तक इस मामले में विचार करके निर्णय लिया जायेगा ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जैसे ही हमको जानकारी मिली कि रेलवे बोर्ड ने फैसला ले लिया है हमने 24 फरवरी, 2000 को पत्र लिखा, उसमें हमने यह सूचित किया कि विधान मण्डल ने इसको पास करके इसकी व्यवस्था करायी है आप इसे वापस न लें । लेकिन उन्होंने पुनः कहा कि हमने विचार कर लिया है कूपन की व्यवस्था किया जाना सम्भव नहीं होगा । तब यह निर्णय लिया गया कि केन्द्र सरकार के माध्यम से या इस फोरम के माध्यम से इसको हल कराया जाय ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सभी सदस्यों को अपने भविष्य की चिन्ता है उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय सदस्यों ने पूछा है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने 24 फरवरी, 2000 का पत्र का हवाला दिया और फिर उन्होंने यह कहा कि हमने पुनः अनुरोध किया लेकिन उन्होंने टर्न डाउन कर दिया । जब रेलवे बोर्ड दो बार इस प्रस्ताव को निरस्त कर चुका है तो पुनः रेलवे अधिकारियों से बातचीत करने का क्या तात्पर्य है ? तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार रेलवे मंत्रालय के स्तर से वार्ता करने के सम्बन्ध में आश्वासन देगी ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह फैसला रेलवे बोर्ड का है । इसमें केवल सरकार के पक्ष के ही नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष भी थे । मान्यवर, तब यह हुआ था कि माननीय अध्यक्ष से आग्रह किया जाय कि सक्षम अधिकारियों से विचार-विमर्श हेतु बैठक कर ली जाय जिस पर अध्यक्ष जी सहमत हो गये थे, इसलिये रेलवे के अधिकारियों को बुलाकर इस सम्बन्ध में बात कर ली जायेगी ।

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

मान्यवर, जब रेलवे बोर्ड 10 हजार रुपये के कूपन भूतपूर्व सदस्यों को देने के लिये तैयार नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार को भूतपूर्व सदस्यों को नकद भुगतान करने में कोई कठिनाई

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, वह स्थिति अभी नहीं आयी है । अभी तो विचार-विमर्श की स्थिति है और मैं समझता हूं कि विचार-विमर्श के बाद समस्या का समाधान हो जावेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा सीधा प्रश्न है और मैं मंत्री जी को स्मरण कराना चाहता हूं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक ऐसा ही निर्णय भूतपूर्व सांसदों के बारे में दिया था क्योंकि उनके रेलवे पास रद्द कर दिये गये थे जिसमें उच्च न्यायालय के निर्णय के बावजूद पुनः पास जारी किये गये थे । इसलिये क्या उस परम्परा को निभाते हुए रेलवे को जो संवेदनशीलता निभानी चाहिए थी वह उन्होंने नहीं निभाई जिसके कारण सम्पूर्ण सदन द्वारा पारित प्रस्ताव का उल्लंघन किया है, इसलिये क्या मंत्री जी रेलवे बोर्ड से जब तक निर्णय नहीं करा लाते क्योंकि वह मना कर रहे हैं और मंत्री जी अधिकारियों से बात कर रहे हैं, इसलिये जिस तरह भूतपूर्व सांसदों के लिये सुविधा बहाल की गयी थी क्या उसी तरह से जब तक रेलवे बोर्ड से मंत्री जी सहमति प्राप्त नहीं कर लेते तब तक भूतपूर्व सदस्यों को यह सरकार 10 हजार रुपया नकद भुगतान करेगी ?

श्री अधिष्ठाना–

इसमें कोई निर्देश रेलवे डिपार्टमेन्ट को प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जा सकता है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा छोटा प्रश्न यह है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक भूतपूर्व सदस्यों को 10 हजार रुपये नकद भुगतान यात्रा भत्ता के रूप में करने की व्यवस्था करेगी ?

श्री अधिष्ठाना–

इसमें बहुत प्रश्न पूछे जा चुके हैं । इसलिये जो निर्णय हो, वह यथाशीघ्र हो जाना चाहिए ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, ठीक है ।

नत्थी 'ग'

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश सरकार द्वारा जनसंख्या के आधार पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध

*1.—डा० सरजीत सिंह डंग तथा डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर आवंटित किया जा रहा है ? यदि हां, तो वर्तमान जनसंख्या के आधार पर उक्त खाद्य सामग्री प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कोई प्रयास किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

जी हां ।

जी हां, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, यह प्रश्न विभिन्न रूपों में इस सदन में उठा है और लगभग यही उत्तर हर बार आ रहा है, 1991-2000 यह प्रयत्न चल रहा है, सफलता नहीं मिल पा रही है क्या कारण है ? क्या जनसंख्या के आधार पर आप मांग जो कर रहे हैं केन्द्र से उसी प्रकार से विभिन्न जनपदों में जनसंख्या के आधार पर ही यह मिट्टी का तेल, चावल इत्यादि का आवंटन आप सुनिश्चित करायेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जहां तक चीनी का सम्बन्ध है उस पर हमें सफलता मिली है हमारा कोटा 11 हजार 490 मीट्रिक टन बढ़ा दिया गया है जो मौजूदा जनसंख्या है उस हिसाब से हमें कुल मिलाकर 72 हजार मी० टन चाहिए, 71 हज़ार मीट्रिक टन कोटा हो गया है । जो यह 11 हजार कुछ मी० टन चीनी आवंटित की गयी है उसे हमने ग्रामीण क्षेत्र के लिये कर दिया है क्योंकि वहां उपभोक्ताओं को कम मिलती थी । दूसरी शुभ सूचना यह देने है कि गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को अब तक 10 किग्रा० खाद्यान्न दिया जाता था अब उसे बढ़ाकर 20 किग्रा० कर दिया गया है प्रति यूनिट और इसकी उपलब्धता में हमें कोई कठिनाई नहीं है । मिट्टी का तेल इसमें भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं कि राष्ट्रीय औसत 12 लीटर का है लेकिन हमारे प्रदेश में 10 लीटर के हिसाब से मिल रहा है और जो हमारी अपेक्षा है, बहुत जल्दी उसमें हमको सफलता मिलेगी । जनपदों में जनसंख्या के हिसाब से आवंटन किया जाना चाहिए, इसको हम दिखवा रहे हैं, खाद्यान्न और चीनी में दिक्कत नहीं है, मिट्टी के तेल में कहीं-कहीं विसंगति है, उसको दिखवा रहे हैं ।

डा० लक्ष्मीकांत बाजपेयी–

मान्यवर, खाद्यान्न के मामले में बी० पी० एल० की बात आपने बता दी, उसके अलावा जिस श्रेणी का खाद्यान्न देते हैं, खाद्यान्न में आपने कहा कि कोई कठिनाई नहीं है । जो अतिरिक्त चीनी आवंटित हुई है उसको आपने ग्रामीण क्षेत्र के लिये आवंटित कर दिया है, नगरीय क्षेत्रों में 6 सौ ग्राम प्रति यूनिट चीनी दी जा रही है तो क्या इस बढ़े हुए कोटे का लाभ शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को देने पर विचार करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को और सम्मानित सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि अभी तक जो राष्ट्रीय औसत है वह 425 ग्राम प्रति यूनिट का है, शहरी क्षेत्र में सामान्यतः 750 ग्राम प्रति यूनिट मिल रहा है और कहीं-कहीं पर एक किलोग्राम प्रति यूनिट मिल रहा है लिहाजा जो बढ़ा हुआ कोटा है उसे शहरी क्षेत्र की तरफ परिवर्तित करने का प्रश्न नहीं है ।

डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश के उन जिलों का नाम क्या इस सदन को बताने की कृपा करेंगे जहां उपभोक्ताओं को एक किलोग्राम और 750 ग्राम चीनी मिल रही है ? मान्यवर, मेरी जानकारी के अनुसार किसी भी उपभोक्ता को 600 ग्राम से अधिक चीनी नहीं मिल रही है । शासन ने यह आदेश जारी कर रखा है कि उसकी मात्रा के अनुसार उसके कोटे की मात्रा घटा-बढ़ा लें । एक वर्ष से यह घटाव किया गया है क्या इस घटाव की मात्रा को पूर्ववत करने पर सरकार विचार करेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया किन-किन नगरों में 750 ग्राम और एक किलोग्राम चीनी मिल रही है तो मैं इसकी जानकारी माननीय सदस्य को करा दूंगा इस समय मेरे पास यह

जानकारी नहीं है । मैंने कुछ नगरों का भ्रमण किया है वहां पर लोगों ने बताया कि 750 ग्राम चीनी मिलती है और कहीं-कहीं पर एक किलोग्राम की बात बताई गयी है, मैं इसकी विस्तृत जानकारी करा लूंगा ।

दूसरा, जो गरीबी की रेखा के ऊपर के लोग हैं उनके लिये खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है उनके लिये प्रति 10 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, चीनी के बारे में कोई दिक्कत नहीं है ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपने 20 किलोग्राम खाद्यान्न देने की बात कही है तो यह प्रति यूनिट है या प्रति कार्ड । दूसरा प्रश्न यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी चीनी दे रहे हैं और शहरी क्षेत्रों में कितनी चीनी दे रहे हैं ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, 20 किलोग्राम प्रति कार्ड है, प्रति यूनिट नहीं है ।

नत्थी 'घ'

*1—श्री राजधारी सिंह–

[मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया]

प्रदेश में पुलिस विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों को प्रतिवर्ष एक माह का अतिरिक्त वेतन देने की सुविधा

*2—श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या प्रदेश में पुलिस विभाग के सभी राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों को प्रतिवर्ष एक माह का अतिरिक्त वेतन सरकार देती है ? क्या यह अतिरिक्त वेतन सी०आई०डी० आदि अन्य पुलिस शाखाओं में भी मिलता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि पुलिस की ऐसी भी शाखायें हैं जिनमें एक माह का अतिरिक्त वेतन नहीं मिलता है ? यदि हां, तो ऐसी कौन-कौन सी शाखायें हैं ? क्या सरकार पुलिस की सभी शाखाओं के सभी कर्मचारियों को एक माह का अतिरिक्त वेतन देना स्वीकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह–

पुलिस विभाग के राजपत्रित कर्मियों को यह सुविधा अनुमन्य नहीं है । पुलिस विभाग की कुछ शाखाओं के अराजपत्रित कर्मचारियों को राजपत्रित अवकाश रविवार या द्वितीय शनिवार को उपभोग न कर पाने के एवज में प्रति वर्ष एक माह का अतिरिक्त वेतन सरकार देती है । यह अतिरिक्त वेतन सी० आई० डी०/प्रशिक्षण/कम्प्यूटर शाखा में मात्र कान्सटेबिल व हेड कान्सटेबिल को ही मिलता है । अन्य शाखाओं यथा जिला पुलिस/पी० ए० सी०/अभिसूचना/जी० आर० पी०/रेडियो व अग्नि शमन शाखा में कान्सटेबिल से लेकर इन्सपेक्टर तक के सभी कर्मियों को अतिरिक्त वेतन मिलता है । पुलिस विभाग के रेडियो शाखा में कर्मशाला कर्मचारी, पी० एम० टी० वर्कशापों में तकनीकी कर्मचारी, पुलिस मिनिस्टीरियल संवर्ग व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को एक माह का वेतन नहीं मिलता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता जी मैंने इस प्रश्न के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहा था कि अतिरिक्त वेतन, जो पुलिस कर्मी हैं, कौन-कौन शाखा में हैं उनको मिलता है आपने उत्तर में बताया

कि यह अतिरिक्त वेतन सी० आई० डी०/प्रशिक्षण/कम्प्यूटर शाखा में मात्र कान्स्टेबिल व हेड कान्स्टेबिल को ही मिलता है मेरा प्रश्न यह है कि इसमें इंस्पेक्टर रैंक के कर्मचारियों को क्यों नहीं मिलता है और दूसरा इसमें विजिलेंस में जो कर्मचारी हैं उनके संबंध में कोई सूचना नहीं दी गयी है, उसके बारे में बता दें ?

श्री हुकुम सिंह–

आप प्रश्न के उत्तर का दूसरा भाग पढ़ लें । अन्य शाखाओं यथा जिला पुलिस/पी०ए०सी०/अभिसूचना/जी०आर०पी०/रेडियो व अग्नि शमन शाखा में कान्स्टेबिल से लेकर इंस्पेक्टर तक के सभी कर्मियों को अतिरिक्त वेतन मिलता है । इस प्रकार उत्तर आ तो गया ।

श्री राम औतार शाक्य–

उत्तर में दिया गया है कि यह अतिरिक्त वेतन सी० आई० डी०/प्रशिक्षण/कम्प्यूटर शाखा में मात्र कांस्टेबिल व हेड कांस्टेबिल को ही मिलता है, इसीलिये मैंने पूछा था कि इंस्पेक्टर को क्यों नहीं मिलता ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, 1977 में इस प्रकरण पर विचार किया गया था, इसलिये किया गया था कि जिन पुलिस कर्मियों को कोई छुट्टी उपलब्ध नहीं हो पाती है, जो दूसरे जिलों और थानों पर तैनात हैं, जिनको होलीडेज व रविवार आदि की छुट्टी नहीं मिलती है, उनको अतिरिक्त वेतन दिया जाय, इसमें इंस्पेक्टर से लेकर कांस्टेबिल तक सभी शामिल हैं । जहां तक इन्वेस्टीगेशन शाखा का प्रश्न है, उसमें ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं है कि सी० आई० डी० का इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर छुट्टी में भी आकर काम करे, इसलिये जो लोग छुट्टी के दिनों में आकर काम करते हैं, उनको वेतन देने का निर्णय लिया गया था ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जब से इस अतिरिक्त वेतन देने का प्राविधान हुआ है, तब से प्रत्येक वर्ष समय से यह अतिरिक्त वेतन दे दिया जाता रहा है, परन्तु इस बार वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाने के बाद भी आज की तिथि तक यह अतिरिक्त वेतन प्रदेश में क्यों नहीं दिया जा सका । दूसरा प्रश्न है कि जो शैडो और गनर माननीय मंत्रियों, माननीय सदस्यों तथा अन्य की सेवा में लगे हैं, उनके लिये जो समुचित देय होना है, उसको देने पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री हुकुम सिंह–

यहां जो एक महीने के अतिरिक्त वेतन की बात है, उसमें शैडो और गनर आलरेडी कवर्ड हैं ।

(इस समय 12 बजकर 17 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री अम्बिका चौधरी–

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि 31 मार्च तक यह पैसा नहीं दिया गया है जबकि अब अप्रैल माह समाप्त होने जा रहा है, यह क्यों नहीं दिया गया है, इसके क्या कारण हैं ?

श्री हुकुम सिंह–

प्रश्न पात्र-अपात्र के बारे में था, वह मैंने बता दिया । अब आप कह रहे हैं, नहीं दिया गया तो कहीं की स्थिति विशेष आपके सामने आई हो, तो बता दीजिये ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं और यह बात मूल प्रश्न से सम्बन्धित है । मैं दूसरा प्रश्न पूछ लेता हूं कि किन-किन जनपदों में आपने इस अतिरिक्त वेतन का भुगतान कर दिया है ?

श्री अध्यक्ष–

यह तो बहुत विस्तीर्ण हो जायेगा ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो मूल प्रश्न का भाव था, कौन इलिजिबिल अर्ह है, कौन नहीं, उसका उत्तर दे दिया । अब आपने एक सूचना दी है, अगर कहीं नहीं मिला है तो उसको दिखवा लेंगे ।

प्रदेश के प्रमुख नगरों में वायु प्रदूषण रोकने के उपाय

*3–श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ; आगरा कानपुर में वायु प्रदूषण रोकने के कोई उपाय किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण मंत्री (श्री बच्चा पाठक)–

जी हां ।

परिवहन विभाग द्वारा लखनऊ; कानपुर एवं आगरा में प्रदूषण रोकने के लिये नये टैम्पो का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है । टैम्पों को जो परमिट दिये गये हैं उनकी आय कम करके 05 वर्ष कर दी गयी है । 05 वर्ष से अधिक आयु के टैम्पों को नगर सीमा के बाहर कर दिया गया है । लखनऊ नगर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु मुख्य मार्गों पर नगर बस संचालन प्रारम्भ हो गया है जिन मार्गों पर सिटी बसे संचालित है उन मार्गों पर टैम्पो संचालन प्रतिबन्धित कर दिया गया है ।

आगरा एवं कानपुर में भी नगर बस संचालित की जा रही है । बैटरी चालित वाहनों के संचालन को बढ़ावा दिया जा रहा है । आगरा में वायु प्रदूषण रोकने की महायोजना के अंतर्गत आगरा की सड़कों का चौड़ीकरण तथा सिसिंग लिंक्स का निर्माण, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट की योजनायें चलायी जा रही हैं । इसके अतिरिक्त आगरा में सतत् विद्युत आपूर्ति हेतु भी योजना कार्यान्वित की जा रही है ।

उद्योगों से जनित वायु प्रदूषण को रोकने के लिये उपर्युक्त तीनों नगरों में प्रमुख प्रदूषणकारी उद्योगों में वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित कराई गई है । इसके अतिरिक्त उक्त तीनों नगरों में वाहनों तथा औद्योगिक इकाईयों के उत्सर्जन का नियमित अनुश्रवण/जांच/निरोधात्मक कार्यवाहियां भी की जाती हैं तथा सभी वाहनों के लिये धुआँ प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर पढ़ा गया)

श्री अध्यक्ष–

मेरा एक सुझाव है, माननीय मुन्ना जी, यह प्रदेश के लिये महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह अपनी जगह है । नियम–52 में इसकी सूचना दे दें और सदन में इस पर चर्चा हो जाए तो यह ज्यादा उचित होगा । यह महत्वपूर्ण विषय है, बजाय इसके इस पर बार-बार अनुपूरक प्रश्न पूछे जायें, इसे नियम 49 में कर दीजिये । यह अच्छा विषय है ।

अब प्रश्नकाल समाप्त हुआ ।

*4–कुंवर रेवती रमण सिंह तथा श्री अम्बरीष कुमार–

[6ठे मंगलवार को ता० प्र० सं०–5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

नोट :–नत्थी 'घ' तारांकित प्रश्न संख्या–3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

*5—श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा—

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश मे यात्रियों को अच्छी परिवहन सुविधा देने की योजना

*6—श्री नरेन्द्र सिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में यात्रियों को अच्छी परिवहन सुविधा देने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ?

परिवहन मंत्री (राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह)—

प्रदेश में अधिसूचित मार्गों पर यात्रियों को अच्छी परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा 700 नई बसें क्रय करके तथा आवश्यकतानुसार अच्छी बसें अनुबन्धित कर संचालित करने का निर्णय लिया गया है ।

अनाधिसूचित मार्गों पर निजी बस प्रचालकों को उदारता से परमिट दिये जाने का निर्णय लिया गया है ।

प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों की रोकथाम हेतु विशेष कार्य योजना

*7—श्री अवधेश प्रसाद—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ते हुये अपराधों की रोकथाम हेतु सरकार कोई कारगर कदम उठाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री राम प्रकाश)—

विगत वर्षों की तुलना करने पर पाया गया है प्रदेश में अपराध नहीं बढ़ रहे हैं । अपराधों पर सामान्य नियंत्रण रखने के लिये मौजूदा विभिन्न अधिनियमों के तहत निरोधात्मक कार्यवाही की जाती है । विशेष योजनाओं के रूप में प्रदेश स्तर पर स्पेशल टास्क फोर्स तथा जनपद स्तर पर स्पेशल आपरेशन ग्रुपों का गठन किया गया है । उक्त व्यवस्था पर्याप्त कारगर सिद्ध हुई है । विवेचना में गुणात्मक सुधार लाने हेतु प्रदेश के सभी नगर निगम व नगर पालिकाओं वाले सभी नगरों में थाना स्तर पर विवेचना पुलिस एवं शांति व्यवस्था पुलिस का पृथकीकरण दिनांक 1-4-2000 से किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति में आरक्षण कोटा की जानकारी

*8—श्री राम ललित चौधरी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि 1 जनवरी, 1999 से अब तक प्रदेश में कितने सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है ? क्या उन नियुक्तियों में पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

न्याय मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्ता)—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*9—डा० सरजीत सिंह डंग—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मानक

*10—श्री गोरख नाथ पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में मिट्टी तेल एवं चीनी का वितरण का मानक क्या है ? क्या यह सही है कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में मिट्टी के तेल एवं चीनी की आपूर्ति पुराने यूनिट एवं पुराने राशन कार्ड के आधार पर की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार नये राशन कार्ड के आधार पर वितरण की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत मिट्टी के तेल वितरण का मानक एल० पी० जी० कनेक्शन धारकों को 3 लीटर प्रतिमाह प्रति राशन कार्ड एवं बिना एल० पी० जी० कनेक्शन धारकों को 8 लीटर प्रति माह प्रति राशन कार्ड है तथा ग्रामीण अंचलों में चीनी की मात्रा का वितरण मानक 330 ग्राम प्रति यूनिट प्रतिमाह है ।

जी नहीं ।

आवश्यक वस्तुओं का वितरण नये राशन कार्डों के आधार पर ही किया जा रहा है ।

जनपद मेरठ में पाकिस्तानी नागरिकों की अवैध रूप से निवास करने की संख्या

*11—डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद मेरठ में पाकिस्तानी नागरिक अवैध रूप से निवास कर रहे हैं ? यदि हां, तो कितने ? क्या यह सही है कि उनके कारण आई०एस०आई०.द्वारा अपराधिक गतिविधियां हो रही हैं ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम हेतु सरकार क्या प्रभावी कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश—

जी हां । जनपद मेरठ में 12 पाकिस्तानी राष्ट्रिकों द्वारा अवैध रूप से निवास करना संज्ञान मे आया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भारत सरकार के दिशा निर्देशों पर प्रदेश में मिट्टी के तेल की वितरण व्यवस्था

*12—श्री राम विशुन आजाद—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में मिट्टी के तेल का वितरण सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से समाप्त कर खुले बाजार में एक निश्चित दर पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराये जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रदेश में मिट्टी तेल का वितरण सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही कराया जाता है । अतः प्रचलित व्यवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन करना भारत सरकार की नीति एवं दिशा निर्देशों पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा के थाना फतेहाबाद के अन्तर्गत ग्राम भोलपुरा में की गयी पुलिस फायरिंग की मैजिस्ट्रीयल जांच

*13–श्री विजय पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि आगरा के थाना फतेहाबाद के अन्तर्गत ग्राम भोलपुरा में गत दिसम्बर माह 1999 में पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने से एक व्यक्ति की मौके पर मृत्यु तथा एक व्यक्ति घायल हो गया था और घरों में आग लगा दी गई थी ? यदि हां, तो उक्त घटना में दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

प्रश्नगत मामले में जनपद से प्राप्त आख्या के अनुसार दिनांक 19-12-99 को प्रभारी निरीक्षक, फतेहाबाद एवं हमराही पुलिस तथा गंगनिया एवं बचना गैंग के बदमाशों में हुई मुठभेड़ में पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायर किये जाने से श्री जवाहर, निवासी भोलपुरा, थाना फतेहाबाद, गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस द्वारा उसे सरकारी अस्पताल, आगरा में उपचार हेतु भर्ती किया गया । पुलिस की कार्यवाही के विरोध में पुलिस को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से भोलपुरा ग्राम वासियों द्वारा अपनी झोपड़ियों में आग लगा दी गयी ।

प्रकरण में मु० अ० सं०–326/99 पंजीकृत होकर विवेचना प्रभारी निरीक्षक, फतेहाबाद द्वारा प्रचलित है ।

उक्त परिप्रेक्ष्य में श्री विजय सिंह निवासी पूठपुरा ने सूचना अंकित कराई कि उनका भाई चरन सिंह, होती लाल व राम भरोसे मछली पकड़ने भोलपुरा के पास यमुना किनारे गये थे । भोलपुरा निवासी रामपति, कायम सिंह, किताब सिंह व राम चरन आदि ने उनके भाई चरन सिंह को पकड़ कर यह कहते हुए मार-पीट करने लगे कि पुलिस को गंगनिया व बचना गैंग की सूचना उसने दी, उसे मार-मार कर मौके पर ही जान से मार दिया । उक्त सूचना पर थाना फतेहाबाद पर मु० अ० सं०–327/99 पंजीकृत होकर विवेचना, प्रभारी निरीक्षक, फतेहाबाद द्वारा प्रचलित है । मामले में मैजिस्ट्रीयल जांच भी प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

आटो ट्रैक्टर्स लि०, प्रतापगढ़ के छटनीशुदा कर्मचारियों को परिवहन विभाग में अर्हता के अनुरूप समायोजन

1–श्री उबैदुर्रहमान–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि विभाग में सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्रा०) के पद समायोजन हेतु आटो ट्रैक्टर्स लि०, प्रतापगढ़ के कुछ छटनीशुदा कर्मचारियों का साक्षात्कार माह नवम्बर, 1994 को हुआ था तथा उनमें से कुछ अभ्यर्थियों का समायोजन अन्य विभागों में हो जाने के बाद भी उन्हें दोबारा परिवहन विभाग में उक्त पद पर समायोजित कर दिया गया ? यदि हां, तो वे कौन-कौन हैं तथा नियमों के विरुद्ध हुए दोबारा समायोजन के दोषी अधिकारियों पर क्या सरकार कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां।

श्री लाल बहादुर सिंह एवं श्री अरुणेन्द्र कुमार पाण्डेय को उनकी तकनीकी अर्हता के अनुरूप उनके पूर्व विभाग में समायोजित न किये जाने के कारण सहायक सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) के पद पर समायोजित किया गया था जिसके लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया की नगर पंचायत बिल्थरा रोड में जयचन्द्र प्रसाद, राजनाथ गुप्ता एवं नादिर अली को आवंटित सस्ते गल्ले की दुकानों पर की गयी अनियमितता की जांच

2–श्री अफजाल अहमद–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया की नगर पंचायत, बिल्थरा रोड में जयचन्द प्रसाद, फ्रीसेल चीनी, तेल के होल सेल विक्रेता द्वारा शासनादेश का उल्लंघन करते हुए राजनाथ, नादिर अली, महेन्द्र पाल, गोरख प्रसाद, दयाशंकर प्रसाद आदि लोगों के नाम से फुटकर दुकानें आवंटित कराकर उनका संचालन कर भारी अनियमितता की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उठान एवं वितरण रजिस्टर व कार्डों की उच्च स्तरीय जांच कराने का आदेश देते हुए उक्त दुकानें निरस्त करने व विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने का आदेश देंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जनपद बलिया की नगर पंचायत बिल्थरा रोड में जयचन्द्र प्रसाद के नाम से फुटकर फ्री सेल का कम्पोजिट लाइसेंस सं०–2 है। श्री जयचन्द्र प्रसाद के नाम से मिट्टी तेल का होल सेल लाइसेंस नहीं है। राजनाथ एवं गोरख प्रसाद, स० स० ग०/मिट्टी तेल विक्रेता हैं। नादिर अली एवं महेन्द्र पाल केवल फुटकर मिट्टी तेल विक्रेता हैं। श्री दयाशंकर शर्मा के नाम से नगर पंचायत बिल्थरा रोड में फुटकर मिट्टी तेल का लाइसेंस था, जो निरस्त हो चुका है। उपरोक्त उचित दर गल्ला/चीनी/मिट्टी तेल विक्रेताओं में से श्री राजनाथ गुप्ता, नादिर अली एवं जयचन्द्र प्रसाद के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करायी जा रही है। जांचोपरान्त गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश के पशुधन व्यापारियों के ट्रकों को पुलिस द्वारा रोके जाने की शिकायत

3–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 7-7-99 जो प्रदेश के पशुधन व्यापारियों द्वारा पश्चिमी जनपदों से खरीदकर लाये जाने वाले ट्रकों को पूर्वी जनपदों की पुलिस द्वारा उत्पीड़न करने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उन्होंने दि० 8-7-1999 को उस पत्र पर प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

माननीय सदस्य का पत्र दिनांक 7-7-99 को प्राप्त हुआ है।

सम्बन्धित मण्डल/जनपदों से सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

[5वें गुरुवार में अता० प्र० सं०–84 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आजमगढ़ के ग्राम बघावर में राजेन्द्र की विवादित जमीन का सीमांकन एवं रास्ते की व्यवस्था

5–श्री विजय पाल सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम–बघावर थाना रौनापार, तहसील सगड़ी जिला–आजमगढ़ निवासी राजेन्द्र, महेन्द्र, मुनीब पुत्र श्री कंगलू के आवागमन का रास्ता अवरुद्ध करने एवं इनके परिवार जनों की सुखई, मुखई, सुखारी पुत्र श्री भग्गल आदि द्वारा दिनांक 14-12-99 को पिटाई करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के विषय में श्री गांधी आजाद, सांसद का पत्र दिनांक 21-7-99 एवं श्री मुनीब का पत्र दिनांक 14-12-99 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

जांचोपरान्त विवादित जमीन का सीमांकन कराकर आवेदक का रास्ता निकलवा दिया गया था। आवेदक यह चाहता है कि उसके विपक्षी के मकान को गिरवाकर उसे रास्ता दिया जाय जो कि सम्भव नहीं है। दोनों पक्षों के मध्य शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु द० प्र० सं० की धारा 107/116 एवं 116 (3) के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के थाना गोवर्धन में पंजीकृत अप० सं० 411/99, 412/99 एवं 413/99 की धारा 3/7 ई० सी० ऐक्ट के अन्तर्गत जांच की कार्यवाही

6–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु०अ०सं० 411/99, 412/99, 413/99 धारा 3/7 ई०सी० ऐक्ट थाना गोवर्धन, जनपद मथुरा की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम/29727/मथुरा/00, दिनांक 1-1-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां।

प्रकरण में सहायक आयुक्त, खाद्य, आगरा से जांच कराई जा रही है। जांचाख्या प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जनपद चित्रकूट के अन्तर्गत थाना मानिकपुर के ग्राम रानीपुर में अवैध रूप से संग्रह की गयी तेंदू पत्ती के पकड़े जाने पर अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय में विचाराधीन आरोप-पत्र

7–श्री ददू प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 7 जून, 1999 को ग्राम रानीपुर थाना मानिकपुर के जनपद चित्रकूट में अवैध रूप से संग्रह की गयी तेंदू पत्ती पकड़ी गयी थी ? यदि हां, तो कितनी थी ? क्या उक्त प्रकरण में किसी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां। अपितु प्रश्नगत तेंदू पत्ती पकड़े जाने की तिथि दिनांक 7 जून, 1999 न होकर दिनांक 14-6-99 है।

अवैध रूप से संग्रहित पकड़ी गयी तेंदू पत्ती की मात्रा लगभग तीन हजार गड्डी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में थाना मानिकपुर पर मु० अ० सं०–32/99 धारा 379/411 भा० द० वि० व 26 एफ० एक्ट विरुद्ध प्रकाश यादव पुत्र लक्ष्मी प्रसाद यादव निवासी रानीपुर जनपद चित्रकूट पंजीकृत हुआ । प्रश्नगत अभियोग में विवेचनोपरान्त आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

8—डा० सरजीत सिंह डंग–

[3रे मंगलवार में अतारांकित प्र० सं०–176 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम में प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध कथित अनियमितता की शिकायत पर जांच

9– श्री अजय कुमार पोइया–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा निगम विरोधी कृत्यों एवं उनके द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में श्री राधाचरण शुक्ल, सदस्य, प्रान्तीय परिषद्, भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश का पत्र दिनांक 29-01-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

शिकायती बिन्दुओं पर प्राप्त आख्या के परीक्षणोपरान्त शिकायतें निराधार पाई गईं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लखनऊ के वरिष्ठ हाट निरीक्षक के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर जांच

10–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लखनऊ के वरिष्ठ हाट निरीक्षक द्वारा सरकारी सेवा के साथ राजनीतिक पार्टी से सम्बन्ध रखने सम्बन्धी श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, स०वि०स० का शिकायती पत्र–संख्या–क–2–107036. मई 1999 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, स० वि० स० का शिकायती पत्र संख्या–क-2–107036 दिनांक 7 जून, 1999 शासन को प्राप्त हुआ है ।

प्रबन्ध निदेशक, उ० प्र० राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम द्वारा जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

11—श्री अजय कुमार पोइया–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, लखनऊ के वरिष्ठ हाट निरीक्षक द्वारा लाखों रुपयों की अनियमितता किए जाने सम्बन्धी भारतीय मजदूर संघ, उत्तर प्रदेश, 6 नवीन मार्केट, कैसरबाग, लखनऊ का पत्रांक–467/भा०द०सं०–

99–2000. दिनांक 12 जुलाई, 1999 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम द्वारा जांच करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

12—श्री संजय गर्ग–

[5वें बुधवार में अता० प्र० सं०–186 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र नौरंगिया के खड्डा में अग्निशमन दल की स्थापना की मांग

13–श्री दीपलाल भारती–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र 194. नौरंगिया के दलित बाहुल्य क्षेत्र, खड्डा में अग्निशमन दल (फायर ब्रिगेड) की स्थापना हेतु खड्डा थाना के उत्तर थाने की सुरक्षित भूमि को अधिग्रहीत किया गया था ? यदि हां, तो वहां फायर ब्रिगेड की स्थापना कब तक की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

खड्डा थाने में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना का औचित्य नहीं पाया गया है ।

जनपद मथुरा में राशन की दुकानों पर मिट्टी के तेल की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में पत्र

14–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा स्थित राशन की दुकानों से मिट्टी के तेल की आपूर्ति सुचारु रूप से सुनिश्चित कराये जाने विषयक, विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी० एम०/वि०को०/एम–29728/मथुरा/00, दिनांक 1-1-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

(क) जी, हां ।

(ख) जनपद-मथुरा स्थित राशन की दुकानों से मिट्टी के तेल की आपूर्ति सुचारू रूप से सुनिश्चित कराई जा रही है ।

15–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

[दिनांक 15-3-99 को अता० प्र० सं०–83 द्वारा उत्तरित]

जनपद बस्ती में डग्गामार गाड़ियों के सम्बन्ध में अनियमितताओं सम्बन्धी शिकायती पत्र पर जांच

16–श्री राम ललित चौधरी–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बस्ती में डग्गामार गाड़ियों के माध्यम से की जा रही राजस्व चोरी तथा अन्य अनियमितताओं की जांच के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र मार्च,

2000 के दूसरे सप्ताह में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

शिकायत की जांच हेतु उप परिवहन आयुक्त (परिक्षेत्र), वाराणसी को जांच अधिकारी नामित कर दिया गया है, जो जांच कर रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के अभिसूचना शाखा (पुलिस) के अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को अन्य शाखाओं में स्थानान्तरण की नीति

17–श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि पुलिस विभाग के अन्तर्गत अभिसूचना शाखा के अराजपत्रित पुलिस कर्मियों को अन्य शाखाओं (सैल) में स्थानान्तरित करने की नीति है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त नीति को परिवर्तित किये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में उपपुलिस अधीक्षक स्तर के कुल पदों की संख्या तथा रिक्त पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से भरे जाने की कार्यवाही

18–श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग के अधीन वर्तमान में उप पुलिस अधीक्षक स्तर के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? वर्तमान में स्वीकृत पदों में से कितने पद रिक्त चल रहे हैं ? क्या रिक्त पदों को भरे जाने हेतु निरीक्षक/दल नायक सम्वर्ग से पदोन्नति के लिए विभागीय चयन समिति गठित की गयी है ? यदि हां, तो पदोन्नति प्रक्रिया कब से शुरू की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

वर्तमान में पुलिस उपाधीक्षक ज्येष्ठ वेतनमान के 192 एवं साधारण वेतनमान के 700 पद स्वीकृत हैं ।

वर्तमान समय में साधारण वेतनमान में पुलिस उपाधीक्षक के कुल 126 पद रिक्त चल रहें हैं ।

सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है । पदोन्नति श्रेणी की रिक्तियों को भरे जाने हेतु विभागीय चयन समिति के गठन तथा बैठक हेतु तिथि न

समय निर्धारित करने के लिये लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को पत्र भेजा गया है। विभागीय चयन समिति की बैठक की तिथि तय होने के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विभिन्न विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने निजी कार्यों में होमगार्डों का उपयोग किये जाने पर प्रतिबन्ध हेतु जारी शासनादेश का अनुपालन

19-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या होमगार्ड्स, राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि होमगार्डों का उपयोग विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा अपने निजी कार्यों में किये जाने की परम्परा को रोके जाने हेतु प्रमुख सचिव, कारागार एवं होमगार्ड के हस्ताक्षर से जारी शासनादेश सं०-1286/छः ना० सु०-95-289 दिनांक 7 अप्रैल, 1995 का पालन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

होगगार्डस, राजनैतिक पेंशन एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री श्याम सुन्दर शर्मा)-

जी हां, शासनादेश सं०-1286/छः ना० सु०-95-289, दिनांक 7 अप्रैल, 1995 में दिये गये निदेशों का पालन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

आजमगढ़ के प्राथमिक विद्यालयों में "मिड-डे-मील योजना" के अन्तर्गत खाद्यान्नों के वितरण का विवरण

20-श्री राम ललित चौधरी-

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के प्राथमिक विद्यालयों में शासन द्वारा संचालित खाद्यान्न वितरण प्रणाली के तहत शिक्षा सत्र, 1999-2000 में मिड-डे-मील योजना के अर्न्तगत विभिन्न विद्यालयों मे छात्रों को गेहूं, चावल आदि का सुचारु रूप से वितरण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह-

शिक्षा सत्र, 1999-2000 में मिड-डे-मील योजना के अन्तर्गत मात्र अगस्त माह में 12438.35 कुन्तल खाद्यान्न का [illegible] के उसका वितरण किया गया है।

माह अगस्त, 1999 को छोड़कर शेष महीनों का मिड-डे-मील का खाद्यान्न ठेकेदारों का परिवहन व्यय तथा [illegible] से उचित दर विक्रेताओं का कमीशन वित्तीय व्यवस्था न होने के कारण खाद्यान्न का उठाव नहीं किया जा सका है।

जनपद एटा के थाना सोरो में मु० अ० सं०-392/99 के अन्तर्गत अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही

21-श्री नेतराम सिंह-

क्या सरकार को ज्ञात है कि थाना सोरो जिला एटा में अपराध संख्या 392/99 दिनांक 13-9-1999 को अंकित हुआ है ? यदि हां, तो किन-किन धाराओं के अन्तर्गत किन-किन लोगों के प्रति अभियोग पंजीकृत हुआ है ? क्या अपराधी जेल भेजे गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

मु० अ० सं०–392/99 धारा 457/380/506 भा० द० वि० व 3(1)10 एससी, एसटी ऐक्ट बनाम रवीन्द्र, रक्षपाल, चन्द्रकेश, गिरराज व सोमवीर निवासीगण, एवनपुर, थाना सोंरो के विरुद्ध पंजीकृत है।

अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हो सके। अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 द० प्र० सं० की कार्यवाही हेतु न्यायालय से अनुरोध किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट, थानाध्यक्ष मानिकपुर के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच कार्यवाही

22–श्री आर० के० सिंह पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि० 22-12-99 एवं 5-1-2000 जो जनपद चित्रकूट के थानाध्यक्ष मानिकपुर के विरुद्ध उनके द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जनपद चित्रकूट के थानाध्यक्ष, मानिकपुर के विरुद्ध जांच कराने विषयक मा० विधायक के पत्र दिनांक 22-12-99 के स्थान पर दिनांक 15-12-99 शासन में तथा पत्र दिनांक 5-1-2000 पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत शिकायती पत्रों की जांच पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट के माध्यम से करायी गयी। जांचोपरान्त थानाध्यक्ष, मानिकपुर को "कारण बताओ नोटिस" दिया गया है जिसका स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी। इसी सम्बन्ध में इनका स्थानान्तरण आदेश जनपद जालौन के लिये कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के थाना असोहा के ग्राम समाधा में मु० अ०सं० 18/2000 के अन्तर्गत दर्ज अभियोग में अभियुक्तों के खिलाफ कार्यवाही

23–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ईश्वरदीन पुत्र वंशी पासी, निवासी–ग्राम समाधा, थाना–असोहा, जनपद उन्नाव ने अपने पुत्र गंगा प्रसाद को फायर करके घायल करने के सम्बन्ध में नामजद मुकदमा अपराध संख्या–18/2000 धारा–324/504 आई० पी० सी० के अन्तर्गत दिनांक 7-2-2000 को थाना–असोहा में दर्ज कराया है ? यदि हां, तो इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

दिनांक 7-2-2000 को ईश्वर दीन द्वारा अपने भाई श्री गंगा प्रसाद को घायल करने की घटना के सम्बन्ध में मु० अ० सं०–18/2000 धारा 324/504 भा० द० वि० बनाम ननहक्के व लाखन, असोहा, जनपद उन्नाव पर दर्ज कराया गया था।

प्रश्नगत अभियोग में चिकित्सक की रिपोर्ट दिनांक 8-2-2000 के आधार पर धारा 324 भा० द० वि० समाप्त करके धारा 307 भा० द० वि० में परिवर्तित कर विवेचना की जा रही है। विवेचक द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिशें दी गयी हैं किन्तु अभियुक्त दस्तयाब नहीं हो पाये हैं। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82 द० प्र० सं० की कार्यवाही की गयी है। विवेचक द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं धारा 83 द० प्र० सं० की कार्यवाही हेतु सतत् प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े में चेसिस का कथित क्रय

24–श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1997–98, 1998-99 एवं 1999–2000 में उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम ने बसों की संख्या मे वृद्धि करने हेतु कितनी चेसिस क्रय की ? उन पर कितना व्यय हुआ ? क्या इस बस वृद्धि से निगम की आय में वृद्धि हुई ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 में उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम ने बस बेड़े में वृद्धि हेतु कोई चेसिस क्रय नहीं की है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के मन्दिर ट्रस्ट बड़ी संगत की सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु जिलाधिकारी के आदेश तथा विवादित भूमि पर स्थगन आदेश का अनुपालन

25–डा० वकार अहमद शाह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मंदिर ट्रस्ट बड़ी संगत, बहराइच की सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु जिलाधिकारी, बहराइच ने दिनांक 8-6-99 व 17-12-1999 तथा क्षेत्राधिकारी, महसी ने दिनांक 31-12-1999, 14-1-2000 व 25-1-2000 द्वारा विपक्षी ट्रस्ट की सम्पत्ति में कोई दखलंदाजी करने के आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों के बाद भी विपक्षीगणों ने फसल काट ली और खड़ी अरहर की फसल को भी काटने की धमकी दे रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार ने विपक्षीगणों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

उक्त आदेश अपर आयुक्त (न्या) फैजाबाद के स्थगन आदेश दिनांक 20-7-95 के संज्ञान में न होने के कारण पारित किये गये हैं। विपक्षीगण का विवादित भूमि पर वर्ष 1983 से कब्जा चला आ रहा है। विपक्षीगण द्वारा फसल बोई गयी थी, जो काट ली गयी।

विवादित भूमि पर अरहर की फसल खड़ी है जो प्रतिवादी द्वारा बोई गयी है। स्थगन आदेश की जानकारी होने पर उसके अनुपालन हेतु उप जिलाधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 5-1-2000 पारित किये गये हैं।

स्थगन आदेश पारित होने की स्थिति में कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के मन्दिर ट्रस्ट के प्रबन्धक महन्त वासुदेव दास की हत्या के प्रयास के विरुद्ध दर्ज मुकदमें में कार्यवाही

26–डा० वकार अहमद शाह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मंदिर ट्रस्ट बड़ी संगत, बहराइच के प्रबन्धक महन्त वासुदेव दास की हत्या के प्रयास की रपट धारा 307 थाना रामगांव में दिनांक 4-5-99 को दर्ज कराई गई थी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

विवेचना से उक्त अभियोग, जमीन संबंधी विवाद के कारण, फर्जी फंसाने की नियत से झूठा लिखाया जाना पाये जाने के कारण उक्त अभियोग में अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 27-5-99 मय एखराज जुर्म न्यायालय प्रेषित किया गया।

जनपद मथुरा के सहकारिता विभाग में कार्यरत सहकारी पर्यवेक्षक द्वारा अनियमितता के विरुद्ध शिकायत पर कार्यवाही

27–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सहकारिता मंत्री बताने के कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के सहकारिता विभाग में कार्यरत सहकारी पर्यवेक्षक द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने सम्बन्धी पत्र संख्या सी०एम०/वि०कौ०/एम–2/31735 मथुरा/2000, दिनांक 2-3-2000 प्रमुख सचिव, सहकारिता को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री ('पटेल' राम कुमार वर्मा)–

जी हां।

जांच करायी गयी। जांचोपरान्त संबंधित के विरुद्ध मु० 20,650.00 रु० का दायित्व निर्धारित किया गया तथा स्थायी रूप से एक वेतन वृद्धि रोकी गयी एवं चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के थाना मदनापुर में दर्ज मु० अ० सं० 17/2000 में निष्पक्ष जांच कराने के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र पर कार्यवाही

28–श्री राम औतार मिश्र–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री नरेशपाल सिंह उर्फ वीरेश पाल सिंह एडवोकेट, पुत्र श्री हरद्वारी सिंह, ग्राम भैसटा गुटैया, थाना मदनापुर, जिला शाहजहांपुर द्वारा रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 12-2-2000 या इसके आस पास भेजा गया शिकायती पत्र जो अपराध सं०–17/2000 धारा 308 भा० द० सं० थाना मदनापुर की निष्पक्ष जांच कराने के सम्बन्ध में था, आई० जी० बरेली/डी० आई० जी बरेली/पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर/पुलिस महानिदेशक उ० प्र०, लखनऊ व गृह सचिव को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

प्रकरण में जांच प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के थाना कांट में अपराध सं० 267/99 के अन्तर्गत दर्ज मुकदमें में जारी विवेचना

29–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि राम दयाल पुत्र बुधा ग्राम मोहन पुर थाना कांट जिला शाहजहांपुर ने दिनांक 10-12-99 को अ०सं० 267/99 धारा 498 ए/504/506/भा०द०सं०, 3/4 डी०पी० एक्ट थाना कांट में कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी है ? यदि हां, तो थाना प्रभारी कांट ने रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की ? क्या सरकार अपने स्तर से उपरोक्त रिपोर्ट पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

अभियोग पंजीकृत होने के बाद विवेचना के दौरान जुर्म धारा 498ए भा० द० वि० का होना नहीं पाया गया तथा मु० अ० सं०–267/99 धारा 498 ए/504/506 भा० द० वि० व 3/4 डी० पी० ऐक्ट को मु० अ० सं०–267/99 धारा 504/506 भा० द० वि०, 3/4 डी० पी० ऐक्ट में तरमीम किया गया, जिसकी विवेचना प्रचलित है।

विवेचना प्रचलित होने की स्थिति में किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विशिष्ट महानुभावों के साथ नियुक्त सुरक्षा कर्मियों (गनर/शैडो) की यात्रा भत्ता पुनरीक्षित किये जाने की मांग

30—श्री कृपा शंकर सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1999 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित अता० प्र० सं०–70 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या–सा–4-395/दस–99–600–99, दिनांक 11 जून, 1999 में सरकारी सेवकों की यात्रा भत्ता की पुनरीक्षित दरों के आधार पर विशिष्ट महानुभावों के साथ नियुक्त सुरक्षा कर्मियों (शैडो/गनर) की अधिकतम मासिक यात्रा भत्ता पुनरीक्षित करने पर विचार किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्गीय जगमोहन सिंह, कान्सटेबिल, नागरिक पुलिस (लखनऊ) के मृतक आश्रित को सेवा में लिये जाने की मांग

31–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगमोहन सिंह कान्सटेबिल नं० 215 नागरिक पुलिस की सेवाकाल में दिनांक 1-3-93 को लखनऊ में कार्यरत रहते हुये मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या मृतक–आश्रित (श्री जितेन्द्र मोहन सिंह) को सेवा में लिये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांक 22-3-93 व 21-5-93 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ व उ० प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को प्राप्त हुये हैं? यदि हां, तो क्या मृतक-आश्रित को सेवा में ले लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार

इसकी जांच कराकर उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? मृतक–आश्रित को कब तक सेवा में ले लिया जायेगा ?

श्री राम प्रकाश–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश सरकार द्वारा शस्त्र लाइसेंस के प्रार्थना-पत्रों के निस्तारण हेतु समय सीमा का निर्धारण तथा विलम्ब होने पर कार्यवाही का प्राविधान

32–श्री लालजी वर्मा तथा श्री जगदीश नारायण राय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शस्त्र लाइसेन्स हेतु आवेदन-पत्रों के निस्तारण के संबंध में कोई समय सीमा शासन द्वारा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? क्या उक्त सीमा का पालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने हेतु शासन द्वारा कोई नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या उसका पालन जनपद अम्बेडकर नगर एवं जौनपुर में किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

समस्त औपचारिकतायें एवं पुलिस/तहसील की जांच आदि पूर्ण होने के उपरान्त शस्त्र लाइसेंस प्रार्थना-पत्रों का जिला मैजिस्ट्रेट स्तर पर सभी सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवं आवेदक की उपयुक्तता का आंकलन करते हुए यथासम्भव तीन माह के अन्दर निस्तारण किया जाना अपेक्षित है ।

इस बारे में अलग से कोई नीति बनाने की आवश्यकता नहीं है । बिना तर्कसंगत औचित्य के शासन के आदेशों का पालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध होने की स्थिति में सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है ।

जनपद अम्बेडकरनगर एवं जौनपुर के अधिकारियों के विरुद्ध कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त होने पर उस पर नियमानुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी ।

जनपद बहराइच के व्यापार कर कार्यालय में कार्यरत अनुसेवक श्री रामेश्वर मौर्य के विरुद्ध शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

33–श्री उदय राज यादव–

क्या संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14 सितम्बर, 1999 व 23-2-2000 जो व्यापार-कर कार्यालय जनपद बहराइच में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संस्थागत वित्त एवं व्यापार कर मंत्री (श्री बाबू राम, एम० काम०)–

व्यापार कर कार्यालय, जनपद बहराइच में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के संबंध में मा० सदस्य विधान सभा का दिनांक 14-9-99 तथा दिनांक 23-2-2000 का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । परन्तु उक्त तिथियों के ही मा० विधान सभा सदस्य के दो पत्र जनपद बहराइच में व्यापार कर कार्यालय के अनुसेवक श्री रामेश्वर मौर्य के विरुद्ध दूसरी पत्नी रखने तथा पहली पत्नी का पालन पोषण ठीक से न करने के संबंध में प्राप्त हुआ है ।

सम्बन्धित अधिकारियों के माध्यम से श्री रामेश्वर मौर्य सेवक से स्पष्टीकरण मांगा गया था, जो प्राप्त हो गया है । उक्त स्पष्टीकरण का परीक्षण किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ हरदोई मार्ग पर उ० प्र० परिवहन निगम की बस सेवाओं में वृद्धि की मांग

34–श्री बाबू खां–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 1-3-2000 जो लखनऊ–हरदोई मार्ग पर उ० प्र० परिवहन निगम की बसें संचालित करने के संबंध में था, प्रबन्ध निदेशक, परिवहन निगम को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

लखनऊ–हरदोई मार्ग अराष्ट्रीयकृत है जिस पर शासन की वर्तमान नीति के अनुसार निगम बस सेवाओं में वृद्धि नहीं की जानी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के थाना लोनार के सिपाही श्री रंग बहादुर सिंह व श्री बांके बहादुर सिंह के विरुद्ध अनियमितता की जांच

35–श्री बाबू खां–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 89–शाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र के थाना लोनार के ग्राम मुगलापुर के श्री बंशीलाल पुत्र पूसे के घर में घुसकर थाना लोनार के सिपाही श्री रंगबहादुर सिंह व बांके बहादुर सिंह द्वारा दिनांक 18-1-2000 को अश्लील हरकतें तथा अवैध तरीके से रुपये 3000/–(तीन हजार रुपया) की वसूली की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर उक्त सिपाहियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी नहीं । क्षेत्राधिकारी की जांच में घटना प्रमाणित नहीं पायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन के तहसील कालपी एवं माधौगढ़ में अग्निशमन की व्यवस्था

36–श्री श्रीराम पाल–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगजनी से प्रतिवर्ष होने वाली क्षति को बचाने हेतु जनपद जालौन के तहसील मुख्यालय कालपी, जालौन व माधौगढ़ में क्या अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जनपद जालौन के तहसील मुख्यालय कालपी में अग्निशमन केन्द्र स्थापित है तथा जनपद के माधौगढ़ तहसील के लिये दिनांक 1-3-2000 से सीजनल अग्निशमन की व्यवस्था है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद जालौन, तहसील कालपी तथा मुख्यालय जालौन में आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत

37–श्री श्रीराम पाल–,

क्या न्याय मंत्री, जनपद जालौन के कालपी तथा मुख्यालय जालौन के स्वीकृत न्यायालयों के लिये न्यायालय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राधेश्याम गुप्ता–

प्रश्न नहीं उठता । जनपद जालौन की तहसील कालपी तथा मुख्यालय जालौन के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु संयुक्त रूप से क्रमशः रुपये 54.43 लाख और रुपये 153.27 लाख का आंगणन माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से प्राप्त हुआ था । नियमानुसार आवासीय एवं अनावासीय भवनों का पृथक-पृथक आगणन तैयार किया जाना चाहिए । इस संबंध में जनपद न्यायाधीश,जालौन से पृथक-पृथक आगणन माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से प्रेषित करने का अनुरोध किया गया है । नियमित आगणन अभी नहीं प्राप्त हुए हैं ।

जनपद उन्नाव में आग्नेयास्त्र लाइसेंस के प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या एवं निस्तारण की अवधि

38–श्री उदय राज यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में माह अक्टूबर, 1999 से फरवरी, 2000 तक कितने आवेदन-पत्र आग्नेयास्त्र (बन्दूक, रिवाल्वर, राइफल आदि) लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु जिलाधिकारी को प्राप्त हुये हैं ? उनमें कितने आवेदकों को लाइसेन्स निर्गत कर दिये गये हैं ? कितने आवेदन-पत्र लम्बित हैं ? लम्बित आवेदन-पत्रों को कब तक निस्तारित कर दिया जायेगा ?

श्री राम प्रकाश–

जनपद उन्नाव में माह अक्टूबर, 1999 से फरवरी, 2000 तक 61 आग्नेयास्त्र लाइसेंस प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं ।

उक्त सभी आवेदन-पत्रों पर जांच आख्यायें पूर्ण न होने के कारण सभी 61 प्रार्थना-पत्र अनिस्तारित हैं ।

समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने के बाद जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा सभी सुसंगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आयुद्ध अधिनियम के अन्तर्गत शस्त्र लाइसेन्स हेतु आवेदक की उपयुक्तता का आंकलन करने के पश्चात् यथासम्भव तीन माह के अन्दर शस्त्र लाइसेंस प्रार्थना-पत्र का निस्तारण किया जाना अपेक्षित है ।

जनपद लखनऊ के मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, उ०प्र० सहकारी समितियां एवं पंचायतें के विरुद्ध शिकायती पत्र/जांच

39–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, उ० प्र० सहकारी समितियां एवं पंचायतें, लखनऊ के विरुद्ध जालसाजी, भ्रष्टाचार, गबन एवं शासन को भ्रामक सूचना देने के विरुद्ध मो० इब्राहिम वारसी, आजाद नगर, लखनऊ के हलफनामा एवं साक्ष्यों के साथ शासन को प्रेषित शिकायती-पत्र दिनांक 8-10-1998 पर निदेशक, कोषागार, लखनऊ द्वारा जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

जी हां।

जी नहीं।

विलम्ब का कारण जांच कार्यवाही में प्रक्रियात्मक औपचारिकतायें पूर्ण कराया जाना है।

श्री हीरालाल यादव, तत्कालीन संभागीय लेखा परीक्षा अधिकारी, इलाहाबाद द्वारा अनियमित नियुक्तियों की जांच

40–श्री अजय कुमार पोद्दार–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि श्री हीरा लाल यादव, तत्कालीन संभागीय लेखा परीक्षा अधिकारी, इलाहाबाद द्वारा वर्ष 1994 में की गयी अनियमित नियुक्तियों की जांच संयुक्त निदेशक, कोषागार, इलाहाबाद से करायी गयी थी ? क्या उक्त जांच में उक्त संभागीय लेखा परीक्षा अधिकारी, इलाहाबाद को दोषी पाया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो दोषी जनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि जांच आख्या प्राप्त नहीं हुई, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"–

जी हां।

जी हां।

जी हां।

जांच आख्या अपूर्ण होने के कारण अवशेष बिन्दुओं पर पुनः जांच करायी जा रही है। अतः दोषी जनों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

प्राप्त जांच आख्या अपूर्ण होने के कारण विलम्ब हुआ।

जनपद मथुरा के थाना गोवर्धन में मु०अ०सं० 121/96 में अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा शासन को भेजी गई जांच की संस्तुति

41–श्री अजय कुमार पोद्दार–

क्या मुख्य [illegible] करेंगे कि अ०सं०–121/96 धारा 394/302 आई०पी०सी०, थाना गोवर्धन, मथुरा [illegible] सं० 640/96 है, में लूट व हत्या के अभियुक्तों को बचाये जाने के संबंध में है, पत्रांक [illegible] दिनांक 24-1-2000 प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

मामले में अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा सम्पादित जांच में की गयी संस्तुतियों को शासन द्वारा स्वीकार किया गया है, उसके परिपेक्ष्य में प्रश्नकर्ता के सन्दर्भित पत्र पर किसी कार्यवाही का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के थाना कोतवाली में श्रीमती बानो पत्नी श्री सुलेमान निवासी-गोपाल नगर, के विरुद्ध की गई कार्यवाही की शिकायत पर जांच

42–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती बानो पत्नी श्री सुलेमान नि० गोपालनगर, थाना कोतवाली, जनपद मथुरा के उत्पीड़न के संबंध में पत्रांक–सी०एम०/वि०को०/एम–31363/मथुरा/2000, दिनांक 15-2-2000 प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

संदर्भित शिकायती पत्र की जांच करायी गयी जिससे यह प्रकाश में आया है कि शिकायतकर्ता श्रीमती बानो का पति सुलेमान, गोपाल नगर का एक अपराधिक किस्म का व्यक्ति है जिसकी थाना नरहौली पर एच०एस० नं० 3 ए खुली हुई है । शिकायतकर्ता के पति से जय कुमार शर्मा से पार्टी बन्दी चल रही है । शिकायतकर्ता द्वारा लगाये गये आरोप जांच से असत्य एवं निराधार पाये गये हैं ।

जनपद अम्बेडकर नगर के ग्राम पंचायत वरही, एदिलपुर के श्री राजेन्द्र प्रसाद राजभर के सस्ते गल्ले की दुकान की शिकायत के आधार पर आपूर्ति पर रोक

43–श्री लालजी वर्मा–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत वरही एदिलपुर, विकास खण्ड बसखारी, जनपद अम्बेडकर नगर के सस्ते गल्ले की दुकान जो कि श्री राजेन्द्र प्रसाद राजभर के नाम थी, के लाइसेन्स को उप जिलाधिकारी ने निलम्बित कर उक्त दुकान को किसी अन्य कोटेदार से सम्बद्ध कर दिया है ? यदि हां, तो उक्त श्री राजेन्द्र प्रसाद राजभर की दुकान के लाइसेन्स को किस कारण से निलम्बित किया गया है ? क्या मंत्री जी ग्राम्य पंचायत के प्रस्ताव के अनुसार उक्त दुकान का लाइसेन्स बहाल कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी, नहीं । श्री राजेन्द्र प्रसाद राजभर की दुकान की आपूर्ति उप जिलाधिकारी, टाण्डा द्वारा रोकते हुए अन्य कोटेदार से सम्बद्ध कर दी गयी है । श्री राजेन्द्र प्रसाद राजभर की दुकान निलम्बित नहीं की गयी है अपितु शिकायत के आधार पर आपूर्ति रोकी गयी थी ।

मामले में जांच करायी गयी तथा जांच में शिकायत निराधार पायी गयी । दुकान पर खाद्यान्न आपूर्ति की बहाली 15 दिन के भीतर किये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

जनपद पडरौना की कोतवाली पडरौना में मु० अ० सं० 93/96 के अन्तर्गत फर्जी जाति प्रमाण जारी करने के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमें की विवेचना

44–श्री दीपलाल भारती–

क्या सरकार को ज्ञात है कि पडरौना कोतवाली में तहसीलदार पडरौना द्वारा दिनांक 21-9-96 को प्राथमिकी संख्या–291/96 अपराध संख्या अज्ञात, धारा–420 आई० पी० सी० श्री राजकुमार डालमियां पुत्र श्री नथमल डालमियां निवासी खड्डा भू-निरीक्षक तत्कालीन तहसीलदार–पडरौना तथा श्री मंत्री यादव, लेखपाल पर मुकदमा दर्ज है ? यदि हां, तो क्या फर्जी जाति प्रमाण-पत्र जारी करने वाले राजस्व कर्मियों को दण्डित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

मामले में मु० अ० सं०–93/96 धारा–420 भा० द० वि० पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना थाना खड्डा द्वारा की जा रही है।

विवेचनो प्रचलित है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा खड्डा (कुशीनगर) के कर्मियों के साथ हुई मारपीट में नामजद अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय को प्रेषित आरोप-पत्र

45–श्री दीपलाल भारती–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री विजय बहादुर सिंह निवासी ग्राम चमरडीहा पो०–सोहरौना (खड्डा) जिला कुशीनगर गन्ना का मूल्य भुगतान लेने गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाख खड्डा (कुशीनगर) गये तो वहां के कर्मियों ने दिनांक 20-7-98 को बुरी तरह से उन्हें मारा पीटा जिसकी प्राथमिकी थाना खड्डा में दिनांक 22-7-98 को मु०अ०सं० 107/98 धारा 342, 343, 323, 504 आई०पी०सी० अन्तर्गत दर्ज है ? यदि हां, तो उक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

मामले में नामजद अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 11-2-99 को न्यायालय प्रेषित किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

46–श्री अजय कुमार पोइया–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद मथुरा के थाना सदर बाजार में मु० अ० सं० 123/99 में दर्ज अभियोग की शासन द्वारा सी० बी० सी० आई० डी० से जांच कराने के निर्देश

47–श्री अजय कुमार पोइया–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु०अ०सं०–123/99, थाना सदर बाजार, जनपद मथुरा की सी० बी० सी० आई० डी० जांच कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक–सी० एम०/वि० को०–एम–2/29946/मथुरा/ 00, दिनांक 7-1-2000 प्रमुख सचिव/सचिव गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां।

मुकदमा अपराध संख्या–123/99 थाना सदर बाजार, मथुरा की सी० बी० सी० आई० डी० से जांच कराये जाने के निदेश दिये जा चुके हैं।

48–श्री अजय कुमार पोइया–

[दिनांक 10-4-2000 को अता० प्र० सं०–2 द्वारा उत्तरित]

श्री देवदत्त सिंह राठौर तत्कालीन पुलिस निरीक्षक, बहराइच द्वारा की गयी अनियमितता के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ० प्र० द्वारा जांच आख्या पर कार्यवाही

49–श्री सौलत अली एडवोकेट–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री देवदत्त सिंह राठौर, पुलिस निरीक्षक, बरेली के विरुद्ध बहराइच नियुक्ति के दौरान उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, उ० प्र०, लखनऊ द्वारा जांच करायी गयी थी, जिसकी जांच आख्या सं०–9649/फैजाबाद, 263. 10. 248 दिनांक 18-10-97 शासन को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

पत्र दिनांक 18-10-97 शासन में प्राप्त नहीं हुआ है ।

पुलिस उप महानिरीक्षक, भ्र० नि० सं० द्वारा दिनांक 18-10-97 को जांच आख्या, पुलिस महानिरीक्षक (अपराध) पुलिस महानिदेशक कार्यालय को प्रेषित की गयी थी, जिसमें प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर उप निरीक्षक श्री देवदत्त राठौर (वर्तमान निरीक्षक) के विरुद्ध कार्यवाही उपरान्त दिनांक 20-10-99 को उनकी वर्ष 1996 की सत्यनिष्ठा रोके जाने के आदेश पारित किये गये हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद कानपुर नगर के थाना कल्याणपुर में मुकदमा अपराध सं०–735/99 के अन्तर्गत गिरफ्तार अभियुक्त श्री रामबाबू उर्फ संजय कुमार की हुई मृत्यु की जांच

50–श्री लालमणि प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि थाना कल्यानपुर, कानपुर नगर में पुलिस हिरासत में संजीव कुमार उर्फ रामबाबू, एच० बी० ओ० आई० कर्मचारी, कानपुर की मौत पुलिस की निर्मम पिटाई से दिनांक 21-9-99 की रात्रि में हो गयी थी ? यदि हां, तो दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

श्री राम शंकर पुत्र सोनेलाल निवासी ढिकिया थाना शिवली, जनपद कानपुर देहात द्वारा दि० 22-9-99 को थाना कल्यानपुर ,कानपुर नगर में दहेज हत्या का अभियोग मु० अ० सं० 735/99 धारा 498ए/304 बी, भा० द० वि० व 3/4 दहेज अधिनियम का रामबाबू उर्फ संजय कुमार पुत्र श्री नाथूराम दोहरे सहित छः नफर अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया । पुलिस द्वारा अभियुक्त रामबाबू उर्फ संजय कुमार को उसी तिथि को गिरफ्तार किया गया । यद्यपि रामबाबू उर्फ संजय कुमार की मृत्यु पुलिस अभिरक्षा में हुई जिसके कारण थाना कल्यानपुर पर मु० अ० सं० 755/99 धारा 323/342/302/201 भा०द०वि० पंजीकृत किया गया । प्रारम्भिक जांच के दौरान थाना प्रभारी श्री जे० पी० चौबे सहित कुछ कर्मचारियों को निलम्बित किया गया । वर्तमान समय में अभियोगों की विवेचना क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज द्वारा की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद के खाद्यान्न स्टाकिस्ट श्री मोहन के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच एवं उनके लाइसेंस निलम्बित किये जाने के आदेश

51–श्री राम चन्द्र यादव–

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को जानकारी है कि श्री मित्रसेन यादव पूर्व संसद सदस्य का शिकायती-पत्र जो श्री मोहन पुत्र श्री रोशन लाल विकास खण्ड हरिग्टनगंज, जनपद–फैजाबाद, खाद्यान्न

स्टाकिस्ट के विरुद्ध सस्ते गल्ले, चीनी, मिट्टी तेल एवं अन्य खाद्यान्न की लाखों रुपये राजस्व की चोरी के संबंध में मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन को दिनांक 20-1-2000 को दिया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त शिकायती-पत्र पर स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव एवं निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना एनेक्सी भवन, लखनऊ द्वारा दिनांक 15-2-2000 को जांच के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी, हां ।

जी हां ।

जांच में की गयी संस्तुति के अनुसार श्री मोहन खाद्यान्न स्टाकिस्ट का लाइसेंस निलम्बित करने तथा संबंधित गोदाम अन्यत्र हटाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

52–श्री कृपा शंकर सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त ।]

53–श्री अजय कुमार पोइया–

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त ।]

जनपद प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक द्वारा 2 अक्टूबर, 1998 को पुलिस लाइन/कार्यालय पर ध्वजारोहण न किये जाने का औचित्य

53—श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के चौथे सोमवार को पूछे गये अता० प्र० सं०–146 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दि० 2-10-98 को पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद मुख्यालय पर मौजूद रहने के बाद भी ध्वजारोहण नहीं किया गया ? यदि हां, तो ध्वज अधिनियम के विरुद्ध कार्य करने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

दिनांक 2-10-98 को पुलिस अधीक्षक का स्वास्थ्य खराब (डिहाइड्रेशन) होने के कारण वे ध्वजारोहण करने में समर्थ नहीं थीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

54–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह –

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के चौथे सोमवार को उत्तरित अता० प्र० सं०–146 के उत्तर के क्रम में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दि० 2-10-98 को पुलिस अधीक्षक जनपद मुख्यालय पर मौजूद रहने के बाद भी उनके द्वारा ध्वजारोहण नहीं किया गया ? यदि हां, तो ध्वज अधिनियम के विरुद्ध कार्य करने वाले के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी ?

श्री राम प्रकाश–

जी हां ।

दिनांक 2-10-98 को पुलिस अधीक्षक का स्वास्थ्य खराब (डिहाइड्रेशन) होने के कारण वे ध्वजारोहण करने में समर्थ नहीं थीं ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया, थाना भीमपुरा के प्रभारी उपनिरीक्षक श्री जवाहर सिंह के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कथित पत्र

55—श्री अम्बिका चौधरी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के थाना भीमपुरा के प्रभारी उप निरीक्षक, जवाहर सिंह द्वारा पद का दुरुपयोग करने के कारण उन्हें दि० 20-7-97 तक अन्यत्र स्थानान्तरित करने के संबंध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोई ज्ञापन दिया था तथा कोई धरना-प्रदर्शन उक्त थाने पर दि० 4-8-97 को किया गया था ? क्या उप महानिरीक्षक पुलिस आजमगढ़ ने जवाहर सिंह के अन्यत्र स्थानान्तरण के संबंध में आई० जी० व डी० जी० पी० को कोई पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री प्रेम सागर पुत्र स्व० राम भरोसे, नि० भिनैनी, जनपद सीतापुर द्वारा कथित लूटपाट की, की गयी शिकायत की जांच

56—श्री स्वामी प्रसाद मौर्य—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री प्रेम सागर पुत्र स्व० राम भरोसे ग्राम व पोस्ट भिनैनी, जनपद सीतापुर के घर पर दिनांक 8/9-10-99 की रात्रि में गांव से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लूट-पाट की गई थी ? क्या यह सही है कि पीड़ित परिवार की थाना सदरपुर जनपद सीतापुर में रपट न लिखे जाने पर उक्त रपट 26-10-99 को पत्रांक 3520/99 विविध द्वारा महानिदेशक पुलिस उ० प्र० के कार्यालय में लिखाई गई ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश—

जी नहीं । ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई ।

जी नहीं । अपितु मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ० प्र०, लखनऊ के पत्रांक 3520/99 विविध, दिनांक 26-10-99 द्वारा शिकायतकर्ता का प्रार्थना-पत्र दिनांक 2-11-99 को पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को प्राप्त हुआ । क्षेत्राधिकारी, महमूदाबाद की जांच से प्रार्थना-पत्र में अंकित चोरी की घटना असत्य पायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश सरकार द्वारा उत्तरांचल के जनपदों में हल्के वाहन मार्गों के निर्माण की स्वीकृति

57—श्री मोहन सिंह रावत गांववासी—

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि क्या प्रदेश सरकार द्वारा उत्तरांचल के जनपदों में अब हल्के वाहन मार्गों के निर्माण की स्वीकृति जारी की जा रही है और मोटर मार्गों का विस्तार भी हल्का वाहन मार्ग के रूप में करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो इन हल्के वाहन मार्गों पर अनिवार्यतया

नियमित परिवहन सेवाओं के संचालन की क्या व्यवस्था है तथा जनपद पौड़ी गढ़वाल में ऐसे हल्के वाहन मार्गों का विवरण क्या है जिन पर नियमित परिवहन सेवायें (छोटी बसें) संचालित की जा रही हैं ? अवशेष हल्के वाहन मार्गों पर नियमित परिवहन सेवायें, (छोटी बसें) कब तक संचालित की जायेंगी ?

राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह–

जी हां ।

जब कोई मार्ग बनकर तैयार हो जाता है उसके बाद उस मार्ग पर यातायात की व्यवस्था परिवहन विभाग द्वारा की जाती है । इस क्षेत्र में जो हल्के मार्ग निर्मित हो रहे हैं, उन पर जीप टैक्सियां संचालित हो रही हैं ।

लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार पौड़ी क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित हल्के वाहन मार्गों के निर्माण होने की सूचना है :–

1—बहेड़ाखाल–खाण्डा	9 कि०मी०
2—धनाव–कालेश्वर	9 कि०मी०
3—अणैध–नानसू	
4—पीपलकोटी–नीलकंठ	5 कि०मी०
5—बूंगा–साकनीखेत–मजगांव कोटी से साकिनीखेत–बेडगांव	4 कि०मी०
6—देहलाचोरी–पौड़ी	23 कि०मी०

जनपद पौड़ी में निर्मित कोई ऐसा हल्का वाहन मार्ग नहीं है, जिस पर छोटी बसें संचालित की जा रही हों ।

उक्त मार्ग केवल जीप टैक्सी के लिये निर्मित हैं ।

जनपद आजमगढ़ में अन्य प्रदेशों से जारी असलहा लाइसेंसों की संख्या तथा उनकी वैधता सीमा

58–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में अन्य प्रदेशों से जारी असलहा लाइसेन्सों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त असलहा लाइसेन्सों की सीमा उन प्रदेशों की सीमा तक ही सीमित है, जहां से वे जारी किये गये हैं ? क्या सरकार अन्य प्रदेशों से जारी असलहा लाइसेन्सों की सीमा की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश–

जनपद आजमगढ़ में अन्य प्रदेशों से जारी असलहा लाइसेंसों की संख्या 484 है ।

इन शस्त्र लाइसेन्सों की सीमा केवल उन प्रदेशों की सीमा तक ही सीमित नहीं है जहां से वे जारी किये गये हैं ।

उक्त सभी शस्त्र लाइसेन्सों की वैधता सीमा उत्तर प्रदेश तक मान्य है अतः उसकी जांच कराने की आवश्यकता नहीं है ।

(समय 12 बजकर 20 मिनट)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 24 अप्रैल, 2000 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित

7 सूचनाएं स्वीकार की गईं। क्रम संख्या 3 पर श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि के अनुपस्थित होने पर प्रतीक्षा सूची से श्री रघुवर दयाल वर्मा की सूचना स्वीकार की गई।

(सदन की सहमति से सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद बदायूं के तहसील बिल्सी के ग्राम खेड़ा पूर्वी परगना कोट में पुनः चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भोला शंकर मौर्य–

[मान्यवर, जनपद बदायूं के तहसील बिल्सी के ग्राम खेड़ा पूर्वी परगना कोट की पुनः चकबन्दी कराने हेतु मेरे प्रस्ताव पर जिलाधिकारी, बदायूं में अपने संख्या 756/पी०के०, दिनांक 5 जून, 1997 को चकबन्दी आयुक्त को सुस्पष्ट प्रस्ताव चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रेषित कर यह करते हुए प्रेषित किया था कि उक्त ग्राम की चकबन्दी हुए तीस वर्ष हो चुके हैं और कहा था कि प्रथम चक्र की चकबंदी में लगभग ग्राम के कुल क्षेत्रफल में 1/2 भाग क्षेत्रफल से चकबन्दी बाहर कर दिया था, फलस्वरूप चकबन्दी का कोई विशेष लाभ ग्राम के कृषको को नहीं मिला है।

उन्होंने आगे की विशेष परिस्थितियों में ग्राम पुनः चकबन्दी कराया जाना आवश्यक है। ये उल्लेखनीय है कि तत्कालीन तहसील सहतवान (अब नयी तहसील बिल्सी) की धारा–4-क (एक) के अन्तर्गत विज्ञप्ति का गजट भी नहीं हुआ है जिसका कराया जाना भी उचित है, इस प्रस्ताव पर चकबंदी आयुक्त, उ० प्र०, लखनऊ ने अपने पत्र संख्या 2930/सी–610177, दिनांक 10 जुलाई, 1997 को अनुसचिव, उ० प्र० शासन, राजस्व अनुभाग–8, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया था कि बदायूं जनपद सहतवान/बिल्सी को द्वितीय चक्र की चकबंदी में लिये जाने हेतु उ० प्र० जोत चकबंदी अधिनियम की धारा पर एक (1) के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने का अनुमोदन प्रदान करें किन्तु मामला शासन स्तर पर 3 वर्ष से अधिक समय से लम्बित है और ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जिसके कारण क्षेत्र की जनता में गहरा रोष व्याप्त है, और आन्दोलित भी है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मैं मांग करता हूं कि शासन को स्पष्ट निर्देश प्रदान करें कि वह ग्राम खेड़ा पूर्वी परगना कोट, तहसील बिल्सी, जनपद बदायूं में पुनः चकबंदी कराये जाने हेतु चकबंदी आयुक्त के प्रस्ताव अनुसार विज्ञप्ति जारी कराने हेतु अनुमोदन प्रदान करने का ग्राम चकबंदी के दूसरा चक्र प्रारम्भ करायें।]

जनपद चित्रकूट के वन क्षेत्र को अधिक वृक्ष लगाकर हराभरा बनाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दद्दू प्रसाद–

[महोदय, जनपद चित्रकूट का लगभग 1/3 भूभाग वन्य क्षेत्र है परन्तु वन्य क्षेत्र का अधिकांश भाग या तो वीरान है, अथवा झाड़ीनुमा पौधे है। उचित देखभाल निगरानी न होने के कारण जंगल कटता गया, कीमती लकड़ी बिकती गई, और जंगल की हरियाली वीरान होती गयी।

उत्तराखंड राज्य बन जाने के पश्चात् संभवतः चित्रकूट ही एक मात्र जिला होगा जोकि पर्यटन हेतु उपयुक्त स्थान होगा, यहां ऊंची नीची घाटियां हैं जहां पर सैलानी आनन्द उठा सकेंगे परन्तु खेद है कि कालान्तर में वनाधिकारियों की लापरवाही तथा मिलीभगत से जंगल साफ होता गया। और

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वहां पर आज मैदान नजर आ रहा है प्रतिवर्ष जंगल में आग लगवा दी जाती है । ताकि पेड़ कटान के साक्ष्य नष्ट हो जायें । इस वर्ष भी रानीपुर तथा चमरौहा के जंगल में आग लगी है ।

आवश्यकता है कि वन क्षेत्र को हरा भरा बनाया जाये, ईमानदारी से इस पर कार्य किया जाये उपयोगी वृक्ष यथा आंवला, महुवा, खैर, बांस, सागौन तथा शीशम के वृक्ष लगावये जायें यह कार्य सीधे माननीय वन मंत्री की निगरानी में हो ताकि भ्रष्टाचार को बढ़ावा न मिले । यदि सम्पूर्ण वन क्षेत्र में वृक्षारोपण करवाई जाय तो प्रदेश के मानचित्र पर एक नया पर्यटन केन्द्र विकसित होगा । जिससे सरकार को विदेशी मुद्रा की आय की सम्भावना है तथा वनीकरण से पर्यावरण को भी बल मिलेगा ।

अतः लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय की ओर उचित कार्यवाही हेतु शासन का ध्यान आकर्षण कराने का कष्ट करें ।]

जनपद हरदोई, मल्लावां के सहिजना ड्रेन की खुदाई/सफाई कराने के साथ कतिपय पुलियों का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० धर्मेन्द्र मिश्र–

[मान्यवर, आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए आप को अवगत करना है कि जनपद हरदोई के 91—मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में सहिजना ड्रेन जिसे उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम द्वारा खोदाई कराया जाना स्वीकृत है इसी के साथ ठेहुआ तालाब से प्रारम्भ होने वाली इस सहिजना ड्रेन की खुदाई ठेहुआ तालाब के पास गहरी व चौड़ी खुदाई कराकर सुचारु रूप से पानी निकाले जाने की व्यवस्था कराना आवश्यक है । यह सहिजना ड्रेन ठेहुआ तालाब से प्रारम्भ होकर सई नदी में गिर जाती है । इस ड्रेन की खोदाई व सफाई न होने से सहिजना टिकरिया सुमेरगंज खदोरया नेवादा गब्भी गौतरा बासा सथरा, कहारनपुरवा तथा गंगाचरण मढिया इत्यादि ग्रामों की हजारों एकड़ भूमि जलमग्न रहती है जिससे कृषकगण अपनी खेती नहीं कर पाते हैं । इसी के साथ जनता को आवागमन में कठिनाई झेलनी पड़ती है । कृषकों को अपनी खेती करने तथा जनता को आवागमन की सुविधा प्रदान करने के निमित्त निम्नांकित पुलियों का भी निर्माण करवाना आवश्यक है :—

1—ग्राम पंचायत सहिजना के मंजरा टिकरिया के पास पुलिया का निर्माण ।

2—ग्राम पंचायत गौवेरा व सुमेरगंज के बीच सहिजना ड्रेन पर पुलिया का निर्माण ।

3—ग्राम संथरा व कहारनपुरवा के बीच पुलिया का निर्माण ।

4—ग्राम बासा व सेउढहों के बीच, सहिजना ड्रेन पर पुलिया का निर्माण ।

जनहित में सहिजना ड्रेन का सर्वे कराते हुए विस्तार से पानी निकासी हेतु ड्रेन की खोदाई व सफाई होने के साथ उक्त पुलियों का निर्माण किया जाना नितान्त आवश्यक है चूंकि जनहित का यह एक अविलम्बनीय महत्वपूर्ण प्रश्न है इसलियें सदन के संज्ञान में लाना आवश्यक है इस पर तत्काल कार्यवाही करके सहिजना ड्रेन की खोदाई व सफाई कराने के साथ उक्त पुलियों का निर्माण कराया जा सके ।]

जनपद एटा के भोगांव क्षेत्रान्तर्गत कतिपय कस्बों को विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम औतार शाक्य–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान प्रदेश में अनियमित एवं मानक के विरुद्ध विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । प्रदेश में विद्युत आपूर्ति की खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी खराब है कि किसानों की फसलें सूख रही हैं, कुटीर उद्योग प्रभावित हो रहे हैं,छात्रों को पढ़ने से वंचित होना पड़ रहा है, कभी बिजली 24 घण्टे में एक घण्टे आती है, कभी तो घंटे तथा कभी-कभी

10, 10/15, 15 दिन तक गायब रहती है। कभी-कभी बिजली आंख-मिचौली करती है, जब तक किसान ट्यूबवेल तक जाता है तब तक बिजली गायब हो जाती है। बिजली आपूर्ति की कोई टाइमिंग नहीं है। इतना ही नहीं प्रदेश के कुछ जिलों व कस्बों में विद्युत की आपूर्ति अधिक होती है और उनको विद्युत कटौती से मुक्त कर दिया गया है।

मैनपुरी जनपद को तो बुरी तरह से उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव में सुल्तानगंज, बिछवां, भोगांव, बेवर, नेवीगंज एवं अलीपुर खेड़ा में तो हालत बहुत खराब है, किसान भूखों मरने के कगार पर पहुंच रहे हैं तथा दुकानदार भी बेहद परेशान हैं। भोगांव कस्बा नो "ए" क्लास की तहसील है तथा कस्बा बेवर एम टाउन एरिया है तथा थाना भी है जिसमें विद्युत आपूर्ति को ग्रामीण क्षेत्र की श्रेणी में रखा गया है जबकि नगरीय क्षेत्र की सुविधा मिलनी चाहिए और विद्युत आपूर्ति अधिक घण्टे हो एवं विद्युत कटौती से मुक्त हो। इस तरह से गड़बड़ विद्युत आपूर्ति क्षेत्र जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश की जनता में असंतोष व आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर नियमित विद्युत की आपूर्ति की मांग करते हुए सरकार से भोगांव, बेवर, सुल्तानगंज, अलीपुर खेड़ा एवं नेवीगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव के कस्बों को विद्युत आपूर्ति की कटौती से मुक्ति की मांग करता हूं।]

मेरठ में आयोजित नौचन्दी मेले में होने वाले विपणन को ग्वालियर मेले की भांति कर मुक्त कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

[मान्यवर, पश्चिमी उ० प्र० का मेला नौचन्दी प्रारम्भ हो चुका है। मेले में होने वाले व्यापारिक कार्य को कर मुक्त करने की मांग पिछले कई वर्षों से लगातार चल रही है।

ग्वालियर मेले में यह व्यवस्था लागू होने से राष्ट्रीय स्तर के खरीददार इस मेले में पहुंचते हैं।

भारत सरकार ने गौडवेट कर प्रणाली लागू कर दी है। इसके अन्तर्गत सभी राज्य धीरे-धीरे समान कर व्यवस्था को लागू कर रहे हैं। उचित नहीं होगा कि नौचन्दी मेले में भी यह व्यवस्था लागू कर मेरठ में आयोजित यह मेला भी अखिल भारतीय स्वरूप का मेला बन सके।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल इसी वर्ष निर्णय करने की मांग करता हूं।]

जनपद बस्ती के मानपुर सोनहा तहसील के भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम ललित चौधरी–

[महोदय, वर्ष 89-90 में जनपद बस्ती में मानपुर सोनहा तहसील का गठन हुआ था। इसके बाद की जितनी तहसीलें बनी सभी के भवन निर्माण का कार्य पूरा हो गया लेकिन मानपुर सोनहा तहसील के भवन का निर्माण न कराकर बस्ती की जनता के साथ अन्याय हो रहा है।

आशा है कि इस तहसील के भवन का निर्माण कार्य प्राथमिकता के आधार पर तुरन्त करायेंगे।]

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद फिरोजाबाद के ग्राम अलहदादपुर में चेचक, खसरा, मोतीझाला आदि बीमारियों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

[मान्यवर, माननीय सदन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जनपद फिरोजाबाद के क्षेत्र फिरोजाबाद के ग्राम अलहदादपुर में गत दो सप्ताह से चेचक, खसरा, मोतीझला, तेज बुखार, उल्टी दस्त के प्रकोप से बच्चे बुरी तरह पीड़ित हैं। श्री राम लइन व श्री चन्द्रभान के बच्चों को चेचक जैसी खतरनाक बीमारी ने अपनी जकड़ में घेर लिया है जिससे उनके घरों में सभी बच्चों को चेचक बड़े पैमाने पर निकल रही है।

अलहदादपुर, फरोल नगरिया, जलालपुर, कोडरा, परसादपुरा, गढ़ी छीपी, पिलुआ पैम्पर आदि ग्रामों में तेज बुखार, खसरा, मोतीझाला और चेचक की बीमारी से सैकड़ों बच्चे घिर गये हैं।

खेद है कि स्वास्थ्य विभाग को सूचना होने पर भी उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। जलालपुर, मटसैना, दतावली के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर न तो डाक्टर हैं और न दवायें हैं यह कैसी विडम्बना है।

अनुरोध है कि तुरन्त ही सी० एम० ओ० फिरोजाबाद के नेतृत्व में डाक्टरों का एक दल ग्रामों में उपचार की व्यवस्था हेतु तुरन्त पहुंचे तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर डाक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करायी जावे तथा दवायें प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करायी जावें तथा उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों पर गैर हाजिर रहने वाले डाक्टरों के खिलाफ कार्यवाही की जाये।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 24 अप्रैल, 2000 को नियम–300 के अन्तर्गत निम्नलिखित चार सूचनाएं प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री राम औतार शाक्य की, दूसरी सूचना श्री प्रमोद कुमार की, तीसरी सूचना श्री ददू प्रसाद, श्री बी० आर० वर्मा, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री राम औतार शाक्य और श्री आर० के० पटेल की है तथा चौथी सूचना श्री अम्बरीष कुमार की है।

प्रश्नों के उत्तर के संलग्नकों पर मंत्री के हस्ताक्षर न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, विधान सभा के प्रथम सत्र के दूसरे गुरुवार हेतु हमारा अतारांकित प्रश्न सं०–90 लगा था जिसमें हमने पूछा था कि क्या उद्योग मंत्री यह बतायेंगे कि वाराणसी जनपद में कोयले से चलने वाली कितनी पंजीकृत और अपंजीकृत फैक्टरियां हैं, क्या यह सही है कि ऐसी बहुत सी फैक्टरियां बन्द हैं लेकिन कोयले को प्राप्त कर कालाबाजारी कर रही हैं। इसका जवाब माननीय सरस्वती प्रताप सिंह, माननीय लघु उद्योग मंत्री ने दिया और इस जवाब में जो संलग्नक लगाया था, यह 33 पंजीकृत फैक्ट्रियों का मामला है।

मान्यवर, विधान सभा में मंत्रियों द्वारा जो जवाब दिया जाता है, विधान सभा की गरिमा है और उसका अनुकरण लोक सभा तक जो दृष्टांत हैं, अनुकरण किया जाता है तो मैं आपके माध्यम से

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कहना चाहता हूं यहां पर जो अनुलग्नक दिया गया, महाप्रबन्धक के० पी० राय द्वारा दिया गया है। मान्यवर, विधान सभा के किसी नियम में ऐसा नहीं है, यह माननीय मंत्री जी के दस्तखत से आना चाहिए।

* संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, यह भूलवश हुआ है। इसमें माननीय मंत्री जी का हस्ताक्षर होना चाहिए था। भविष्य में इसका ध्यान रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

भविष्य में इसका ध्यान रखा जाए। अगली सूचना श्री प्रमोद कुमार की है, अनुपस्थित हैं। यह नियम–300 में नहीं आती। माननीय प्रमोद जी की सूचना पर माननीय पाल के भी हस्ताक्षर हैं। पाल साहब आप तो अनुभवी हैं। यह नियम–300 में नहीं आनी। इस विषय में जब मा० बी० आर० वर्मा जी उठायेंगे तो हम अवसर दे देंगे।

जनपद चित्रकूट के थाना मानिकपुर के थानाध्यक्ष द्वारा मारपीट तथा धमकी दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री दद्दू प्रसाद–

मान्यवर, पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान मेरे जनपद के थाना मानिकपुर के जो थानाध्यक्ष हैं उसने 10 ग्राम के प्रधानों को फरमान जारी कर दिया कि कोई यहां से पर्चा फाइल नहीं करेगा। वह पंचायत राज अधिनियम के तहत पर्चा फाइल कर रहे थे उनको जनता के सामने खींचकर, पकड़कर मारपीट करने लगे। मेरे समक्ष यह घटना घटी थी तो मैंने इसका विरोध किया। जब मैंने विरोध किया तो मेरे साथ थानाध्यक्ष मानिकपुर ने मारपीट किया और जान से मारने की धमकी दी। उसका यह कुकृत्य आतंकी की तरह का है। उसके खिलाफ पहले भी मामले उठ चुके हैं। उसने सोचा कि विधान सभा में यह मामला मैं उठाऊंगा तो उसने कहा कि अगर यह मामला विधान सभा में उठाया तो जान से मरवा दूंगा और पूरे परिवार को समाप्त करवा दूंगा।

यह मेरे वाक स्वातंत्र्य पर कुठाराघात है और संविधान के अनुसार जो अधिकार मुझे मिले हैं उसके खिलाफ थानाध्यक्ष मानिकपुर ने कार्य किया है। मैं पुलिस अधीक्षक से मिला तो उन्होंने कोई एफ० आई० आर० नहीं लिखी। वह थानाध्यक्ष आतंक का पर्याय बन चुका है। एक दिन पहले जो वर्तमान सांसद हैं राम सजीवन जी उनके साथ भी उसने अभद्रता और गालीगलौज किया और 19 अप्रैल को मेरे साथ बदसलूकी की और मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। एफ० आई०आर० नहीं लिखी इसलिये मैंने यह 300 के अन्तर्गत औचित्य का प्रश्न उठाया है। मेरी वाक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इस पर उचित व्यवस्था दें।

(श्री बी० आर० वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी आप मेरी बात सुन लें।

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायगा, श्री प्रमोद कुमार जी बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं । हर चीज में खड़े होने की आवश्यकता नहीं है ।

माननीय वर्मा जी माननीय विधायक ने पूरी बात यहां रख दी है । यह नियम 300 में तो नहीं आयेगा लेकिन मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देशित कर रहा हूं, वह इसका संज्ञान ले लेंगे ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर एवं स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं इसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लूंगा और अगर कोई आदमी दोषी है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

इस संबंध में सदन को जानकारी कब देंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

2 दिन लग जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

मैं एक चीज का और स्मरण करा दूं कि माननीय शिव चरण प्रजापति के बारे में ~ सदन में मामला उठा था, और यहां से निर्देश दिया गया था अभी उसका अनुपालन नहीं हुआ है उसको भी सुनिश्चित कर लें ।

श्री हुकुम सिंह–

उसके बारे में मैं आज ही जानकारी दे दूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि दो दिन के अन्दर सूचना प्राप्त कर लेंगे और जो कार्यवाही करनी है वह कर लेंगे ।

* श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, आप जो कहेंगे वह शिरोधार्य होगा, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जो कहेंगे उसे भी शिरोधार्य करूंगा । मान्यवर, उसी थानाध्यक्ष के बारे में आज एक प्रश्न लगा हुआ था, उसे मैं पढ़ दे रहा हूं । क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-12-99 एवं दिनांक 5-1-2000 जो जनपद चित्रकूट के थानाध्यक्ष मानिकपुर के विरुद्ध उनके द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? उत्तर दिया गया कि प्रश्नगत शिकायती पत्रों की जांच पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट के माध्यम से करायी गयी । जांचोपरान्त थानाध्यक्ष, मानिकपुर को ''कारण बताओ नोटिस'' दिया गया है जिसका स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी । इसी संबंध में इनका स्थानान्तरण आदेश जनपद जालौन के लिये कर दिया गया है । मान्यवर, प्रश्न के उत्तर से यह मालूम हो रहा है कि स्थानान्तरण कर दिया गया है लेकिन वह आज भी वहां तैनात हैं । इससे बड़ी अनियमितता क्या होगी । आप उत्तर दे रहे हैं कि स्थानान्तरण कर दिया जबकि वह वहीं तैनात है । उसने 12 ग्राम प्रधानों को निर्विरोध

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

निर्वाचित कराने का ठेका लिया था उसने कहा था कि हम यहां से किसी और को पर्चा दाखिल नहीं करने देंगे।

माननीय विधायक जी चूंकि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं इसलिये लोग इनके पास आये और कहा कि लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। माननीय विधायक जी के प्रयास से पर्चा दाखिल हो गया उस पर उतावला होकर थानाध्यक्ष ने ऐसे लोगों को मारा-पीटा, माननीय विधायक जी के साथ भी बदतमीजी की और मारपीट की। मान्यवर, यह माननीय विधायक का सवाल नहीं है बल्कि सदन की गरिमा का प्रश्न है। माननीय शिवचरण प्रजापति जी के मामले में आपकी पीठ से निर्देश हुआ कि 10 दिन के अन्दर जांच कराकर, कार्यवाही करके सदन को सूचित कर देंगे। 29 मार्च, 2000 की बात है और 24 अप्रैल हो रहा है। कोई कार्यवाही नहीं हुई। मान्यवर, अगर कार्यवाही नहीं होगी तो सदन की गरिमा गिरेगी। उस दरोगा ने यह कहा कि अगर तुम विधान सभा में यह मामला उठाओगे तो तुम्हारे बच्चों को नहीं रहने दूंगा। आज उस दरोगा की इतनी बड़ी हैसियत हो गयी है। मान्यवर, मैं आपको पत्र भेज दूंगा। इसके बारे में वहां के सांसद राम सजीवन सिंह जी ने 18 तारीख को वहां के डी० एम० को पत्र लिखकर सूचित किया कि इन-इन जगहों पर दरोगा ने पर्चा दाखिल न कराने का ठेका लिया है और आप पर्चा दाखिल कराने की व्यवस्था करें।

मान्यवर, दद्दू प्रसाद जी इस आदरणीय सदन के सदस्य हैं, दद्दू प्रसाद जी और सांसद राम सजीवन सिंह जी व्यक्तिगत रूप से डी० एम० से मिले, जो माननीय विधायक जी की आशंका थी वह सही साबित हुई और यह घटना घटित हो गयी। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि दो दिन में सूचना प्राप्त कर लेंगे। अगर हमारी बात पर रंच मात्र यकीन हो तो आप कार्यवाही करें। अगर न हो तो न करें। आपने यह उत्तर दिया कि वह दरोगा स्थानान्तरित हो गया है। आप ऐसे दरोगा को सस्पैंड करके सी० बी० सी० आई० डी० से या किसी अन्य एजेंसी से जांच कराकर दण्डित करने का काम करें और जो मारा-पीटा है उसके लिए एफ० आई० आर० दर्ज कराने की कृपा करें। पुलिस अधीक्षक ने विधायक की एफ० आई० आर० नहीं लिखी इन्होंने जो रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजी है उसको एफ० आई० आर० में दर्ज कराने की घोषणा करें एवं दोषी इंस्पेक्टर को सस्पेंड करके उसके विरुद्ध जांच की जाए।

श्री हुकुम सिंह–

जहां तक शिवचरण प्रजापति का प्रश्न है वह रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो चुकी है मैंने गृह विभाग को निर्देश दिया है कि उसका परीक्षण करके तुरन्त उपलब्ध करायें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने शिवचरण प्रजापति का इसलिए उल्लेख किया क्योंकि माननीय विधायक मुझ से मिले थे। मैंने कहा था, कि शून्य प्रहर में संसदीय कार्य मंत्री जी से उनकी उपस्थिति में वार्ता कर लेंगे।

श्री हुकुम सिंह–

एक बात यह कही गयी कि उसके स्थानान्तरण के आदेश हो गये। वह गया क्यों नहीं ? इसकी बिना जानकारी करे कोई बात कहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिये दो दिन का समय मांगा है। यह भी कारण हो सकता है कि पंचायत चुनाव का नोटीफिकेशन हो गया था। सारी जानकारी करके उत्तर दे सकूंगा।

(कुछ सदस्यों के एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने पर)

श्री अध्यक्ष–

जिसको मैं अनुमति दूंगा, उनकी बात लिखी जायेगी। शेष की बात लिखी नहीं जाएगी।

इस पर चार माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर थे उनको सुन रहा हूं। माननीय सदस्य ने कक्ष में शिकायत की थी कि पुलिस इंस्पेक्टर ने मारपीट की है, तो मामला गम्भीर है। रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए इसमें संदेह की बात नहीं है। जैसे हम विपक्ष की बात पर विश्वास करते हैं। उसी तरह से संसदीय कार्य मंत्री जी ने, जो कहा उनकी बात पर विश्वास करें। तभी कार्यवाही चल पायेगी। वह कह रहे हैं कि दो दिन के अन्दर कार्यवाही करेंगे। शासन से जो उत्तर आये उसको सुन लें। आपने कहा कि इंस्पेक्टर का तबादला हो गया फिर क्यों नहीं गया ?. संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इसका पता लगा लेते हैं क्या कारण है ? वह स्थानान्तरण आदेश के बाद क्यों नहीं गया ?

श्री बी० आर० वर्मा–

क्या सरकार को हमारी सूचना पर इतना भी भरोसा नहीं है उत्तर में भी आया है कि उसका जालौन स्थानान्तरण कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

वह क्यों नहीं गया यह तो पता लगाने की बात है। विश्वास के सहारे ही सदन चल रहा है।

श्री बी० आर० वर्मा–

एफ०आई०आर० का प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक को दिया गया उन्होंने उसकी एफ० आई० आर० दर्ज नहीं की। जो रजिस्टर्ड पत्र पुलिस अधीक्षक को भेजा गया क्या उसको एफ० आई० आर० मानकर दर्ज करने का काम सरकार करेगी। अगर विधायक के साथ घटना होगी और उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जायेगी तो यह उचित नहीं होगा। क्या प्रार्थना-पत्र को एफ० आई० आर० के रूप में नहीं माना जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए।

श्री हुकुम सिंह–

मैं बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह कर रहा हूं कि मेरे पास पूरी सूचना आ जाने दीजिए उसके बाद मैं कुछ कहूं तो अच्छा होगा।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह लिखा नहीं जायेगा।

डा० धर्मज्ञ मिश्र–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। यह लिखा नहीं जायेगा।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, एफ० आई० आर० का मतलब ही फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट होता है। उसे दर्ज करने में क्या असुविधा है ?

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यदि आपकी अनुमति हो तो जो सूचना 310 के अन्तर्गत दी गयी है, उसे पढ़ कर सुना दूं। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। जिन तथ्यों का उल्लेख यहां किया जा रहा है, वे सूचना में नहीं हैं। यदि होते तो मुझे पूरी जानकारी हो जाती और इस सदन को मैं जवाब भी दे देता।

श्री अध्यक्ष–

इनकी सूचना मैंने पढ़ी है इसमें इन्होंने लिखा है कि जब माननीय विधायक जी ने थानाध्यक्ष को मारने पीटने से मना किया, तो उसने उनको भी मारा पीटा और विधान सभा में प्रश्न न उठाने की बात कहते हुए धमकी दी। इनका कहना है कि एफ० आई० आर० लिखी जानी चाहिए।

(व्यवधान)

देखिये उत्तेजना से काम नहीं चलेगा।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, मैंने देखा है, माननीय विधायक जी ने पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिदेशक, मुख्य मंत्री, अनुसूचित जाति जनजाति सभी को एफ० आई० आर० दर्ज करने के लिये पत्र लिखा है।

श्री अध्यक्ष–

पुलिस अधीक्षक के पत्र को एफ० आई० आर० मानकर कार्यवाही करवा लीजिए।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, यह पत्र मैं आपको सुना दे रहा हूं, इसमें लिखा है कि आज दिनांक 19 तारीख को सूचना मिली कि एक थाना नामांकन नहीं करने दे रहा है। जब मैं मानिकपुर दोपहर में पहुंचा तो मेरे साथ ननका सिंह सक्षम अधिकारी के पास नामांकन करने गया। समय 1.45 बजे मोतीलाल और मैं जा रहे थे तो थानाध्यक्ष कमल सिंह ने उसे मारा पीटा और कहा कि [× × ×] और उसने जान से मारने की धमकी दी। अतः उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिख कर, कार्यवाही कराने का कष्ट करें। मेरा निवेदन है कि एफ० आई० आर० आज तक नहीं लिखी गयी। मैं चाहता हूं कि एफ० आई० आर० लिखकर आज सदन के उठने तक सूचित कर दें कि फलां अपराध संख्या के तहत पंजीकृत हो गयी है।

श्री अध्यक्ष–

यदि कोई माननीय विधायक एफ० आई० आर० लिखाना चाहते हैं, तो कोई विशेष प्रकार की व्यवस्था तो है नहीं। रिपोर्ट सत्य है तो आगे कार्यवाही होगी। असत्य है तो वैसा होगा। एफ० आई० आर० लिखने में तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने इस प्रकरण को गम्भीरता से लिया था। आप लोग बेचैन न हो। यदि आप सिर्फ एफ० आई० आर० के लिये परेशान हैं तो अभी एक घण्टे के अन्दर एफ० आई० आर० दर्ज हो जायेगी। लेकिन हम इसे गम्भीरता से लेना चाहते हैं। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि जिस गम्भीरता के साथ घटना हुई है, उसी गम्भीरता के साथ उसे लेना चाहिए। इसीलिये मैंने दो दिन का समय मांगा था।

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आखिर कौन लोग इसके लिये जिम्मेदार हैं और उनके विरुद्ध आज तक कार्यवाही क्यों नहीं हुई ? एक प्रार्थना-पत्र दिया गया था तो उसी को आधार मानकर एफ० आई० आर० दर्ज हो जानी चाहिए थी। विधायक जी ने एस० पी० को पत्र लिखा, आखिर एफ० आई० आर० दर्ज क्यों नहीं हुई। इन सब चीजों के लिये मैंने दो दिन का समय मांगा था। जिस हल्के-फुल्के तरीके से आप इसे ले रहे हैं, इसलिये जैसा आप करवाना चाहते हैं, वैसा मैं कर दूंगा।

श्री बी० आर० वर्मा–

एफ० आई० आर० दर्ज करने में देरी क्यों हुई, इसकी आप जांच करवा लें, दूसरा स्थानान्तरित होने के बाद भी वह क्यों नहीं गया, इसकी भी जांच करवा लें।

श्री अध्यक्ष–

ये सब बातें संज्ञान में आ गयी हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह थानाध्यक्ष दो महीने पहले से स्थानान्तरित हुआ है। जान से मारने की धमकी वह ददूद प्रसाद जी को दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

ये बातें आ गयी हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

स्थानान्तरित होने के बाद भी वह वहां रहकर माननीय विधायक को अपमानित किया है, जान से मारने की धमकी दिया है। जन प्रतिनिधियों के साथ अन्याय ही नहीं, बल्कि मार-पीट किया है। चांटा मारा है। सांसद जी के साथ अभद्रता का व्यवहार किया है। उन्होंने भी पत्र लिखा है, उसकी प्रति हमारे पास है। ऐसे मनचले थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्यवाही नहीं अपितु उसे तत्काल निलम्बित किया जाय और एफ० आई० आर० दर्ज की जाय। यदि वह जांच में निर्दोष पाया जाता है, तभी उसे बहाल किया जाय। जो चांटा मार सकता है वह जान से भी मार सकता है। ऐसे संवेदनशील मामले में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। ऐसे गलत थानाध्यक्ष को जो जनप्रतिनिधियों के साथ दुराचार करने, थप्पड़ मारने तथा चमार शब्द कहने तथा अपमानित करने का काम किया है, उसके विरुद्ध एफ० आई० आर० दर्ज होनी चाहिए और उसे निलम्बित किया जाना चाहिए ऐसे निर्देश यहां से जारी किये जाय।

श्री अध्यक्ष–

ऐसे निर्देश यहां से जारी नहीं हो सकते हैं। गम्भीर घटना पर गम्भीरतापूर्वक निर्देश भी होने चाहिए। रोज-रोज यदि यहां से किसी के निलम्बित करने के आदेश होंगे, तो उससे विधान सभा की महत्ता भी घटेगी, इस दृष्टि से भी हमको सोचना चाहिए।

श्री बी० आर० वर्मा–

एक चीज मैं केवल यह चाहूंगा कि इस प्रकरण की दो दिन में रिपोर्ट मंगवाने की बात कर रहे हैं, तो वह रिपोर्ट आई० जी० से मंगवा लें।

श्री अध्यक्ष–

जो सुझाव है इसको ध्यान में रख लीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

पुलिस आफिसर तक इसमें इनवाल्व हैं।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, उधर से ही बात आयेगी । शासन का भी पक्ष होता है, शासन का विवेक होता है किससे जांच करवा लें । यह कह रहे हैं कि आई० जी० से करवा लीजिये और आपने निर्देश दे दिये । आपके निर्देश का हम सम्मान करते हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब मेरे ख्याल से कुछ नहीं रह गया सारी बात आ गयी है । जब यह तथ्य सदन में रखा जायेगा और संसदीय कार्य मंत्री जी उस दिन कुछ कहेंगे तब के लिये कुछ बात रखें । यदि संतुष्ट नहीं होंगे, तो कह लीजियेगा ।

श्री बी० आर० वर्मा–

जो एफ० आई० आर० आज तक दर्ज नहीं की है वह रिपोर्ट क्या भेजेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

शासन से रिपोर्ट मंगाई जाती है । उसका कुछ असर होता है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

ऐसे मनचले थानाध्यक्ष को निलम्बित करने में क्या हर्ज है । वहां के विधायक के साथ ही नहीं बदतमीजी की बल्कि वहां के सांसद को भी अपमानित किया है । सांसद ने जिलाधिकारी, चुनाव आयोग और एस० पी० के पास पत्र भेजा है । जो एस० पी० वहां के सांसद, विधायक के लिखने पर भी एफ० आई० आर० दर्ज नहीं कर रहे हैं तो कैसे उम्मीद करें कि वह वहां पर अपनी रिपोर्ट देंगे । वर्मा जी ने अनुरोध किया कि रिपोर्ट दो दिन के अन्दर मंगवा रहे हैं वह आई० जी० के माध्यम से मंगवा लें । वह दो महीने पहले से वहां पर स्थानान्तरित हैं । माननीय मंत्री जी ने जवाब में दिया है कि स्थानान्तरित हैं । ऐसी स्थिति में वहां रहकर गुण्डई करे रहे हैं । जान से मारने की विधायक को धमकी दे रहे हैं । मान्यवर, उसके निलम्बन का भी आदेश जारी करें । आख्या मंगवा रहे हैं यदि उसमें निर्दोष सिद्ध होता है तो निलम्बन वापस कर दीजिये हमको कोई एतराज नहीं है । ऐसा मनचला एस० ओ० थानाध्यक्ष है जो बार-बार पहले भी कई बार इस तरह की बदतमीजी कर चुका है उनके चांटा मारा है । जान से मारने की धमकी दी है और कहा है कि अगर हमारे खिलाफ विधान सभा में कुछ बोले तो जान से मार देंगे । क्या हम ऐसा हो जाने दें कि वह माननीय विधायक जी को जान से मार दे और हम यहां शोक संवेदना व्यक्त कर के खाना पूरी कर देंगे । आपकी पीठ से निर्देश होना चाहिए उसका निलम्बन होना चाहिए और रिपोर्ट आई० जी० से मंगवायें क्योंकि यदि पुलिस थानाध्यक्ष की नीयत साफ होती तो विधायक और सांसद के लिखने पर एफ० आई० आर० हो जाती । पुलिस थानाध्यक्ष की नीयत साफ नहीं है । इस पर आवश्यक कार्यवाही तत्काल की जाय ।

श्री बी० आर० वर्मा–

उसी तरीके से डी० आई० जी० चित्रकूट थाने के उप महानिदेशक चित्रकूट धाम परिक्षेत्र, बांदा का पत्र सी०ओ०सी/सी०ए०/28/2000 बांदा मार्च 29, 2000 इसमें लिखा है प्रिय महोदय कृपया माननीय मुख्य मंत्री, उ० प्र० लखनऊ को प्रेषित अपने पत्र दिनांक 14-1-2000 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें । जिसके द्वारा आपने श्री रामकृपाल पाल, श्री पंचम लाल पाल, निवासी ग्राम सिंगवा, थाना मानिकपुर, जनपद चित्रकूट का प्रार्थना-पत्र प्रेषित करते हुए थानाध्यक्ष मानिकपुर श्री कमल सिंह यादव व पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट श्री देवेन्द्र दत्त मिश्र के विरुद्ध कतिपय गम्भीर आरोप अंकित किये हैं । इस

प्रकरण की जांच मेरे द्वारा सम्पादित की जा रही है । अतः आपसे अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में कृपया किसी कार्य दिवस में अतिशीघ्र मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर अपना अभिकथन अंकित कराने का कष्ट करें, ताकि तद्नुसार जांच सम्पादित की जा सके । मेरे कार्यालय का टेलीफोन नं०-24792 हैं ।

श्री राम सजीवन सिंह सांसद बांदा, श्री आर० के० पटेल को गवाह के रूप में बयान देने के लिए बुलाया है, रामसजीवन सिंह जी ने अभी बयान नहीं दिया है । डी०आई०जी० स्तर से जांच में एक विधायक द्वारा बयान देने पर दरोगा प्रताड़ित करते हैं, दूसरे विधायक यदि बयान देंगे तो वह भी प्रताड़ित होंगे, सासंद बयान देंगे तो वह प्रताड़ित होंगे । मान्यवर, अगर इस संबंध में कार्यवाही नहीं हुई तो मेरे जैसा व्यक्ति दुखी मन से क्या करेगा ? जो परिपाटी होगी इसका हश्र इस विधायिका के साथ घिनौना होगा ।

श्री ददू प्रसाद-

मान्यवर, एक बात मेरी भी सुन लें ।

श्री अध्यक्ष-

मैं तो शान्तिपूर्वक सुन रहा हूं । गम्भीरता से ले रहा हूं ।

श्री ददू प्रसाद-

सदन ने इस मैटर को गम्भीरता से लिया है मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा गनर जो है उसको बदल दिया गया है । 20 तारीख को मेरे भरोसेमंद गनर को बदलकर दूसरा गनर दे दिया । वह वापस चला गया । यह कितना गम्भीर मामला है, जो मेरा भरोसेमंद गनर था उसको वापस ले लिया गया दूसरा कल ही वापस चला गया । एस०पी० से भी कहा लेकिन मेरा गनर वापस नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी ने संज्ञान ले लिया है जो माननीय सदस्यों ने इस प्रकरण पर बात कही है । विषय गम्भीर है अगर माननीय सदस्यों के साथ, जैसी कि शिकायत की गई है, दुर्व्यवहार हुआ है तो मैं समझता हूं कि जितनी आवश्यक कार्यवाही होगी और उचित स्तर से, वह आपके माध्यम से करा दी जायेगी । आपने दो दिन का समय मांगा है । दो दिन के पश्चात् सदन को आप अवगत करा देंगे कि क्या कार्यवाही हुई । एफ०आई०आर० के बारे में निर्देश दे दिये हैं कोई भी व्यक्ति थाने पर जाकर एफ०आई०आर० करा सकता है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

इसको हल्के ढंग से न लिया जाये ।

श्री अध्यक्ष-

मैं पूरी गम्भीरता से ले रहा हूं उचित संयम, संयमित भाषा में जो निर्देश दिये जा सकते हैं वह दे रहा हूं । आप समझते है कि हल्केपन से लिया जा रहा है तो आप भ्रम में हैं । यह अब लिखा नहीं जायेगा ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

[X X X]

[XXX] मा० अध्यक्ष के आदेशानुसार यह अंश कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने उचित उत्तरदायित्वपूर्ण स्तर से, आप देखें किस भाषा का मैंने प्रयोग किया है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अनुभवी हैं और आप भी अनुभवी हैं, जिस प्रकार से प्रशासनिक कार्यवाही की जाती है, उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के संज्ञान में सारी बात आ गयी है। उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सदन में, जो बात आयेगी वह एक जिम्मेदारानापूर्ण बात आयेगी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक बात कही है आप प्रतीक्षा कर लें। मैंने एफ०आई०आर० दर्ज कराने का निर्देश दे दिया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आपका निर्देश सर माथे पर। मैं केवल इतना अनुरोध करूंगा कि यह जो आख्या मंगाने की बात कही गयी है उसे आई०जी० के माध्यम से मंगा लें।

श्री अध्यक्ष–

मैंने उचित उत्तरदायित्वपूर्ण स्तर से जो जांच हो, जांच कराकर सूचित करें यह कहा है। तो सारे संदर्भ में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी तय करेंगे कि कौन सा स्तर है ? कुछ तो उनके विवेक पर छोड़ दीजिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, एस०पी० के ऊपर के स्तर से करा लें।

श्री अध्यक्ष–

जब पुलिस अधीक्षक के ऊपर आरोप है तो अपेक्षा की जाती है कि उसके ऊपर के स्तर की जांच होगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, जो उनको पहले गनर मिला था उसे वापस करा दें।

श्री अध्यक्ष–

हम इस संबंध में अलग से बात कर लेंगे। मैं समस्या के समाधान पर विश्वास करता हूं।

आय-व्ययक पर चर्चा के लिये सदन में पर्याप्त समय न मिल पाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

मैं अगली सूचना ले रहा हूं।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रशासन का मूल आधार विचार विमर्श है और उस विचार विमर्श के लिए प्रदेश की सोलह करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व सर्वोच्य सदन में है जिसमें आप और हम बैठते हैं। मान्यवर, आय-व्ययक किसी सरकार की आर्थिक नीतियों का दस्तावेज होता है और इसके माध्यम से प्रदेश की सोलह करोड़ जनता का कल्याण किस प्रकार होगा। प्रत्येक वर्ग यह आशा करता है कि इस आय-व्ययक के माध्यम से उसकी समस्याओं, प्रदेश की समस्याओं और प्रदेश के सामने जो आर्थिक हालत हो उनमें चर्चा हो और इसलिए प्रक्रिया तथा कार्य संचालन निमावली के नियम–187 में यह व्यवस्था की गयी है कि साधारण चर्चा सामान्यतया पांच दिन होगी। लेकिन हम यह देखते है कि जो औपचारिक कार्य हैं, जो अन्य मदें हैं उनको समाप्त करने के बाद इतना समय नहीं बचता कि उसमें

अधिकांश सदस्य भाग ले सकें, वे अपने विचारों को और अपने सुझावों को रख सकें । कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे कि महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर हुआ जब औपचारिक कार्य समाप्त हुआ और चर्चा का नम्बर आया और धन्यवाद प्रस्ताव पेश हुआ और एक लाईन पढ़ी गयी और दूसरे दिन के लिए स्थगित हो गया । तो मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में देखें, 31 तारीख को माननीय नेता विरोधी दल, 6 अप्रैल को तीन सदस्य उस चर्चा में भाग ले सकें । दिनांक 7 अप्रैल को जो दलीय नेता हैं उनको भी सम्मिलित कर लें तो मात्र 12 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया । इस प्रकार 16 माननीय सदस्यों ने उस चर्चा में भाग लिया था ।

मान्यवर, मैं आनुरोध करना चाहता हूं कि यदि कोरम की बात करें तो 43 माननीय सदस्यों में कोरम पूरा होता है । नियमावली में लिखा है कि आय-व्ययक में 5 दिन साधारण चर्चा होगी । इसके लिए कम से कम इस अनुपात में 10 प्रतिशत सदस्य इसमें हिस्सा लें सकें और 1 सदस्य को 10 मिनट का समय आप द्वारा निर्धारित हो और वह मिल सके तो मैं समझता हूं कि जो सुझाव प्रदेश की आर्थिक स्थिति आय-व्ययक के संबंध में आयेंगे उससे इस सरकार को ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की 16 करोड़ जनता को लाभ होगा । इसलिए जो नियमावली में 5 दिन लिखा है और 1 दिन में कितने घंटे चर्चा होगी, इस मद में, इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । मान्यवर, उस चर्चा में 20 सदस्यों ने भाग लिया था और अधिकांश दलों के नेताओं ने चर्चा में भाग नहीं लिया था जिससे वे अपने सुझाव यहां नहीं रख सके । इसलिए आप से अनुरोध है कि 5 दिन में एक दिन में कम से कम कितने घंटे चर्चा होगी और कितने समय चर्चा होगी इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, जो भावना माननीय सदस्य ने व्यक्त किया है उससे हम सभी लोग जुड़े हैं और हम सभी चाहते हैं कि चर्चा होनी चाहिए । लेकिन सब चाहते है कि मेरे विचार आ जायें और दूसरे के विचार आयें या न आयें, इसमें किसी को चिंता नहीं होती है । मान्यवर, जहां तक इस पक्ष का सवाल है हमने पांच दिन का प्राविधान कार्य मंत्रणा समिति में रखा था । कितना समय किस विषय पर लेना चाहते हैं ? यह हम सब पर निर्भर करता है, इसलिए केवल माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था से काम नहीं चलेगा बल्कि काम तो हम सब के सहयोग से चलेगा । इसलिए आप सभी यदि तैयार हों सहयोग देने के लिए तो हम बैठकर इस संबंध में बातचीत कर सकते हैं और किया है लेकिन उसमें कितना पालन आप कर रहे हैं । इसलिए जब तक अपनी बातों का पालन करना नहीं सीखेंगे तो यहां केवल बात उठा देने से काम नहीं होगा । मान्यवर, इसके पहले यहां कितना समय बर्बाद हुआ जिसे बचाया जा सकता था इसलिए हमारे और दूसरों के विचार यहां आये तो आप अपने को नियंत्रित करना सीख लें ।

मान्यवर, पहले महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई तो सत्ता पक्ष को त्याग करना पड़ा और अधिकतर समय प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को मिला और हमें कटौती करनी पड़ी । हमारी ओर के माननीय सदस्यों ने अपने विचार नहीं रखे जिससे आपको शिकायत का मौका न मिले । इसलिए आपसे आग्रह है कि सदन की परम्पराओं को मजबूत करने के लिए अपने आपको सेल्फ डिस्प्लिन्ड करना सीखें और जो कार्य सूची में विषय हों उनके अनुसार काम करना सीखें तो यह शिकायत नहीं होगी ।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, जैसा संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है और आग्रह किया है तो मैं आपसे आग्रह और अनुरोध करना चाहता हूं कि जब औपचारिक काम हो रहा था तो विपक्ष की जितनी जिम्मेदारी है उससे अधिक सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि वह उसे पूरा करे । इसलिए मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि 5 दिन में कितने घंटे चर्चा होनी चाहिए, इसमें आप व्यवस्था दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें कोई संदेह नहीं है कि कभी कोई विषय पर अनावश्यक समय चला जाता है । हम सब अपने ऊपर संयम रखेंगे, तो ज्यादा काम करने के लिये समय मिलेगा । आज आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा होनी है । 10 मिनट की बात आई बहुत से सदस्य पांच मिनट में भी अपनी बात कह सकते हैं तो यदि अवसर 10 मिनट का समय रखें तो एक घंटे में 6 तो इस प्रकार से 3 घंटे में 18 माननीय सदस्य बोल सकते हैं । पांच दिन में 90 माननीय सदस्य और अगर संक्षेप में अपनी बात रखें तो 100 से ज्यादा माननीय सदस्य इसमें भाग ले सकते हैं ।

यह सही है कि जब माननीय नेता बोलते हैं, तो उनको 15–20 मिनट का समय मिल जाता है। नेता प्रतिपक्ष पर समय की सीमा परम्परा के अनुसार नहीं लागू होनी चाहिए । पिछले दिनों यह बात तय हुई कि शून्य प्रहर ढाई बजे तक समाप्त हो यदि ऐसा हो जाये तो बहुत अच्छा होगा । आज ही 15 लोग इसमें भाग ले सकते हैं । कोई समय की कठोरता की बात नहीं है कि 10 मिनट का ही प्रत्येक सदस्य को समय दें, जो भी अध्यक्ष पीठ पर रहेंगे, वह अपने स्वविवेक से वातावरण को देखकर समय का निर्धारण कर लेंगे । आवश्यकता होगी, तो थोड़ी देर और भी सदन चल जायेगा । मुख्य रूप से हम चर्चा में भाग लें और योगदान करें । इसी के साथ मैं इस सूचना का निस्तारण कर रहा हूं ।

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

311 में और भी सूचनाएं आयी थी उसमें मैंने अनुज्ञा नहीं दी थी एक विशेष बात उठी थी पंचायत के चुनाव के बारे में मैंने अनुरोध किया था कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस पर स्थगन कर दिया है । अभी एक दम अनिश्चय की स्थिति है कि 11 तारीख को क्या निर्देश होगा ? अपने विचार इस दृष्टिकोण से रखें कि भविष्य में शासन को क्या करना चाहिए ? लगभग 12 सदस्यों ने सूचना दी है । एक दो माननीय सदस्य इसमें सुझाव दे देंगे । कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है बुद्धि पर किसी का एकाधिकार नहीं है सुझाव के रूप में बात करेंगे तो उपयुक्त होगा । 1.35 बजे तक इस पर विचार रख लें । शेष नियम 311 की सूचनाओं को निरस्त कर दिया है । अगर कोई माननीय सदस्य समझते हैं कि उनकी नियम 311 की सूचना महत्वपूर्ण है तो किसी और नियमों में दे देंगे । माननीय अम्बिका चौधरी जी ने अलग से इसमें सूचना दी है । बी० आर० वर्मा जी की पहली सूचना है ।

डॉ० अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, पिछले दिन आपने 311 की जो सूचना स्वीकृत की थी और कहा था कि आज के बजाय अगले वर्किंग डे पर इसको नियम–56 में ले लूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

पिछली बार 4 सूचनाएं कदाचित नियम–56 की थी । मैंने कहा था कि 24 तारीख को इसे ले लिया जायेगा, तो उनको ले लिया गया है,जो परिवर्तित करके नियम–56 में आ गयी थी उनको ले लिया गया ।

पंचायत चुनावों में अनियमितता तथा प्रत्याशियों के नामांकन में हुई दुर्व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री बी०आर० वर्मा–

मान्यवर, इस गम्भीर प्रकरण पर कुछ बिन्दुओं पर आपने मुझे अपनी बात रखने का मौक दिया इसके लिये मैं आभारी हूं ।

श्री अध्यक्ष–

समय सीमा जो रखी यह 1.35 है उसके बाद नियम 56 हो ।

श्री बी० आर० वर्मा–

मान्यवर, ठीक है । मान्यवर, यह भ्रम क्यों हुआ उत्तर प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव को 6 माह तक स्थगित करने के लिये एक अध्यादेश लायी और उस अध्यादेश को हाई कोर्ट ने निरस्त करते हुए यह निर्देश दिया कि 3 दिन के अन्दर नोटिफिकेशन किया जाय इसमें कई अनियमिततायें हुईं । पहले सरकार हाई कोर्ट गयी और यह अनिश्चय की स्थिति बनी रही कि चुनाव होगा या नहीं होगा । मान्यवर, जो ऐक्ट हम लोगों ने पास किया है उसमें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत के निर्वाचन की तिथि तय करने का अधिकार राज्य सरकार को है लेकिन इसका अनुपालन नहीं हुआ । चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश ने हाई कोर्ट के आदेश का सहारा लेकर वह तिथि नय कर दी और क्या क्लैण्डर किया कि पुराना जो आरक्षण है उसी पर चुनाव होगा यह आदेश जारी कर दिया । जबकि यह संविधान में लिखा हुआ है कि चक्रानुक्रम में यह आरक्षण व्यवस्था स्थानान्तरित होगी उसके लिये सरकार ने दबाव बनाया कि चक्रानुक्रम नहीं होगा तो पूरा इलेक्शन इनवैलिड हो जायेगा ।

मान्यवर, जल्दी से जल्दी यह जो शासनादेश जारी हुआ 18-19 को नामांकन की तिथि थी मेरी जानकारी है कि वहां के अधिकारियों को 16 ता० और 17 ता० में जाकर यह मिला कि यह आरक्षित हुआ और यह आरक्षित नहीं हुआ, जिसके कारण कोई प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिये कोई क्षेत्र पंचायत, कोई जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए, एक दिन के अन्दर पूरे प्रदेश में अपना जाति प्रमाण-पत्र बनाने के लिये, अधिवास प्रमाण-पत्र बनाने के लिये, नो इ्यूज लेने के लिये पूरे प्रदेश के हर जिले में विकास खण्डों पर जिला पंचायत कार्यालयों में एक मेला सा लग गया था कोई रजिस्टर देखकर नो इ्यूज दे यह हो ही नहीं सकता था । जो स्टाम्प पेपर, नोटरी एफीडेविट के लिए, मैंने देखा है कि पांच रुपये का 10 रुपये का स्टाम्प पेपर पूरे उत्तर प्रदेश के हर तहसील में जिले में 100–150 रुपये का मिला है कुछ सदस्य 500 रुपये का बता रहे हैं वह भी हो सकता है जितना चाहा मनमाने ढंग से वसूल किया एक प्रधान को एक जिला पंचायत सदस्य को या क्षेत्र पंचायत सदस्य को अपना नामांकन कराने में कम से कम 2000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक खर्च करना पड़ा है । 500 रुपया सिक्योरिटी मनी है । इसके अतिरिक्त कागजात तैयार कराने में और इसका अतिरिक्त पैसा देने में नामांकन में अधिक पैसा खर्च करना पड़ा, इस तरह से मेरा अपना अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की जनता के करीब डेढ़ सौ करोड़ से दो सौ करोड़ रुपये इस कार्य में खर्च हुए ।

(समय 1 बजकर 20 मिनट)

अगर यही चक्रानुक्रम पहले लागू हो गया होता तो लोगों को समय मिल जाता और वह पहले से एफिडेविट तैयार कर लेते, नो इ्यूज बनवा लेते । इस उहापोह की स्थिति के नाते इस प्रदेश के गरीबों का, किसानों का करीब डेढ़ सौ से दो सौ करोड़ रुपया चला गया । अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि आप 7 तारीख तक परिसीमन करके, प्लान बनाकर सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को प्रस्तुत करें और अब 11 तारीख को जो निर्देश होगा, उसके अनुसार आगे की चुनाव प्रक्रिया निर्धारित होगी । अब प्रश्न यह है कि जो लोगों का डेढ़ सौ करोड़ से दो सौ करोड़ रुपया खर्च हो गया, उसका क्या होगा, इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि दो-तीन चीजों पर अवश्य ध्यान दिया जाय, आगे जब भी चुनाव हों, उस समय । पहली बात तो यह कि जिन लोगों न नोटरियल एफिडेविट बनवाया है और दाखिल किया है, उसे समायोजित किया जाय क्योंकि उसे बनवाने में उसका दुबारा पैसा खर्च न हो ।

दूसरी बात, जो 500 रुपये की सिक्योरिटी जमा की है, अगर वह दुबारा फिर पर्चा दाखिल करते हैं तो उसे भी समायोजित किया जाय । तीसरी बात, जो अधिवास और जाति प्रमाण-पत्र बनाने के

लिये दोहरी व्यवस्था की गयी है, एक तो लेखपाल रिपोर्ट करता है, फिर कानूनगो करता है, फिर नायब तहसीलदार या तहसीलदार जाति प्रमाण-पत्र देते हैं, उसी कार्य के लिये नोटरियल एफिडेविट लिया जाता है, नीचे से रिपोर्ट भी लगनी है, इसी प्रकार छात्रवृत्ति के लिये या अन्य कहीं आवेदन-पत्र आदि भरने के लिये बेरोजगार लोग बनवाते हैं, उसमें उनको 50-50 रुपया खर्च करना पड़ता है । इसमें आप या तो नोटरियल एफिडेविट पर ही जाति प्रमाण-पत्र दें और या फिर नीचे से लगने वाली रिपोर्ट पर दें, दोनों चीजों को लागू कर दिया गया है, यह उचित नहीं है । आपने कर दिया है कि अधिवास प्रमाण-पत्र को दो गजटेड आफिसर सर्टीफाई करेंगे और रिपोर्ट भी लगेगी ।

(इस समय 1 बजकर 22 मिनट पर अधिष्ठाता श्री हरवंश कपूर पीठासीन हुए)

किसी को दो गजटेड अफसर नहीं जानते हैं तो वह कहां से सर्टीफाई करा पायेंगे, इन बिन्दुओं पर आप विचार कर लें । हमें चाहिए कि हम सरल प्रक्रिया एडाप्ट करें जिससे जनता को सहूलियत मिले, इसलिये मैं इन तीन-चार बिन्दुओं पर कहूंगा कि सरकार इन पर विचार कर इसको आगे समायोजित करे और इनको दुरूस्त करने का काम करें ! सरकार ने जिस प्रकार काम किया उससे प्रदेश में एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा हुई और पूरे प्रदेश में एक हाहाकार मचा । साथ ही गरीब किसानों का, जनता का डेढ़ सौ से दो सौ करोड़ रुपया निरर्थक साबित हो रहा है, इसलिये मैं चाहूंगा कि चाहे चुनाव आयोग और सरकार के बीच तनाव का मामला हो या चुनाव आयोग ने तिथियां तय करके मनमानी करने का काम किया हो, इन बिन्दुओं पर सरकार को कड़ाई करनी चाहिए, साथ ही चुनाव आयोग के अधिकारों में किसी अधिकारी ने यदि दखलंदाजी करने का काम किया है, उस पर भी रोक लगनी चाहिये ।

दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं कि इस नामांकन के सिलसिले में जो स्टैम्प बिके हैं, ज्यादा पैसा लेकर, उसकी जांच कराई जाय । जो स्टैम्प विक्रेता हैं, उनको लाइसेंस ए०डी०एम० एफआर देते हैं, जो स्टैम्प विक्रेता लोगों से ज्यादा पैसा लिये हैं, ऐसे लोगों को दंडित करने का काम किया जाय, ऐसी उम्मीद करता हूं कि इस पर गंभीरता पूर्वक विचार आप करेंगें । साथ ही इस सूचना पर आप अन्य माननीय सदस्यों को सुनने का काम करगें, धन्यवाद ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी.....

श्री अधिष्ठाता–

आपकी बात को सुना जायेगा ।

* श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, नियम–311 के अन्तर्गत श्री बी० आर० वर्मा जी ने पंचायत चुनाव से सम्बन्धित जो गम्भीर स्थिति पूरे प्रदेश में व्याप्त हो गयी है, उसे सदन की जानकारी में रखा है । मैं बहुत संक्षेप में थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं । श्रीमन्, दो-तीन तरह की बातें बहुत गम्भीरता से आयी हैं । एक स्टाम्प जो डेढ़ रुपये का था वह 10 रुपये में और जो 10 का था वह 100 रुपये में, यह पूरे प्रदेश में अफरा-तफरी का जो महौल था उसका एक बड़ा कारण और भी था ।

माननीय पंचायत राज मंत्री यहां बैठे हैं । चुनाव टल गये हैं, फिर होंगे । मेरा सुझाव है कि इस बार जो बड़ी भारी गड़बड़ी हुई है, जो ग्राम पंचायत के सदस्य का भी चुनाव लड़ना चाहता है, वह जिला पंचायत से नोड्यूज प्रमाण-पत्र देगा । बलिया जनपद में ही इस कारण जो धनराशि प्राप्त हुई

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है, 50 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से 41 क्षेत्र हैं, अगर एक क्षेत्र से 10, 20, 30, 40 प्रत्याशी भी जिलापरिषद् सदस्य के लिए होते हो यह राशि इतनी होने वाली नहीं थी। किसी भी व्यक्ति को पता ही नहीं था कि किस व्यक्ति को कौन-कौन से नोड्यूज चाहिए। यह इस बात की सही जानकारी पहले से हो जाती कि किसे कौन से प्रमाण-पत्र चाहिए तो इतनी अफरा-तफरी नहीं होती। बलिया में 60 हजार से अधिक जनप्रतिनिधियों का चुनाव होना था यदि 60 हजार लोग एक साथ चले आयेंगे तो निश्चित रूप से स्टाम्प का अभाव हो जायेगा और अफरा-तफरी का माहौल व्याप्त हो जायेगा। किस स्तर पर कौन से प्रमाण पत्र चाहिए ? किस प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है ? इसका स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाये, तो इस अफरा-तफरी से बचा जा सकता है।

आपके माध्यम से एक बात का और जिक्र करना चाहता हूं, समय नहीं था और समय के अभाव के कारण चक्रानुक्रम निश्चित नहीं किया जा सका समय की कमी के कारण इसमें आपत्ति दर्ज करने का समय नहीं था तो इसमें मनमानी करने का काम अधिकारियों ने किया। मैं पंचायत राज मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं बलिया जनपद में जिला पंचायत राज अधिकारी ने, जो मानक था, जिनके आधार पर आरक्षण तय किया जाना था और जो आधार था, 1991 की जनगणना को आधार माना गया सिड्यूल कास्ट के प्रतिशत और उसकी संख्या को आधार 1991 की जनगणना को माना गया और बैकवर्ड के लिए जो 1994 में किया गया था उसके आधार पर माना जा रहा था। लेकिन जिन प्रधानों से तय कर लिया था उनकी संख्या को गलत दर्ज करके 1991 की जनसंख्या की जो गणना है यह सूची अलग और जो कम्प्यूटर में सूची फीड की गयी है, वह अलग। पहले से ही मंशा बना करके कि किस गांव को किस श्रेणी में डालना है। मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं कि श्री बच्चा पाठक जी काबीना मंत्री हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि उनके अपने क्षेत्र में एक ब्लाक रेवती है। वहां के 13 गांवों के प्रधानों से पहले से तय करके पूरी सूची में गड़बड़ी करके फायदा पहुंचाने के लिये गलत आंकड़ों को फीड करने का काम किया गया है। इसलिये मैं इस नियम–300 की नोटिस के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस बार व्यवस्था ठीक से की जायगी और पंचायती राज की जो परिकल्पना की गयी है उसके अनुसार व्यवस्था की जाय अन्यथा इसका कोई अर्थ ही नहीं रह जायेगा।

अगर यह पहले से ही सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसको आरक्षण का लाभ देना है और किसको आरक्षण की श्रेणी में डालना है तो चक्रानुक्रम का कोई अर्थ ही नहीं रह जायगा। जितनी बातें हम लोगों ने रखी हैं उसके अनुसार व्यवस्था की जाय। यह बड़ा गंभीर मामला है, इससे महत्वपूर्ण सूचना और कोई नहीं हो सकती है। पूरे प्रदेश में इतनी बड़ी राशि लूट के तौर पर पब्लिक से ली गयी है उस संबंध में व्यवस्था की जाय। अब नये सिरे से परिसीमन होगा और क्षेत्र बदल जायेंगे तो जो नामिनेशन हेतु जमानत की राशि है उसको वापस किया जायगा या नहीं तथा जाति-प्रमाण पत्रों आदि को पुनः नहीं लिया जायगा इसको सुनिश्चित करके लोगों को इसकी जानकारी दे देनी चाहिये। अभी माननीय बी०आर० वर्मा जी ने जो कहा कि गड़बड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाय इस पर बल देते हुये मैं और सभी नियमों को निलंबित करके इस पर चर्चा कराने की मैं मांग करता हूं।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, माननीय सदस्य जो कह चुके हैं। उन बिन्दुओं पर चर्चा न करके मैं केवल ग्राह्यता पर बल देते हुये कुछ बातें कहूंगा ताकि आपको निर्णय देने और सरकार को निर्देश देने में आसानी हो। श्रीमन्, भारत के संविधान में, पंचायती राज व्यवस्था के सम्बन्ध में संशोधन इसलिये किया गया था कि

महात्मा गांधी के सपनों के अनुसार ग्राम स्वराज की व्यवस्था को साकार किया जाय और राजधानी या केन्द्र सरकार, जो दिल्ली में बैठती है उसका वास्तविक लाभ विकेन्द्रीकरण के माध्यम से गांव में रहने वाले, खेत खलिहान और चौपाल के लोगों तक पहुंच सके। लेकिन पूरे प्रदेश में इस चुनाव में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई है और कम्प्यूटर्स में गलत तरीके से आंकड़ों को फीड किया गया है। कुछ मंत्रिगण ने डाकबंगलों में बैठकर मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित करके, पिछली बार जो आरक्षण था उसको सुनिश्चित नहीं किया गया है। जो सामान्य थी उन्हें पुनः सामान्य कराया और भारत के उस संविधान की धज्जियां उड़ा दी जिसमें यह सुनिश्चित है कि पंचायत राज चुनाव के पहले रोटेशन के हिसाब से आरक्षण प्रक्रिया करेंगें। श्रीमन् इस सरकार ने इस पंचायती राज चुनाव में माननीय हाईकोर्ट का निर्देश हुआ, चुनाव आयोग ने निर्देश दिया, फिर इस सरकार ने निर्देश दिया कि चुनाव सम्पन्न कराने के पूर्व ३ दिन के अन्दर चक्रानुक्रम के अनुसार आरक्षण होगा। तमाम ऐसे सी०डी०ओ० और बी०डी०ओ० ने चक्रानुक्रम के आरक्षण के साथ परिसीमन का कार्य शुरू कर दिया।

हमारे बस्ती जनपद में जहां शासन का निर्देश नहीं था इसके बावजूद व्यापक पैमाने पर परिसीमन की कार्यवाही की गयी और जो गाईड लाइन थी उसे दरकिनार कर दिया गया। पूरे जिले की जो जिला पंचायत और गांव पंचायत की सीटें बनी थीं, उन सारे वार्डों को बदल दिया गया जबकि कोई परिसीमन का आदेश नहीं था। स्पष्ट निर्देश है कि एक गांव से दूसरा गांव, जो एडज्वायनिंग है उसे एक ही रखा जावेगा। 50 हजार की आबादी को जिला पंचायत का वार्ड बनाया जावेगा। मान्यवर, पिछली बार हम लोगों का ब्लाक अनुसूचित जाति का था हम सोचते थे वह इस बार अनुसूचित जाति का नहीं होगा। इस बार या तो सामान्य होगा या बैकवर्ड का होगा।.....

श्री अधिष्ठाना–

मा० पाल साहब, अब आप समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, काफी अनियमितता की गयी। पिछली बार एक नेता जी ने अपने पुत्रवधू को लड़ाया था और उस सीट को सामान्य श्रेणी में कराया था और अपने कार्यकर्ता के लिए भी एक सामान्य सीट कराया था। मान्यवर, अगर सरकार हमारे जनपद में निष्पक्ष चुनाव कराना चाहती है तो चुनाव आयोग को, जो पंचायत राज चुनाव करा रही है, तो आरक्षण और परिसीमन का कार्य चुनाव आयोग को दे देना चाहिए। क्यों सरकार को दिया जा रहा है ? पूरे प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्षों के पद आरक्षित हुये हैं, किस आधार पर किस जिले को सामान्य किया और किसे बैकवर्ड और अनुसूचित जाति का किया ? अगर यह सरकार चुनाव निष्पक्ष कराना चाहती है तो इनकी मंशा साफ होनी चाहिए। मान्यवर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 (इ) में दिया हुआ है कि पंचायत राज चुनाव 5 वर्ष के पूर्व करा लिये जायेंगे। लेकिन श्रीमन्, पंचायत राज चुनाव के 5 वर्ष बीत गये चुनाव आयोग कहता रह गया कि परिसीमन की कार्यवाही, आरक्षण की कार्यवाही कर लें।

परन्तु यह सरकार सोती रही, परिसीमन और आरक्षण की कार्यवाही नहीं की। जब 5 वर्ष पूरे होने लगे तो तत्काल एक अध्यादेश के माध्यम से 6 महीने के लिए चुनाव स्थगित कराने का प्रयास किया है और समितियों के बनाने की बात की गयी। वह अपने कैडर के लोगों को नामित करना चाहते थे। पंचायत राज की मूलभावना के विपरीत कुठाराघात करके यह लागू किया गया। मान्यवर, सरकार के निर्णय को माननीय न्यायालय ने निरस्त किया और निर्देशित किया कि चुनाव कराया जाय। सरकार की मंशा जाहिर हो गयी। वह चुनाव को फेस नहीं करना चाहती है क्योंकि लोकसभा के चुनाव में यह 57 से 29 सीटों पर आ गये और यदि इस समय पंचायत चुनाव हो गये तो यह साफ हो जायेंगे।....

श्री अधिष्ठाना–

आपकी टाइम आ गयी है। अब आप समाप्त करिये।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मड़वागनर और दूसरा गांव खीरीघाट का नाम दे रहा हूं। जिस गांव की आबादी में अनुसूचित जाति के 1099 लोग हैं उसमें कम्प्यूटर में डी०पी०आर०ओ० ने केवल 99 दिखाया।

श्री अधिष्ठाता–

आप लिखकर दे दें।

श्री जगदम्बिका पाल–

मैं आपको पूरे तथ्य भिजवा रहा हूं। आप इस पर जांच कराकर कार्यवाही करें। यह जो अब परिसीमन हो रहा है यह केवल खाना पूरी है। कहीं भी परिसीमन की कार्यवाही नहीं हो रही है। आरक्षण की कार्यवाही ठीक तरह से नहीं हो रही है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जाएं।

* कुंवर रेवती रमण सिंह–

मा० अधिष्ठाता महोदय इस सरकार ने पूरे प्रदेश में अफरा-तफरी की स्थिति पैदा कर दी है। इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में जो बातें कही हैं वह तथ्य से परे बातें कहीं हैं। इनको चुनाव आयोग ने 3 पत्र लिखे कि पंचायत के चुनाव समय से करायें लेकिन इन्होंने पंचायत के चुनाव न कराने का फैसला कर लिया था इसीलिए इसमें इन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। माननीय उच्च न्यायालय ने भी इनको आदेश दिया कि पंचायत के चुनाव करायें जायें। यह सरकार पौने चार साल से आरूढ़ है। उसमें इनको समय नहीं मिला। माननीय संसदीय कार्यमंत्री कह रहे थे कि 12 नये जिले बनाये गये यह जिले बनाये भी काफी समय हो गया। यह कल परसों नहीं बनाये गये। पाण्डे जी आप भले आदमी हैं लेकिन मजबूर हैं। ऐसे लोगों के बीच फंसे हुए हैं कि चाहे तो भी चुनाव नहीं करा पायें। अब भी माननीय सदस्यों ने रोटेशन वाली परिसीमन वाली बातें कहीं मैं उनको दोहराना नहीं चाहता मैं इतना चाहता हूं कि पंचायती राज मंत्री घोषणा कर दें कि चुनाव 11 तारीख के बाद करायेंगे इसकी घोषणा स्पष्ट रूप से विधान सभा में करें। दूसरी बात पंचायत चुनावों में जो रोटेशन होना है, परिसीमन होना है इसके लिए संविधान में प्राविधान है। उसके अनुसार आप यह करायें। यह नहीं कि मनमानी करके चुनाव करायें। तीसरी बात जी पैसा जमा हो गया है वह पैसा लौटाने के लिए स्पष्ट निर्देश प्रदेश सरकार को दें। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों को नामित करने के लिए आप समय न बढ़ाएं। संविधान में जो प्राविधान है, उसके अनुसार चुनाव करवा दें। हुकुम सिंह जी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बड़ा आत्म त्यागी बलिदानी संगठन है। कश्मीर में आतंकवाद बड़े जोरों पर है। मैं चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को वहां आतंकवाद रोकने के लिए भेज दिया जाय। कश्मीर के लोगों की सेवा करें।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

अदेयता प्रमाण-पत्र के नाम पर जिला पंचायत कार्यालय और क्षेत्रीय पंचायत कार्यालय में 50 से 150 रुपये दिया गया। प्रमाण-पत्र भी प्राप्त हुआ परन्तु इसकी रसीद किसी को नहीं दी गई। यह जघन्य अपराध है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

प्रदेश सरकार दिवालिया हो चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय चार बजे आ गया था परन्तु इस सरकार ने स्थगनादेश की सूचना पांच बजे दी ताकि पैसा इक्ट्ठा हो सके। लोगों में आज भी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भ्रम है कि पंचायत चुनाव होंगे भी या नहीं, होगे तो कब होंगे । माननीय मंत्री जी सदन में स्पष्ट कर दें कि चुनाव कब होंगे । जो पैसा फंसा है वह कब तक वापस कर देंगे ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । आज सरकार की गलतियों के कारण पूरा प्रदेश दिवालिया हो गया है,। 150 से 200 करोड़ जनता का रुपया यह सरकार खा चुकी है । पंचायतों के चुनाव पांच साल में न कराकर उसमें विलम्ब जानबूझ कर किया गया है । जिसके चलते पूरे प्रदेश में उहापोह की स्थिति मची हुई है । जनता की कड़ी-कमाई को लूटने का काम किया गया है । चुनाव के समय भारतीय संविधान में अध्यक्ष पद का आरक्षण निर्धारित किया गया । आरक्षण की व्यवस्था में चक्रानुक्रम लागू नहीं किया गया । चक्रानुक्रम को इग्नोर किया गया है । भारतीय संविधान का उल्लंघन कर, किया गया है । मेरे जनपद अम्बेडकरनगर में 6 विकास खण्ड में यथास्थिति आरक्षण प्रधान के पदों पर किया गया । कम्प्यूटर में फीडिंग के नाम पर डी० पी० आर० ओ० पैसा ले रहे हैं । 25, 50, 60 हजार रुपये ले रहे हैं । यह स्थिति इसलिये पैदा हुई कि चुनाव समय से नहीं हुए । यदि आरक्षण पहले से ही सुनिश्चित किया गया होता तो हम सभी को आपत्ति उठाने का समय भी मिल जाता । लेकिन इस सरकार द्वारा जानबूझ कर हम लोगों को आपत्ति उठाने का अवसर नहीं दिया गया । इसलिये नहीं दिया गया ताकि मंत्री, मनमानी कर सकें; डी० पी० आर० ओ० मनमानी कर सकें । इसलिए समय निर्धारित नहीं किया गया ।

आज परिसीमन की बात करते हैं । हमने जो ऐक्ट बनाया था उसमें कम से कम एक हजार की आबादी पर ग्राम पंचायत का गठन किया जायेगा, हो भी गया तो फिर उसमें परिसीमन के लिए समय का क्या औचित्य ? इसमें तो केवल आरक्षण के चक्रानुक्रम के लिए ही समय दिया जाना चाहिए था । यदि आपको उसके अन्दर आपत्ति करना है, तो करें । पिछली बार पंचायत राज ऐक्ट पास हुआ कि चक्रानुक्रम को एल्फाबेटिकली किया जाय । जगह पर जनसंख्या के अवरोधी क्रम पर किया जाय । जनसंख्या का एक सर्वे कराया गया और अनुसूचित जाति के लिये 1991 की जनगणना को आधार माना गया । पिछड़ी जातियों के लिये तात्कालिक सर्वे कराया गया । उस तात्कालिक सर्वे के बाद कुछ और लोगों को पिछड़े वर्ग में शामिल किया गया, जिससे पिछड़े वर्ग की जनसंख्या बढ़ी परन्तु उक्त का समावेश इस समय नहीं किया गया और न ही समय दिया गया । यह सरकार चाह रही है कि इस तरह से बिना समय दिये हुए आरक्षण व्यवस्था को लागू किया जाय ।

परिसीमन के लिये कोई 25 तारीख तक का समय दिया गया है परन्तु चक्रानुक्रम के लिये कोई समय नहीं दिया गया है । ताकि मनमाने ढंग से आरक्षण के लागू होने का काम किया जाय । संविधान के अनुच्छेद 243(घ) में इस बात का उल्लेख है कि आरक्षण चक्रानुक्रम के अनुसार होगा । अब जैसे अम्बेडकर नगर में सामान्य महिलाओं के लिये जो आरक्षण था, अबकी बार भी वैसा ही रखा गया है, जबकि इसे चक्रानुक्रम के अनुसार होना चाहिए था, परन्तु इसे वहां पर लागू नहीं किया गया है । जानबूझकर यह सरकार संविधान का उल्लंघन कर रही है और प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को बरबाद कर रही है ।

मैं चाहता हूं कि प्रत्येक स्तर पर चाहे प्रधान का पद हो, प्रमुख का पद हो, जिला पंचायत अध्यक्ष का पद हो, चाहे सदस्य का पद हो, प्रत्येक स्तर पर चक्रानुक्रम की व्यवस्था लागू होनी चाहिए । जिन ब्लाकों में 50 परसेन्ट पद प्रधानों के लिए आरक्षित किये गये हैं, वहां पर चक्रानुक्रम लागू नहीं होगा । इनमें आप नयी व्यवस्था तो कर सकते थे और जिन वर्गों के आरक्षित होते थे, उनको तो आगे बढ़ाने का काम करते । जो गांव सभा पहले आरक्षित थी, वह आज भी है । मंशा साफ है कि

अनुसूचित जाति के लोगों को उनका हक मिलने न पाये । जहां पर आरक्षण जनसंख्या के अवरोही क्रम में लागू किया गया । पिछली बार अधिक जनसंख्या थी, उन स्थानों को अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित किया गया । यदि चक्रानुक्रम का पालन किया जाता, तो जहां कम जनसंख्या वाले गांव आरक्षित होते अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के प्रधान और सदस्य बन जाते परन्तु सरकार जानबूझ कर चक्रानुक्रम लागू करना नहीं चाहती है और चाहती है कि अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लोग ज्यादा प्रधान न बनने पायें । जहां पर उनकी संख्या ज्यादा है, वहां पर तो वह बन ही जायेंगे लेकिन जहां पर चक्रानुक्रम के हिसाब से पद आरक्षित होना चाहिए था, वह पद तो आरक्षित किया जाना चाहिए था । इसलिये सरकार निश्चित रूप से कार्यक्रम घोषित करे, जिसमें आपत्ति के लिये समय मिले। मैं चाहता हूं कि सारे नियमों को शिथिल करते हुए इस पर चर्चा कराई जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

जो विषय आ चुका है उसको बार-बार न दोहराते हुए दो-दो मिनट में अपनी बात कहें ।

* श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अधिष्ठाता जी, पंचायत चुनाव के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र के अधिकार पर डाका डाला है । उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पंचायत चुनाव के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया जिस तरह से आयोग के साथ नूरा कुश्ती खेली है । यह पहली बार हुआ है कि आपत्तियों के लिये कोई समय नहीं दिया गया । यह पंचायत राज की सूची नहीं थी सदस्य दलों की सूची थी क्योंकि इन्होंने, इनके मंत्रियों ने, जिला पंचायत राज अधिकारियों को बुलवाकर इस तरह से इसको बना लिया । इस तरह का भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ था । आपत्ति मांगने के लिये किसी कोने में इनकी यह सूची नहीं टांगी गयी । जब सूची नहीं टंगी तो आपत्तियां कहां से मांगी जाती । मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि सरकार में साहस है तो जो परिसीमन हुआ था हाई कोर्ट के जज से उसकी जांच करा लें । कितना भ्रष्टाचार उसमें हुआ था सारी बात सामने आ जायेगी । सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश दिया है । दो बात लिखी है उसमें जो किसी भी सरकार के लिये चुल्लू भर पानी में डूब मस्ना चाहिए ।

जब इनको मालूम था कि 11 मई को चुनाव होना है तो समय रहते इन्होंने परिसीमन की कार्यवाही क्यों नहीं की ? इसके लिये उन्होंने सरकार को लापरवाह और गैर जिम्मेदार बताया है । इस सबके बावजूद भी सरकार बैठी है । इसमें किसी को विश्वास नहीं रह गया है । इनसे सारे अधिकार लेकर सीधे-सीधे चुनाव आयोग को दे दिये जायं । मैं प्रतापगढ़ की बात बताना चाहता हूं वहां पर 14 जगहों पर जिला पंचायत के सदस्यों को पर्चा दाखिल नहीं करने दिया । पाण्डेय जी, मैं आपसे कह रहा हूं, आप जांच करवा लीजिये । जब एक दलित वर्ग की महिला गई तो उसको मार पीट कर निकाल दिया गया है । बहुत से लोग बैठे हैं मैं कहना नहीं चाह रहा । अमरावती नाम था उसका । कांग्रेस के भी एक सदस्य को पर्चा दाखिल नहीं करने दिया । इस तरह से हिंसा का तांडव किया गया । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि फिर से परिसीमन कराया जाय । आपत्तियों के लिये पूरा समय दिया जाय और जो पैसा गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का लेकर बैठ गये हैं उस पैसे को वापस कराया जाय । जब तक यह सब नहीं होगा पंचायत चुनाव का कोई महत्व नहीं होगा । हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से यह डांट खा चुके हैं पता नहीं कितनी बेशर्म सरकार है यह ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अति महत्वपूर्ण सूचना पंचायत चुनाव के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। श्रीमन्, जिला पंचायत द्वारा अदेयता प्रमाण-पत्र के नाम पर प्रत्येक व्यक्ति जो यह प्रमाण-पत्र लेने जाता है उससे 50 से 150 रुपये लेकर यह प्रमाण-पत्र दे दिया और इसके लिये उसे कोई भी रसीद नहीं दी है। जिला परिषद् जब कोई कर्ज नहीं देता है न वसूली करता है, तो फिर यह प्रमाण-पत्र क्यों मांगा गया। यह गलती की है। एक गलती और की है क्षेत्र पंचायत न किसी को कर्ज देता है न वसूल करता है उससे भी अदेयता प्रमाण-पत्र इसी तरह से 50- से 200 रुपये लेकर दिये गये। इसके बाद तो सेकेट्री हैं, बहुउद्देशीय कर्मी उन्होंने भी 200–300 रुपये लेकर प्रमाण-पत्र दिये लेकिन कोई रसीद नहीं दी। यह पैसा ले लेना और रसीद न देना अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत ने किस मद में रुपया लिया और रसीद नहीं दी। यह नियमों का उल्लंघन है। चक्रानुक्रम में बहुत गलत किया गया है। कम्प्यूटर को गलत फीड करके चक्रानुक्रम का उपहास किया गया है। जिन गलतियों को जानबूझकर किया गया है, सरकार का दायित्व है कि वह पुनः न हो। जितने अधिकारियों ने इस तरह से रुपया लिया है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और पंचायत चुनावों को तुरन्त करावें।

डॉ० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं 11 मई तक पंचायतों के चुनाव हो जाने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट से स्थगन आदेश आ गए और चुनाव की प्रक्रिया स्थगित हो गई और संवैधानिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई। संविधान में पांच वर्ष से अधिक कार्यकाल रखने का प्राविधान नहीं है और यह सरकार बरसात, मानसून से पहले चुनाव नहीं करा पायेगी। पंचायत चुनाव को सुप्रीम कोर्ट का बहाना लेकर लम्बे समय तक टालने का काम किया गया है।

ग्राम पंचायत समितियां और ग्राम पंचायत अध्यक्ष जिला पंचायत के सदस्य जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है क्या उनकों पुनः नियुक्त किया जाएगा ? संविधान में तो इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। पंचायतों में किसी भी रूप में नामित प्रतिनिधि नहीं बिठाना चाहिए। 11 मई के बाद यह संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगा उस समय सरकार की क्या स्थिति होगी ? मैं सरकार से स्पष्ट रूप से अपेक्षा करता हूं कि संवैधानिक अड़चन आ जाएगी लेकिन किसी व्यक्ति को नामित करने दलीय आधार पर नामित करके बैठालने की कार्यवाही न की जाए, इस विषय पर भी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अम्बरीष कुमार–

मान्यवर, पंचायत चुनाव के बारे में दो-तीन बातें कह देना चाहता हूं। यह बात सही है कि अपने स्तर पर अधिकारी ने गोलमाल किया, आरक्षण के मामले में लेकिन राजनैतिक रूप से जो सरकार में लोग बैठे हैं जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण हुआ इसमें राजनीतिक आधार पर भी आरक्षण हुआ। आज केवल परिसीमन पर आपत्तियां मांगी जा रही हैं। आरक्षण के बारे में कोई आपत्ति नहीं मांगी जा रही हैं तो मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि असल समस्या तो आरक्षण को लेकर है कहीं कम है कहीं अधिक जहां ग्राम पंचायतों के सदस्य का प्रश्न है तो ग्राम प्रधान के लिए शर्त है कि उस गांव में दो व्यक्ति अनुसूचित जाति के होंगे तो वह गांव आरक्षित हो पाएगा। अगर कोई मतदाता नहीं होगा तो यह नहीं होगा।

लेकिन ग्राम पंचायत के लिए यह नहीं है। आरक्षण के मामले में आपने वैमनस्यता का बीज बोने का काम किया है। मैं बताना चाहूंगा जहां कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति नहीं रहता है, वह

आरक्षित कर दिया गया है और जहां अनुसूचित जाति के व्यक्ति रहते हैं उसको सामान्य कर दिया गया है। ।। तारीख को सदन को उपवेशन हो रहा था उससे पहले नोटिफिकेशन चुनाव आयोग द्वारा जारी कर दिया गया। तब तक आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, अब यह किसी प्रकार से संवैधानिक नहीं है कि चुनाव की अधिसूचना के बाद आरक्षण जारी हो। इन्होंने अधिसूचना के बाद आरक्षण का काम किया है। यह नितान्त रूप से स्वार्थ सिद्धि का काम किया गया है। कहीं घोषणा की गयी कि सात बजे तक होगा और आरक्षण अगले दिन तक जारी नहीं हुआ। तो यह सब नाटक हुआ। जिस विकेन्द्रीकरण की बात हम करते हैं उस पर भारी आघात पहुंचा है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी भी नियमानुसार 15 दिन का समय दिये जाने का प्राविधान ऐक्ट में है उसको दें। जो आरक्षण पर आपत्तियां हैं वह मांगी जायें उसके बाद चुनाव कराने का काम किया जाय। जो अनियमित कराने का अध्यादेश सरकार ने जारी किया है वह न किया जाय।

श्री राम ललित चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस सरकार के हाव भाव, इस सरकार की मंशा और इस सरकार की क्रियाशीलता से यह बात साफ हो गयी है कि यह सरकार न तो पंचायत चुनाव कराना चाहती है और न कराना चाहती थी। पंचायतों का चुनाव समाप्त होने के बाद पंचायतें नौकरशाही और सत्तापक्ष के हाथ में रहें यह सरकार की मंशा थी इसलिए चुनाव प्रक्रिया समय रहते हुए पूरा कराने का काम इसने नहीं किया। मान्यवर, जब आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी तब चुनाव का काम शुरू हुआ। चुनाव का काम 15, 16 तारीख को शुरू हुआ उस समय तहसील में कोई कर्मचारी नहीं था। प्रमाण-पत्र लोगों को नहीं मिल पाये। दो-चार लेखपाल और कानूनगो आये और हजारों की संख्या में पब्लिक आ गयी। तब सौ-सौ दो-दो सौ रुपये लेकर प्रमाण-पत्र देने का काम किया गया। दो-दो सौ, तीन-तीन सौ रुपये के टिकट दिये गये जिससे बड़ा भारी भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी जांच करानी आवश्यक है। जब एकाएक पब्लिक आ गयी और प्रमाण-पत्र नहीं मिल रहा था, तो जो लोग लाइन में खड़े थे प्रधान बनने के लिए, उनको लाठी डण्डों से पीटा गया। तो इस तरह से जो भ्रष्टाचार और दुर्व्यवस्था बेईमानी हुई है वह आज तक कभी नहीं हुई होगी। दूसरी चीज मैं यह कहना चाहूंगा कि जो वोटर लिस्ट कमजोर वर्गों के लिये बनी थी वह गायब कर दी गयी ताकि जो कमजोर वर्ग का व्यक्ति हो, जो गरीब है वह चुनाव न लड़ सके। जाटों को आरक्षण दिया गया था।

लेकिन आरक्षण में कोई व्यवस्था नहीं की गयी। एक बात और कहना चाहूंगा कि सामान्य सीटों पर जो एस० सी० का व्यक्ति चुनाव लड़ना चाह रहा था तो उससे वही फीस ली गयी जो कि सामान्य व्यक्ति से ली जाती है। मान्यवर, जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल है उसमें यह कहा गया है कि सैंतीस जिलों का परिसीमन किया जाय। वह अभी पूरा नहीं हुआ है। तो समय रहते हुए यदि परिसीमन नहीं पूरा हुआ तो भ्रम की स्थिति पैदा हो जायेगी। आज पब्लिक असंमजस की स्थिति में है। यदि यही स्थिति रही तो फिर लाठी डंडा खाने की नौबत आयेगी।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस सूचना पर बोलने का अवसर दिया। मैं उन सारी बातों को फिर से दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं केवल दो-तीन बातें सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं। एक तो यह कि जो पंचायत चुनाव के मतदेय स्थल थे, उसमें स्थल परिवर्तन कर गड़बड़ी की गयी। एक तरफ तो यह कहा गया कि परिवर्तन नहीं किया जायेगा और दूसरी तरफ भाजपा और आर० एस० एस० के अधिकारियों से मिलकर स्थल बदल डाला। ग्राम बागपुर में डेढ़ हजार वोटर्स हैं। जलालपुर में एक हजार वोटर्स हैं। उनमें 600 वोटर्स को जोड़ दिया। वहां पर आतंकवादी लोग रहते हैं वह बूथ कैपचरिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से धांधली कर रहे हैं। जो मतदाता सूची है मैनपुरी जिले में, 19 तारीख को सुबह प्राप्त हुई तब तक 18 तारीख तक नामांकन नहीं कर सकते थे, यह गहरी

साजिश थी । जो प्रभावशाली लोग थे उन्होंने प्रेस में मिलकर गड़बड़ी करवाया है और तमाम नामों को मतदाता सूची में छपने से वंचित कर दिया । हमारे यहां सुश्री सुषमा जो जिला पंचायत की सदस्य थीं, उनका नाम वोटर लिस्ट से गायब था । इसलिये यह एक गहरी साजिश है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन तमाम विसंगतियों को दूर किया जाय ।

* नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, प्रस्तुत प्रकरण में कई एक ऐसी बातें उभर कर सामने आयी हैं जिनका निराकरण इस सरकार द्वारा जनहित में बहुत आवश्यक है । मान्यवर, जिस अफरा-तफरी और हड़बड़ी में पंचायतों के चुनाव कराये जाने की प्रक्रिया शुरू की गयी और समाप्त हो गयी उससे कई प्रश्न पैदा होते हैं । मैं चाहता हूं कि इन प्रश्नों का निराकरण माननीय पंचायती राज मंत्री या संसदीय कार्य मंत्री जी जरूर यह सदन में करने का कष्ट करेंगे ।

मान्यवर, पहली बात तो यह है कि जो नामिनेशन हो चुके हैं क्या अगला चुनाव होगा, वह पूर्ववत रहेंगे ? यदि नहीं रहते, तो क्या उन उम्मीदवारों को पैसा वापस कर दिया जायेगा ?

मान्यवर, दूसरी बात यह है कि पंचायती राज ऐक्ट की मूल भावना के अनुसार चक्रानुसार आरक्षण होकर चुनाव करवाना अनिवार्य था, जिसे नहीं करवाया गया ? क्या यह सरकार पंचायती राज ऐक्ट की मूल भावना के अनुरूप चक्रानुसार आरक्षण करवाकर अगला चुनाव करवायेगी ?

तीसरी बात यह है कि 11 मई, 2000 तक पंचायतों के चुनाव पूरे हो जाने चाहिए थे । अब यदि पंचायतों के चुनाव पूरे नहीं होते हैं तो क्या यह सरकार प्रधान या ग्राम पंचायत के पद पर को नामिनेशन तो नहीं करेगी ? बहुत से क्षेत्र ऐसे जिला पंचायत के बन गये जहां एक जनपद को छोड़कर के उसमें दो जनपद हो गये । अब दो जनपदों में एक जिला पंचायत का क्षेत्र जो है, तहसील परिवर्तित होने के कारण नये जनपद में जुड़ गया तो क्या यह सरकार छलांग लगाकर सटे हुए क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में क्या परिसीमन करायेगी अथवा संलग्न क्षेत्र में ही उसको जोड़ेगी । मान्यवर हमारे औरैया में ऐसा ही हुआ पहले यह जनपद इटावा में था विधूना तहसील का कुछ क्षेत्र जो भरथन क्षेत्र में लगा हुआ है जो सटा हुआ क्षेत्र है उसमें न जोड़कर अगले क्षेत्र में लगा दिया पता नहीं किस अफरा-तफरी में किया गया । इस प्रकार की छलांग लगाकर कार्य नहीं होना चाहिए । 25 तारीख को सुनवाई करेंगे यह कहा गया इतनी जल्दी कि जिस चीज की आशा की जाती है कि अब इलेक्शन नियमित रूप से हो जायेगा । अफरा-तफरी में फिर वहीं काम हो रहा है । 25 तारीख को आपत्तियां मान ली गयी हैं । अभी श्रीमन्, परिसीमन भी नहीं हुआ है । कागजों में भले ही हो गया हो, दो-चार दिन का समय देखने के लिये मिलना चाहिए । ताकि लोग देख सकें कि इस परिसीमन में कोई गड़बड़ है अथवा नहीं ।

जिन अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इस पंचायती चुनाव में अनाप-शनाप पैसा अवैध रूप से कमाया है उसकी जांच सी० बी० सी० आई० डी० से कराई जाय एक ही जनपद की करवा लें ताकि इस सरकार का मुखौटा भी साफ रहे और दोषी लोगों को दण्डित भी किया जा सके । अगर ऐसा नहीं होता है तो जनता में सरकार के प्रति जो विश्वास उठ चुका है, वह पुनः जन्मने वाला नहीं है । कि इनको कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा । आप लोग नैतिकता का सहारा लें । पहले दिन नामांकन दाखिल हुआ दूसरे दिन आ गया कि यह सीट अब बैकवर्ड नहीं सामान्य हो गयी है जिस तरह की कारगुजारी की गयी है यह नितान्त गलत है । इसी के साथ मैं इस प्रकरण पर बल देता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

(समय 2 बजकर 20 मिनट)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मुझे एक मिनट का अवसर दे दें। मैं भी इसमें केवल 2 बातें जोड़ना चाहता हूं ताकि इसी में उसका भी जवाब आ जाय।

माननीय अधिष्ठाता जी, हम आपके माध्यम से इतना कहना चाहते हैं कि सरकार की अदूरदर्शिता के कारण आपने चुनाव में जो अफरातफरी के माहौल में चुनाव कराने की घोषणा की गयी उसके फलस्वरूप 10 रुपये का स्टाम्प पेपर 250 रुपये, 400 रुपये 500 रुपये में बिका। दूसरी बात यह कि अनुसूचित जाति के प्रत्याशी जिनका नामांकन के लिये फीस सामान्य से आधी होती है, यदि वह सामान्य सीट से पर्चा दाखिल कर रहा था तो उससे पूरी फीस वसूली गयी जबकि आधी फीस ली जानी चाहिए थी। इसी परिप्रेक्ष्य में पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि क्या सामान्य सीट पर जो अनुसूचित जाति और जनजाति या इस तरह के आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों से पूरी फीस नामांकन फीस ली गयी है क्या उसकी वापसी सुनिश्चित करेंगे ? और जहां पर अधिकारियों ने इस प्रकार का मनमानापूर्ण रवैया किया है उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कठोर दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे? दूसरी चीज, आपने चुनाव में बड़े पैमाने पर नामांकन फीस के नाम पर आई हुई करोड़ों-करोड़ों रुपये की धनराशि को क्या वापिस कराने की बात सुनिश्चित करेंगे या अगले आने वाले चुनाव में उसको नामांकन के समय कम्पनसेट कराने की बात करेंगे। माननीय मंत्री जी अपने जवाब में इस बात को सुनिश्चित करते हुए यह भी सुनिश्चित करें कि इस बार सरकार की अदूरदर्शिता के कारण जो अफरातफरी हुई इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिये कोई इन्होंने कार्यनीति तय की है कि चुनाव में पर्ची दाखिल करने के पहले परिसीमन की कार्रवाई हफ्ते भर पहले से कर देंगे। इसका जवाब दे दें।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, 13 माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य विचार रखे और विचारों में कई बातों पर स्पष्टीकरण भी मांगा गया, आरोप भी लगाये गये। एक बात स्पष्ट है कि सरकार की मंशा चुनाव कराने की थी और सरकार की मंशा नियमानुसार चुनाव कराने की थी और सरकार ने अपना एक कार्यक्रम बनाया था। 1-4-2000 से लेकर 20 जुलाई, 2000 तक पूरा कार्य पूरा करने की बात थी ताकि समय मिल जाये यह न हो कि किसी को शिकायत का अवसर नहीं मिला, आपत्तियां आ जायें और निस्तारित करने का अवसर मिल जाये इसी के लिये अध्यादेश जारी किया गया। मान्यवर, इसके लिये टीका-टिप्पणी की गयी कि हम तो भागना चाहते हैं चुनाव परिणाम से क्योंकि लोक सभा के चुनाव परिणाम अनुकूल नहीं आये। किसी ने कहा कि प्रधानी के चुनाव में प्रतिकूल परिणाम आयेंगे इसलिये हटना चाहते हैं अभी एक बात कही गयी कि हड़बड़ी में अफरा-तफरी में 2-3 शब्दों पर बड़ा जोर दिया गया कि हड़बड़ी में किया गया, अफरा-तफरी में किया गया, मान्यवर, यह कहां से शुरू हुआ है। हम आपके सामने एक अधिनियम लाने वाले थे, प्रस्तुत करने वाले थे आपके बहुमूल्य विचार आते, सारे सदन के विचार आते उसके बाद अधिनियम पारित होता, उसके बाद अधिनियम बनता तो शिकायत करने का मौका नहीं मिलता। तब भी आपने नीयत पर शक किया क्योंकि शक और शक की दुनिया में आप वास करते हैं और विश्वास किसी पर करके नहीं चलते, अब परिणाम आपके सामने है। चुनाव आयुक्त ने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालनार्थ 3 अधिसूचनाएं जारी कर दीं, जिसका उल्लेख माननीय सदस्यों ने यहां सदन में किया, इसमें से दो अधिसूचना जारी करने का अधिकार उनको नहीं था, यह भी इसी कारण से हुआ कि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था, उन्होंने उसके अनुपालन में अधिसूचना जारी कर दी, यह कमी रही, उसको मैं मानता हूं। दोनों अधिसूचनाएं प्रदेश सरकार के स्तर से होनी थीं।

माननीय लालजी वर्मा बहुत विद्वान सदस्य हैं, धाराप्रवाह बोलते हैं । उन्होंने कहा कि सरकार ने अधिसूचना जारी करने में विलम्ब कर दिया, यह उनका वाक्य है । सरकार ने तो अधिसूचना जारी ही नहीं की, विलम्ब करना तो दूर रहा और सरकार ने इसलिये जारी नहीं की, क्योंकि सरकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध एस० एल० पी० में गई थी, हम तो वहां प्रयास यह कर रहे थे कि हम अपनी कठिनाइयों को प्रस्तुत करे और रिलीफ हासिल करें । माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारे कथन को सुना और जो आदेश दिया, उसकी कापी मेरे सामने है । एक माननीय नेता कांग्रेस के बोल रहे थे, यहां से चले गये कि वहां बड़ी खरी-खोटी सुनाई गई, इनकी खिंचाई कर दी । मान्यवर, दो पंक्ति का आदेश है, आपकी अनुमति से पढ़ दूं । जो विवादित निर्णय है, उस पर रोक लगा दी और राज्य सरकार को यह निर्देश दिया कि वह 7 मई तक डिलीमिटेशन का प्रोसेस पूरा करके, 11 मई तक कार्यक्रम बनाकर माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत कर दें । अब पता नहीं यह कौन सा कैसेट सुनते हैं, कौन-कौन सा कैसेट इनके पास आता है । यह तमाम अनावश्यक बातों का उल्लेख करते रहे ।

मान्यवर, दो-तीन अन्य बातों का उल्लेख यहां किया गया है, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने इस पर अपना बल दिया है कि जो नामिनेशन हो चुके हैं, वह पूर्ववत रहेंगे । स्थिति यह है कि 7 मई तक डिलीमिटेशन की कार्यवाही पूरी होनी है और डिलीमिटेशन की कार्यवाही पूरी होने के बाद नये सिरे से, जो हमारा चक्रानुक्रम है, वह प्रभावी हो सकता है और दुबारा करना पड़ सकता है । यदि दुबारा करना पड़ता है तो सोचना यह पड़ेगा कि किसी क्षेत्र में किसी ने नामांकन फाईल किया है, क्या वह दूसरे क्षेत्र के लिये सही माना जायेगा, कदाचित संवैधानिक दृष्टि से यह सही नहीं होगा । केवल उत्तर के लिये उत्तर देना इसमें पर्याप्त नहीं होगा, इसमें हमें कानूनी तौर से, हर बात पर विचार करना होगा । धन के उपयोग-दुरुपयोग के बारे में भी उल्लेख किया गया, सिक्योरिटी के बारे में भी कहा गया कि उसका क्या होगा ?

मान्यवर, जो कायदे कानून हैं, वह आपके सामने हैं । अभी तक न स्कूटनी हुई है, न कोई पर्चा कैन्सिल हुआ है, न चुनाव हुए हैं, सिक्योरिटी का पैसा पूरी तरह अपनी जगह सुरक्षित है, इसे वापस लेने का भी अधिकार है, इस बात पर विचार कर लेंगे कि यदि सम्भव हो सके तो उस पैसे को नये पर्चे के साथ समायोजित कर लिया जाय; इस पर निश्चित तौर से विचार करेंगे ताकि कोई कठिनाई न हो ।

माननीय रघुवर दयाल वर्मा ने अपने क्षेत्र का उल्लेख किया, शाक्य जी ने अपने क्षेत्र का उल्लेख किया, विभिन्न लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों के अनुभव सुनाये, यह ताजा अनुभव हैं, यह किसी परिस्थितिवश आये हैं । परिस्थिति ऐसी थी कि हर एक के सामने संवैधानिक मजबूरी क्या थी, प्रदेश सरकार सारी चीजों को सामने रखना चाहती थी । अब चुनाव के लिये पर्याप्त समय चाहिए और यदि पर्याप्त समय नहीं होगा और जल्दबाजी में चुनाव होंगे तो इस तरह की शिकायतें आयेंगी । हम यह खुद मानकर चलते हैं जो शिकायतें आपने की हैं, इसके अतिरिक्त भी अनेकों शिकायतें प्रदेश सरकार को प्राप्त हुई हैं । जिस प्रकार से सरकार की नीति थी, उसके अनुसार आरक्षण नहीं हो सका, चक्रानुक्रम नहीं हो सके, चूंकि समय नहीं था । जो वास्तविकता थी वह यह है । समय नहीं था, यह भी आपके सामने है, इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने स्टे आर्डर दे दिया, उसके अनुसार कार्यवाही होनी चाहिए । मैं यह आश्वस्त करता हूं कि कृपा करके संदेह के घेरे से बाहर निकलें और सरकार की ईमानदारी पर विश्वास करें । हम चुनाव कराना चाहते हैं लेकिन यह चुनाव किसी के कथनानुसार नहीं बल्कि संविधान की मंशा के अनुसार पूर्ण हो सकें यह हमारा प्रयास है और इसमें आपको सरकार को सहयोग देना चाहिए ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इन्होंने शंका को दूर नहीं किया है, बढ़ा दिया है । मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि तमाम सदस्यों ने यह बात पूछी है कि यह चुनाव कब तक

होंगे ? सरकार ने कोई तिथि तय की है या नहीं की है ? क्या यह नामीनेशन करेंगे कि नहीं करेंगे इस पर भी सरकार ने कोई बात नहीं कही । चार साल का समय इनके लिये कम था, 5 साल हो गया है, पांच साल में भी पूरा नहीं कर पाये तो कृपया संसदीय कार्य मंत्री यह आश्वस्त करें कि यह चुनाव कब तक कराने का इरादा है और नामित करेंगे कि नहीं करेंगे ? यह सदन को बताने का कष्ट करें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, नामीनेशन इनके मस्तिष्क में कहां से आ गया । यह कभी नहीं कहा गया कि नामिनेशन होंगे । यह आपके दिमाग की उपज है । अध्यादेश में किसी नामीनेशन का कोई जिक्र नहीं है। मान्यवर, यह जो दूसरी बात उठायी है डेट वाली, यह तो मान्यवर, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देशित किया है कि 11 मई तक कार्यक्रम हम उनके सामने प्रस्तुत करें ।

श्री राम अंजोर शाक्य–

11 मई के बाद आपकी क्या व्यवस्था है ? इस बात की शंका है ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, सदन को शंका नहीं है, केवल कुछ माननीय सदस्यों को शंका है । 11 मई को कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

अब सम्भाल कीजिये, संसदीय कार्य मंत्री का उत्तर आ गया है । मद सं०–3 में कोई सूचना नहीं है । मद सं०–4

जनपद झांसी के बबीना क्षेत्र में चिरगांव के पास राम नगर टहरौली मार्ग पर रामनगर घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राकेश वर्मा आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

* श्री सतीश जतारिया–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में चिरगांव के पास राम नगर टहरौली मार्ग पर रामनगर घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राकेश वर्मा तथा श्री जगदीश शिवहरे, निवासीगण–जनपद झांसी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं ।

पंचायत चुनाव में अनियमितता तथा प्रत्याशियों के नामांकन में हुई दुर्व्यवस्था के सम्बन्ध में नियम–311 के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

सरकार हठवादिता कर रही है । सरकार नियमों परम्पराओं का गला घोंट रही है । इसके विरोध में, मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है ।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों सहित सदन से जागकर चले गये)

जनपद मिर्जापुर के कोतवाली वार्ड नं० 27 के कतिपय मोहल्लों में गली एवं नाली का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अजय सिंह आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

*डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद मिर्जापुर के कोतवाली वार्ड नं० 27 के कतिपय मोहल्लों में गली एवं नाली का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अजय सिंह तथा श्री सुरेश चन्द्र व अन्य निवासीगण–जनपद मिर्जापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

नोट :– † छापी नहीं गयी ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

मद सं० 6 और 7 में कुछ नहीं है ।

(डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय के खड़े होने पर)

पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय)–

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री अधिष्ठाता–

अभी इसकी अनुमति नहीं है ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 24-4-2000 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । दिनांक 11-4-2000 को स्थगित सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए शलाका के आधार पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित की गयी हैं । प्रथम 5 सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुना जायगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है ।

एक मा० सदस्य–

मान्यवर, सूचनाओं को पढ़ दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

पहली सूचना माननीय मुन्ना सिंह चौहान, श्री जगदम्बिका पाल, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य एवं श्री राम औतार शाक्य की उत्तर प्रदेश पुलिस बल आरक्षियों एवं मुख्य आरक्षियों को चौथे व पांचवें वेतन आयोग द्वारा संस्तुत वेतनमान न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है ।

* श्री मुन्ना चौहान–

मान्यवर, पहले मुझे इस सूचना पर सुन लें बाद में अन्य सूचनाएं पढ़ियेगा ।

मान्यवर, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की तरफ मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । जहां एक तरफ इस सदन के अन्दर रोजमर्रा इस बात की चर्चा की जाती है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को किस तरह चुस्तदुरुस्त किया जाय और पुलिस प्रशासन से संबंधित तमाम खामियों को सदन में उजागर किया जाता है वहीं एक बिडम्बना है कि जिस पुलिस प्रशासन के ऊपर इस प्रदेश के निवासियों की जानमाल की सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है उसी की तरफ सरकार का नजरिया बड़ा भेदभावपूर्ण है । श्रीमन्, जिसे हम कांस्टेबुलरी कहते हैं वह सिपाही पुलिस की एक बुनियादी इकाई है । वर्ष 1986 में चतुर्थ वेतन आयोग बना ।

मान्यवर, आरक्षी, कांस्टेबिल और हेड कांस्टेबिल की सेवा शर्तें सेन्ट्रल पुलिस बल की सेवा शर्तों से बिल्कुल भिन्न हैं, इसी कारण उत्तर प्रदेश प्रदेश के आरक्षियों के लिये वेतन आयोग ने 12 सौ रुपयों का बेसिक स्केल संस्तुत किया लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको मात्र 950 रुपये मूल वेतन कर दिया जिससे एक विसंगति पैदा हो गयी । चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक ए० एस० आई० सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर के ऊपर के पदों के लिये वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वेतन दिया लेकिन कांस्टेबिल और हेड कांस्टेबिल को 1200 रुपयों का मूल वेतन न देकर 950 रुपयों का वेतन दिया और उसी पुलिस बल से, उसी कांस्टेबिल और आरक्षी से उम्मीद करते हैं कि 24 घंटे सड़क पर खड़े होकर, चौराहे पर खड़े होकर ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके, अपने काम को अंजाम दे सके। यह बात आगे बढ़ी पुनः वर्ष 1996 के अन्दर वेतन आयोग की सिफारिश आयी, उसने पुंनः संस्तुति की कि उत्तर प्रदेश का जो आरक्षी वर्ग है उसे 1200/- का वेतनमान पिछले आयोग ने संस्तुति किया था उसे 4000 के मूल वेतन में परिवर्तित कर दिया जाय। इस प्रकार पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार ए० एस० आई०, एस० आई० और इंस्पेक्टर के पदों का वेतनमान दे दिया गया लेकिन कांस्टेबिल और हेड कांस्टेबिल को पुनः 4,000/- की जगह 3050 का वेतनमान दिया गया। इसके ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस बल के कुछ आरक्षियों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।

श्रीमन्, यहां पर बाहर की किसी बात का संज्ञान सदन नहीं ले पायेगा लेकिन इस बात का कहना जरूरी है। जब एक ट्रेन के अन्दर उत्तर प्रदेश के आरक्षी, उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस के सिपाही नियमित चेकिंग के लिये किसी अधिकारी के साथ चेकिंग कर रहे थे तो ट्रेन के डिब्बे के अन्दर उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश महोदय ने प्रश्न किया कि आप लोग इस डिब्बे में कैसे आये ? आप लोगों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप सेकेण्ड क्लास में ट्रेवेल करे। तो उन आरक्षियों ने कहा कि सर, हम ट्रेवेल नहीं कर रहे हैं सुरक्षा जांच की दृष्टि से हमें आना पड़ता है। उन्होंने रिमार्क किया कि आपका ड्रेस अप-टू-मार्क नहीं है, वह प्रापर स्तर का नहीं है। तो आरक्षियों ने बताया कि हमें जो वेतन मिलता है वह इतना मिलता है। तो उस न्यायाधीश महोदय ने रिमार्क किया और कहा कि मैं खुद उस पंचम वेतन आयोग में सदस्य था। माननीय उच्च न्यायालय के जब चपरासी को हम 4000 रुपये का वेतनमान देते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस बल के आरक्षियों को 3050/- का वेतनमान का कोई औचित्य नहीं है। इसी बात से प्रेरित होकर 4-5 आरक्षियों ने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। याचिका संख्या–3223/98 जिस पर 2-3-2000 को माननीय उच्च न्यायलय ने प्रदेश सरकार को निर्देश जारी किया।

श्रीमन्, मैं पुनः यहां पर जोर दे करके कहना चाहता हूं कि यदि हम आरक्षी वर्ग जिसे बुनियादी इकाई मानते हैं उसे नजरंदाज करके चलें तो ऐसी स्थिति इस प्रदेश में पूर्व में आ चुका है। मैं स्मरण कराना चाहूंगा। इसी तरह से अनुशासन के नाम पर, वर्दी के नाम पर, पुलिस बल के आरक्षी वर्ग को निरन्तर दबाने का काम किया गया तो 1973 के अन्दर तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री त्रिपाठी जी, उनके समय में पुलिस विद्रोह हुआ था जिसकी वजह से उनको भी पद छोड़ना पड़ा था। उसकी परिणिति यह हुई थी कि पी० ए० सी०, पुलिस और सेना के बीच संघर्ष हुआ था। बहुत सारे लोग मारे गये थे यह एक गम्भीर घटना थी। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप मेरी नोटिस पढ़ लें जिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी और माननीय पाल जी ने हस्ताक्षर किये हैं। किसी को भड़काने की नीयत से नहीं बल्कि बहुत ही समझदारी से किया है। यह लोगों की जानमाल से जुड़ा हुआ है। इस प्रदेश के जनजीवन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है। प्रदेश शासन के निर्देश पर, डी० जी० पी० के निर्देश पर बटालियनों के अन्दर आरक्षियों को दबाया जा रहा है उनसे यह लिखवाया जा रहा है कि हमें जो वेतनमान मिलता है उससे हम संतुष्ट हैं। मेरी जानकारी है कि इससे कई बटालियनों के अन्दर कमान्डेंट को आरक्षियों द्वारा पीटा गया। यह इस बात का सूचक है कि अगर उनसे जबरदस्ती साइन करवाया गया और असंतोष के इस लावे को दबाने की कोशिश की गई तो 1973 के पुलिस विद्रोह की भांति पुनः विद्रोह हो सकता है। यह विषय गम्भीर है। यह प्रदेश के जनजीवन से जुड़ा हुआ सवाल है।

चूंकि प्रदेश के उच्च न्यायालय ने भी सरकार को इस बात के निदेश दिये हैं कि पिटीशनर्स के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण तीन चार माह में कर दिया जाए। यह विषय राजनीतिक विषय नहीं है।

इनका कहना है कि केन्द्रीय पुलिस बलों की भांति वेतनमान दिया जा रहा है लेकिन केन्द्रीय पुलिस बलों की 8 घंटे की ड्यूटी होती है। इसके अलावा इनको राशनिंग मनी और अन्य दूसरी सुविधाएं मिलती हैं यह उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षियों को नहीं मिलती। यहां पर उनको 24 घंटें ड्यूटी करनी पड़ती है। राशन मनी व अन्य भत्ते नहीं मिलते। चौथे और पांचवें वेतन आयोग ने उनको क्रमशः 1200 रुपये और 4000 रुपये वेतनमान देने की संस्तुति की है। यह अति महत्वपूर्ण विषय है। सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जानी चाहिए। एक और विसंगति मैं बताना चाहता हूं। जो गनर हम लोगों के साथ रहते हैं उनको 1500 रुपये भत्ते मिलते हैं मंत्रियों के यहां और मुख्य मंत्री जी आपके यहां जो पुलिस बल है उसको और ज्यादा रुपये मिलते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। इस तरह से पुलिस बल में भेदभाव किया जाता है। यदि इस तरह से भेदभाव की नीति जारी रही तो इससे अनुशासनहीनता बढ़ेगी। इसी आर्थिक कारण से लखनऊ पुलिस लाइन में एक घटना घटी, जिसमें एक जवान ने तीन बच्चों और पत्नी का कत्ल कर दिया। मैंने नोटिस में भी लिखा है। पुलिस लाइन के अन्दर जो घटनाएं हो रही है उसका आर्थिक कारण है। अतः मेरी मांग है कि वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप आरक्षियों को वेतन मिलना चाहिए एवं सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए।

श्री जगदम्बिका पाल–

मा० अधिष्ठाता महोदय, इस संबंध में आप सरकार को स्पष्ट निर्देश दें कि सरकार पांचवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार आरक्षियों को वेतनमान दे। सरकार इस बात को हमेशा कहती है कि उसने पांचवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप कर्मचारियों को वेतन दिया जिसके कारण 2700 करोड़ का बोझ आ गया है। यह कपोल कल्पना है। यह विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है सम्मानित उच्च न्यायालय ने सरकार को इस बात के लिये निर्देशित किया है कि आरक्षियों को उच्च न्यायालय ने चौथे व पांचवें वेतन आयोग की विसंगतियों के लिये सरकार को निर्देशित किया है। इस काम को तो सरकार को स्वयं पूरा करना चाहिए था। यह बातें हम माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लायें यह ठीक नहीं यह तो उनका स्वयं का उत्तरदायित्व है।

पूरे प्रदेश में जिनके ऊपर जानमाल की रक्षा की जिम्मेदारी है उनमें अगर असंतोष पैदा होता है तो उसकी परिणति 73 में देखी जा चुकी है। आप किस कारण वेतन आयोग की संस्तुतियों को उन पर लागू नहीं कर रहे हैं ? इस सरकार ने शिक्षकों, स्वायत्तशासी संस्थाओं के कर्मचारियों के ऊपर आपने वेतन आयोग की सिफ़ारिशें लागू नहीं की उसका ही यह परिणाम है कि वे आज आन्दोलित हैं। यह प्रश्न अत्यन्त लोकमहत्व का और तात्कालिक इसलिये है क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश भी है। हम इस सरकार को आगाह कर रहे हैं। हम इस सरकार का सहयोग कर रहे हैं। चुनाव सम्पन्न कराना हो, जनजीवन की रक्षा का प्रश्न हो, विधायकों की सुरक्षा का प्रश्न हो, कानून व्यवस्था लागू करने का प्रश्न हो, हर मामले में पुलिस बल की आवश्यकता पड़ती है। अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि उनको कोई छुट्टी नहीं मिलती, चाहे शनिवार हो या रविवार। इन आरक्षियों को मार्च का वेतन नहीं मिला है और अप्रैल का वेतन मिल भी पायेगा या नहीं कुछ पता नहीं। इस बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं अपना वक्तव्य दें। मैं चाहता हूं कि इस लोकमहत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अधिष्ठाता जी, श्री मुन्ना चौहान, और जगदम्बिका पाल जी ने विस्तार से अपनी बात रखते हुए इस ज्वलन्त मामले को उठाया है। आरक्षियों को चौथे व पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन न दिया जाना घोर असंतोष का कारण है। कितनी विडम्बना की बात है

कि उसी विभाग के इंस्पेक्टर को और उच्च अधिकारियों को चौथे, पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतनमान दिया जा रहा है और जो आरक्षी हैं उन्हें मात्र 950 रुपये का वेतनमान दिया जा रहा है जबकि 1200 रुपये की संस्तुति और पंचम में 4000 रुपये की संस्तुति की सिफारिश की गयी है। 4000 की जगह 3050 का वेतनमान मिल रहा है। यह विषमता क्यों ? जबकि विभाग भी एक है और कार्य भी एक है। जो छोटे कर्मचारी हैं, आरक्षी हैं जो घूम फिर कर कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने का काम करते हैं, उनके साथ यह घोर अन्याय क्यों हो रहा है। मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस विषमता को दूर करने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है। माननीय उच्च न्यायालय ने 2 मार्च, 2000 को इस मामले में स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस विषमता को दूर किया जाय और पांचवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतन दिया जाना सुनिश्चित किया जाय। परन्तु यह सरकार हाथ पर हाथ रख कर बैठ गयी है और राम के सहारे यह सरकार चल रही है और कानून-व्यवस्था के रखवालों के साथ घोर अन्याय कर रही है। इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर सरकार की ओर से स्पष्ट बात आनी चाहिए ताकि इन छोटे कर्मचारियों में आक्रोश न उभरे और वह आन्दोलन का रूप न ले। ऐसी विषमता से उनमें कुण्ठा भी व्याप्त होगी, क्योंकि पिछली बार इस प्रकार का विद्रोह हो चुका है। इसलिये इस विषय पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायी जाय और जो बातें मैंने उठायी हैं, उनका स्पष्ट जवाब आना चाहिए।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अधिष्ठाता जी, जब आन्तरिक सुरक्षा लड़खड़ाती है तो सीमाओं की सुरक्षा भी लड़खड़ाती है। आन्तरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सिपाही की होती है। जब उसका पेट भूखा होगा, तन पर कपड़े नहीं होंगे, मकान नहीं होगा तो आन्तरिक व्यवस्था डावांडोल हो जायेगी और उसमें करप्शन बढ़ेगा। अब तो माननीय उच्च न्यायालय का भी निर्देश आ गया है कि इसका निस्तारण किया जाय। जब कोई एग्रीव्ड होता है तो वह न्यायालय जाता है। सरकार को निर्दयी नहीं होना चाहिए। इसलिये सदन की शेष कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा करायी जाय। इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर चर्चा कराने का कष्ट करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जवाब देने जा रहे हैं। उसमें एक बात और जोड़ ली जाय। यह जो आरक्षी हैं इनको जो 1500 रुपये के भत्ते के अन्दर सीमाबद्ध कर दिया गया है और इसके बावजूद भी पिछले कई महीनों से इसका भुगतान नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी सोचनीय बात यह है कि उस धनराशि का भी भुगतान नहीं हो रहा है। जो अन्य आरक्षी हैं उनके जैसे इनका भी भत्ता बढ़ाया जाय। जो भत्ते अभी तक दिये जा रहे थे वे जो पिछले कई महीनों से बन्द हैं उनका भी तत्काल भुगतान कराया जाय।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आभार व्यक्त करता हूं सदस्यगणों का जिन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस के अनुशासन की प्रशंसा की। अभी प्रत्येक सदस्य ने अपने भाषण में भी कहा और पुलिस की अनुशासन की प्रशंसा की। आपने भी स्वीकार किया, हम तो बहुत पहले से ही कहते थे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आपके मुख्य मंत्री जी ने ही कहा था कि उद्योगपति यहां उद्योग लगाने के लिये आते हैं लेकिन वापस चले जाते हैं उद्योग लगाये बगैर। यह कहते हैं कि पहले आप अपनी कानून व्यवस्था ठीक कर लीजिये। जिस चीज को माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है फिर आप क्यों उसको इधर-उधर करना चाहते हैं।

श्री हुकुम सिंह–

इधर नहीं उधर ही करना चाहते हैं। आपने स्वयं कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस अनुशासित है। आज राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा की। आपने अनुशासन की प्रशंसा की लेकिन इसके साथ ही 73 का उल्लेख किया, क्या इसका उल्लेख करना जरूरी था कि उस समय क्या हुआ था। कम से कम सेना और पुलिस को हम अपनी सोच से बाहर रखें। उनकी समस्याओं का उल्लेख करें लेकिन भड़काऊ भाषण न दें। प्रदेश और देश के लिये यह उचित नहीं है। जहां तक वेतनमान की बात है। वेतनमान 1-1-86 में पुनरीक्षित हुआ था। प्रश्न प्रहर में भी आपको स्मरण होगा इस तरह के प्रश्न का उत्तर दिया गया था। 86 के वेतनमान में सिद्धान्त यह रखा गया था कि केन्द्र और प्रदेश में उसके समकक्ष जितने भी कर्मचारी/अधिकारी हैं उनका वेतनमान एक हो जाय और उसी सिद्धान्त के अनुसार यह वेतनमान 950-1400 का कान्स्टेबिल के लिये और मुख्य आरक्षी के लिये 975–1640 का दिया गया। यह सबको अधिकार है पुलिस अधिकारी और कर्मचारी को और हम लोगों को भी हम विधायक लोग भी अपनी सुविधा की बात करते हैं तो वे लोग क्यों न करें। उन्होंने भी उसी आधार को लेकर एक ज्ञापन दिया। वेतन समिति की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है उसका परीक्षण चल रहा है। वे उच्च न्यायालय भी गये तो वहां से यह निर्देश हुआ कि 4 महीने का समय देकर प्रमुख सचिव वित्त को ज्ञापन दीजिये वे निस्तारण कर देंगे क्या 4 महीने हो गये। अभी चार महीने हुए नहीं आप इन्तजार करें। अगर चार महीने हो गये होते और निस्तारण न हुआ होता तो एक बात थी।

(व्यवधान)

आपके कथनानुसार 2 मार्च को यह ज्ञापन दिया। आप उसके बाद चार महीने का समय लगा लें कि कब पूरा होगा। अभी समय बाकी है निस्तारण होने का। समिति ने रिपोर्ट दे दी है। उसका परीक्षण हो रहा है। पुलिस बल के अपने दायित्व को देखते हुए ही एक महीने का अतिरिक्त वेतनमान उन्हें दिया गया है और उसमें देने के कारण का भी उल्लेख है।

मान्यवर, उनकी सर्विस कन्डीशन्स ऐसी हैं। गजेटेड छुट्टी हो, शनिवार हो, रविवार हो उनको छुट्टी नहीं मिलती वे ड्यूटी पर रहते हैं। इस संवेदनशील सरकार ने निर्णय लिया और एक माह का अतिरिक्त वेतनमान उन्हें दिया है। मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि यह मामला सरकार के पास निस्तारण हेतु है और हम इस पर निर्णय लेंगे कि क्या करना है। इस मामले को प्रदेश के हित में राजनीतिकरण करने का प्रयास न करें। सरकार अपने दायित्व के प्रति जागरूक है।

श्री मुन्ना चौहान–

श्रीमन्, मैं संतुष्ट हुआ सरकार ने यह स्वीकार किया कि एक विषय सरकार के विचाराधीन है मैं फिर एक बात माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद चौथे पांचवें वेतन आयोग में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के बारे में जो वेतनमान थे उसको यथावत लागू किया गया। कांस्टेबिल के संबंध में जो वेतन आयोग ने संस्तुतियां की होंगी उसमें कारण पाये गये होंगे। जिसकी वजह से पुलिस बल के हैड कांस्टेबिल और कांस्टेबिल को केन्द्र पुलिस बल के वेतनमान से भिन्न सिफारिश की, जबकि दूसरे वर्ग के लिए समतुल्य की गई, उनके राशन, आवश्यक वस्तु भत्ते आदि के बारे में कुछ बताया गया होगा, उसको सरकार विसंगति मानते हुए इसका निस्तारण कब तक कर लेगी और जो वेतनमान दूसरे रैंक के व्यक्तियों के लिये लागू किया गया है वही वेतनमान लागू करेगी।

श्रीमन्, वहीं पुलिस कर्मी हम विधायकों के साथ गनर के रूप में, माननीय मुख्य मंत्री जी की सुरक्षा का काम करते हैं। एक वर्ग को हम अनलिमिटेड एलाउन्सेज दे रहे हैं और दूसरे को कह रहे हैं कि 1500 से ज्यादा नहीं देंगे। चाहे जेब से पांच हजार रुपया खर्चा हो जाए। वह भी 6 माह से

मिला नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री जी हर चीज को राजनीतिक मोड़ न दें। 1973 के बारे में उदाहरण दिया गया था। किस तरह से अनुशासन के नाम पर पुलिस फोर्स को दबाया गया, तमाम विसंगतियां हैं। इस प्रकरण में सरकार द्वारा स्पष्ट घोषणा होनी चाहिए। तब तो चर्चा का औचित्य है अन्यथा चर्चा का कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मुन्ना चौहान जी, जगदम्बिका पाल जी, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी और राम औतार शाक्य जी को सुनने के बाद तथा संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्रास्य करता हूं। दूसरी सूचना प्रदेश के किसानों तथा छोटे उद्यमियों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से कृषि एवं छोटे उद्यमों हेतु लगाये गये ऋण पर ब्याज की दरें कम न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

बाजपेयी जी बाद में बोल लेंगे, पहले हम बोलेंगे।

(इस समय 3 बजकर 10 मिनट पर मा० अधिष्ठाता डा० सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो विषय आज हम लोगों ने दिया है यह महत्वपूर्ण है और प्रदेश के करोड़ों लोगों के जनजीवन से जुड़ा हुआ है। मान्यवर, अभी इसी विधान सभा में माननीय वित्त मंत्री जी ने यह सदन को बताया है कि यह राष्ट्रीयकृत बैंक जो हैं उन्होंने अपनी ब्याज दर घटा दी है। जो जमा पूंजी होती हैं बैंकों में जो ब्याज दिया जाता है उसको घटाने का काम, लगातार, यह मुसलसल प्रक्रिया चल रही है पूरे देश में, प्रदेश में और पूरे अन्तर्राष्ट्रीय जगत में लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि जो प्रदेश सरकार ऋण के रूप में स्वीकार करती है उस ऋण में जो ब्याज दर है वह ब्याज दर 13 प्रतिशत और 14 प्रतिशत होती है और वही बैंकों की भी है जो हमारे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। किसानों को और अन्य को जो आई० आर० डी० का कर्जा दिया जाता है उस पर भी 13 या 14 प्रतिशत है और उसमें चक्रवृद्धि लिया जाता है, अगर समय सीमा में कर्जा नहीं दिया गया। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तरफ ब्याज कम होता जा रहा है और दूसरी तरफ जो सरकारी देय हैं उसमें ब्याज और चक्रवृद्धि दिया गया है। आई० आर० डी० के लोन पर, ज्यादातर, जो लाभार्थी होते हैं वह गरीब किसान हैं उनको पूरा पैसा भी नहीं मिलता है। बिचौलिये खा जाते हैं, बैंकों के कर्मचारी खा जाते हैं लेकिन जो दोहरी सरकार की नीति है इससे करोड़ों लोगों के जनजीवन को सीधा आघात पहुंचा है। मान्यवर, हम चाहेंगे कि सरकार यह घोषणा करे कि ब्याज दर सरकार और जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उसका कम कराया जाय, जो किसानों को आई० आर० डी० का लोन हैं उसमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिया जायेगा।

यह घोषणा मान्यवर, यह आज करें इससे बड़ा और कोई सवाल पूरे प्रदेश में नहीं है। यह अति लोकमहत्व का है, अत्यन्त महत्वपूर्ण और तात्कालिक भी है और पूरे प्रदेश के जनजीवन से जुड़ा हुआ है। वित्त मंत्री जी इसमें घोषणा करें और नियमों को निलम्बित करते हुए इस पर चर्चा करायी जाय।

डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने एक संवेदनशील विषय सदन के संज्ञान में लाने का काम किया है। आज प्रदेश में लखनऊ की राजधानी में जब से यह मुख्य मंत्री जी आहूत हुए हैं, उन्होंने यह संदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश अब होगा उद्योग प्रदेश। यह बात सुनने में अच्छी लगती है लेकिन आचरण में यह प्रतीत होती नहीं दिखायी दे रही है। आज आर्थिक विकास निरन्तर कम होता जा रहा

है, जो सामान्य जीवन स्तर है उसमें सुधार नहीं हो रहा है । जब तक इन चीजों की चिन्ता नहीं होगी तब तक कैसे औद्योगिक विकास होगा । प्रदेश का औद्योगिक विकास कैसे हो । इसमें आवश्यक है कि जो निवेश करने वाले लोग हैं उनको आसान किश्तों में ऋण की सुविधा उपलब्ध हो । आज जो बचत खाता है उसमें ब्याज दर 4 प्रतिशत हो गया है उसमें निरन्तर कमी आती जा रही है । आज बैंकों में पैसा अधिक जमा है । 100 रुपया जमा है तो 30 रुपया ऋण दिया जा रहा है । प्रदेश में धन की कमी नहीं है । जो उद्यमी और किसान आज बैंकों से ऋण लेना चाहते हैं तो उन्हें 16–19 प्रतिशत तक ब्याज देना पड़ता है जिसके चलते आज कोई उद्योगपति ऋण लेने से घबड़ा रहा है और उद्योग नहीं लगाना चाहता है । इसी तरह आज किसान भी खाद, बीज और ट्रैक्टर क्रय करने के लिये ऋण लेता है तो उसे अधिक दरों से ब्याज देना पड़ेगा जिससे उसे खेत और ट्रैक्टर बेचना पड़ सकता है चूंकि कृषि उत्पादन उतना नहीं होता है जितना कि उसे ब्याज देना पड़ेगा । इसलिये प्रदेश में कृषि विकास और औद्योगिक विकास नहीं हो पा रहा है । इसलिये यदि सरकार गम्भीर है तो उसका प्रयास होना चाहिए कि जिस तरह से जमा खातों में ब्याज दरें घटायी जा रही हैं उसी अनुपात में ऋण लेने पर ब्याज की दरें कम होनी चाहिए । लेकिन सरकार इस दिशा में कोई पहल नहीं कर रही है और यदि सरकार इस दिशा में पहल करे तो यहां औद्योगिक क्रान्ति आ सकती है और फिर हमें दूसरों के सामने धन मांगना नहीं पड़ेगा ।

मान्यवर, प्रदेश के बैंकों के पास धन भरा है लेकिन लोग ऋण नहीं ले रहे हैं चूंकि ब्याज दरें अधिक हैं जिससे उद्योगपति यहां उद्योग नहीं लगा रहे हैं और यदि कोई हिम्मत करके उद्योग लगा रहा है तो उसकी यूनिट सिक हो जा रही है और उसकी पूंजी डूब रही है । इसलिये आज इस वित्तीय संकट में सरकार तय करे कि जो आपकी वित्तीय संस्थायें जैसे पिकप, सहकारी बैंक जो आपके हैं उनके अन्दर ब्याज की दरें कम करें जिससे उद्यमी और किसान ऋण लेकर उद्योग लगा सकें जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास होगा । इस प्रकार सरकार को आज निर्णय लेना चाहिए कि वह भारत सरकार से वार्ता करना हो तो वह करे और यदि विधान सभा से प्रस्ताव पारित करना हो तो उसमें सरकार पहल करे जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास होगा । इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर आप चर्चा करा दें ।

श्री अम्बरीष कुमार–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर कुंवर रेवती रमण सिंह ने और डा० अशोक बाजपेयी जी ने अपने-अपने विचार अभी यहां रखे हैं । मान्यवर, आर्थिक उदारीकरण की जो परिभाषा है उसे लो इंट्रेस्ट रिजीम कहते हैं, विकासशील देशों में मान्यता है कि ब्याज की दर कम होने से पूंजी निवेश अधिक होता है जिससे प्रगति की राहें खुलती हैं । मान्यवर, प्रदेश स्तर पर विचार करते हैं तो इस संबंध में हमने एक दिन वित्त मंत्री जी से प्रश्न किया था कि केन्द्र सरकार ने प्राविडेंट फण्ड पर ब्याज की दरें कम किया और बैंकों ने अपने यहां जमा पर ब्याज दरें कम किया तो इस पर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा और पूंजी निवेश पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ? इसलिये डा० बाजपेयी जी ने कार्य-स्थगन प्रस्ताव के जरिये इस प्रश्न को यहां लाना आवश्यक समझा क्योंकि बैंकों में जो बचतों द्वारा जमा है उसकी ब्याज दरें घटा दी गयी हैं लेकिन जो खेती या उद्योग के लिए ऋण लेने हैं उसकी ब्याज दरें कम नहीं हो रही है जिससे लोग बचत करने में हतोत्साहित हो रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि उनके लिए क्या रास्ता होगा कि वह अपना पैसा कहां लगायें ? तो अगर हम ऋण की ब्याज दरों में कमी नहीं करते हैं तो निवेश नहीं बढ़ेगा तो इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है अपितु प्रदेश को हानि होने की ज्यादा संभावनाएं रहती है । जब लोग बचत के रूप में धन जमा नहीं करायेंगे तो निवेश के लिये पूंजी कम उपलब्ध होगी । वित्तीय संस्थाओं की बात मैंने पिछले दिनों अपनी एक सूचना में उठायी थी । मान्यवर, अगर अन्य प्रदेशों की कम्पनियों में पैसा जमा करायेंगे तो इस तरह से

इस प्रदेश का पैसा दूसरे प्रदेशों की तरक्की में सहायक बनेगा। उनकी समृद्धि का एक आधार बनेगा। यह प्रश्न महत्वपूर्ण इसलिए है कि अगर प्रदेश की अल्प बचत योजनाओं या बैंकों में बचत के रूप में जो हम जमा करते हैं उनको हतोत्साहित करने की बात होगी तो फिर अर्थव्यवस्था में तरक्की का कोई रास्ता नहीं रह जाता। अगर हम यह व्यवस्था नहीं करते हैं कि इस प्रदेश का पैसा इसी प्रदेश में लग सके तो उसके दूरगामी परिणाम होंगे। हमारी अर्थव्यवस्था के लिये यह बहुत चिन्तनीय विषय है। इसलिए सारे काम स्थगित करते हुए इस पर चर्चा कराई जाय।

(समय 3 बजकर 20 मिनट)

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, ब्याज की दर जितनी कम होगी उतना ही पैसा लगाने वालों को सुविधा होगी। चिंतन की बात यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंक हों या दूसरी वित्तीय संस्थाएं वह किसी न किसी वित्तीय अनुशासन से चलती हैं। क्या यह सम्भव है कि उत्तर प्रदेश में ब्याज की दर कुछ हो और मध्य प्रदेश में कुछ हो। यह वित्तीय अनुशासन रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित होता है। यू० पी० एफ० सी०, पिकप की बात आई उसको भी कहीं न कहीं से फाइनेन्स होता है, वह उन्हें नाबार्ड से या रिजर्व बैंक से होता है और उनके अनुशासन से चलना होता है। मान्यवर, यह जो प्रश्न है, आइसोलेशन में विचार नहीं हो सकता। एक प्रतिशत की जो कमी हुई अल्पबचत व अन्य योजनाओं में उसमें बार-बार दबाव प्रदेश सरकारों का केन्द्र के ऊपर था कि इसमें कम कीजिए। उसमें उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित था और दूसरे प्रदेश भी सम्मिलित थे। हमारा प्रयास सतत् रहेगा कि केन्द्र सरकार से बात करके, रिजर्व बैंक से बात करके कमी कराई जा सके। केन्द्र में जो हमको फोरम मिलते हैं चाहे वह वित्त मंत्रियों की बैठक हो या मुख्य मंत्रियों की बैठक हो इसके बारे में प्रदेश सरकार सचेत रहती है। मान्यवर, यह कार्य-स्थगन का प्रस्ताव नहीं बनता।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण व माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य पाते हुए निरस्त करता हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, भू-उपयोग परिषद् उत्तर प्रदेश ने सभी सरकारी विभागों को राजस्व विभाग को और सभी गैर सरकारी संस्थाओं को आदेश जारी किये गये हैं कि उत्तर प्रदेश की विशाल आकार और आबादी को देखते हुए आज उसकी खेती की जमीन दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है। इसको घटने न देने के लिये कृषि भूमि का अधिग्रहण अकृषीय प्रयोजनों के लिये नहीं होगा। जब भूमि का नामान्तरण होगा बैनामे के बाद कृषि भूमि अकृषि के लिये खतौनी में नामान्तरित नहीं होगी ऐसा आदेश है। श्रीमन्, इन आदेशों के बावजूद भी कृषि भूमि का अर्जन, राजस्व विभाग अनदेखी कर इन कानूनों का उपहास करके, खेती की भूमि को बड़ी तेजी से अधिग्रहण कर रहा है। पहला काम तो सरकार कर रही है कि जहां जिला मुख्यालय, तहसील मुख्यालय या विकास भवन बनाना है तो सब उसकी खेती की भूमि का अधिग्रहण करते हैं जो 3 फसली की है 2 फसली की है जो बढ़िया से बढ़िया कृषि जमीन है। श्रीमन्, जहां भी आवास विकास की कालोनियां बन रही हैं तो उनकी निगाह खेती की भूमि पर जाती है और यह कानून है कि जब तक तहसील में ऊसर बंजर जमीन उपलब्ध है तब तक खेती की भूमि का अधिग्रहण नहीं करना चाहिए, यह कानून बना हुआ है। लेकिन, यह देखा जा रहा है कि खेती की भूमि का ही अधिग्रहण कर लिया जाता है और ऊसर बंजर की तरफ किसी की निगाह नहीं जाती है। जिसके कारण हमारा कृषि क्षेत्र घटता जा रहा है। आबादी बढ़ रही है खाद्यान्न की समस्या है किस

तरह से उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर रहे और यह जो कानून बना है इसका उपहास रुके यह एक बहुत ही गम्भीर चिन्ता का विषय है ।

श्रीमन्, जब यह योजना बनती है कि जिला मुख्यालय को जमीन लेनी है या किसी कारखाने को जमीन देनी है, गाजियाबाद नोयडा के आस-पास आपने देखा होगा कि हजारों किसानों की जमीन को अनेकों कालोनाइजर्स ने एक्वायर करा कर ले लिया है । आगरा, फिरोजाबाद और आपके जिले में भी कर लिया, कोई माननीय सदस्य ऐसा नहीं है जिनके यहां पर खेती की जमीन का अधिग्रहण राजस्व विभाग ने न किया हो । श्रीमन्, यह जो स्थिति पैदा हो रही है यह जो कानून के साथ मजाक हो रहा है इसको रोका जाना चाहिए । यह कानून बना हुआ है कि जिस जमीन का अधिग्रहण करेंगे चाहे वह सरकारी प्रयोजन की हो या गैर सरकारी उसके (उजाड़े गये) परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देनी होगी लेकिन इस कानून का उल्लंघन हो रहा है । फिरोजाबाद में 305 एकड़ जमीन जिला मुख्यालय के लिये ली गयी और उसमें एक आदमी को भी नौकरी में नहीं लिया गया और मुआवजा भी बहुत कम दिया गया है जबकि कानून है कि बाजारू रेट पर मुआवजा दिया जायेगा । इन कानूनों का परिपालन नहीं हो रहा है इसलिये यह बहुत बड़ा लोकमहत्व का प्रश्न है । एक कानून बना कि नौकरी देनी होगी और कानून बना कि खेती की जमीन का अधिग्रहण नहीं होगा, नामान्तरण नहीं होगा । यह सारे कानूनों के बाद भी खेती की जमीन पर सब कुछ हो रहा है और जब योजना बनाते हैं तो किसान को उसमें समायोजित नहीं करते वह बहुत बड़ी घिनौनी प्रवृत्ति उत्तर प्रदेश में बढ़ती चली जा रही है ।

श्रीमन्, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मैंने कार्यस्थगन के रूप में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसको उठाया है । भू उपयोग परिषद् को या तो खत्म करें या इन कानूनों को खत्म करें, या नौकरी दिलाने की व्यवस्था करें अगर इन कानूनों का पालन नहीं करायेंगे तो उत्तर प्रदेश की खेती स्थिति बदतर हो जायेगी इसमें हर माननीय सदस्य का विचार सदन में आना चाहिए । इस पर गहन मंथन न होकर कि खेती की जमीन को किसी प्रकार से बचाया जाये और कानून की रक्षा कैसे हो । इस सरकार को कृषि भूमि अकृषि परियोजना के लिए देने के लिए हमेशा के लिए रोक दिया जाये और जो सरकार इस कानून को बनाने के बाद अमल न करे तो इससे बड़ी हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है, मेरा निवेदन है कि इस पर चर्चा कराई जाये ।

माननीय संसदीय कार्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि हम आप किसान हैं और किस तरह से खेती की भूमि को बचाया जा सकता है इसके लिए कार्यस्थगन के रूप में, पूरे जिलों से रिपोर्ट मंगा लें, कि किस कानून के बाद कितनी खेती की भूमि ली गयी है उसके बाद जिन अधिकारियों ने इस कानून के रहते यह कुकृत्य किया है उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए । यह बहुत ही गंभीर विषय है इसी गंभीरता को देखते हुए इस पर चर्चा कराने की कृपा करें । जिससे किसानों की जो जमीन बरबाद हो रही है वह रुकेगी, आशा है कि इस पर चर्चा कराने की कृपा करेंगे ।

श्री हुकुम सिंह

मान्यवर, जो विषय माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी ने यहां प्रस्तुत किया है, वह वास्तव में चिन्ता का विषय है । कृषि भूमि का दुरुपयोग नहीं होना चाहिये और अनावश्यक रूप से अधिग्रहण नहीं होना चाहिए । यह सरकार की नीति भी है और इसके लिये नियम भी बनाये गये हैं, नीति भी स्पष्ट है । किसी भी कृषि भूमि का, जब तक नितान्त आवश्यक न हो, अपरिहार्य न हो, उसका अधिग्रहण नहीं किया जायेगा । यदि इस नीति की अनदेखी की गई है, जैसा उल्लेख भी किया गया है कि ऊसर भूमि उपलब्ध थी, खाली भूमि उपलब्ध थी । इस तरह का कोई विषय सामने आयेगा तो निश्चित रूप से सरकार उस पर जांच करायेगी और कार्यवाही भी करायेगी ताकि कृषि भूमि का अनावश्यक रूप से अधिग्रहण न हो । अगर कहीं इस कानून की अवहेलना हुई है तो वहां कार्यवाही करना हमारा दायित्व है

और कार्यवाही की जावेगी । इस समय सामान्य चर्चा बजट पर चल रही है और राजस्व विभाग का अनुदान भी आयेगा, उस पर आगे बात करने का अवसर मिलेगा । इसमें नियम–56 का कोई विषय बनता नहीं है, इसलिये इसको अग्राह्य किया जाय ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैंने उदाहरण दिया, फिरोजाबाद का, वहां 3 फसली जमीन 305 एकड़ का अधिग्रहण हुआ, क्या उस पर कार्यवाही करावेगें ? आगरे के मैं 20 उदाहरण दे सकता हूं । मैं केवल यह आश्वासन चाहता हूं कि इस पर कार्यवाही हो और इस पर आप एक दिन चर्चा करा दें, जिस दिन आप उचित समझें, उस दिन करा दें ताकि सारे अभिलेख आ जायें और शासन की जो मंशा है, उसकी प्रतिपूर्ति हो, यही चाहता हूं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय वर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूं । वह विस्तृत विवरण दे दें, अगर ऐसा आवेगा तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जावेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय रघुवर दयाल वर्मा तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री को इस सूचना पर सुनने के पश्चात् अग्राह्य पाते हुये निरस्त करता हूं । अगली सूचना श्री मुख्तार अंसारी की है, वह अनुपस्थित है, श्री बी०आर०वर्मा भी अनुपस्थित है ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । यह अविलम्बनीय भी है और लोक महत्व का भी है । जिस तरह से बर्बर घटना की गई, जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, उसका कोई सानी नहीं है । क्षेत्रीय जनता की मांग थी कि वहां से अवैध रूप से शराब की जो दुकान लगाई गई है, वह हटाई जाय, इससे ज्यादा निन्दनीय कुछ और नहीं हो सकता । जिन लोगों को इस कांड में चोटें आई हैं, जो घायल हुये हैं, उनको मुआवजा दिया जाय । मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर आग्रह करूंगा कि इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराई जाय और दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाय जिससे भविष्य में ऐसी कोई घटना दुबारा न घट सके । यह किसी एक दल का प्रकरण नहीं है, वहां सर्वदलीय आन्दोलन चल रहा था और मांग सिर्फ इतनी सी थी । मान्यवर, मांग इतनी थी कि जो एक दुकान है शराब की वह एक ऐसी जगह पर स्थित है जिससे महिलाओं का आना-जाना दूभर था, बच्चों का आना-जाना दूभर था । साजिश करके प्रशासन के सहयोग से उसे न हटाने का निर्णय लिया गया। मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि कोशिश तो यह थी कि एक साम्प्रदायिक दंगा भड़काने की, जैसे बनारस में हुआ । पास में एक मन्दिर है, स्कूल है, टेलीफोन एक्सचेंज है । इसमें एक महिला की मृत्यु भी हुई है और कई लोग घायल भी हुए हैं । कुल मिलाकर यह पुलिस की बर्बरता का इससे कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता । मैं आपे माध्यम से चाहूंगा कि इसकी न्यायिक जांच करायी जाये, हाई कोर्ट के एक न्यायाधीश से और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करायी जाये । लेकिन निष्पक्ष जांच के लिए यह जरूरी है कि जो सम्बन्धित पुलिस कर्मी थे उन्हें हटाकर ही निष्पक्ष जांच हो सकती है। मैं चाहूंगा कि इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर इस सदन की कार्यवाई रोककर चर्चा करायी जाय और दोषी पुलिस कर्मियों पर मुकदमा कायम किया जाये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं मांग करता हूं कि जिस प्रकार गोली चलायी गयी, सरकार लिखा-लिखाया उत्तर न दे, स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए आवश्यक कार्यवाई करें । ५

* श्री वसीम अहमद–

मान्यवर, इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाये। मऊ जनपद में जिस प्रकार बर्बरता बरती गयी पुलिस द्वारा, वहां पर बिल्कुल मेन सड़क पर दूर संचार विभाग का कार्यालय है, वही कालेज है, डिग्री कालेज है, सारी की सारी संस्थाएं है। जहां पर रोज हमारे घर की बहू-बेटियां पढ़ने जाया करती हैं और ऐसी जगह पर शराब की दुकान है, उसे हटाने की लिए सभी वर्ग के लोगों ने धरना देने का काम किया कि किसी प्रकार यह शराब की दुकान हटा दी जाये क्योंकि इसकी वजह से वहां पर अवांछनीय तत्व आकर शराब पीते हैं और लड़कियों के साथ कुछ न कुछ दुर्व्यवहार करते हैं। इसलिए ऐसी जगह जो सार्वजनिक जगह है। वहां पर लाठीचार्ज करके मारने का काम किया है। वहां पर लोगों को जबरदस्ती ले जाकर बन्द किया है, वहां की औरतों को बन्द किया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के सवाल पर चर्चा कराने का काम करें और दोषी पुलिस कर्मियों को सजा दिलाने का काम करें, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, एक शराब की दुकान को लेकर जो कार्यक्रम धरने का, चक्का जाम का चलाया गया। वह शराब की दुकान वहां 50 साल से है। कोई ऐसा नहीं है कि दो दिन पहले से या दो वर्ष पहले से हो। वह 50 साल से है। कुछ लोगों ने उसको हटाने की मांग की है। दुकान के हटाने की भी एक प्रक्रिया निर्धारित है, जिसने ठेका ले रखा है, प्रशासन में सारे अधिकार निहित नहीं है कि उसे उठाकर फेंक दें, उसकी प्रक्रिया निर्धारित है। कुछ व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठे थे, जब यह देखा गया कि कुछ लोगों के जीवन को खतरा है तो धरना समाप्त कराने की कार्यवाही की गयी। ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि इसमें जुडीशियल इन्क्वायरी की आवश्यकता हो। साधारण कानून-व्यवस्था का यह मामला था। लोग चक्का जाम करते थे, यातायात ठप करते थे, पुलिस ने आकर चक्का जाम खत्म कराया और इसके अलावा कोई घटना नहीं हुई तो किस लिए जांच कराई जाए। इसको निरस्त किया जाय।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह तो ऐसे कह रहे हैं जैसे यह कोई तफरी की बात हो। इस घटना में एक 65 वर्षीय महिला जिसका नाम श्रीमती सेवलादेवी था उसकी मौत लाठीचार्ज से हुई और 25 घरों के ताले टूटे हैं। यह कह रहे हैं कि 50 वर्षों से दुकान थी। पचास वर्ष पहले वहां पर डिग्री कालेज नहीं था। पुलिस कर्मियों को लाइसेंस मिल गया है कि जिसकी चाहें लाठी मारकर हत्या कर दें। एक राज्य मंत्री के नजदीकी भी इन्हीं घायलों में सम्मिलित हैं। यह एक आन्दोलन था कि वहां से दुकान हटायी जाय। सरकार ने संवेदनशीलता दिखायी होती तो दुकान हटाती। मंत्री जी को जो बयान मिला है वह सत्य से परे हैं और जो नथ्य लिखकर आये हैं वह उन्हीं अधिकारियों ने लिखकर भेजे हैं जो दोषी हैं। हम तो चाहते हैं कि इसकी जांच हो जाय और यदि जांच में कोई दोषी पाया जाय उसे सजा मिले। अगर पता चलता है कि कोई दोषी नहीं है तो वह माननीय हुकुम सिंह जी के साथ चैन करे। मैं चाहता हूं कि इसकी न्यायिक जांच करवायी जाय।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, हत्या हुई या क्या हुआ यह तो जांच के बाद जानकारी मिलेगी। यहां एक महिला मृत अवस्था में अस्पताल लायी गयी। उसका पोस्टमार्टम हुआ जिससे पता चला कि सर पर चोट थी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह चोट लाठीचार्ज से आयी या कहां से आयी यह तो जांच से पता चलेगा । इसलिये मैं मजिस्ट्रेट की जांच करवा देता हूं जो आवश्यकता होगी, उसको देखेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैजिस्ट्रेट की जांच तो होगी ही । एक महिला की हत्या लाठीचार्ज से हुई । आप मान रहे हैं कि सर पर चोट है । तो इस घटना की न्यायिक जांच या उच्चस्तरीय जांच करा दें । सत्य सामने आ जायेगा । हर बार दोषियों को बचाने के लिये खड़े न हों ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने कहा कि मैजिस्ट्रेट की जांच होगी । मैजिस्ट्रेट की जांच भी उच्चस्तरीय जांच होती है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय श्री प्रमोद कुमार जी, माननीय वसीम अहमद और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद, मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, बहुत ही बर्बरतापूर्वक और क्रूरतापूर्वक एक 65 वर्षीय महिला की हत्या हुई है । मान्यवर, आप निर्देश दें कि इस घटना की उच्चस्तरीय जांच की जाय ।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, यह प्रकरण अत्यन्त लोक महत्व का है, तात्कालिक है और अविलम्बनीय भी है । पिछले 15–20 दिनों से पूरे प्रदेश में अग्निकाण्डों की घटनायें जोरों पर हैं । इस प्राकृतिक आपदा में अब तक कई सौ लोगों की जानें जा चुकी हैं तथा करोड़ों रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ है । श्रीमन्, केवल प्रदेश के पूर्वी हिस्से में, पूर्वांचल के जनपदों में पिछले एक पखवाड़े के भीतर सैकड़ों मनुष्यों एवं पशुओं की जानें गयी हैं हजारों मकान जलकर राख में तब्दील हो गये हैं, करोड़ों की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा है । किन्तु उत्तर प्रदेश की सरकार पीड़ित परिवारों को फौरी राहत पहुंचाने के मामले में अब तक पूर्णतया विफल साबित हुई है । उत्तर प्रदेश की सरकार स्वाधीनता के 53 वर्षों के बाद भी इस बात का प्रबन्ध नहीं कर सकी कि कम से कम तहसील मुख्यालयों पर अग्निशमन दस्ते स्थायी रूप से रहें । यदि तहसील मुख्यालयों पर यह इन्तजाम होता तो अग्निकाण्ड में होने वाली क्षति को कम किया जा सकता था । प्रदेश की जनता को आग से भीषण अग्निकाण्डों में जो नुकसान उठाना पड़ा है उसमें कमी की जा सकती थी लेकिन प्रदेश की सरकार ने इसे गम्भीरता से नहीं लिया और इस मामले में संवेदनशील नहीं हुई । मैं आपकी अनुमति से यह कहना चाहता हूं कि आज पीड़ित परिवारों को जो राहत देने की व्यवस्था सरकार ने किया है, शासन द्वारा जो अनुमन्य सहायता है उसमें गृह अनुदान के रूप में मात्र एक हजार रुपये है, अहेतुक सहायता 1500 रुपये और आग में जिन लोगों की मृत्यु होती है उनके परिवारों को 25 से 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि हैं । यह जो सहायता उत्तर प्रदेश की सरकार दे रही है, होने वाली क्षति को देखते हुए यह कुछ भी नहीं है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज इस तात्कालिक प्रश्न पर स्पष्ट निर्देश प्रदेश की सरकार को आप देने की कृपा करें । मान्यवर, पूर्वांचल में सबसे ज्यादा फूस के मकान हैं, झोपड़ियां हैं इसलिये उनमें जब आग लगती है तो पूरा गांव जलकर राख हो जाता है । श्रीमन्, आपके इस आदरणीय पीठ से निर्देश होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस विषय पर संवेदनशील हो और गृह अनुदान के रूप में सरकार जो एक हजार रुपया दे रहे हैं उसके अतिरिक्त पीड़ित व्यक्ति को इन्दिरा आवास भी अग्नि पीड़ितों को जो उत्तर प्रदेश की सरकार सहायता दे रही है 1000 और 1500 रुपये वह भी एकाउण्ट पेयी चेक से दी जा रही

है। उसे लेकर अग्निपीड़ित को कई दिनों तक बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं फिर भी उनका खाता नहीं खुल पा रहा है। प्रदेश की सरकार संवेदनहीन हो गयी है। आज प्रदेश सरकार को यह घोषणा करनी चाहिए कि इस प्राकृतिक आपदा का मुकाबला करने के लिये प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर अग्निशमन दस्तों की स्थापना स्थायी रूप से की जायेगी और जिन लोगों के मकान जले हैं उन्हें इन्दिरा आवास भी दिये जायेंगे। किसी व्यक्ति के जलकर मर जाने से उसके परिवार को जो 25 से 50 हजार रुपये की सहायता दी जाती है उसे बढ़ाकर एक लाख रुपया किया जाय। जो एकाउण्ट पेयी चेक दे रहे हैं उसे या तो बियरर चेक दिया जाये या नकदी दिया जाये। माननीय अधिष्ठाता जी, सम्पूर्ण प्रदेश अग्निकाण्ड की घटनाओं से झुलस रहा है। विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में भीषण अग्निकाण्ड की घटनाएं हुई हैं। यह प्रदेश सरकार लोगों को फौरी राहत देने के मामले में पूरी तरह असफल साबित हुई है। श्रीमन्, इससे बड़ा तात्कालिक और अविलम्बनीय, ज्वलंत सवाल दूसरा नहीं हो सकता इसलिए आपसे निवेदन है कि इस अविलम्बनीय, तात्कालिक प्रश्न पर सदन की कार्यवाही स्थगित करते हुए, तत्काल चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री राधेश्याम जायसवाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। जनपद सीतापुर के थाना रामकोट, ग्राम धरमपुर, ब्लाक खैराबाद में अग्निकांड के कारण किशन पुत्र लोटन, नरेश पुत्र गोकरण तथा प्रीति पुत्री किशन, रेखा पुत्री नरेश बुरी तरह से जल गये। लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से उनको कोई सहायता नहीं दी गई। मैं आपसे मांग करता हूं कि जो मृतक लड़कियां हैं उनके परिवार वालों को आर्थिक सहायता दी जाए और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए तथा इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए।

* श्री विनोद मणि–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। आज उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं के कारण गांव में रहने वाले लोगों के घरों और खलिहानों में अग्नि का तांडव मचा हुआ है। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के चार पांच जिलों गोरखपुर, महराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, पडरौना इन जनपदों में पिछले 15 दिनों से आज तक करोड़ों रुपये की सम्पत्ति जलकर राख हो गई और आज तक उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। फायर ब्रिगेड की व्यवस्था जिला मुख्यालयों पर होती है अगर वहां से 100 कि०मी० दूर आग लग जाती है तो जब तक फायर ब्रिगेड पहुंचती है तब तक सारा सामान जलकर नष्ट हो जाता है। यह सरकार तहसील मुख्यालय पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था नहीं कर पाई। इससे खराब बात और क्या हो सकती है। जिनके घरों में आग लगी या जिनके लोग जलकर मर गये उनको टी० आर० 27 से जो जिला प्रशासन से सहायता मिलती है उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जिलाधिकारी ने टी० आर० 27 से जो पैसा आर्थिक सहायता के रूप में दिया वह चेक स्टेट बैंक ने डिसआनर कर दिया और खराब बात और क्या हो सकती है। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे जनपद में एक महीने के अन्दर अग्निकांड पीड़ित परिवारों को किसी तरह की सहायता नहीं मिली। इससे शर्मनाक बात और नहीं हो सकती। संसदीय कार्य मंत्री अपने जवाब में कुछ भी कहें। जो सहायता देने की व्यवस्था है वह बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें एक झोपड़ी भी पांच हजार रुपये से कम रुपये में नहीं बनती। 1500 रुपये में क्या होगा। इससे ज्यादा अविलम्बनीय और लोक महत्व का दूसरा प्रश्न नहीं हो सकता। यह तत्कालिक भी है मेरी आपसे मांग

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि आप निर्देश दें कि जिन जनपदों में आर्थिक सहायता जिला प्रशासन ने नहीं उपलब्ध करायी है। जिन-जिन जिलों में, जगहों पर जो अग्नि कांड हुए हैं उसमें पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत उपलब्ध कराई जाय और अग्निशामक की व्यवस्था तहसील मुख्यालय पर कराई जाय।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं सबसे पहले माननीय विनोद मणि जी से शुरुवात करता हूं। इनकी सूचना में किसी भी घटना का कोई उल्लेख नहीं है। अगर किसी घटना का उल्लेख होता तो मुझे भी जानकारी हो जाती। अगर आप कहें तो मैं पढ़ कर सुना दूं। "प्रदेश में आज कल तेज हवाओं के कारण गांव में आग लगने से....."

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, मेरे पास भी इनकी सूचना है, इसमें किसी विशेष स्थान की सूचना नहीं है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने जिलाधिकारी महाराजगंज से बात की पर कोई जानकारी नहीं मिल सकी। दूसरी घटना की सूचना माननीय राधेश्याम जायसवाल जी की है। मैं मानता हूं कि एक दुखद घटना हुई है उसमें दो बालिकाओं की मौत हो गई। मैंने भी इसकी जानकारी प्राप्त की है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुरन्त पहुंच गयी थी। लेकिन घटना तो हुई है इसमें कोई संदेह नहीं। हमने जिलाधिकारी से पूरी रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट आने के बाद जो भी हो सकता है हम प्रयास करेंगे। जो सुबाष जी की सूचना है उन्होंने बड़े ओजस्वी भाषण भी दिये। मान्यवर, हर तहसील मुख्यालय पर फायर ब्रिगेड की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। वास्तव में यह व्यवस्था हर तहसील मुख्यालय पर होनी चाहिए, यह मैं मानता हूं। यह आवश्यक भी है। जो स्थिति है साधनों की, धन की उसके तहत यह संभव नहीं है। हां, सीजनल तौर पर एक मार्च से 30 जून तक के लिये 157 तहसील मुख्यालयों पर व्यवस्था की गयी है। कहीं से कोई रिपोर्ट आये जितनी व्यवस्था हो सके की जायेगी। जहां तक मुआवजा देने की बात है बीयरर चेक दे दिये जाने की बात है। यह जो एकाउन्ट पेई चेक दिया जाता है यह पैसे के दुरुपयोग को बचाने के लिये यह व्यवस्था की गयी है। शासन अपने स्तर से पूरा प्रयास करता है कि सबकी पूरी मदद हो सके। सारी बातों पर विचार करना पड़ता है। 19 अप्रैल को एक शासनादेश जारी किया गया है और उसी शासनादेश की व्यवस्था के अनुरूप व्यवस्था की जायगी। मैं चाहता हूं कि इन सूचनाओं को स्थगित किया जाय। सामान्य चर्चा में भी यह सारी बातें हो सकती हैं।

श्री राम ललित चौधरी–

एक हजार रुपये से क्या होता है?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राम ललित जी यह उचित नहीं है। कृपया बैठ जायं।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब आया, हमने सुना। यह प्रश्न तत्कालिक और लोकमहत्व का प्रश्न है, सरकार को धनराशि बढ़ा देनी चाहिए। एक हजार रुपये से क्या होता है?

श्री अधिष्ठाता–

आपकी बात आ गयी। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से दो-तीन बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैंने किसी घटना विशेष का जिक्र नहीं किया लेकिन आग्रह किया कि सरकार

को यह बात स्वीकार करने में क्या परहेज हो सकता है कि जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं जो सबसे ज्यादा अग्निकांडों में प्रभावित होते हैं उन्हें इंदिरा आवास भी न दिये जावं ? जो भूमिहीन गरीब अग्निकाण्ड के विक्टिम शिकार हो रहे हैं जिन्हें प्रदेश सरकार मात्र एक हजार रुपये की जो आप गृह अनुदान दे रहे हैं सरकार को चाहिए कि उन्हें गृह अनुदान के अतिरिक्त इन्दिरा आवास भी उपलब्ध कराये। परन्तु इसके बारे में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। दूसरी बात अग्निकाण्डों में जिन लोगों की मौत हो रही है उनके परिवारों को अनुग्रह धनराशि के रूप में और जिसके लिये आप केवल 25 से 50 हजार रुपये दे रहे हैं, यदि सरकार उनके प्रति संवेदनशील है तो उसे अनुग्रह धनराशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर देना चाहिए। कृपया इन बिन्दुओं पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपना स्पष्टीकरण कम से कम देने का कष्ट करें।

श्री हुकुम सिंह–

जहां तक इंदिरा आवास योजना की बात है, मैं स्वयं भी इससे सहमत हूं परन्तु इसमें कुछ कठिनाइयां हैं। यह केन्द्र सरकार की योजना है, इसके मानक निर्धारित हैं यहां तक कि उसका प्रोसीजर भी निर्धारित है। पहले तो प्रधान स्तर पर और फिर क्षेत्र समिति में उस पर विचार किया जायेगा। हर एक का अपना अधिकार क्षेत्र है। हर चीज शासन स्तर से तय नहीं हो सकती और यह उचित भी नहीं होगा। अग्निकाण्ड जहां होता है, वह उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, आपको भी मालूम है। जब तक कोई प्रस्ताव वहां से हमारे पास नहीं होगा, इस पर कोई बात कहना उचित नहीं होगा। आप इन गुड आफिसेस का इस्तेमाल कीजिये। ये सारे के सारे मामले तो वहीं तय हो जायेंगे। जहां तक 25 हजार से 1 लाख रुपये करने की बात है, वर्तमान वित्तीय संसाधनों को देखते हुए यह सम्भव नहीं है।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, जो 1500 रुपये की राशि है, उसे बढ़ाकर 5 हजार कर दिया जाय।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, 19 अप्रैल, 2000 को एक विस्तृत शासनादेश जारी किया गया है, उसे माननीय सदस्य के पास मैं भिजवा दूंगा, उसका वह अध्ययन कर लें।

श्री विनोद मणि–

यह सरकार संवेदनहीन है। इसलिये मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री विनोद मणि सदन त्याग कर चले गये)

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव–

मान्यवर, मुझे उम्मीद थी कि सरकार इन बातों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। यदि सहायता की धनराशि बढ़ाने में सरकार के समक्ष दिक्कतें आ रही है तो क्रास चेक की जगह बियरर चेक अथवा नकदी देने में सरकार को क्या दिक्कत है ? अग्नि पीड़ितों को फौरी राहत देने में सरकार पूर्णतया विफल साबित रही है। मा० संसदीय कार्य मंत्री जी इन्दिरा आवास देने में प्रदेश सरकार के समक्ष कानूनी बाधायें हैं, जबकि इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है। सरकार का यह रवैया जनविरोधी है, इसलिए मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

जिनके हस्ताक्षर थे, उनको ग्राह्यता पर सुन लिया गया। इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। आप कृपा करके बैठ जाइये।

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय, महत्वपूर्ण विषय है। मिर्जापुर में अग्निकाण्ड हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं। कृपया स्थान ग्रहण करें। मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूं। उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में माननीय विधान सभा के माध्यम से कई माननीय सदस्यों ने अग्नि कांड के कारण, जो जान माल का नुकसान हुआ उसके संबंध में ग्राह्यता पर अपने विचार रखे। संसदीय कार्य मंत्री जी ने आर्थिक कठिनाइयों का उल्लेख किया और यह भी उल्लेख किया, कि किन कारणों से इन्दिरा आवास दे पाना हमारे लिये आसान काम नहीं है। फिर भी जहां अग्नि कांड हुआ है या जहां प्राकृतिक आपदा आई है, वहां निमानुसार शीघ्र ही पीड़ित लोगों को आर्थिक सहयोग प्राप्त हो जाय। यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें। प्रश्नेगत सूचना पर श्री सुरेन्द्र नाथ श्रीवास्तव, श्री विनोद मणि व श्री रामेश्वरम जायसवाल के ग्राह्यता पर सुनने के पश्चात् अग्राह्य पाते हुए निरस्त करता हूं। पांचवीं सूचना बाबू राम जी की है जिस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

*श्री बाबू राम यादव–

माननीय, निवेदन तो सुन लें।

श्री अधिष्ठाता–

वह सुनी नहीं जाती है।

* श्री बाबू राम यादव–

माननीय, आप निवेदन तो सुन लें। 11 तारीख को यह प्रश्न लगा था और माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि आज इन सूचनाओं को स्थगित कर दिया गया है। अगले टर्म में सुन लेंगे। आज सुबह जब वे पीठासीन हुए तो यह कहा था कि जो सूचनाएं उस दिन स्थगित कर दी गई थीं उनको सुन लिया जावेगा। आप अनुमति दें मैं कृपापूर्वक अपनी बात दो मिनट में कह दूं।

श्री अधिष्ठाता–

मेरे संज्ञान में यह लाया गया है कि यह सूचना पहले भी निरस्त हो चुकी है।

श्री बाबू राम यादव–

ऐसा नहीं है। आप उस दिन की कार्यवाही देख लें।

श्री अधिष्ठाता–

श्लाका के अनुसार सुनने का नियम है।

श्री बाबू राम यादव–

वह तो ठीक है। लेकिन उस दिन की कार्यवाही मंगाकर देख लें।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, आपकी बात सुन लें। मैंने मान लिया। मैं श्लाका की बात इसलिये कह रहा था, ताकि उसमें नियमानुसार सुन ली जायें। आप बहुत संक्षेप में ग्राह्यता पर अपने विचार रखें।

श्री बाबू राम यादव–

माननीय, लखनऊ राजधानी पूरी तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति से समाप्त हो रही है। कानून व्यवस्था की स्थिति का हाल यह है कि प्रत्येक दिन सुबह जब अखबार उठाते हैं तो 4-6, 2-4

* अनुवाद ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

हत्याएं पढ़ने को मिलती है। अभी अग्रवाल दम्पति की हत्या हुई, कल ही छपा था, आज भी छपा है। आज एक बहुत बड़े अधिकारी की हत्या हो गई। आये दिन लखनऊ डिस्टर्ब है कोई पुरसा हाल नहीं है। सामान्य जनता को छोड़ दीजिये। अधिकारियों पर हमले हो रहे हैं उनकी हत्या हो रही है। जो दफ्तर में काम करने जाते हैं उन पर हमले होने लगे लेकिन सरकार संज्ञाशून्य हो गई है। एक घटना इसी तरह की 4 तारीख की है। मेडिकल कालेज में रविदेव असिस्टेंट प्रोफेसर है। वहीं के डाक्टर्स ने 10 बजे डिपार्टमेंट में ही उन पर हमला बोला। उनकी टाई पकड़कर उसकी फांसी लगाकर मारने की कोशिश की। उनके गर्दन की पूरी खाल टाई के साथ उखड़ गई। एक पैर टूट गया, हाथ का अंगूठा टूट गया। पीठ की हड्डी टूट गई। चार तारीख के बाद से आज तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मुकदमा 323, 147, 148, 149 कायम है जिन डाक्टरों ने जान से मारने की कोशिश की वह भी वहीं है न तो पुलिस प्रशासन कोई कार्यवाही कर रहा है। इसमें मान्यवर, मुख्य बिन्दु सामने आया है कि जो रविदेव बहुत ईमानदार डाक्टर हैं, बहुत जनप्रिय डाक्टर रहे हैं। यह प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करने दे, इन पर हमला बोल दिया गया, लोग ईमानदारी से काम करें, जनता के प्रति समर्पित होकर कार्य करें तो उन पर हमला बोल दिया जाए, उनके प्रति सरकार भी संवेदनशील नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

ग्राह्यता तक सीमित रखें।

श्री बाबूराम यादव–

जो डाक्टर है वह वहीं है। अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है। उनके क्वाटर खाली नहीं हुए है पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मेडिकल कालेज के जो प्रिन्सिपल हैं उनकी भूमिका सही नहीं है। उनकी भूमिका है कि अच्छे डाक्टरों को हटाया जाये और उनको तंग किया जाये। मैं चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी यह बता दें कि इसमें कार्यवाही होगी या नहीं होगी, यदि कार्यवाही होगी तो कब तक होगी, प्रिन्सिपल की जो भूमिका है प्राइवेट प्रैक्टिस जो डाक्टर नहीं करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो तो इसमें जांच होनी चाहिए। इस प्रकरण पर मैं चर्चा की मांग करता हूं।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, 4 तारीख की यह घटना है। सवा बारह बजे जब डाक्टर मरीजों को देख रहे थे तो उन्होंने खुद रिपोर्ट लिखाई है कि कुछ डाक्टरों ने, नाम लिखे हैं 6-7 डाक्टरों के नाम हैं उन पर 149, 307, 332, 506 का मुकदमा भी कायम किया गया है। डा० आर० के० एस० यादव द्वारा विवेचना की जा रही है इसमें कार्यवाही की जायेगी या नहीं यह कहा गया, तो 82 की कार्यवाही की जा चुकी है प्रिन्सिपल से हास्पिटल की तलाशी की अनुमति मांगी गई है लेकिन अनुमति अभी नहीं मिली है। जब 307 कायम हुआ है, 332 कायम हुआ है, 82 की कार्यवाही हो चुकी है तो कार्यवाही न होने का प्रश्न ही नहीं है। कार्यवाही निश्चित होगी। उनकी तरफ से भी मुकदमा कायम किया गया है कि डराने धमकाने का काम हो रहा है। 506 का मुकदमा कायम हुआ है। दोनों तरफ से डाक्टर हैं। आपने कहा लखनऊ में यह सब हो रहा है। यह मेडिकल कालेज के भीतर का मामला है। एक डाक्टर के साथ पांच-छः डाक्टर मिलकर यह हरकत करते हैं, डाक्टर आम नागरिक से हटकर होता है इसलिए यह स्थिति भिन्न प्रकार की है। डाक्टर से यह अपेक्षा नहीं करते हैं कि वह इस स्तर पर आयेगा कि वह बेरहमी से अपने डाक्टर साथी को पीटेगा, भले ही वह डाक्टर है लेकिन उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

(श्री बाबूराम जी के पुनः खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता–

अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि इसमें थोड़ा सा आपका ध्यान हो जाव । यह बहुत ही अच्छा डाक्टर है, ईमानदार है और मेहनती भी है । तो आपकी तरफ से आश्वासन आ जाय कि इसमें जल्दी कार्यवाही हो जायेगी ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, डाक्टर रवि देव की सुरक्षा का पूरा इन्तजाम किया जायेगा और जिन लोगों ने यह जघन्य अपराध किया है उनके खिलाफ शीघ्र कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अधिष्ठाता–

प्रस्तुत सूचना पर माननीय श्री बाबूराम यादव जी को, संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के उपरान्त मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं । अब मैं आठवीं सूचना जो कि श्री कौकब हमीद, श्री संजय गर्ग तथा अन्य सदस्यों ने दी है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।

* श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, इस पर शासन का ध्यान मत आकृष्ट करें । इसे निरस्त कर दें । हमने बहुत झिंझोड़ा लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ है ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं इसे ग्राह्यता पर नहीं सुन रहा हूं ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, इसे निरस्त कर दें ।

श्री अधिष्ठाता–

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई :– श्री अकबर हुसैन, श्री प्रमोद कुमार, श्री कौकब हमीद, श्री जगदम्बिका पाल, श्री दद्दू प्रसाद, श्री आर० के० सिंह पटेल, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री बी० आर० वर्मा, श्री शिवचरण प्रजापति, श्री राम औतार शाक्य एवं डा० धर्मज्ञ मिश्र की है । अब मैं अगली मद ले रहा हूं ।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा † (क्रमागत)

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

श्रीमन्, आपने इस सरकार के द्वारा जो प्रदेश का बजट प्रस्तुत किया है उसकी सामान्य चर्चा पर भाग लेने के लिये अवसर प्रदान किया इसके लिये मैं आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ यह कहना चाहता हूं कि इस अक्षम और पूरी तरह से दिवालिया सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह दिशाहीन है । इससे इस प्रदेश की जनता को किंचित मात्र भी कहीं कोई लाभ होने वाला नहीं है और विकास की कोसों दूर तक आशा नहीं है ।

श्रीमन्, प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा सरकारी खजाने में जाता है । चाहे वह किसान का हो, चाहे व्यवसायी का हो, चाहे किसी और कार्य में लगे व्यक्ति का हो, वह आशा करता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

† दिनांक 11 अप्रैल, 2000 की कार्यवाही से ।

है कि उसके पैसे का सदुपयोग हो और उसे भी उसका लाभ पहुंचे । लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस सरकार की आर्थिक स्थिति ऐसी हो गयी है कि सरकार जो पैसा वसूलती है और सरकारी खजाने में जो इकट्ठा होता है उससे आम जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है । श्रीमन्, आज से नहीं जब से यह सरकार सत्ता में आयी है, चाहे इसके पहले आयी हो या अब आयी हो, दोनों बार इस सरकार ने आम जनता के लिये कोई कार्य नहीं किया है और इसलिए वह कार्य कर पाने में अक्षम है कि उसके पास पैसा नहीं है । श्रीमन्, आज सारे देश में जो स्थिति है, जो विकास की दर है जो आर्थिक विकास है उसकी तुलना में इस प्रदेश का विकास अवरुद्ध हो चुका है । मैंने पिछले बजट की प्रस्तुति पर, सामान्य चर्चा के दौरान कहा था कि इस सरकार ने जो विकास की दर का जो ढिंढोरा पीटा है, केन्द्र सरकार ने जो 6 प्रतिशत की बात कही है उसे हम अर्जित करेंगे लेकिन विकास दर के बारे में सरकार ने चुप्पी साध रखी है और कोई संकेत नहीं किया है कि विकास की दर क्या होगी । मान्यवर, वर्ष 1998-99 में विकास की दर 2.9 प्रतिशत रही है जो देश के विकास दर के आधे से भी कम है जिससे प्रदेश लगातार पिछड़ता जा रहा है, इसलिये इसमें सुधार की आवश्यकता है । इसलिये मांग किया था कि 1999-2000 में जो बजट प्रस्तुत हुआ है इसमें विकास दर का कोई उल्लेख नहीं है लेकिन संकेत दिया गया है कि विकास दर क्या रहेगी । मान्यवर, 1998-99 में 2.9 प्रतिशत विकास दर थी और वर्ष 1999-2000 में मैंने कहा था कि कम रह जायेगी और वही हुआ । श्रीमन्, पैसा जब नहीं है तो विकास की बात कहना निरर्थक है । मान्यवर, किसान चाहे मंडी शुल्क के नाम पर, चाहे सिंचाई या आबपासी के नाम पर या व्यवसायी जो कर देता है वह इस आशय से देता है कि उसका भी भला हो लेकिन इस सरकार से किसी का भला नहीं होने वाला है ।

मान्यवर, जो बजट प्रस्तुत हुआ है उससे साफ है कि इसका जो वास्तविक घाटा है वह उल्लिखित घाटे से अधिक है । मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब राजकोषीय घाटा 1999-2000 में 12.296.29 करोड़ रुपये रहा है और आज 2000-2001 में 12.392.95 करोड़ रुपये होने की सम्भावना हो गयी है तो फिर यह इतनी बड़ी रकम कहां से इसकी आप व्यवस्था करेंगे और कहां से लाकर इस राजकोषीय घाटे को आप पूरा करेंगे ? जो बजट की रकम आने के लिये दिखायी है जब वह नहीं आयेगी जैसा गत वर्ष में हुआ और वह रकम जिसके नाम दी गयी जब नहीं आयी तो वास्तविक घाटा जो कहा गया है केवल 49.96 करोड़ रुपये के स्थान पर 718.67 करोड़ रुपये हो गया और तब जब केन्द्र सरकार से सहायता मिली जब कहीं घाटा 10 गुना बढ़कर रहा । श्रीमन्, इस वर्ष जो घाटा प्रदर्शित किया गया ।

(इस समय 4 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बालचन्द्र मिश्र पीठासीन हुए)

इसमें जो घाटा प्रदर्शित किया गया है वह पूरी तरह से मैं यह कहूं तो मिथ्या नहीं होगा कि पूरी तरह से काल्पनिक घाटा है और घाटे की राशि इतनी बड़ी है कि जिसका अन्दाजा आम आदमी लगा भी नहीं सकता है और साफ इससे प्रदर्शित होता है कि इससे यह सरकार हर महीने वेतन बांटने में भी अक्षम है तो विकास के कार्य की बात करना असम्भव है, श्रीमन्, हर वर्ष 10 प्रतिवर्ष महंगाई बढ़ जाती है, वेतन भत्ते बढ़ जाते हैं, प्राविडेन्ट फंड का ब्याज बढ़ जाता है तमाम खर्चे बढ़ जाते हैं तो 10 प्रतिशत अगर किसी विभाग में या पूरे बजट में वृद्धि होती है तो यह पैसा किसी भी विकास के काम में नहीं लगेगा । यह सारा का सारा पैसा केवल वेतन और भत्ता और दूसरे कार्यों में जायेगा ही । पैसा भी विकास के कार्यों में नहीं लग सकेगा और इस साल भी वही हाल है । केवल ग्यारह प्वाइंट समथिंग ही पिछले वर्ष के बजट से इस वर्ष का बजट बढ़ा है और सम्पूर्ण बजट 46.215.02 करोड़ रुपये का है । जो बजट भाषण में आपने उल्लेख किया है इस वर्ष का घाटा पिछले घाटे को छोड़ करके 1128.48 करोड़ रहेगा,

श्रीमन्, यह भी गलत है और गलत इसलिये है कि आपने पिछले वर्ष भी जैसा मैंने कहा था कि उस चीज को जरा सा भी ख्याल नहीं रखा गया है, जब हमारे मुख्य मंत्री मुलायम सिंह जी थे उस समय तत्कालीन नेता विरोधी दल माननीय कल्याण सिंह जी थे जब लोक लेखा से बजट के घाटे को पूरा करने के लिये धनराशि प्रदर्शित की गयी तो उस समय उन्होंने कहा था कि यह पैसा सरकार का नहीं है यह पैसा प्रदेश की जनता का है जो कभी भी वह अपना वापिस ले सकती है। लोक लेखा में आता है प्राविडेन्ट फंड का पैसा, लोक लेखा में आता है किसी ठेकेदार की सिक्योरिटी, लोक लेखा में आता है कोई वादकारी न्याय पाने के लिये जो पैसा जमा करता है तो इस तरह का जो पैसा लोक लेखा में जमा है वह कभी भी अपना पैसा वापस ले सकता है और सरकार के पास जब वह पैसा खर्च हो जावेगा और बजटीय घाटे में समायोजित कर देंगे तो पैसा देने में सरकार अक्षम हो जायेगी और श्रीमन्, इसलिये कि आज सारे प्रदेश के कर्मचारियों को प्राविडेण्ट फण्ड से जो पैसा मिलता था वह अघोषित रूप से बंद कर दिया गया है, चाहे विवाह हो, मकान बनाना हो या बीमारी हो, पहले बड़ी आसानी से पैसा लेकर व्यक्ति अपना काम चला लेता था और उसके बाद माहवार किश्त के रूप में जमा कर देता था, वह प्रोविडेण्ट फण्ड का पैसा और दूसरी मदों का पैसा जो लोक लेखा में गत वर्ष 3521.64 करोड़ रुपये लिया गया था। इस साल 3210.41 करोड़ रुपये ले लिया गया, जब इतनी बड़ी रकम को जो करोड़ों की है को वापस कैसे करेंगे ? [illegible] के व्यक्ति मर जावे। किसी की पुत्री की शादी न हो पाये, किसी का मकान गिर गया हो वह न बन पाये इसकी सरकार को चिन्ता नहीं है। एक अघोषित प्रतिबंध जी० पी० एफ० पर लगा रखा है। श्रीमन्, जो वास्तविक स्रोत हैं आय के उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिससे राजकोष में वृद्धि होती। मान्यवर, उन्नाव–रायबरेली रोड है सन् 1980 में 18 एकड़ काश्तकारों की जमीन अधिकृत की गयी। श्रमिक बस्ती बनाने के नाम पर। लेकिन अभी तक उस श्रमिक बस्ती नहीं बनी। एक नियम है कि अगर जिस उद्देश्य के लिये जो जमीन ली गयी है वह कार्य नहीं होता है तो किसानों से वह पैसा लेकर उनको वह जमीन दे दी जावेगी। अभी दो महीने पहले की बात है, जमीन एक व्यक्ति विशेष को केवल नामिनल रेट पर करीब 108 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से दी गयी जबकि विकास प्राधिकरण का रेट 1800 रुपये है। इस तरह से लगभग 6 करोड़ का लाभ पहुंचाया गया और वह व्यक्ति अब उसे 1000 रुपये से ऊपर की दर पर बेचने की तैयारी कर रहा है। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी इस ओर ध्यान दें। इस तरह की और भी बहुत सी जमीनें हैं, जो औने-पौने दामों में अपने चहेतों को देकर अधिकारी सरकार का नुकसान कर रहे हैं। मैं आपके सामने एक और उदाहरण रखूंगा। ज्यादा उदाहरणों से चर्चा बहुत लम्बी हो जावेगी, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। हल्द्वानी में गोला नदी बहती है, वहां रेता-बजरी का ठेका हुआ और दिसम्बर, 99 से मार्च, 2000 तक 4 माह का ठेका वन निगम को 6 करोड़ 50 लाख का दिया गया, जिसमें रायल्टी 290 रुपये वन निगम ने दी, इस तरह सरकार को काफी फायदा पहुंचा। उसके बाद यह ठेका एक ठेकेदार को दे दिया गया, उस ठेकेदार ने अप्रैल, मई, जून, 2000 का यह ठेका 2 करोड़ 35 लाख में लिया और रायल्टी 290 से बढ़ाकर 720 रुपये रख दी। यह ठेका एक प्राइवेट ठेकेदार को क्यों दिया गया, निश्चित तौर से कहीं कोई बात जरूर रही होगी, इसी कारण औने-पौने दामों में दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाने का काम किया गया। वन निगम जब काम करता था, उसमें बहुत से कर्मचारी काम करते थे, बहुत से लोगों को रोजी-रोटी मिलती थी, सरकार का यह एक उपक्रम था, कुछ अंकुश भी रहता था। यह प्राइवेट ठेकेदार रायल्टी तो तीन गुना ले रहा है और सरकार को पैसा एक तिहाई दे रहा है, इसके बाद जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनका भी शोषण कर रहा है। यदि प्रभावित होकर इस प्रकार ठेका न दिया गया होता तो निश्चित रूप से सरकार की आय बढ़ती। यदि औने-पौने दामों में बेचा न जाता तो भी सरकार की आय बढ़ती। इसी प्रकार बुन्देलखण्ड में, गंगा का रेता, चंबल का रेता अथवा बुन्देलखण्ड के जो पहाड़ हैं, उनके ठेके की बात हो, ठेकेदार ठेका ले लेते हैं, औने-पौने दामों में और सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे वह अधिकारी हों, चाहे वह मंत्री हों, वह दिलवा देते हैं और

दिलवाने के बाद ठेकेदार तो अरबपति हो जाता है, क्योंकि वहां बहुत अच्छा पत्थर निकालता है। जब सरकार उसी खनन को करती है घाटा पड़ता है। खनिज निगम आज घाटे में है। यह बड़े दुख की बात है कि खनिज निगम घाटे में है, जबकि उसे फायदे में होना चाहिए। अगर अनियमितताओं पर अंकुश लगाया जाय, व्यवस्था ठीक हो तो निश्चित तौर से सरकार के राजकोष में बढ़ोत्तरी हो सकती है और घाटे में कमी हो सकती है और सरकार के पास, एक बहुत बड़ी राशि इस प्रदेश के विकास के लिये इकट्ठी हो सकती है। श्रीमन्, कुछ और सुझाव देना चाहता हूं कि कैसे, किस तरह से इस प्रदेश की आय बढ़े। श्रीमन्, प्रदेश से निर्यात के लिये चाहे गेहूं हो, चावल हो चाहे और चीजें हों, छूट दी जाये। उन पर प्रतिबन्ध हटा लेना चाहिए। यदि प्रतिबन्ध हट जायेगा तो दूसरे प्रदेशों में अच्छा पैसा भी मिलेगा।

आलू की बर्बादी हो गयी और आलू किसान मिट गया। सरकार ने मूल्य तो निर्धारित कर दिया 580 रुपया लेकिन यह सवा 5 रुपये में बिक रहा है वह बिक इसलिये रहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। प्राइवेट लोग जो हैं, व्यापारी हैं वह गेहूं को औने-पौने दाम में खरीद रहे हैं किसान उन्हें बेचने को मजबूर है, वजह है, शादी है, और तमाम परेशानियां हैं, लेन-देन भी करना है तो उसके पास तो मजबूरी है। यह सरकार नहीं सोच रही है लेकिन सरकार के दिमाग में जरा सी भी बात नहीं है। सरकार क्यों नहीं कहती कि हमारे पास पैसा नहीं है। राइस मिलर्स जो हैं उनका 150 करोड़ रुपया बकाया है सरकार पर। चावल ले लिया और चावल लेने के बाद अब चेक नहीं बन रहा। पैसा न होने से चेक नहीं बन रहा। जो राइस मिलर्स हैं वह पैसे के लिये परेशान हैं। 10-10 दिन, 15-15 दिन तक ट्रक, ठेला खड़े रहते हैं। इस साल राइस मिलर्स का जितना नुकसान हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। सरकार के पास पैसा नहीं है कभी कह देते हैं कि इसमें परसेन्ट से ज्यादा डिसकलर हैं, इस तरह से तमाम आब्जेक्शन लगाते हैं और खरीदते नहीं हैं। यदि खरीद लिया तो पैसा नहीं है। यदि प्रोत्साहन मिला होता काश्तकार को, प्रोत्साहन मिला होता व्यवसायी को तो नये व्यवसाय भी लगते और किसान भी खेती में दिलचस्पी लेता। आज जब प्रदेश में दलहन के लिये हम दूसरे प्रदेशों से हाथ फैलाते हैं, हम तिलहन के लिये दूसरे प्रदेशों से देशों से तेल मांगते हैं और भी जरूरत की आवश्यक वस्तुएं हम दूसरे देशों से और दूसरे प्रदेशों से लेते हैं तो मान्यवर, यह प्रदेश जो खनिज सम्पदा में भी पूरा प्रदेश भरा-पूरा है, जिसकी जमीन बहुत उपजाऊ है, जिसके श्रमिक बहुत कुशल हैं लेकिन किसी का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है, अगर सदुपयोग किया गया होता तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है सारे देश में, नागालैण्ड ऐसा प्रदेश रह गया है जिसकी औसत आमदनी में अब आप आगे हैं। बिहार भी हमारे प्रदेश से आगे हो गया है। बिहार की औसत आमदनी भी हमारे प्रदेश की औसत आमदनी से आगे है। अब कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं रह गया है, नागालैण्ड को छोड़कर, जबकि आजादी के समय और 1953 तक इस प्रदेश की औसत आमदनी जो थी वह देश के अन्य प्रदेशों से लगभग बराबर थी। किसी से पीछे नहीं थी। लेकिन आज चाहे पीछे की सरकार कांग्रेस की रही हो या चाहे आपकी सरकार हो, हमारी सरकार जरूर थी उस समय पैसे की कोई किल्लत नहीं थी। कक्षा 12 तक की फीस भी माफ कर दी थी और बुजुर्गों, विकलांगों को पेंशन भी दी थी। सारे के सारे काम किये लेकिन पैसे की किल्लत नहीं हुई। लेकिन यह सरकार हर क्षेत्र में कटौती कर रही है। मान्यवर, मैं अब एक-एक करके विभागों के बारे में संक्षेप में चर्चा करूंगा जिससे प्रदेश की जनता को जानकारी हो सके कि किस तरह से प्रदेश की सरकार उसके पैसे का दुरुपयोग कर रही है। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी बैठे हुए हैं, उन्हीं के विभाग से मैं चर्चा शुरू करूंगा। ज्यादातर मंत्री गायब हैं। आपने गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कही जो आपने बात कही वह पूरी नहीं है। आपका जो बजट है उसको देख लें पिछले साल का जो बजट था उसकी अपेक्षा इस साल के बजट में केवल 7 फीसदी बढ़ोत्तरी हुई है। आप स्वयं सोच लें कि इससे किसी तरीके से विकास नहीं होने वाला है और न नयी सड़कें बनने वाली है और न पुरानी सड़कों की मरम्मत होने वाली है। आप हल्द्वानी की सड़क को देख लीजिये। वह

एक राजमार्ग है । जहां पहले मेला लगा था पूर्णागिरि, में एक कार्यक्रम में जाना पड़ा, वहां सड़क बहुत खराब थी ।

एक आवाज–

ठीक हो गयी है ।

श्री धनीराम वर्मा–

अब ठीक हो गयी है तो बड़ी कृपा है, बहुत अच्छा है । मैं बताना चाहता हूं कि आपने औरैया जनपद को 80 लाख रुपया दिया । औरैया तहसील को पूरा पैसा दिया गया और मेरी तहसील विधूना को एक नया पैसा नहीं दिया गया । हालत यह है कि वहां पर सड़क पर बस चलनी बंद हो गयी है । तहसील को जोड़ने वाली सड़कों पर साइकिल से जाना मुश्किल है । आपके विधायक औरैया क्षेत्र के हैं ,वहां पर आपने 80 लाख दिया लेकिन हमारे क्षेत्र को एक नया पैसा नहीं दिया तो इस तरह का असंतुलन नहीं होना चाहिए । हमारे क्षेत्र की जनता भी प्रदेश के राजस्व में पैसा देती है । यह भेदभाव क्यों हो रहा है । हो सकता है कि आपको इसकी जानकारी न हो और आपके अधिकारी वहां के कुछ लोगों को खुश करने के लिये ऐसा कर रहे हों । मैं यह बात सदन में इसलिये कह रहा हूं कि मंत्री जी जान लें और पूरा सदन जान ले कि किस तरह से भेदभाव का बर्ताव किया जाता है और श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब रोड टैक्स, ट्रक वाले, बस वाले और आम जनता देती है तो अगर आप नई सड़कें न बनायें तो जो पुरानी सड़कें बनी हैं उनकी मरम्मत करा दें । जब हमारी सरकार थी तो एक सड़क हमने औरैया–कन्नौज रोड पर बनवायी थी उसका ज्यादा हिस्सा औरैया निर्वाचन क्षेत्र में है उस सड़क को बनवा दिया था क्योंकि पहले मैं औरैया से चुनाव लड़ चुका हूं । पता लगवा लीजियेगा सड़क के किनारे सनी हुई गिट्टी पड़ी हुई है लेकिन उसको डाला नहीं गया । उसको इसलिये नहीं डाला गया क्योंकि उनसे मना कर दिया गया । पी० डब्लू० डी० के लोगों ने डालना शुरू किया तो रोक लगा दी गयी कि सड़क पर नहीं पड़ेगी । कम से कम उसका सदुपयोग हो जाये । ऐसी जगह जरूर आप दिखवा लीजियेगा । जहां गिट्टी उखड़ गयी है उसे भी दिखवा लीजिये और ठीक करवाइये । अगर मैं अपने क्षेत्र की बात कहूंगा तो वह एक क्षेत्र विशेष की बात हो जायेगी । मैं सारे प्रदेश की बात कह रहा हूं । जहां आप कम पैसों में मरम्मत करवा सकते हैं वहां उसकी मरम्मत करवा लीजिए । नहरों पर जो पी० डब्लू० डी० की सड़कें बनी हैं उसकी मरम्मत हो जानी चाहिए क्योंकि कुलावे के इस तरफ और उस तरफ सड़कें कट गयी हैं जिससे एक्सीडेंट होते हैं । इधर पानी, उधर खन्दक । इससे एक्सीडेंट होते हैं, कई जगह हो चुकी हैं । ऐसी सड़कों की मरम्मत पहले हो जानी चाहिए दूसरी सड़कों की मरम्मत उसके बाद भी हो तो कोई खास बात नहीं है ।

इसी तरीके से स्वास्थ्य विभाग की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस वर्ष स्वास्थ्य विभाग के लिये 1% एलोपैथी में बढ़ोत्तरी हुई है, यूनानी में 0% और होम्योपैथी में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है । 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी कोई मायने इसलिये नहीं रखती है कि क्योंकि उससे न तो दवायें क्रय हो सकती हैं, न अस्पतालों की बिल्डिंग बन सकती है । जहां तक अस्पतालों की बिल्डिंग के बारे में प्रश्न है, वह अधिकतर जर्जर हो चुकी हैं और जो अस्पताल भवनहीन हैं उनकी हालत तो यह है कि न वहां दवा है, न मरीज जाते हैं, अनावश्यक तरीके से कुछ डाक्टर हैं और दूसरे कर्मी हैं वह पैसा लेते हैं । मेरा कहना है कि भवन बनाये जाने के लिये व्यवस्था कीजिए और दवायें कम से कम इतनी हों कि रुई और पट्टी तो मिल जायं । रुई और पट्टी अगर नहीं मिलती है तो अस्पताल खोलने का मतलब ही नहीं है ।

अब नगर विकास को ले लीजिए । नगर विकास में इस साल 2 प्रतिशत पैसे की बढ़ोत्तरी हुई है । जब दो प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है तो इसका सीधे-सीधे मतलब है कि पिछली जो योजनायें होंगी उसमें 8 प्रतिशत की कटौती हो जायेगी । क्योंकि महंगाई बढ़ जायेगी । ऐसी स्थिति में सारी की सारी

घोषणायें खटाई में पड़ जायेंगी । वहीं खुले हुए मेनहोल, टूटी हुई सड़कें, टूटे हुए नल होंगे । प्रदूषण सारे नगरों में है । प्रदूषण इसलिये बढ़ रहा है कि नगर के विकास के लिये पैसा नहीं है । कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, रोज उसे उठाया नहीं जा सकता क्योंकि इतनी गाड़ियां नहीं हैं । चाहे लखनऊ हो, कानपुर हो या अन्य कनाल टाउन्स हों या छोटे शहर हों.....। तो फिर गंदगी फैलाना स्वाभाविक है । नदियों में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है । ऐसी कोई योजना नहीं बना रहे हैं जिससे शहरों का गंदा पानी नदियों में न जाए । यह सरकार जो बड़े धार्मिक होने का ढिढोंरा पीटती है उसको बिठूर के बारे में बताना चाहता हूं । वहां पर जहां नहाने के लिये सीढ़ियां बनी हैं, जहां घाट है वहीं पर नाले का गंदा पानी आता है उसी जगह नहाना पड़ता है इससे दुखद बात और क्या हो सकती है । अगर हमारी बात मिथ्या हो तो हम क्षमा मांग लेंगे नहीं तो सरकार कम से कम यह तो कह दे कि यह बात सही है । इन छोटी-छोटी बातों से ही प्रदूषण बढ़ रहा है, इससे महामारियां शहरों में फैल रही हैं । इन सारी बातों के लिये बजट में कोई प्राविधान नहीं है तो फिर यह गंदगी कौन रोकेगा । कैसे मेन होल बन्द होंगे, कैसे टूटी फूटी सड़क दुरुस्त होगी । कैसे पाइप लाइन ठीक होगा । कैसे सीवर का पानी नदियों में जाने से रोका जा सकेगा । पशुपालन में इस वर्ष कोई पैसे का प्राविधान नहीं किया गया है । इस प्रदेश में पशुओं के लगभग 1700 अस्पताल हैं जिसमें से 500 अस्पतालों में डाक्टर नहीं हैं, 600 अस्पताल भवन विहीन हैं। अस्पतालों में पंजीकरण शुल्क पहले एक रुपया था उसको बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया। गाय, बैल, भैंस पर 10 रुपये और बकरी पर 50 पैसे की जगह पांच रुपये कर दिये गये । यह देश में सारी दुनिया के लगभग 1/5 पशु पाये जाते हैं अगर पशुपालन को तरजीह दें तभी इस देश और प्रदेश को लाभ पहुंचा सकते हैं । छोटे-छोटे देश स्विटजरलैंड, डेनमार्क और आस्ट्रेलिया हैं वहां पशुपालन को काफी तरजीह दी गई वहां दूध दूसरे देशों को जाता है । सिंगापुर में और दूसरे देशों में जहां पशु नहीं हैं आस्ट्रेलिया से रोज ताजा दूध आता है । हमारा देश जो कृषि प्रधान देश है और 1/5 पशु दुनिया के पाये जाते हैं और उत्तर प्रदेश का हिस्सा इसमें और ज्यादा है अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो काफी आय बढ़ेगी और दूध और दूध की वस्तुओं के लिये दूसरे से हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा । सरकार को कृषि और पशुपालन पर सबसे ज्यादा ध्यान देकर पैदावार को बढ़ाना चाहिए । इससे निश्चित रूप से प्रदेश की आमदनी बढ़ेगी । इससे प्रदेश की औसत आय बढ़ेगी । जब तक औसत आय नहीं बढ़ेगी तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है । खेती की पैदावार बढ़ाना आवश्यक है । अगर पैदावार नहीं बढ़ेगी तो बहुत से लोग बेरोजगार होंगे जैसे अभी हैं । 40 प्रतिशत से ज्यादा लोगों की हालत और खराब होगी । आज 75 प्रतिशत लोग खेती पर हैं और आज से 4–6 साल पहले खेती पर लगे लोगों की संख्या 70 थी । कनाडा में 37 प्रतिशत, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में 11 प्रतिशत और दूसरे देशों में खेती के धन्धों में लगे हुए हैं लोग और वे देश विकसित हैं । हमारा देश विकासशील है । हमारी आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब हो गयी है । केन्द्र के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है । वैसे केन्द्र सरकार का उत्तर प्रदेश के साथ हमेशा से सौतेला व्यवहार रहा है । हमें आवश्यकतानुसार पर्याप्त सहायता नहीं दी जाती है । परन्तु आज तो यहां और केन्द्र दोनों जगह भाजपा की सरकार है अब तो अधिक से अधिक सहायता मिलनी चाहिए जिससे हमारा प्रदेश प्रगति कर सके । दुनिया के वही देश विकसित होते हैं जहां शिक्षा 100 प्रतिशत हो । चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, जापान हो, फ्रांस हो, इंग्लैण्ड हो, जर्मनी हो वहां आबादी 100 प्रतिशत पढ़ी है । वहां स्त्री पुरुष दोनों कोई न कोई धन्धा करते हैं । आजादी के समय हमारे देश का साक्षरता प्रतिशत 14 था और आज 53 सालों के बाद प्रदेश की 52 प्रतिशत और देश की 42 प्रतिशत आबादी साक्षर है । अभी हमें करीब 100 वर्ष से ज्यादा पूर्ण साक्षर होने में लगेंगे यदि इसी रफ्तार से चलते रहे तो । वह भी सिर्फ साक्षर होंगे, दूसरे देशों के लोग इतना पढ़े होते हैं कि कोई बिजनेस या नौकरी कर लेते हैं । हमारे यहां बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपनी बुद्धि से, अपनी शिक्षा से, अपने पैरों पर खड़े हो सकें हैं । इस सरकार ने शिक्षा को पूरी तरह से कमजोर बना रखा है । आप देखेंगे कि प्राथमिक शिक्षा के लिए सिर्फ 03 प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षा में –9 प्रतिशत, उच्च शिक्षा

में –25 प्रतिशत, यानी ऋणात्मक में इस बजट में प्राविधान किया गया है तो फिर देश और प्रदेश की प्रगति का जो ढिंढोरा पीटा जा रहा है वह पूरी तरह से खोखला है। जो अध्यापक प्राइमरी विद्यालय में स्वर्गवासी हो रहे हैं या फिर रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह नयी नियुक्ति तो दूर एक प्राविधान कर रखा है कि नई भर्ती नहीं होगी। अरे कम से कम जो टीचर्स रिटायर हो गये हैं उनकी जगह तो भरी जाय, आप नई भर्ती न करें पुरानी भर्ती तो जारी रखें। उनकी जगह पढ़ाने वाले अध्यापक कहां से आयेंगे। जैसे माध्यमिक विद्यालय हैं, हाईस्कूल या इण्टरमीडिएट है उनमें गणित, साइंस या टेक्निकल विषय का अध्यापक अवकाश प्राप्त हो जाता है तो उनकी जगह आर्टस साइड का टीचर प्रमोट हो जाता है, वह साइंस क्या पढ़ायेगा। यह तो छात्रों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नकल अध्यादेश लागू है। नकल होने से शिक्षा में गिरावट आती है। नकल देश के लिए कलंक है.....। बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की भी व्यवस्था होनी चाहिए परन्तु वह है नहीं। डिग्री कालेजेज में आपने 4 हजार व 5 हजार के मासिक वेतन पर अपने टेम्पेरी बेसिस पर अध्यापक रखे थे। अभी इधर आपने कुछ भर्तियां कीं परन्तु उन अध्यापकों को इसमें समायोजित नहीं किया। जिनका आपने सेलेक्शन किया और जिन्होंने पढ़ाया भी, क्या वह इतनी जल्दी मूर्ख हो गये। शायद हो सकता है आप अपने दल के लोगों को रखना चाहते हों। यदि दलगत राजनीति से प्रेरित होकर आप शिक्षा के साथ काम करेंगे तो आप शिक्षा के साथ खिलवाड़ करेंगे। एक निश्चय किया गया था कि जो असहायिक माध्यमिक तथा हाईस्कूल हैं उन्हें ग्रान्ट सूची में लाया जायेगा, 72 स्कूल रह गये हैं परन्तु विगत दो साल से किसी भी विद्यालय को ग्रान्ट लिस्ट में नहीं लिया गया है। आपने कह दिया कि पूर्व की स्थिति रहेगी। हम बचत करेंगे। पद के सृजन में आप बचत करेंगे, ग्रान्ट सूची में आप बचत करेंगे, शिक्षा जो प्रगति की कुंजी है, उसके साथ आप ऐसा करके खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रदेश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। समाज कल्याण विभाग की ओर आना चाहता हूं। जन जाति के लिये 9 परसेन्ट की व्यवस्था है, पिछले साल से 9 परसेन्ट कम है तो इससे अनुसूचित जाति तथा जन जाति को क्या फायदा मिलेगा जबकि 10 परसेन्ट महंगाई बढ़ गयी है। विधवाओं और विकलांगों को पेंशन की बात है, इसे आपने 0.1 परसेन्ट कर दिया जबकि महंगाई बढ़ गई 10 परसेन्ट। निश्चित रूप से विधवाओं, विकलांगों और वृद्धाओं को इसी वजह से पेंशन नहीं मिल पा रही है। कई माननीय सदस्य इससे विज्ञ भी होंगे कि उनके क्षेत्र में यह पेंशन नहीं मिल पा रही है और उनकी जांच यह करवा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग गलत पेंशन नहीं ले रहे हैं। जो विधवा हैं 60, 40, 25 साल की हैं, निराश्रित हैं जिन्हें पेंशन मिलनी चाहिए उन्हें पेंशन मिले। बहुत सी महिलाएं और वृद्ध ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिये खाना नहीं है, तन पर कपड़े नहीं हैं कहते हैं कि हमारी पेंशन बन्द कर दी गयी हैं। यह तो आपने स्पष्ट कर दिया कि पेंशन आप कम देंगे। आम जनता जानती है कि आप पेंशन दे रहे हैं। मैं यहां पर उजागर कर दूं बजट में प्राविधान है कि नई पेंशन बढ़ायें। पुराने पेंशनधारियों को पेंशन मिलना सम्भव नहीं हो पा रहा है। इसी तरह से सिंचाई विभाग में आपने 25 प्रतिशत की कटौती कर दी। 25 प्रतिशत की कटौती जब आपने कर दी तो इस प्रदेश के किसानों का भला होने वाला कहां है? यह सही है कि नहरों की पटरियों की तो आप मरम्मत करवाते नहीं हैं, कटान होता है जिससे खेत में खड़ी फसल बह जाती है। इस तरह से आप किसान का भला तो कर नहीं रहे हैं उसका उत्पीड़न अवश्य कर रहे हैं। किसान की सहायता का कोई काम नहीं है। सिंचाई में 25 प्रतिशत की कटौती कर दी है। हमने पीछे चिन्ता व्यक्त की थी कि आप दूना सिंचाई वसूली करने जा रहे हैं। आपने कह तो दिया कि ऐसा नहीं है। लेकिन जब 25 प्रतिशत की कटौती कर रहे हैं तो पैसा कहां से आयेगा। निश्चित तरीके से जो आप सिंचाई शुल्क दो गुना करने जा रहे हैं वह करना पड़ेगा जो बजट कर हीन पेश कर रखा है उसकी पोल खुल जायेगी। स्टैम्प ड्यूटी बढ़ा दी उसकी घोषणा हो गयी। उसके बाद सिंचाई पर यह कटौती की और सिंचाई की वसूली दो गुनी कर रहे हैं। मोटर कार पर भी बढ़ा रहे हैं। हम मानते हैं कि पैसे वालों के लिये बढ़ा दीजिये। आज किसी कैनाल की सफाई आप नहीं कर पा रहे हैं। टेल तक

पानी पहुंचाने की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि अगर टेल तक पानी नहीं पहुंचेगा तो सिंचाई को मुफ्त कर देंगे। जो कमाण्ड एरिया पहले से घोषित कर रखा है लेकिन वहां पर टेल तक पानी नहीं पहुंचता है। लोग कहते हैं कि सिंचाई नहीं होती है उसके बाद भी सिंचाई का पैसा लगता है। आप एक परीक्षण करवा लें। हरसन्दपुर रजवाहा तहसील भटना और विधूना में बहती है 10-12 किलोमीटर तक पानी तो दूर जानवरों के पीने के लिये पानी नहीं पहुंचता है। बिकुपुर माइनर है उसमें कभी पानी नहीं आता। इसी तरह से कुर्सी माइनर है। सिंचाई कहीं नहीं होती है लेकिन लगती सब पर है। जब मैंने इसको यहां उठाया कई बार तक एक वर्ष के लिये माफ कर दिया था लेकिन अब फिर लेना शुरू कर दिया है। इस तरह से किसानों का शोषण हो रहा है। किसान तो वैसे भी दैवी आपदा से प्रभावित रहता है कभी पानी बरसता है कभी नहीं बरसता है, कभी ओले से इस तरह से परेशान रहता है उसको आप और परेशान करने की बात कर रहे हैं। सिंचाई की सही व्यवस्था नहीं होगी तो प्रदेश और पीछे की ओर जायेगा। आज 56-57 परसेन्ट ट्यूबवेल खराब पड़े हैं। हर विधायक अपने-अपने क्षेत्र में पता कर लें। हर क्षेत्र में आधे से ज्यादा ट्यूबवेल खराब पड़े हैं चाहे वह विद्युत की खराबी से चाहे वह अन्य टेक्निकल खराबी से लेकिन बेकार पड़े हैं। जब ट्यूबवेल खराब पड़े हैं सिंचाई के लिये पानी नहीं है तो फिर पैदावार कहां से बढ़ेगी ? .....जिसकी आशा करते हैं कि पैदावार बढ़ायेंगे, पैदावार नहीं बढ़ेगी तो प्रदेश खुशहाल कैसे होगा, फिर तो देश जो और देशों से लेता आया है लेता रहेगा। हमारे प्रदेश में गन्ना, जब आजादी हमको मिली तो सारे देश के गन्ने में 56 प्रतिशत गन्ना हमारे प्रदेश में पैदा होता था बीच में प्रतिशत गिर गया था 46 हो गया था लेकिन अब फिर 56 परसेन्ट हो गया। गन्ना किसानों का जो बढ़ा है वह इतना ज्यादा बढ़ गया है कि उससे भी किसान परेशान है। 31 सहकारी चीनी मिलें चल रही हैं। उसमें अभी पांच-छः महीने में डेढ़ अरब का घाटा हो चुका है। प्राइवेट मिलें अपने क्षेत्र का गन्ना पेर चुकी हैं। दूसरे क्षेत्रों से गन्ना ले रही हैं और पेराई कर रही हैं। सहकारी चीनी मिलों का गन्ना पड़ा हुआ है चीनी भी कम पड़ने लगी है। आप चीनी मिलों की व्यवस्था को सुधारिये, काश्तकारों की देनदारी को सुधारिये ताकि किसान अगले साल ज्यादा गन्ना पैदा करें। किसानों की नगदीकरण की फसल हो, बाहर से हमारे प्रदेश के लिये पैसा आता है उसमें बढ़ोत्तरी होगी हमारा प्रदेश खुशहाल होगा। आगे कहना चाहूंगा। उद्योग विभाग है आप कहते हैं हम नये उद्योग लगायेंगे आप कैसे उद्योग लगायेंगे, खादी एवं ग्रामोद्योग है बहुत से लोगों को उससे रोजी-रोटी मिलती है। बहुत से लोग विधवायें, कमजोर वर्ग के लोग सूत कातकर बेचकर, जीवन यापन करते हैं, इसमें भी चार परसेन्ट कटौती कर ली गयी है। नया हथकरघा नहीं चलेगा। नई कताई नहीं होगी। पुराने के लिये ही पैसा नहीं है। हथकरघा में अनाप-शनाप कटौती कर दी गयी। हमारे अंसारी भाई, मुस्लिम भाइयों से इतनी नाराजगी है उसमें 25 परसेन्ट की कटौती कर ली, अरे बताइये हमारी सरकार जब आयी थी तो हथकरघा उद्योग में जितने लोग लगे थे उनका 10 साल तक का कर्जा माफ किया था आप कर्जा माफ नहीं करेंगे लेकिन सुविधा तो देते रहिये। आप तो चौथाई कटौती कर रहे हैं। अब प्रदेश में कितने वस्त्र तैयार होंगे। हमारे यहां से पर्दे रशा और अमेरिका में जाते थे। बनारस की साड़ियां, लखनऊ का जरी का काम, इसमें कटौती कर दी, सहायता में कटौती कर दी। तो निश्चित रूप से जो आप कहते हैं कि उद्योग प्रदेश बनायेंगे, तो उद्योग प्रदेश कैसे बनेगा जब लघु उद्योगों की हालत जर्जर हो जाएगी, बड़े उद्योग तो इसलिये नहीं लगा रहे हैं क्योंकि कानून व्यवस्था नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने अपने मुंह से यह बात कही कि हम उद्योग लगाने के लिये तैयार हैं बशर्ते उद्योग व्यवस्था ठीक हो, अपने मुंह से यह बात कही।

नये उद्योग लगेंगे नहीं और पुराने उद्योग जर्जर हो जायेंगे क्योंकि वह कर्जे से लद गये हैं इसलिए चल नहीं पा रहे हैं तो फिर कैसे प्रदेश की आमदनी बढ़ेगी, कैसे प्रदेश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। लघु उद्योग और निर्यात प्रोत्साहन इसमें भी आपने 13.65 प्रतिशत की कटौती कर दी है। जब हम सब जगह कटौती करेंगे तो फिर कैसे इस प्रदेश का भला होगा यह आप बतायें। वित्त मंत्री जी

जब अपना उत्तर भाषण दें तो उनके दिमाग में बिना पैसे की कोई योजना हो तो वह यहां पर बतायें। गृह विभाग पर अभी चर्चा चल रही थी। गृह विभाग पुलिस इसमें बढ़ौत्तरी की गयी है 1.22 प्रतिशत की। किस तरह से पुलिस को इससे फायदा होगा जब धन ही नहीं है। जब मंहगाई बढ़ेगी तो जो उनको अच्छा भोजन मिलता है वह भोजन उनको नहीं मिलेगा। जेल में देख लें उसमें भी आपने कटौती कर दी है। उसमें जीरो प्रतिशत यानि किंचित मात्र भी बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। वेतन बढ़ गये, भत्ते बढ़ गये। खाने-पीने का सामान मंहगा हो गया। तो जो सामान आयेगा वह घटिया किस्म का होगा और वह अच्छे खाने को तरसेंगे। परिवहन निगम इसमें डेढ़ प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। तो कैसे आप नयी बसें डालेंगे, कैसे उनका रख रखाव करेंगे।

(समय 5 बजकर 20 मिनट)

यहां पर मैं यह कह देना चाहता हूं कि जो प्राइवेट बस वाला है वह एक बस से साल में दो बस कर लेता है लेकिन यह लोग तो उसको और खटारा कर देते हैं उसकी मरम्मत में ही इतना पैसा लग जाता है कि नयी बसें क्या खरीदेंगे। इसका कारण यह कि व्यवस्था चाक-चौबन नहीं है और यही कारण है कि परिवहन विभाग घाटे में चल रहा है। अधिकारी लोग बैठते नहीं हैं, मंत्री लोगों का अंकुश नहीं है, उनकी सूझ-बूझ में कमी है। विद्युत विभाग बैठ गया। अंरबों-खरबों रुपया माफ करना पड़ा। 19 हजार करोड़ रुपपा माफ करना पड़ा। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि दो तीन निगमों को छोड़कर बाकी सारे निगम घाटे में चल रहे हैं। जो बजट पेश हुआ है वह प्रदेश की जनता के लिए निराशाजनक है और इसमें किसी प्रकार के कोई विकास होने की संभावना नहीं है तथा प्रदेश की जनता को कोई लाभ नहीं होने वाला है। मान्यवर, प्रदेश पर जो 68 हजार करोड़ रुपये का कर्ज है उसमें और बढ़ोत्तरी होना है तथा जो इस वर्ष घाटा 1128.48 करोड़ रुपये दिखाया गया है उसमें पिछले घाटे को जोड़ते हुए वह और अधिक बढ़ेगा जिससे प्रदेश और गरीब होगा तथा कर्ज लेना पड़ेगा और उस पर ब्याज इतना अधिक बढ़ेगा कि इसको हम देने की स्थिति में नहीं होंगे परिणामस्वरूप प्रदेश कंगाली की स्थिति में पहुंच जायेगा। हो सकता है हम कर्मचारियों को चार-छह महीने तक वेतन न दे सकें। इस प्रकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो चौपट होने की स्थिति में है उसको और आगे बढ़ा हुआ देखें। मान्यवर, सड़कों स्कूलों, की हालत और बदतर स्थिति में होने की आशा है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

* श्री रूप चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, पिछली कई सरकारों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उपेक्षा किया था लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंनें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था करके आगरा, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद और बरेली मण्डल के क्षेत्रों के लिए जो विकास की गति प्रदान किया है वह सराहनीय कदम है। मान्यवर, सड़क सिंचाई और ऊर्जा के क्षेत्रों में जो धन देने की व्यवस्था किया है वह सरकार ने सराहनीय कार्य किया है।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, इस समय सदन में कोरम पूरा नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, मंत्रीगण धंधे में लगे हुए हैं। इसलिए क्या सदन चलाने की जिम्मेदारी हमारी है ? इसलिए पहले आप कोरम पूरा करायें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता–

कोरम पूरा है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री रूप चौधरी–

प्रदेश में राजस्व बढ़ाने के लिये प्रदेश कर को प्रभावी बनाकर जो 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जा रही है वह सराहनीय कदम है। इसी तरह से स्टाम्प व पंजीयन शुल्क में 1397.69 करोड़ रुपये बढ़ाकर 1472.41 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है जो सराहनीय कदम है। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्क मार्ग के लिये 674.50 करोड़ की व्यवस्था करने से ग्रामवासियों को नारकीय जीवन से मुक्ति मिलेगी क्योंकि 160 करोड़ रुपये के नये कार्यों के लिये स्वीकृति दी गयी है। राज्य सड़क निधि को 120 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ कर दिया गया है। केन्द्र सरकार व विश्व बैंक की मदद से प्रमुख मार्गों के सुधार के लिये 1600 करोड़ की प्रस्तावित राशि के कारण प्रदेश जनता को बहुत लाभ मिलेगा। आवास के क्षेत्र में जो बेघर परिवार थे उनसे पांच रुपये, दस रुपये, 15 रुपये प्रतिदिन लेकर आवास विकास 66600 आश्रय योजना के तहत 44 हजार और भाउराव देवरस योजना के तहत 22600 भवन उपलब्ध कराना एक ऐतिहासिक व सराहनीय कार्य है। ग्रामीण क्षेत्र के 1 लाख 90 हजार परिवारों को आवास देने की बात कही गयी है। मान्यवर, नदियों में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिये 571 करोड़ की व्यवस्था करने से गंगा, यमुना और गोमती नदी को और स्वच्छ किया जा सकेगा। प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों का दूसरे प्रदेशों का मुंह देखना पड़ता था इस कमी को दूर करने के लिये 4 मेडिकल कालेज व 7 डेंटल कालेजों की स्थापना से प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र को गति मिलेगी। मान्यवर, कृषि के क्षेत्र में 25 हजार हेक्टेयर ऊसर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लक्ष्य से खाद्यान्न के क्षेत्र को बल मिलेगा। उद्योग के क्षेत्र में सहारनपुर, हापुड़, लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी में कृषि उद्योग पार्क स्थापित किये जाने से प्रदेश में विकास को गति मिलेगी। मान्यवर, पर्यटन को बढ़ावा देने व विदेशी नागरिकों की सुरक्षा के लिये पर्यटन पुलिस बल की स्थापना करने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा व प्रदेश की छवि उज्जवल होगी।

मान्यवर, एस० टी० एफ० को स्थाई रूप दिये जाने से अपराध व माफियाओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा। इस पर 84.92 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है।

मान्यवर, मेरा क्षेत्र खेकड़ा दिल्ली सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है। वहां बढ़ती आबादी को देखते हुए नये थानों की स्थापना और पुलिस के लिये नये वाहन व आधुनिक शस्त्र प्रदान किये जाएं। पुलिस व प्रशासन की मिलीभगत से सरकारी जमीनों पर अवैध निर्माण व अवैध बस्तियों की बाढ़ पर रोक लगाने का कष्ट करें। मान्यवर, राष्ट्रीय क्षेत्र होने के कारण सरकारी एजेंसी को निर्माण के लिये केन्द्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है परन्तु प्राइवेट कालोनी वाले मिलजुलकर निर्माण कार्य कर रहे हैं जिससे वहां विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मान्यवर, दिल्ली के निकट होने के कारण वहां की विद्युत सप्लाई में सुधार किया जाय। मान्यवर, लोनी नगरपालिका की घोषणा की गयी थी, उस पर अमल किया जाय। यह घोषणा राष्ट्रपति शासन के दौरान हुई थी। इसी तरह से मान्यवर, प्रदेश की स्थिति को मजबूत करने के लिये खेकड़ा से प्रत्येक वर्ष हैण्डलूम का निर्यात किया जाता है जिससे 500 करोड़ की विदेशी मुद्रा मिलती है वहां पर न सड़क की व्यवस्था है न पानी की निकासी की व्यवस्था है और न ही वहां पर बिजली की व्यवस्था ठीक है अगर वहां पर विकास का कार्य कराया जाय और सरकार ध्यान दे तो विदेशी मुद्रा और बढ़ सकती है और प्रदेश को उससे लाभ मिल सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं इस बजट से प्रदेश के विकास को गति मिलेगी।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे वर्ष 2000-2001 के सामान्य बजट पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, बड़े लम्बे वर्षों बाद इस बार

पूर्णकालिक वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया । पूर्णकालिक वित्त मंत्री द्वारा जब बजट प्रस्तुत किया गया तो हम लोगों को उम्मीद थी कि बजट प्रस्तुत करने के पूर्व प्रदेश की जो वर्तमान स्थिति है ऋणग्रस्तता की, प्रदेश का जो दिवालियापन है, निश्चित रूप से इसके सुधार की दिशा में कोई सार्थक पहल होगी लेकिन बजट के देखने के बाद, इस विधान सभा में बजट प्रस्तुत करने के बाद जो तथ्य सामने आये वह बिल्कुल इसके विपरीत हैं । यह बजट पूरी तरह से इस प्रदेश को आर्थिक दिवालियेपन की ओर ले जाने वाला है, विकास की सारी बातों को रोकने वाला बजट है । मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी जब से वित्त मंत्री बने हैं तब से इस प्रदेश के समस्त विकास कार्य अवरुद्ध हो गये हैं, वेतन तक पर रोक लगायी जा रही है । यह इस प्रदेश की आर्थिक स्थिति का अवलोकन मात्र है । 1998-99 में जब माननीय श्री कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री थे और उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था तो उसके पहले इस प्रदेश की वित्तीय स्थिति के बारे में एक श्वेत पत्र जारी किया था । उस वर्ष जो श्वेत पत्र जारी किया गया था उसमें प्रदेश की जो ऋणग्रस्तता है वह लगभग 50 हजार करोड़ रुपया दिखायी गयी थी ।

(5 बजकर 37 मिनट पर मा० अधिष्ठाता श्री अम्बरीष कुमार पीठासीन हुए)

आज जो हमारी स्थिति है 31 मार्च तक की, मान्यवर, बड़े जोर-शोर से यह कहा गया था कि जो यह ऋणग्रस्तता है जब तक इससे मुक्ति नहीं पायेंगे तब तक इस प्रदेश का उद्धार नहीं होगा । यह बड़े जोर-शोर से कहा गया था कि वह इस प्रदेश को ऋणग्रस्तता से मुक्ति दिलाने का कार्य करेंगे । इसके बाद बजट प्रस्तुत किया तो वही बात फिर कही जा रही है लेकिन आज जो प्रदेश की स्थिति है 31 मार्च, 2001 तक 63346.92 करोड़ रुपये की ऋणग्रस्तता है और 31 मार्च, 2002 तक यह 77820.93 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है । आज हम इस प्रदेश के बजट का बहुत बड़ा हिस्सा ब्याज के भुगतान में खर्च कर रहे हैं 99-2000 में ब्याज का भुगतान किया जा रहा है 7,137.97 करोड़ रुपये और 2000-2001 में इसमें जो व्यवस्था की गयी है वह है 7762.96 करोड़ रुपये । मान्यवर, इसी तरह से यह जो बजट है, यह पूरी तरह से मकड़ी के जाले की तरह से, आंकड़ों की जादूगरी करके यह दिखाने का प्रयास किया गया है कि घाटा जो है, वह अपेक्षानुसार कम है, इसमें केवल 1128.48 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है । मान्यवर, जब इसकी पूरी समीक्षा करें तो यह पता लगेगा कि इसमें वास्तविक घाटा बहुत अधिक है । हमारे प्रदेश का कुल परिव्यय है यानि जो खर्च करने का निर्णय लिया गया है, वह है 49. 935.04 करोड़ रुपये । जो राजस्व प्राप्तियां हैं, वह केवल 27,038.62 करोड़ रुपये । इसी तरह से ऋण से प्राप्तियां हैं 18,768.09 करोड़ रुपये । इसी प्रकार लोक लेखा की प्राप्ति है 3210.41 करोड़ रुपये । अगर हम ऋणों से प्राप्ति और लोक लेखा जो जनता का पैसा होता है, को निकाल दें तो इस 49 हजार करोड़ के बजट में वास्तविक घाटा होता है, वह है 22428.11 करोड़ रुपये। इस प्रकार हमारे बजट का लगभग आधा हिस्सा घाटा है और इस घाटे को दूर करने के लिये कोई ठोस उपाय नहीं किया गया है, जिससे यह दिखाई पड़ रहा है कि वित्तीय वर्ष 99-2000 में जितने निर्माण कार्य थे, उनको कोषागारों पर प्रतिबंध लगाकर पीछे ढकेलने का काम किया गया । इस वर्तमान वित्तीय वर्ष की 3-4 तारीख के बाद पुनः कोषागारों पर अंकुश लगाया गया, जिससे जो विकास कार्य होने चाहिए, वह नहीं हो पा रहे हैं, इसका मुख्य कारण लम्बा घाटा है । इस घाटे की पूर्ति करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है; जिसके कारण हमारा जो घाटा है और जो आर्थिक स्थिति है, वह बद से बदतर होती जा रही है । जो वर्तमान बजट है, निश्चित रूप से इस बजट को पढ़ने के बाद यह देखने में आया कि इसमें भी विभिन्न क्षेत्रों के साथ भेदभाव किया गया है । पिछले साल जो बजट था, उसमें पूर्वांचल विकास निधि 150 करोड़ और बुन्देलखण्ड विकास निधि 50 करोड़ की थी । पूर्वांचल जिसमें लगभग 170 विधान सभा क्षेत्र आते हैं, उसके लिये इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी मात्र 150 करोड़ रुपये रखा गया है और जो बुन्देलखण्ड विकास निधि है, जिसमें केवल 21 विधान सभा क्षेत्र आते हैं, उसके लिये मात्र 50 करोड़ रखा गया है । इस प्रकार इस प्रदेश की जहां 40 प्रतिशत जनता रहती है,

उसके साथ भेदभाव करने का काम किया गया है । हमारे माननीय वित्त मंत्री जी भी पूर्वांचल से ही आते हैं, मैंने यह सोचा था कि वह पूर्वांचल के विकास के लिये कुछ प्रयास अवश्य करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है । पिछले बजट में पूर्वांचल विकास निधि के पैसे को 30 करोड़ रुपया बढ़ाने का काम किया गया था, इस बार इसे यथास्थिति रखा गया है । यदि महंगाई को देखा जाय तो यह 15 से 20 प्रतिशत बढ़ी है, उसके अनुसार यदि इसे निकालने का काम करें तो बहुत कम हो जाता है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय वर्मा जी, संक्षेप करें, 10 मिनट से अधिक हो गया है ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह पहला दिन है, बस 5 मिनट और लूंगा । मान्यवर, इसी तरह से पूर्वांचल विकास निधि के साथ पूर्वांचल के लोगों के साथ भेदभाव करने का काम किया गया है । हमें बड़ी उम्मीद थी कि इस क्षेत्र के विकास के लिए जो विधायक निधि की स्थापना की गयी है, उसका भी धन बढ़ाया जायेगा लेकिन बजट को पढ़ने के बाद निराशा हुई और क्षेत्रीय विकास के लिये 50 लाख का 50 लाख ही रखने का काम किया गया है जबकि बिहार जैसे गरीब प्रदेश में एक करोड़ रुपये हो गया है । तो मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वह इसे बढ़ाने का काम करें । जो प्राविधान पूर्वांचल के लिये 150 करोड़ रुपये का है उसको 300 करोड़ रुपये पूर्वांचल विकास निधि के लिये रखा जाना चाहिए । पुलिस प्रशासन के बारे में अभी चर्चा हुई, उद्योगों के बारे में चर्चा हुई । मान्यवर, उद्योगों के विकास के लिये कानून-व्यवस्था एक महत्वपूर्ण अंग है । आज पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत दयनीय है । इस स्थिति में कोई भी सभ्य आदमी उद्योग इसलिये नहीं लगाना चाहता क्योंकि उसका जीवन सुरक्षित नहीं है, उसका उद्योग सही चल नहीं पा रहा है । पुलिस प्रशासन के बारे में जिक्र किया गया । आप भी जब अपने जनपद के एस० पी० के पास जाते होंगे तो वे भी थानों की दयनीय स्थिति के लिये बजट का रोना रोते होंगे । जब अपराधियों के पास अच्छे-अच्छे वाहन हैं, अच्छे-अच्छे असलहे हैं लेकिन पुलिस प्रशासन के पास न वाहन हैं, खचाड़ा जीपें हैं और साथ-साथ उनके असलहे भी अच्छे नहीं हैं । पुलिस जवानों की संख्या भी कम है । इस प्रकार प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है, उसके विकास के लिये उद्योग लग सकते थे लेकिन कानून-व्यवस्था की इस स्थिति के कारण यह नहीं हो पा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया संक्षेप करें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, इसी तरह से, कमजोर वर्गों के उत्थान के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है । छात्रवृत्तियां जो पिछड़े वर्गों की हैं, उसके साथ भी भेदभाव किया जा रहा है । पिछले वर्ष का जब बजट प्रस्तुत किया गया था तो उसमें कहा गया था कि 220 करोड़ रु० पिछड़े वर्ग के लिए, छात्रवृत्ति देने के लिए केन्द्र सरकार से हम बातचीत कर रहे हैं । हमें उम्मीद थी कि पिछड़े वर्गों के लिए जिनकी आबादी 55 प्रतिशत है, उनके उत्थान के लिये भी बजट में कोई काम नहीं किया गया है । इसी प्रकार सिंचाई व्यवस्था जिससे हमारी अर्थव्यवस्था ठीक हो सकती है, कृषि उत्पादन बढ़ सकता है ।

श्री अधिष्ठाता–

वर्मा जी, अब समाप्त करें ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, पांच मिनट और लूंगा । मान्यवर, हरियाणा में जो कृषि की पैदावार है, वह हमारे प्रदेश से करीब दो गुनी है ।इसी तरह पंजाब का कृषि उत्पादन ढाई गुने के लगभग है । जब तक

किसानों की विकास की दशा में, जब तक खेत और खलिहान की हालत नहीं सुधरेगी, प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। प्रदेश का विकास गेहूं का धान का उत्पादन और अन्य उत्पादन बढ़ाकर ही किया जा सकता है और उसका उत्पादन तब बढ़ेगा जब उसके लिए सस्ती खाद और सस्ते बीज की समुचित व्यवस्था करने का काम किया जावेगा। इस बजट में भी सिंचाई के प्रति भी कोई काम नहीं किया गया है। मुझे उम्मीद थी कि इस दिशा में मंत्री जी निश्चित रूप से काम करेंगे लेकिन यह सम्भव नहीं हो सका है। इसी तरह पूर्वांचल के विकास के लिए एक लुम्बनी दुद्धी मार्ग है, करीब 500 किलोमीटर लम्बी सड़क है पिछली बार लोक निर्माण मंत्री ने कहा था कि टाण्डा, जनपद अम्बेडकर नगर में पुल का निर्माण अवश्य करायेंगे। हमें उम्मीद थी कि उस पुल के लिये कोई धनराशि रखने का प्रावधान किया जायेगा। लुम्बनी दुद्धी मार्ग में तमाम जिले आते हैं सोनभद्र, जौनपुर, बनारस, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर तमाम ऐसे जिले हैं जिनसे होता हुआ वह मार्ग जाता है। एक पुल न होने के कारण उस मार्ग का आवागमन ठप हो जाता है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मुझे उम्मीद थी कि इस पुल के निर्माण के लिये बजट में कोई व्यवस्था की जायेगी लेकिन इस पुल के निर्माण की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। यह बजट घोर निराशा का बजट है और प्रदेश को विकास के रास्ते की जगह पर विनाश की तरफ ले जावेगा और प्रदेश को ऋण के जाल में पूरी तरह से जकड़ने वाला बजट है। मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री जी जो पूर्ण कालिक वित्त मंत्री हैं, पहले यह होता था कि जो मुख्य मंत्री होते थे उनको अवसर नहीं मिलता था पर आपको अवसर मिला है आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे हमारा प्रदेश विकास के रास्ते पर बढ़ सके। इन शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री पूर्णमासी पंकज–

मान्यवर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मैं अपने विरोध पक्ष के भाइयों से कहना चाहता हूं जो अभी बजट के बारे में बता रहे थे। मुझे तो ऐसा लगता है कि बजट का पूर्ण रूप से किसी ने अध्ययन किया ही नहीं है। मान्यवर,

बिना समझे बूझे वह तोहमत तो लगाते हैं,
जवाब देने में भी आप सब कतराते हैं।
अपनी बात तो हल्ला बोलकर कह लेते यारों,
सुनने की पारी आती है तो हाउस छोड़कर भाग जाते हैं।
हिम्मत है अगर बैठिये जवाब लीजिये,
अपने समय का और मेरा हिसाब लीजिये।
कहने से पहले अपने गिरेबान में झांको
साबित हो, जो बुरा उसे बेनकाब कीजिये।
हमने सोचा पढ़े होंगे बजट यह ध्यान से
खोजकर कमियां बतायेंगे इतमिनान से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

लेकिन पढ़ेंगे क्या ये तो हैं नकल पुजारी
हल्ला से सिर्फ मतलब, नहीं मतलब है ज्ञान से ।

मान्यवर, आप जानते हैं कि सत्ता और विपक्ष एक दूसरे के पूरक हैं । एक सिक्के के दो पहलू हैं । सत्ता की नकेल हमेशा विपक्ष के हाथों में रहती है । दोनों का सहयोग रहता है तो देश और प्रदेश का विकास होता है और दोनों में असहयोग हो गया तो प्रदेश का विकास रुक जाता है ।

सत्ता विपक्ष की कहानी आग पानी समझिये
एक दूजे को जरूरत मेहरबानी समझिये
आपस में हो सहयोग तो इंजन चला दे भाप से
आपस में बिगड़े तो खत्म हो जिंदगानी समझिये ।
हम यहां आये हैं जनता का दुखदर्द सुनाने के लिये
क्षेत्र के विकास के मुद्दे उठाने के लिये
पर हाय ऐसा समय आया नेता ऐसे हो गये
सब यहां नाटक हैं करते पेपर में छाने के लिये ।

मान्यवर, बजट के संबंध में लोग कह रहे उनको मैं बताना चाहता हूं कि :—

विपक्ष तो जनता का दुख दर्द जानता नहीं
अच्छा बुरा क्या है कोई पहचानता नहीं
हम चाहते बहुत हैं कि इनको न कुछ कहें
लेकिन कहे बिना दिल है कि मानता नहीं ।

कोई कह रहा महज ये आंकड़ों का जाल है
कोई जनविरोधी कह कर करता बवाल है
ये सब के सब अचेते हैं नशे में लग रहे
खुद लगते दिशाहीन ये अपना ख्याल है ।

कोई कहता कि बजट झूठ का पुलिंदा है,
कोई टपोर शंखी कोई कहता गोरखधंधा है
कोई निराशाजनक किसान विरोधी कह रहा
हम तो कहते कहने वाला गूंगा बहरा अंधा है ।
क्योंकि मान्यवर,

अब तक सभी सरकारों से है बीस यह बजट
दुख दर्द जनता का हरेगा टीस ये बजट
मौलिक अलौकिक संतुलित रोजगार परक है
प्रस्तुत किये जो कर रहित हरीश ये बजट

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि

यह बजट नहीं बल्कि विकास की पिटारी है
इस यू० पी० को उद्यान प्रदेश बनाने की तैयारी है
सस्ता सुलभ सभी को सदा न्याय मिल सके
भ्रष्टाचार से अब अपना हुआ जंग जारी है ।

है खास बात कोई लगा कर नहीं नया
आवास मिलेगा जिसे है घर नहीं नया
दलितों गरीबों अल्पसंख्यकों का हितैषी
जनता पर पड़ेगा कोई असर नहीं नया ।

रोजगार की भरमार है बेरोजगारों के लिए
तलवार की है धार यह हत्यारों के लिये
दमदार असरदार है सरकार हमारी
आहार का आधार है बेसहारों के लिये

विरोध आप करते हैं सिर्फ विरोध के लिये
कसकर कमर बैठे हैं सदा प्रतिशोध के लिये
निंदक को नियर रखना हम भी हैं जानते
स्वस्थ आलोचना हेतु न कि गतिरोध के लिये ।

मान्यवर, मैं बजट के संबंध में आपकी अनुमति से बता रहा हूं कि––

किसानों के लिये पूरा मददगार है बजट ।
मजदूरों के लिए, जीने का आधार है बजट ।
दुखिया, गरीब, शोषित, दलित, वंचितों को तो,
जीने के लिये सुखों का भण्डार है बजट ।

आर्थिक असंतुलन को एक दम ठीक करेगा ।
ऋणग्रस्तता की लीक को बारीक करेगा ।
प्रति व्यक्ति बढ़े आय है, बजट में व्यवस्था ।
आप क्या प्रदेश यह तसदीक करेगा ।

मान्यवर,

अछूता न कोई क्षेत्र, सब अरेंज बजट में,
समुचित विकास हेतु थोड़ा चेंज बजट में,
ऐसा बजट न आया है न आवेगा कभी
कोई कमी नहीं है ये चैलेंज बजट में ।।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सरकार से जनता का दूर हुआ कष्ट है,
बख्सा न जा रहा यहां जो जो भी भ्रष्ट है,
हम आपकी तरह नहीं, मेरे विद्वान दोस्तों,
हमारी नीति और नियत दोनों स्पष्ट है ।।

मान्यवर,

गई आदत नहीं इनकी सदा लड़ने वाली,
अपनी गल्ती सदा दूसरों के सिर मढ़ने वाली,
अपनी करतूतों पर अब कितना ही पर्दा डालो,
काठ की हांडी अब दुबारा नहीं चढ़ने वाली ।।

इसलिये कहते हैं श्रीमन् कि–

मेरे द्वारा किये गये विकास भी देखो यारों,
जनता का तो हम पर है, विश्वास भी देखो यारों,
रातों दिन सदा अंधेरों को कोसने वालों,
कभी-कभी इस राम के प्रकाश को भी देखो यारों ।।

गुजरे जमाने अपने फिर से याद कर रहे,
चोरी भी किये और खुद फरियाद कर रहे,
ईर्ष्या और डाह गुस्से में इतने भरे हैं ये,
हल्ला मजा प्रतिवाद और संवाद कर रहे ।।

अभी हमारे विपक्ष के भाई कह रहे थे कि शिक्षा के बजट में कटौती की गयी है––

शिक्षा के बजट में दिया धन अपार है,
शिक्षित करेंगे बाल वृद्ध नर नारी परिवार है,
पूरे बजट का साढ़े उन्नीस प्रतिशत मान्यवर,
शिक्षा पर खर्च कर रही मेरी सरकार है ।।

मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे यहां भदोही में राजकीय डिग्री कालेज स्वीकृत है । पिछले जनवरी, 2000 में अनुपूरक अनुदान के अन्तर्गत 10 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी थी । इसके लिये 50 लाख रुपये की संस्तुति भी की गयी लेकिन वित्त विभाग से पैसा जारी नहीं किया गया है । मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह 50 लाख रुपया हमारे भदोही डिग्री कालेज को तत्काल भेजें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

ऐसी सुन्दर कविता पढ़ने वाले को 50 लाख जरूर देना चाहिए ।

श्री पूर्णमासी पंकज–

मान्यवर, मैं एक बात माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा–

एक निवेदन है मुख्य मंत्री जी से संज्ञान लीजिए,
असहायिक जूनियर हाईस्कूलों का कल्याण कीजिए,
जूनियर में लगे शिक्षक हैं भुखमरी झेलने,
कम से कम ढाई सौ स्कूल को अनुदान दीजिए ॥

श्रीमन्, हमारी सरकार–
जनता जनार्दन की देखभाल करेगी,
प्रदेश में कायम नया मिसाल करेगी,
देखकर जलने रहे जलने वाले मगर,
सरकार अपना पूरा कार्यकाल करेगी ।

अन्त में मान्यवर, मैं अपने विपक्ष के साथियों से इस आग्रह के साथ अपनी बात पूर्ण करते हुए प्रस्तुत बजट का समर्थन एवं प्रशंसा करता हूं–

जनता को अब और अधिक न दोस्त भरमाइये,
अपनी झूठी खोखली बातों में न उलझाइये,
कटौती का प्रस्ताव अपना वापस ले लीजिए,
बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए ॥

श्रीमन्, मैं इसी के साथ बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

* श्री राम तेज यादव "एडवोकेट"–

इस सदन में मुख्य मंत्री जी का पद और वित्त मंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण पद होता है । नेता सदन के कार्यकलाप और उनके विद्वतापूर्ण भाषण को सुना गया आय-व्ययक के बारे में । वित्त मंत्री को भी लिखित रूप से सुना गया उससे यह लगने लगा कि उम्र के हिसाब से प्रदेश के लिये दोनों अच्छी धरोहर हैं । अधिष्ठाता जी, मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी राम मिलाए जोड़ी हैं आगे क्या कहूं आप लोग खुद ही मिला लेंगे । अभी हमारे सत्तारूढ़ दल के दो दोस्त बोल रहे थे एक पूर्णमासी पंकज नाम तो पूर्ण लेकिन बातें अपूर्ण की । चौधरी साहब कहने लगे कि ऐसा बजट कभी पेश नहीं किया गया न कभी आयेगा । इसके बाद कहने लगे कि स्वास्थ्य मंत्री जी ध्यान नहीं दे पाये हमारे यहां पेचिस का जोर है अभी आपके मिनिस्टर हैं अगर आपके क्षेत्र में पेचिस का जोर है तो उनसे मिलकर ठीक कर लें । वित्त मंत्री जी आप तो हमारे साथ इमरजेंसी में जेल में रहे थे लेकिन अब लगता है कि आपने लिखा पढ़ी बन्द कर दी आपने पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान नहीं दिया । आपकी उम्र 75-76 साल की है यह उम्र तो पोता-पोती खिलाने की होती है आपको मैं ज्यादा राय भी नहीं दे सकता क्योंकि आपकी उम्र बहुत अधिक है । अभी लालजी वर्मा और नेता प्रतिपक्ष ने आय व्ययक के बारे में जो आंकड़े हैं उनको विस्तृत रूप से रखने की कोशिश की । आप भ्रम जाल में मत फंसे प्रदेश का कल्याण आंकड़ों से नहीं होने वाला है । कार्य रूप से होगा । शिक्षा पर, सिंचाई पर स्वास्थ्य पर धन खर्च करना चाहिए । सांसद निधि पर, विधायक निधि पर रोक लगी है । इससे विकास के काम किस तरह से होंगे । जिन लोगों से पैसा लेकर विकास कार्य करना चाहिए उनसे तो आपकी कोर दबी है उनसे वोट और नोट आपको मिलता है गरीब कास्तकारों, कमजोरों को आप परेशान करते हैं । बड़े

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लोग करोड़ों रुपये की चोरी कर रहे हैं। विद्युत चोरी कर रहे हैं और आप बोल नहीं सकते हैं। कौन सा विकास कार्य कर रहे हैं आप ? अभी नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केवल आंकड़े पास करके प्रदेश का कल्याण नहीं होगा। शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन लाने के लिये आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। इतना भारी भरकम मंत्रि-मण्डल के चाय-पानी में खर्चा हो रहा है। अगर प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधारनी है तो इसमें कटौती कीजिये। विधायक निधि में कटौती करेंगे आप, सांसद निधि में कटौती करेंगे आप। जो वित्त विद्वान हैं उनसे राय लें उनसे विचारविमर्श करें तभी कुछ कल्याण होगा। जो बजट पिछली बार आया और इस बार आया इससे लगता है कि आपका मन नहीं लगता।अगर मन नहीं लगता तो प्रदेश की व्यवस्था कैसे ठीक होगी ? मैं वित्त मंत्री जी से इसलिये कह रहा हूं कि पूर्णमासी पंकज जी को 50 हजार स्कूल के लिये दे देंगे लेकिन हम तो प्रदेश के लिये मांग रहे हैं। वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन नहीं निकल पा रही है। किसानों के बजट से 25 प्रतिशत कटौती कर दी। सिंचाई के लिये दे नहीं सकते। हमारी सरकार थी मुख्य मंत्री थे माननीय मुलायम सिंह जी। इंडिया आईएमआई मार्का नल लगवाये थे। 25 से 40 ट्यूबवेल दिये गये थे कौन किसान ऐसा है जो 10 लाख रुपये देकर ट्यूबवेल लगा सकता है।। कुछ ट्यूबवेल पूर्व मुख्य मंत्री जी ने वाहवाही लूटने के लिये लगवाये। उनकी हालत दयनीय है। स्कूलों में पढ़ाने के लिये अध्यापक ही नहीं है। जनपद बहराइच में बहुत बड़ा अस्पताल है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

अगर कल के लिये जारी करने को कह दें तो समाप्त कर दूं। जहां तक स्वास्थ्य का सवाल है वार्ड ब्वाय ही नहीं है। दवाई नहीं है। पट्टी नहीं है। कोई लेडी डाक्टर नहीं है। यहां तक कि वित्त मंत्री जी के क्षेत्र में भी नहीं है उनके घर में हो तो नहीं कह सकते। मान्यवर, वित्त मंत्री जी हम लोगों से बड़े हैं ना तो वह संसदीय कार्य मंत्री जी का ध्यान रखते हैं और ना किसी और का। जो सरयू नदी है, घाघरा नदी है उस पर पुल बनवा दीजिये। सड़कें खस्ताहाल हैं उन्हें ठीक ही करा दें। दारुलशफा वाली रोड को ही लें गाड़ी चलती है तो जम्प मारती है। पता नहीं चलता कि कहां चल रहे हैं। पैर टूटते हैं। खोखले नारों से कुछ नहीं होना है। वैसे इस सरकार में सोचने की कूबत नहीं है। संख्या में देख लिया, गिनवाई गई थी आपकी 55 निकली और हमारी 83। मौका पड़ा तो फिर गिनवा देंगे। जिलों-जिलों में जाते हैं। एक-एक मंत्री का 7 लाख रुपये का टी० ए० डी० ए० आ रहा है। इससे प्रदेश को क्या मिल रहा है। जिलों में पहले ही फरमाइश चली जाती है कि हमें कश्मीरी मुर्गा चाहिए, यहां का मुर्गा गले में फंस जाता है। मेरे बहराइच जनपद में शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, अस्पताल सही नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, पुलिस नाम की कोई चीज नहीं है, वह तो मंत्रियों के लाव लश्कर के साथ रहता है, कभी-कभी दाहिने-बायें करके धन उगाही कर लेता है। राज भवन के चौराहे पर 10 बजे बाद आप देख लीजिये। पुलिस वाले ट्रकों को रोक कर जाम लगा लेते हैं और प्रति ट्रक 200 रुपये लेकर छोड़ते हैं। यह तो आपके नाक के नीचे हो रहा है। बहराइच की क्या स्थिति होगी। मेरे क्षेत्र पानीघाट पर सरयू नदी पर पुल बना दीजिए। कल्याण सिंह जी ने हां कर दिया था, परन्तु उनकी राय चलती नहीं थी प्रदेश के समुचित विकास हेतु माननीय श्री धनीराम वर्मा जी तथा श्री लालजी वर्मा जी ने जो बातें कही हैं, उन्हें आप व्यावहारिक रूप दीजिये, तभी प्रदेश का विकास होगा। आप योग्य हैं, परन्तु गलत पार्टी में चले गये हैं, जिससे आप में कुण्ठा पैदा हो गयी है। आप अपने विवेक से काम लीजिये। आप कुछ काम कीजिये नहीं तो प्रदेश की जनता आप पर कैसे विश्वास कर लेगी। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो विचार रखे हैं उन पर आप सम्यक् विचार कीजिये और पैसे की व्यवस्था करके प्रदेश की तरक्की कीजिये, हम भी आपका साथ देंगे। तुलसी दास जी ने कहा है

निन्दक नियरे राखिये, आंगन कुटी छवाय । आपके लिये तो तुलसीदास जी का भी कोई मतलब नहीं है। राम को तो आपने अपने राष्ट्रीय एजेण्डे में बांध दिया है । इसी के साथ ही मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

(चर्चा जारी)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन को आज कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों की सूचना दे रहा हूं ।

कार्य मंत्रणा समिति ने आज दिनांक 24 अप्रैल, 2000 की बैठक में उ० प्र० विधान सभा के 4 अप्रैल से 12 मई, 2000 तक के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

1—दिनांक 25 एवं 26 अप्रैल, 2000 के उपवेशनों में नियम 56 तथा नियम 311 की सूचनाएं न ली जाएं ।

2—दिनांक 25 अप्रैल, 2000 को वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा के उपरान्त निम्नलिखित चर्चा रख ली जाय :–

(क) श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को गन्ने का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु गन्ने के रस के शीतल पेय की भांति विक्रय हेतु नीति निर्धारित की जाय ।"

(ख) डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा–

"यह सदन केन्द्र सरकार से सिफारिश करता है कि वह पेटेन्ट सम्बन्धी विधि में इस आशय का संशोधन करे कि भारतीय जड़ी-बूटियों के उत्पादन, उपयोग तथा विपणन आदि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।"

3—दिनांक 26 अप्रैल, 2000 को वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा के उपरान्त निम्नलिखित चर्चा रख ली जाय :—

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान द्वारा अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घण्टे की चर्चा–

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक समान नीति बनायी जाय तथा उसे बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों पर कड़ाई से लागू किया जाय ।"

4—(क) दिनांक 27 अप्रैल, 2000 को श्री लालजी वर्मा, श्री बी० आर० वर्मा, श्री जगदीश नारायण राय, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री गोरखनाथ पाण्डेय, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम–103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर एक घंटे की चर्चा—

"यह सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों सदस्यों द्वारा राज्य सभा एवं विधान परिषद् के निर्वाचन हेतु आनुपातिक प्रतिनिधित्व

के सिद्धान्त के अनुसार एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान के स्थान पर खुले मतदान का प्राविधान किया जाय।"

(ख) वित्तीय वर्ष 2000-2001 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

(शेष कार्यक्रम यथावत् रहेगा।)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों से सम्बन्धित जो सूचना श्री अधिष्ठाता ने आज सदन को दी है, से सहमत है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों विषयक प्रस्ताव जो संसदीय कार्य मंत्री ने किया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

प्रदेश में राशन की दुकानों पर भारत सरकार से प्राप्त कोटे के अनुरूप कम चीनी, मिट्टी का तेल, गेहूं, चावल आदि उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–52 के अन्तर्गत एक घण्टे की चर्चा

मद संख्या–11

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर.....

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अम्बिका चौधरी–

आदरणीय लक्ष्मीकान्त जी के इतने लोक महत्व के प्रश्न जो इस प्रदेश की समस्याओं से जुड़े हैं रोज की कार्य सूची में जब से यह तेरहवीं विधान सभा गठित हुई है देखने को मिलते हैं। इस तरह से कई सूचनाएं इनकी हैं। मेरा निवेदन है कि क्या इसके लिये विशेष सत्र आहूत करेंगे जिसमें जन समस्याओं से जुड़ी इन समस्याओं पर ही चर्चा हो। संसदीय कार्य मंत्री जी यहां पर होते तो वे शायद कोई व्यवस्था बताते।

(समय 6 बजकर 20 मिनट)

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

प्रदेश की जनता को राशन की दुकानों के माध्यम से निर्धारित दरों पर गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जाता है। मान्यवर, इसके बारे में प्रत्येक जनपद में एक संकट कोटेदार, जनता और राशन अधिकारियों के बीच बना हुआ है। इसका एक मात्र कारण यह है कि जो कोटेदार हैं, जो कोटा दिया जा रहा है वह वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर दिया जाता रहा है जो कोटे का आवंटन जनपदों को दे रहे हैं उस आवंटित कोटे के आधार पर राशन की दुकानों से

वितरण हो रहा है। राशन की दुकानों से जो एक किलो चीनी मिलनी थी वह 800 ग्राम ही मिल रही है, मिट्टी का तेल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। गेहूं चावल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। गरीब आदमी दुकान पर जाता है तो कहा जाता है कि मिट्टी का तेल खत्म हो गया चीनी खत्म हो गई, गेहूं खत्म हो गया। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले नौ वर्षों में वर्तमान की जनसंख्या के आधार पर कोटा बढ़ाने का काम नहीं किया गया। 1991 की जनगणना के आधार पर कोटा दिया जा रहा है। मान्यवर, प्रत्येक वर्ष खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन दिल्ली में होता है लेकिन उसमें कभी उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा यह नहीं कहा गया कि हमारी जनसंख्या इतनी हो गयी है इसका कोटा बढ़ना चाहिए। पिछले दिनों केन्द्रीय खाद्य राज्य मंत्री हमारे मेरठ में आये, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कभी भी यह विषय भारत सरकार के सामने नहीं रखा कि जनसंख्या बढ़ गयी है, कोटे की कमी है। मान्यवर, मैं उदाहरण देना चाहूंगा–1991 की जनगणना में और आज की जनगणना में कितना अन्तर है। 1991 की जनसंख्या के आधार पर सामान दिया जा रहा है उससे कैसे पूर्ति हो सकती है उसमें भ्रष्टाचार नहीं पनपेगा तो और क्या होगा। लखनऊ की 1991 में जनसंख्या 16.19.115 थी, कानपुर की जनसंख्या 18.74.409 थी, आगरा की जनसंख्या 8.91.790 थी, मेरठ की जनसंख्या 7.53.778 थी, इलाहाबाद की जनसंख्या 7.92.85 थी, वाराणसी की जनसंख्या 9.29.270 थी बरेली की जनसंख्या 5.87.211 थी। आप स्वयं देखें अब जनसंख्या दुगुनी हो गयी है। लेकिन कोटा यथावत् है। राशनकार्ड की संख्या में बढ़ोत्तरी हो गयी, यूनिट में बढ़ोत्तरी हो गयी लेकिन कोटा नहीं बढ़वा पाये सबको देने के नाम पर आदेश दिया गया 11 जनवरी, 1991 को खाद्य विभाग ने एक आदेश जारी किया कि 10 तारीख तक जो आयेगा उनको कोटा दीजिए अब यह सवाल आया कि गरीब मजदूर आदमी को सात तारीख को तनख्वाह मिलती है तो सरकार ने कहा कि पहले आये पहले पाए के आधार पर करो, कोटे से कम सामान मिलता है एक हजार यूनिट वाले को बांट दिया बाकी को नहीं मिला, आप कल्पना करिए जो मेहनत मजदूरी दिन भर करने के बाद घर लौटता है और राशन लेना चाहता है तो उसको तो राशन नहीं मिल पायेगा वह तो भूखा मरेगा, वह तो अपने बच्चों को भरपेट रोटी नहीं दे पायेगा। इसी के साथ-साथ कहना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया जिला मजिस्ट्रेट को आदेश दिया कि प्रतिमाह जितना कोटा मिलेगा जिला मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र की यूनिट के हिसाब से स्केल में परिवर्तन कर सकता है यह अधिकार जिलाधिकारी को दे दिया गया। तो किसी महीने में 600 ग्राम चीनी मिलेगी किसी महीने जिलाधिकारी के आदेशानुसार 400 ग्राम चीनी मिलेगी आम आदमी जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं कर सकता है। वह तो पांच सौ ग्राम चीनी लेकर आ जाएगा और यदि जिलाधिकारी का आदेश नहीं है तो दुकानदार बाकी चीनी ब्लैक कर लेगा, आम आदमी तो जिलाधिकारी का आदेश नहीं देख सकता है। करोड़ों अरबों रुपये की सब्सीडी देकर गरीब व्यक्तियों को राशन की दुकानों से गेहूं, चावल और चीनी मिट्टी का तेल देने का सपना आज धूलधूसरित होता जा रहा है इस 91 की जनगणना के आधार पर। इन्होंने इसको आज की जनगणना के आधार पर बढ़ाने का कोई सार्थक प्रयास नहीं किया है। चीनी का उत्पादन इतना आज हमारे पास है कि एक-एक साल की चीनी का बफर स्टाक है। इसका वितरण करने का अधिकार तो राज्य सरकार के हाथ में है लेकिन कोटा जारी करने का अधिकार भारत सरकार के हाथ में है। एक किलो प्रति यूनिट प्रति माह पहले यह था लेकिन उसको इन्होंने घटा दिया है। इनको यह कहना चाहिए था कि इतना कोटा हम आप दें। लेकिन भारत सरकार उस कोटे को नहीं बढ़ा रही है। इससे जो चीनी मिलों में इकट्ठा है यदि वह बढ़ायेंगे तो वह बाहर आ जायेगी और इससे चीनी मिलों के मालिकों को पैसा मिलेगा और वह उससे गन्ने का भुगतान करेगा और जो पैसा गन्ना किसानों को मिलेगा उससे गांवों में खुशहाली हो जायेगी और चीनी भी प्रचुर मात्रा में मिलेगी। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि भारत सरकार ने 1100 मीट्रिक टन कोटा बढ़ाया है और उसका लाभ हम ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को देंगे क्योंकि उनको चीनी कम मिल रही है तो मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं

हमारा 72 हजार मीट्रिक टन का कोटा होना चाहिए लेकिन वह 71 हजार मीट्रिक टन पर ही क्यों रोक दिया गया है शेष क्यों नहीं मिल रहा है जबकि चीनी की उपलब्धता है, उसके बावजूद नहीं मिल रहा है। मैं इस विसंगति की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं और यह मांग करता हूं कि इसको बढ़ाया जाय। मान्यवर, राशन की दुकानों पर दो ही चीजें खरीदने ज्यादातर लोग जाते हैं। एक तो चीनी और दूसरा मिट्टी का तेल। तो इन चीजों को उपलब्ध कराने के लिये सरकार को गम्भीरता से प्रयास करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि जब वह अपना उत्तर भाषण दें तो उसमें यह बतायें कि चीनी और मिट्टी का तेल का अपेक्षित मात्रा में कोटा कब तक पूरा कर लेंगे यह बता दें। दूसरा जो राशन के स्केल में परिवर्तन किया गया है, जिलाधिकारी को अधिकार दिया गया है तो उसको बदला जाय। यह अधिकार शासन को होना चाहिए वह अखबारों के माध्यम से यह घोषणा करे कि ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी और शहरी क्षेत्रों में इतनी चीनी और मिट्टी का तेल मिलेगा जिससे जनता को जानकारी मिल सके। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री वी० के० रममूर्ति को अनुपूर्व मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने एक पत्र लिखा था। यह 15 अप्रैल, 99 का पत्र है। इसमें यह लिखा है कि प्रत्येक परिवार को ए० पी० एल० अथवा बी० पी० एल० के "बुकलेट फार्म" में नये राशन कार्ड उपलब्ध कराये गये हैं और साढ़े तीन करोड़ से भी अधिक राशन कार्ड बनाये गये हैं साढ़े तीन करोड़ से भी अधिक परिवारों को उनकी आवश्यकतानुसार मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने के लिये वर्तमान आवंटन पर्याप्त नहीं है। जैसा कि आप स्वयं अवगत हैं मिट्टी के तेल के आवंटन का राष्ट्रीय औसत 11.41 किलो लीटर प्रति कैपिटा है जिसके विपरीत उत्तर प्रदेश को लगभग 10 किलो लीटर प्रति कैपिटा मिट्टी का तेल ही प्राप्त हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है तो फिर उत्तर प्रदेश के साथ नाइंसाफी क्यों कर रहे हैं इसको बढ़ाया जाना चाहिए। मान्यवर, आज रिक्शा चालक और मजदूर के पास गैस नहीं है और वह मिट्टी के तेल में ही अपना काम करता है। आज डिबिया का युग फिर आ गया है क्योंकि बिजली भी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने आगे यह कहा है कि 1991 की जनसंख्या के आधार पर और राष्ट्रीय औसत के अनुसार उत्तर प्रदेश का मिट्टी के तेल का मासिक कोटा बढ़ाकर 2,03,940 किया जाय जो कि हमें नहीं मिल रहा है। मान्यवर, यह कोटा जो मासिक है वह 1991 की जनसंख्या गणना के अनुसार है और 1991 की जनगणना के आधार पर मिट्टी का तेल औसतन जो मिलना चाहिए था वह नहीं मिल रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के साथ भारत सरकार यह अन्याय कर रही है जिसके संबंध में मैं सदन के समक्ष खाद्य मंत्री से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश के साथ जो यह अन्याय हो रहा है उसे भारत सरकार के सामने दमदारी से रखें और मिट्टी के तेल की मांग करें।

मान्यवर, राज्य सरकार ने तो इस विभाग के पुनर्गठन का फैसला लिया था क्योंकि राशनिंग प्रणाली भ्रष्टाचार में डूबी है, डी० एस० ओ० तथा जो इस विभाग के कर्मचारी हैं एवं राशन के दुकानदार सभी भयंकर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वहां रुपये के लेन-देन, घटतौली तथा सामान को ब्लैक में बेचा जा रहा है। इसलिए इस चर्चा के माध्यम से मैं खाद्य मंत्री जी से चाहूंगा कि यह व्यवस्था जिन लोगों के लिये बनायी गयी है उन तक अपेक्षित फल पहुंच सके इसके लिए अपने विभाग को चुस्त दुरुस्त कर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगावें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण यहीं समाप्त करता हूं।

* श्री गोरख नाथ पाण्डेय–

अधिष्ठाता महोदय, प्रदेश में राशन की दुकानों पर भारत सरकार से प्राप्त कोटे के अनुरूप कम चीनी, मिट्टी का तेल, गेहूं, चावल आदि उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में मिट्टी का तेल, चीनी, गेहूं, चावल गांवों में लोग कोटे से प्राप्त करके गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोग अपनी जीविकोपार्जन करते हैं और इसमें केन्द्र सरकार की मंशा रही है कि प्रदेश में गरीबों और किसानों को जीवनयापन के लिये कुछ सुविधायें दी जायं लेकिन आज पूरे प्रदेश में इसके विपरीत स्थिति दिखाई पड़ रही है। मान्यवर, जितनी उन्हें सुविधा मिलनी चाहिए थी वह सुविधा उन्हें न मिलकर राशन के दुकानदारों की जेबों में जा रही है और वे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे उन्हें अधिकतम आय प्राप्त हो सके, कैसे ब्लैक मार्केटिंग कर सकें कैसे गरीबों का शोषण कर सकें और अपनी जेबें भर सकें, यह व्यवस्था करने में राशन के दुकानदार जुटे हैं।

मान्यवर, आज जहां जनसंख्या बढ़ रही है, वर्ष 1999-2000 की आबादी किस तरह बढ़ी है और उसे जो सुविधा मिलनी चाहिए थी वह न मिलकर वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर आपूर्ति हो रही है जो अत्यन्त दुख की और चिन्ता की बात है। मान्यवर, गांवों में गरीब लोग कार्ड बनवाकर राशन की दुकानों पर खाद्य सामग्री लेने के लिये लाइन में दिन दिन भर खड़े रहते हैं और जो मात्रा उन्हें मिलनी चाहिए वह न मिलकर 1991 की जनगणना के आधार पर मिल रही है। मान्यवर, स्थिति यहां तक है कि 3 लीटर तेल के स्थान पर दो महीने में एक लीटर मिल रहा है। इसी प्रकार अन्य खाद्य सामग्री मिलने की भी बात है जिसे हम सभी देख रहे हैं। मान्यवर, राशन की दुकानों से कम सामग्री मिलने के अलावा जो खाद्य सामग्री मिल रही है उसमें मिलावट हो रही है। मिट्टी के तेल में पानी और चावल तथा चीनी में मिलावट की जा रही है जिसे हम सभी को मालूम है। जब कोई शिकायत अधिकारी के पास जाती है तो वह अधिकारी भी देख भर कर वहां से वापस आ जाते हैं आज पूरे प्रदेश में जहां 2000 की जनगणना के आधार पर राशन कार्ड बनाये गये गांव में यूनिट के आधार पर बढ़ोत्तरी की मांग की जा रही है। वहीं कार्ड भी न बन पाने के कारण आर्थिक स्तर से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को सरकार द्वारा मुहैय्या करायी जा रही व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो थोड़ा बहुत जानकार हैं वह अपने लिये कार्ड बनवा लिये हैं लेकिन जो अशिक्षित हैं जिनको जानकारी नहीं है कि किस तरह से उस व्यवस्था को प्राप्त करें उनको परिवारों के अनुरूप राशन कार्ड नहीं मिल पाये हैं। बार-बार इस सदन में मांग करने के बाद जो भी उत्तर मिल रहा है वह अस्पष्ट मिल रहा है और उसे अगर गांव की तुलना में देखा जाय तो वहां स्थिति इसके विपरीत मिलती है जो गरीब हैं आर्थिक रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनको यह व्यवस्था नहीं मिल पा रही है और कोई शिकायत करने के लिये अधिकारी के पास जाता है तो वह कोटेदारों के पास जाकर उनसे सुविधा शुल्क लेकर उसके अनुरूप ही व्यवस्था कर देते हैं। आज पूरे प्रदेश में विद्यार्थियों के इम्तिहान हैं उसके लिये मिट्टी का तेल चाहिए भोजन बनाने के लिये स्टोव में रोशनी के लिये लालटेन की व्यवस्था में मिट्टी का तेल चाहिए लेकिन उनको नहीं मिल पा रहा है। जब गरीब मजदूर गेहूं चावल मिट्टी के तेल के लिये जाता है तो वहां उसे पता चलता है कि सब ब्लैक मार्केटिंग में बेच दिया गया और इस व्यवस्था का लाभ न तो गांवों में और न शहरों में लोगों को मिल पा रहा है और स्थिति काफी विपरीत बन चुकी है। अगर यह व्यवस्था नहीं की जाती है तो जो प्रदेश सरकार की मंशा है केन्द्र सरकार की मंशा है वह सफेद हाथी का स्वरूप ही साबित होगी। आज पूरे प्रदेश में जितने गरीब मजदूर निवास करते हैं जिनकी रोजी रोटी इससे चलती है जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं जो राशन की दुकान से अपना काम चलाते हैं उनको 2000 की जनगणना के आधार पर मिट्टी का तेल, चीनी और राशन की व्यवस्था की जाय। और जो सुविधा अधिकारियों से हो रही है जिससे कोटेदार मुनाफाखोरी में लिप्त हैं जो जांच करने के बाद उसकी लीपापोती करके वापस चले आते हैं ऐसे अधिकारियों की जांच कराकर उनके विरुद कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाय और गरीबों को उनका हक दिलवाया जाय यह व्यवस्था मैं मंत्री जी से चाहूंगा। माननीय मंत्री जी सुबह एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे उन्होंने कहा था कि चीनी की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में कर रहे हैं चीनी, गेहूं और मिट्टी का तेल यह एक आवश्यक आवश्यकता है और यह सारी व्यवस्था गांव में उन लोगों को मिलनी चाहिए उनकी व्यवस्था के

अनुरूप । केन्द्र सरकार से मांग करे कि आज की जनसंख्या के हिसाब से खाद्यान्न की व्यवस्था उनको उपलब्ध हो ताकि गरीब मजदूर बेसहारा लोगों का जीवन यापन हो सके । मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यही व्यवस्था चाहूंगा ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर,मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया । मैं आपके माध्यम से इस महत्वपूर्ण बिन्दु पर सदन के सामने अपनी बात रखना चाहता हूं । मान्यवर, यह बहुत ही गम्भीर मामला है और जनता से सीधा सम्बन्धित है । मैंने कुछ दिन पहले यह माना था कि सरकार भी शायद इसमें गम्भीर है क्योंकि जिनके पास यह खाद्य विभाग था वह चल नहीं पा रहे थे ब्लैक मार्केटिंग बढ़ गयी थी इसलिये मौजूदा मुख्य मंत्री जी ने उन मंत्री को हटा दिया और बहुत ही परिश्रमी कर्मठ आदमी को यह विभाग सौंप दिया तो मैं समझता हूं कि अगर पहले के मंत्री को [× × ×] था तो अब इसमें कमी आनी चाहिए और वह समाप्त होनी चाहिए सरकार भी समझ रही है और मैं यह प्रश्न उठाना चाह रहा हूं कि सौतेलापन क्यों है कि देहात में किसान गन्ना पैदा करता है और उससे शक्कर बनती है शक्कर और जब वह शक्कर सरकारी गोदाम में पहुंचती है तो सरकार वितरण करती है सरकार तब सरकार कहती है कि 700 ग्राम शहर वालों को देंगे और 450 ग्राम गांव वालों को देंगे । गांव को इसलिये कि गन्ना किसान ने पैदा किया क्यों तो मान्यवर, जिसने गन्ना पैदा किया उसको तो एक किलो मिलनी चाहिए लेकिन उल्टे सरकार उसे 450 ग्राम दे रही है और शहर के लोगों को अधिक दे रही है तो इस सौतेलापन को समाप्त किया जाय दूसरी बात यह है कि आज के समय में सबसे बड़ा बेइमान अगर कोई है तो वह कोटेदार है । मैं कहता हूं कि यह देश का वह सेवक है, मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कभी यह सोचा कि जिस दुकान में वह वितरण करता है खाद्यान्न का उसका किराया लगभग 500 रु० रख लीजिये अगर एक क्लर्क को रखता है तो उसका वेतन एक हजार रु० रख लीजिये और प्रत्येक बोरे में दो से पांच कि०ग्राम कम निकलता है उसका एक हजार रु० रख लीजिये और फिर ट्राली पर रखकर लाता है भाड़ा दो सौ रुपया उसका रख लीजिए इसके बाद डी० एस० ओ० उसे लेकर जिलापूर्ति इन्सपेक्टर और अधिकारी तक के घर का खर्च वह चलाता है इस तरह से चार हजार रु० वह अपने पास से खर्च करता है और फिर जिस रेट पर कहा गया है उसी रेट में देता है इससे बड़ा देश का सेवक कौन होगा । जो चार हजार रुपये अपने पाकेट से दे रहा है ।

दूसरी बात यह है कि 1991 में जनगणना के आधार पर खाद्यान्न कोटा दिया जाता है तो क्या सरकार का यह निश्चित मत है कि 1991 में जो बच्चा पैदा हुआ वह आज भी दूध पीता है मान्यवर, वह आज दस साल का हो गया तो उस बच्चे का राशन दिया जाय वह कब तक दूध पीता रहेगा । 91 में पैदा हुआ बच्चा देश का भविष्य है और सरकार उसको खाने के लिये नहीं दे रही है मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है पढ़ाई के लिए । माननीय विधायक गण चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के अपने क्षेत्र में जाकर पूछ लें 15 रुपये से लेकर 20 रुपये में मिट्टी का तेल बिकता है और सीतापुर में तो यह नैपाल जा रहा है ब्लैक में । जब अखबार उठाकर पढ़ते हैं तो पता लगता है कि इतना भण्डार है और अगले आने वाले 2 वर्ष का कोटा है, गोदाम में शक्कर रखी हुई है, गेहूं रखा हुआ है तो उसको देने में क्यों दिक्कत आ रही है और दूसरी बात यह सौतेलापन क्यों है देहात में चीनी कम क्यों दे रहे हैं उसका कसूर केवल इतना है कि उसने गन्ना क्यों पैदा किया । अगर गन्ना किसान नहीं पैदा करेगा तो क्या शहरों में डामर की सड़कों पर गन्ना पैदा होगा । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि यह भी

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

समाज के लोग हैं जो राशन के कोटेदार हैं अगर आप चाहते हैं कि जन-जन को राशन पहुंचे तो उनकी भी रोजी-रोटी की व्यवस्था निकालें। एक आदमी जीविका चलाये, उसके बाद भी बेईमान न हो, ब्लैक न करे तो फिर करे क्या, वह खायेगा क्या ? सरकार सीधे-सीधे जानकर उन्हें [× × ×] बना रही है। यह लाखों लोग जो राशन के दुकानदार हैं उनकी जीविका हेतु व्यवस्था करें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अंसारी जी, कृपया संक्षिप्त करें क्योंकि निश्चित समय की चर्चा है।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, आप मंत्री जी को निर्देश दे दें तो मैं अभी खत्म कर दूं। आप सहमत हों तो सरकार को निर्देश कर दें, तो चर्चा की आवश्यकता ही नहीं होगी। मैं समाप्त किये दे रहा हूं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामनेज यादव एडवोकेट–

हमारे विद्वान सदस्य बाजपेयी जी और पाण्डेय जी ने जो बातें कही हैं, सरकार में रहकर हिम्मत करके कहीं हैं, इसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। पहले एक मंत्री जी थे, वह चले गये, उनके साथ मुख्य मंत्री भी चले गये। अब आप व्यवस्था देख रहे हैं, जरूर ठीक करेंगे। आप योग्य हैं और आपको बड़ा अनुभव भी है, उसी के आधार पर आपको व्यवस्था ठीक करनी चाहिए। आज यह कौन सी बात हो गयी है कि कोटेदार इतना सबल हो गया है कि आपको समझ लेता है, आपके डी० एम० को समझ लेता है, डी० एस० औ० को समझ लेता है, पूर्ति निरीक्षक, एस० डी० एम० तहसीलदार सबको समझ लेता है। यह राशन आखिर कहां चला जाता है, अभी बुनियाद जी ने बताया कि उनके सीतापुर से मिट्टी का तेल नेपाल चला जाता है। इसी प्रकार बहराइच से गोण्डा से, लखीमपुर से मिट्टी का तेल नेपाल चला जाता है। मान्यवर, बाजपेयी जी का चिन्तन सही है, यदि मिट्टी का तेल गांव के गरीब किसान, मजदूर को नहीं मिलेगा तो उसका काम कैसे चलेगा। उनके पास मौजूदा आधुनिक साधन तो नहीं हैं, कहीं न कहीं उसको स्टोव तो जलाना ही है। इसी प्रकार शक्कर की बात ले लीजिये, वह भी ब्लैक हो रही है। मिट्टी के तेल की तो यह स्थिति है कि कहीं-कहीं 20 से 25 रुपये तक सड़कों पर लेकर खुले आम बेच रहे हैं। माननीय मंत्री जी यदि आप जांच करवाना चाहें तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में हुजूरपुर में 80 कोटेदार हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के ब्लाक अध्यक्ष हैं, वह खुद सारा मिट्टी का तेल प्रयागपुर और नेपाल में ब्लैक कर देते हैं। आखिर यह व्यवस्था क्यों ठीक नहीं हो रही है, वह इसीलिये कि कुछ जिम्मेदार लोग ऐसे हैं, जिनके हाथ बहुत मजबूत हैं। मैंने पिछले दिनों शिकायत किया था, उस पर आपने तुरन्त ध्यान दिया। एक पूर्ति निरीक्षक था, वह दो ब्लाक देख रहा था, मंत्री जी दौरे पर गये, बहुत खुश हो गये, कहां तुम दो ब्लाक और ले लो, नतीजा यह हुआ कि एक के पास 4 ब्लाक आ गये और दूसरा सड़क नापने लगा। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप छापे डलवाइये और पता लगवाइये कि यह मिट्टी का तेल और शक्कर क्यों ब्लैक हो रही है। इस समय जो गेहूं आप दे रहे हैं, वह चूंकि बाजार के रेट से कम रेट पर बिकेगा, इसलिये दे रहे हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इस भ्रष्टाचार पर रोक लगायें। बुनियाद जी ने तो बहुत बुनियादी बातें कह दी हैं। आप इन सारी अनियमितताओं पर नियंत्रण करें, तो ठीक होगा।

श्री केशो मेहरा–

मान्यवर, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय गोरखनाथ पाण्डेय जी और डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी का भी

नोट :– [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

बहुत आभारी हूं कि उन्होनें अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय को प्रस्तुत किया । उन्होनें जो तथ्य प्रस्तुत किये हैं, वह 1991 के आधार पर किये हैं और कहा है कि उसको बढ़ाया जाय । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा । जहां मिल रहा है और विशेष रूप से मिट्टी के तेल के बारे में चिन्ता व्यक्त की, चीनी के बारे में चिन्ता व्यक्त की । मिट्टी का तेल जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होता है, वह पहुंचता ही नहीं, अधिकतर डीजल में मिलावट के लिए होता है । जो अधिकारी हैं प्रदेश के एक स्थान पर जमे हुए हैं, क्या उनकी स्थिति है और वे कितना रुपया ले रहे हैं इस प्रकार जो अधिकारी हैं, कार्यवाही सुनिश्चित हो । यह मैं आपके माध्यम से चाहता हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मा० मैं आपका आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने भाग लेने का अवसर दिया । मान्यवर, मुझे सिर्फ एक बिन्दु की ओर माननीय खाद्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना था मैं आपके माध्यम से जो चर्चा आदरणीय बाजपेयी जी ने और गोरखनाथ पाण्डेय जी ने रखे हैं, तथ्यों से इन्कार करने की स्थिति इस माननीय सदन में बैठे हुए किसी सदस्य की नहीं है, चाहे वह इधर बैठे हों या उधर बैठे हों । मान्यवर, मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, सरकार की जो कुछ ओढ़ी गयी मजबूरियां हैं, उसके तहत् यदि खाद्य मंत्री जी सत्य बोलने से मुकर जायें तो दूसरी बात होगी, उन्हें भी निश्चित रूप से जानकारी है । और जो आदरणीय बाजपेयी जी ने बात कही है कि 1991 की जनगणना के आधार पर केन्द्र सरकार से जो कोटा मिलता है, वह मुख्य कारण है, उन्होंने बचाव भी अपनी ओर से कर दिया है। मान्यवर, जितना कोटा मिलता है, वह तो अवास्तविक है । हमारी जनसंख्या के आधार पर हमें जो कोटा प्राप्त है और वितरण के लिए चलता है, गोदाम से निकलते वक्त ही पूरा नहीं होता है । एक कुन्तल चीनी की बोरी का वजन अगर गोदाम के बाहर तुलवा लिया जाय तो वह 95 किलो से ज्यादा नहीं होगी । के०डी०एस० के माध्यम से एक काम और किया जा रहा है । गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए राशन देने का जो काम हो रहा है, बलिया जनपद के बारे में विशेष रूप से कहना चाहूंगा। बलिया जनपद की सीमाएं बिहार से तीन तरफ से लगी हुई हैं । एक तरफ तो पटना को जाने वाला रास्ता बलिया जनपद से ही जाता है । अधिकतम्, माननीय मंत्री जी मैं आपके संज्ञान के लिए भी और कार्यवाई कर सकें तो उसके लिए भी मैं निवेदन के रूप में कहना चाहता हूं । वी०पी०एल० के लिए दिये जाने वाले गेहूं का 80 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा, बिलो पुवरटी लाइन का गेहूं खासतौर से बलिया के बार्डर, भरौली बार्डर से पार करके बिहार चला जाता है और इस गेहूं की तस्करी में जो यहां का थाना है, वहां की पोस्टिंग के लिए लखनऊ तक, सबसे ऊंची कुर्सी तक प्रयास करते हैं, दरोगा से लेकर सिपाही तक । बिक्रीकर के लोग अलग वसूली करते हैं, आपके मार्केटिंग के लोग अलग वसूली करते हैं । सप्लाई के लोग अलग वसूली करते हैं और पूरी तरह से एक रैकेट काम कर रहा है जिसमें वी०पी०एल० को प्राप्त होने वाले गेहूं की स्मगलिंग हो रही है । इसकी जांच कर ली जायेगी तो माननीय खाद्य मंत्री जी संतुष्ट होंगे । क्या प्रयत्न वह करना चाहते हैं, मैं तो आशावादी नहीं हूं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अम्बिका जी, संक्षिप्त करें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं राशन की दुकानों पर जो किरोसिन तेल आता है वह नहीं मिलता है । किरोसिन तेल की जिस जगह से निकासी होती है उसके 2-3-4 किलोमीटर के अन्दर ही निपटारा कर लिया जाता है । जिस शहर की गोदाम से वह निकलता है उस शहर के अगर नगरपालिका क्षेत्र में वह गोदाम है तो आमतौर पर उसे नगरपालिका क्षेत्र पार करके देहात में ले जाने की जहमत उठाने का काम नहीं करते हैं कभी किसी दबंग के इशारे पर दे दिया जाता है, कभी किसी का मुंह बन्द

करने के लिए दे दिया जाता है। यह वितरण व्यवस्था है। चर्चा के लिए यह जो बिन्दु उठाया गया है मैं आभार करना चाहता हूं डा० बाजपेयी का और गोरखनाथ पाण्डेय जी का और तमाम साथियों का जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर इस चर्चा की शुरुआत की है। जिस पर असहमति होने का प्रश्न ही नहीं है। सदन के सभी सदस्य पूर्ण रूप से सहमत है और इस बुराई से निजात पाने के लिए सभी अपना संकल्प रखना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में यह सरकार कुछ प्रभावी कार्यवाही कर सके तो आप करने की कृपा करें। आपने मुझे अवसर दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, मैं कोई तकरीर नहीं करूंगा। आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जब माननीय मंत्री जी जवाब देने लेंगे तो एक जानकारी दे दें कि आप राशन की दुकानों का आवंटन करते हैं तो उससे पहले आप एक सर्टीफिकेट लेते हैं कि अनइम्पलायड हैं, बेरोजगार है। अर्थात सरकार यह मानती है कि उसे रोजगार दे रहे हैं। आपके डिपार्टमेंट से राशन उठाकर जो वह बांटता है अगर सही ढंग से राशन बांटे तो महीने में वह कितना रुपया कमा लेगा। क्या इतना रुपया कमा लेता है कि वह अपने परिवार के साथ रह सके। सरकार खुद बेईमानी करा रही है। आप यह जानकारी दे दें।

* खाद्य एवं रसद मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

अगर किसी माननीय सदस्य को और बात कहनी हो तो स्वागत है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो चर्चा हुई, बहुत अच्छी चर्चा हुई। बहुत अच्छी जानकारी भी माननीय सदस्यों ने हमको दी, हमारा ज्ञानवर्धन किया। हमारा प्रयास होगा कि जो जानकारी माननीय सदस्यों ने दी है उसका हम पूरा उपयोग कर सकें। चार-पांच बातें पूरी तरह से उभर कर आयी हैं। एक यह कि प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से कोटा बढ़वाने के लिए प्रयास नहीं किया। जनसंख्या के आधार पर कोटा बढ़ना चाहिए। मैं समझता हूं कि साथियों की चिन्ता स्वाभाविक है लेकिन कोई प्रयास नहीं हुआ इससे मैं सहमत नहीं हूं। इधर से पूरा प्रयास हुआ है और उस प्रयास में हमको सफलता भी मिली है। आज सुबह ही मैंने सम्मानित सदन को बताया था कि चीनी के मामले में हमको सफलता मिली है। मैं समझता हूं कि इस सप्ताह या अगले सप्ताह में भारत सरकार के खाद्य मंत्री से मिलकर स्वयं चर्चा करूंगा। भारत सरकार को पत्र भी लिखे जाते हैं और उन पर कार्यवाही होती है और तमाम पत्रों का अच्छा प्रभाव हुआ है। हमारे एक माननीय सदस्य ने पूर्व मंत्री जी के बारे में कहा। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस बारे में प्रयास किया था और भारत सरकार के खाद्य मंत्री जी को लिखा है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने प्रयास नहीं किया। हम सभी प्रयत्नशील हैं और हमें उम्मीद है कि हम अपना कोटा बढ़वा सकेंगे। यह सही है कि 91 की जनगणना और आज की जनगणना में बहुत फर्क है। जब तक कोटा नहीं बढ़ता है तब तक कठिनाई होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले चीनी का कोटा 59 हजार मीट्रिक टन था जो अब बढ़कर 71 हजार मीट्रिक टन हो गया है। यह जो 11 हजार मीट्रिक टन की चीनी की बढ़ोत्तरी हुई है उसको ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित किया जायगा इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ज्यादा चीनी मिल सकेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो विसंगति है वह कम हो सकेगी। भारत सरकार एक निर्णय ले रही है कि जिन लोगों की माली हालत बहुत अच्छी है उन्हें राशन की दुकान से चीनी उपलब्ध न करायी जाय अगर ऐसा हो गया तो चीनी और उपलब्ध हो सकेगी और जो विसंगति है उसको दूर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। अभी मिट्टी के तेल के संबंध में स्थिति यह है कि इस समय 1 लाख 50 हजार किलो लीटर मिट्टी का तेल मिलता है जबकि हमारी आवश्यकता 2 लाख 75 हजार किलो लीटर की है। यह जो गैप है इस बारे में भी खतोकिताबत हो रही है। हम मिलकर भी प्रयास करेंगे कि तेल अधिक मात्रा में प्राप्त हो। इसी तरह से जो खाद्यान्न की बात है प्रति राशन कार्ड, गरीबी रेखा के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

नीचे रहने वालों को अनाज 10 किलो मिलता था अब इसको बढ़ाकर 20 किलो प्रति परिवार के हिसाब से सस्ता राशन मिलने लगेगा। मैं एक खुशखबरी और देना चाहता हूं कि भारत सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया है जिसका नाम है अन्नपूर्णा। जो हमारे समाज के वृद्ध हैं और जिनको पेंशन नहीं मिल पा रही है और जो पेंशन पाने के अधिकारी हैं ऐसे लागों को 10 किलो अनाज मुफ्त दिया जायगा ऐसा प्राविधान भारत सरकार ने किया है जिसको अगले महीने से शुरू किया जा रहा है। इसके लिये मैं भारत सरकार और भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देता हूं। अभी एक बात और उभर कर सामने आयी कोटेदारों के बारे में। यह सही है और जैसा हमारे कौकब भाई कह रहे थे कि वर्तमान में जो व्यवस्था है वह ठीक नहीं है, हमारे अंसारी साहब भी ठीक कह रहे थे कि जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें कोटेदार कैसे ईमानदारी से काम करे आज इस पर विचार करने की जरूरत है।

मैंने इधर विभिन्न संगठनों से बात करना शुरू कर दिया है। एक दिन मैंने कोटेदारों के प्रदेश स्तर पर जो संगठन हैं उनसे भी चर्चा की थी उनकी कठिनाइयों को मैंने सुना था और कहा था कि व्यवहारिक बातें सामने आनी चाहिए। यह सही है कि मिट्टी के तेल, चीनी और राशन के ट्रांसपोर्टेशन में कहीं कहीं गड़बड़ है अगर हम उसको बिल्कुल अस्वीकार करें तो यह सत्य से परे होगा। हम एक नई प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। हमने सात राज्यों में अध्ययन दल भेजे हैं तीन राज्यों से रिपोर्ट मिल गयी है। महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु चार राज्यों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में यह अध्ययन दल वहां पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस तरह से लागू की जा रही है कोई सुधार तो इनमें नहीं किया गया है उनका अध्ययन कराकर व्यवहारिक पहलू पर कार्य करेगा। कोटेदारों को भी इकोनामिकली वायविल बनाने का प्रयास होगा। तभी हम उन पर अधिक दबाव बना सकेंगे। यूं तो उनके खिलाफ बराबर कार्यवाही होती है। इस बीच जितनी राशन की दुकानें निरस्त की गयी इसके पहले कभी नहीं की गयीं। इस कार्यवाही को आगे आने वाले दिनों में सख्त करेंगे। लेकिन उनकी व्यवहारिक कठिनाइयों पर जरूर ध्यान देंगे। उसे दूर करने का प्रयास किया जावेगा। एक बिन्दु और उभर कर आया है। मिलावट का मिट्टी के तेल की डीजल में मिलावट है। मिट्टी के तेल की वितरण व्यवस्था है उसको हमने बेहतर और व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। अभी तीन स्थानों पर चेकिंग होती है। जो होल सेलर्स हैं उनके यहां अन्डर ग्राउण्ड टैंक बनाने का प्रयास किया गया है कुछ जगह अन्डर ग्राउण्ड टैंक बन गये हैं। हमारा यह प्रयास होगा कि सब जगह अन्डर ग्राउण्ड टैंक बनें और मिट्टी का तेल सुरक्षित पहुंचे। दूसरी चेकिंग होल सेलर्स से कोटेदारों को मिट्टी का तेल आवंटित करते समय होती है। इसके बाद राशन की दुकान से कार्ड होल्डर को मिट्टी का तेल मिलता है या नहीं उसकी चेकिंग करायेंगे। इसमें हमारे आपूर्ति विभाग के लोग काम करेंगे ही आवश्यकता हुई तो राजस्व विभाग के लोगों को भी काम पर लगायेंगे। इसके अलावा एक और कार्यक्रम शुरू किया है वह है उपभोक्ता पंचायतें लगायेंगे। बड़े नगरों में नगर स्तर पर और वार्ड लेवल पर उपभोक्ता पंचायतें लगायेंगे जिसमें उपभोक्ता, कोटेदार और अधिकारी होंगे इससे उपभोक्ताओं की कठिनाइयां सामने आ सकेंगी एवं उनका तुरन्त निराकरण हो सकेगा। और जो सूचना प्रौद्योगिकी का सहारा लेंगे, उस जनजागरण का नतीजा बहुत अच्छा निकलेगा। लोगों को जानकारी हो जायगी कि दुकान पर मिट्टी का तेल, चीनी आ गयी है या नहीं। गांव के लोग बहुत जागरूक हो गये हैं वे लोग उसे बंटवा लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हमें सफलता मिलेगी। मैं आप सब को धन्यवाद देता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी–

जहां क्लियरकट आपके विभाग की फाइण्डिंग है और एफ० आई० आर० दर्ज है कि अमुक-अमुक व्यक्ति ने चोरी की है और उस ट्रांसपोर्टर को अभी तक ठेका दिया हुआ है। यह शुद्ध शिकायत है। आपके विभाग की फाइण्डिंग है। आप कोई जांच दल उत्तर प्रदेश से किसी भी दिन भेज दें और एक भी ट्रक चेक करवा लें 95 किलो से ज्यादा चीनी नहीं मिलेगी। चूंकि आपने हमारी बात को ध्यान नहीं दिया इसलिये मुझे विनम्र निवेदन के साथ यह कहना पड़ा।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

आपने जो रोक लगाई है वह कब तक खुलेगी ?

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं। जो प्रश्न माननीय सदस्यों ने सदन के समक्ष रखा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 91 की जनसंख्या के आधार पर आज कोटा कम था, प्रयास हुए और उसके परिणाम भी आना शुरू हो गये हैं। मंत्री जी ने कहा कि हम प्रयास करेंगे। केन्द्रीय खाद्य मंत्री से इस सदन की भावनाओं को कहते हुए और जरूरत पड़े तो थोड़ी धौंस दिखाते हुए कोटे को वसूल करें। अपना हक लें। रेट स्ट्रक्चर का झगड़ा बहुत पुराना है। मंत्री जी ने इस बारे में हमें आश्वासन दिया है शायद मदद मिलेगी। एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है जो कोटा उत्तर प्रदेश में आता है उसे नेपाल बॉर्डर से गायब होने से बचाया जाय। भ्रष्टाचार पर अंकुश की बात आई है। मंत्री जी ने कहा है हमको सफलता मिली है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि कितने दिन के प्रयासों के बाद यह सफलता मिली है। कितने समय में यह कोटा देहात में उपभोक्ता के थैलों तक पहुंचेगा ? जहां तक उपभोक्ता पंचायतों का जिक्र किया गया है; इसका सामाजिक तौर पर प्रचार करके इसे लागू किया जायगा तो भ्रष्टाचार पर अवश्य अंकुश लगेगा। आखिरी बात यह है कि जो अध्ययन दल भेजा गया है उससे समय-समय पर उसकी नीतियों के आधार पर कार्य हो तो राशन प्रणाली के भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सकेगा। जो उपभोक्ता सुबह से शाम तक गरीबी की मार झेलता है उसे कम से कम दो वक्त की रोटी तो मिल सके। इससे सरकार की छवि भी सुधरेगी और सरकार को इसका पुण्य भी मिलेगा। अन्तिम बात कोटे के संबंध में कहना चाहता हूं। यदि माननीय मंत्री जी का भारत सरकार पर उतना प्रभाव न पड़े तो इस सदन की एक सर्वदलीय सदस्यों की एक टीम भारत सरकार ले जायें जो वहां पर दबाव बनाकर उत्तर प्रदेश की जो जायज मांग है, उसे प्राप्त करने का प्रयास करे।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय श्री अम्बिका चौधरी जी ने एक विशेष बात का उल्लेख किया है, उसे हम दिखवायेंगे। उनके संतोष के मुताबिक कार्यवाही होगी। उसमें किसी का भी कोई पक्ष नहीं लिया जायेगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जावेगी। श्री अन्सारी जी ने कोटेदारों के बारे में कहा कि वह स्थगित कर दी गयी थी। यह बात सही है कि स्थगित कर दी गयी थी परन्तु हमने प्रार्थना-पत्रों को निरस्त नहीं किया है, जैसा कि हमने अवगत कराया है कि हमने अध्ययन दल भेजे हैं, तीन प्रदेशों से सूचना आ गयी है, शेष चार प्रदेशों से भी जल्दी ही सूचना आ जायेगी। मैं समझता हूं कि इसी माह आ जायेगी। हम बहुत जल्द ही-उस पर चर्चा करके निर्णय ले लेंगे ताकि दुकानों का आवंटन हो सके और उसे व्यावहारिक रूप दिया जा सके। डाक्टर बाजपेयी जी ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं। श्री माहरा जी ने आगरा के बारे में बात कही। अभी पिछले दिन मैं आगरा में था, वहां पर मैंने एक दुकान पर स्वयं जाकर देखा और बहुत से राशन कार्डों को देखा और ए० डी० एम० सिविल सप्लाई को निर्देश दिये कि इनके घरों में जाकर आप राशनकार्डों की चेकिंग करें। हमने निर्देश दिया है कि राशन कार्डों के लिये आप कैम्प लगाकर राशन कार्ड बनायें ताकि उनको भागना-दौड़ना न पड़े। जहां तक भारत सरकार की बात है, आपने सुझाव दिया है कि हम सब मिलकर चलेंगे, मैं इसका स्वागत करता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश के जो 85 सांसद हैं, उनका भी हम सहयोग लेंगे। आप लोगों ने जो सुझाव दिये हैं, उसके लिये मैं आप लोगों का आभारी हूं।

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा अब समाप्त होती है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 24-4-2000 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई । पहली सूचना डाक्टर लक्ष्मी कान्त बाजपेयी जी की विश्व व्यापार संगठन के दबाव में हुए मुक्त व्यापार समझौते से प्रदेश की विभिन्न मण्डियों में देशी जिन्सों पर पड़ रहे दुष्प्रभाव के सम्बन्ध में है, इसे वक्तव्य हेतु स्वीकार किया जाता है । दूसरी सूचना डाक्टर अम्मार रिजवी जी की उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों की भांति राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप वेतन दिये जाने के सम्बन्ध में है, इसे वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है । तीसरी सूचना श्री राम औतार शाक्य जी की उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में कथित रूप से व्याप्त अनियमितताओं एवं अवैधानिकताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इसे केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया जाता है ।

(समय 7 बजकर 20 मिनट)

चौथी सूचना श्री श्यामलाल रावत व श्री रघुवर दयाल वर्मा की जनपद सीतापुर की तहसील सिधौली के अन्तर्गत ग्राम लक्ष्मणपुर तथा जनपद फिरोजाबाद के ग्राम रामदासपुरा व असहदादपुर में हुए अग्निकांड के पीड़ितों को शासकीय सहायता दिलाये जाने तथा तत्काल राहत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है, यह केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । पांचवीं सूचना डा० धर्मज्ञ मिश्र की जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से जनसामान्य को आवागमन में हो रही कठिनाइयों के सम्बन्ध में है यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । छठी सूचना श्री तेजभान सिंह की जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक शाहगढ़ के ग्राम कोहार के प्रधान द्वारा की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । सातवीं सूचना श्री वसीम अहमद की जनपद आजमगढ़ के गोपालपुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय ग्रामों में हुई ओलावृष्टि से किसानों की फसलों की क्षति का मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । आठवीं सूचना श्री भोनूराम सोनकर की जनपद बलिया में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों को खाद्य सामग्री की समुचित आपूर्ति न किये जाने तथा भ्रष्टाचार किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, यह ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । श्री प्रभु नारायण सिंह यादव के साथ शेष दोनों सूचनायें अस्वीकृत हुई ।

प्रदेश में खाद्य पदार्थों के सैम्पल भरे जाते समय व्यापारियों को सैम्पल न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दी गयी सूचना पर, नियम 51 के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री का वक्तव्य

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (डा० राम बाबू हरित)–

माननीय सदस्य द्वारा अवगत कराया गया है कि खाद्य.....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में पूर्व में यह व्यवस्था थी कि जब भी किसी खाद्य वस्तु का परीक्षण हेतु नमूना भरा जाता था तो उसकी एक शीशी संबंधित व्यापारी/विक्रेता को दी जाती थी । वर्तमान में सैम्पुल की तीन शीशी भरी जाती हैं किन्तु व्यापारी को नहीं दी जाती है । इस व्यवस्था

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

का व्यापारी/व्यापारी संघ विरोध करता है तथा आन्दोलित है। यह भी अवगत कराया गया है कि इस व्यवस्था के कारण जो व्यापारी मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचते हैं वे लाभ में हैं तथा अफसरशाही अपने भ्रष्टाचार के कारण व्यापारी को सैम्पुल की एक शीशी उपलब्ध कराने की पूर्व व्यवस्था को लागू होने नहीं देना चाहते। मा० सदस्य ने सैम्पुल की एक प्रति व्यापारी को देने की पूर्व व्यवस्था को यथावत् लागू करने की मांग की है।

उत्तर प्रदेश में अपमिश्रित खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं बिक्री आदि की रोकथाम हेतु खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं नियमावली, 1955 के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जाती है। उल्लेखनीय है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं नियमावली, 1955 केन्द्र सरकार/भारत सरकार का अधिनियम/एक्ट है, जो भारत सरकार के समस्त राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में लागू/प्रभावी है. जिसमें संशोधन हेतु किसी राज्य विशेष के स्तर से कार्यवाही सम्भव नहीं है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार का निर्णय अन्तिम है।

खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण को रोकने के लिये खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत नमूना संग्रह करने, निरीक्षण वाद दायर करने तथा मुकदमों की पैरवी करने हेतु प्रदेश में 69 मुख्य खाद्य निरीक्षक (कार्यरत–19) तथा 935 खाद्य निरीक्षक (कार्यरत–726) के पद सृजित हैं। इनमें से 350 नव नियुक्त खाद्य निरीक्षकों को कार्य कुशलता हेतु प्रशिक्षण दिया गया है, जिन्होंने नमूना संग्रह करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की व्यवस्था के अन्तर्गत वर्ष 1976 से पूर्व खाद्य निरीक्षकों/मुख्य खाद्य निरीक्षकों द्वारा संग्रह किये गये खाद्य पदार्थों के नमूने की एक शीशी निर्माता/विक्रेता को दी जाती थी, परन्तु निर्माता/विक्रेता के हस्ताक्षर अथवा निशानी अंगूठा साक्ष्य के रूप में नहीं लिया जाता था।

भारत सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों के नमूना संग्रह करने एवं जन विश्लेषक प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु भेजे जाने की व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की इस व्यवस्था में वर्ष 1976 में संशोधन किया गया। संशोधन के उपरान्त वर्तमान में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं नियमावली, 1955 की धारा–11 के प्राविधान के अन्तर्गत खाद्य पदार्थों के नमूनों को तीन प्रतियों (शीशी) में एकत्र किया जाता है। खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रह करने के पूर्व स्थानीय खाद्य एवं स्वास्थ्य प्राधिकारी (एल० एच० ए०) द्वारा कोड स्लिप जारी की जाती है, जिस पर निर्माता/विक्रेता के भी हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा लगवाया जाता है। निर्माता/विक्रेता द्वारा हस्ताक्षर/अंगूठा लगवाने से मना करने पर साक्ष्य के रूप में स्थानीय उपलब्ध व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के हस्ताक्षर/अंगूठा लगवाकर एकत्रित नमूनों की एक प्रति राजकीय जन विश्लेषक, उत्तर प्रदेश को विश्लेषण हेतु भेज दी जाती है। तदोपरान्त विश्लेषित नमूनों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के संगत प्राविधानों के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

एकत्रित नमूने की शेष दो प्रतियां (शीशी) स्थानीय खाद्य एवं स्वास्थ्य प्राधिकारी के कार्यालय में सुरक्षित रखी जाती है। राजकीय जन विश्लेषक को भेजे गये नमूने के नष्ट हो जाने या अनुपयोगी होने की दशा में सुरक्षित रखे गये उक्त नमूनों की दो शीशियों में से एक शीशी परीक्षण हेतु पुनः राजकीय जन विश्लेषक को भेज दी जाती है। इस प्रकार नमूनें की जांच पूर्ण होती है तथा उसकी एक प्रति विक्रेता के पास न होने के कारण इसके दुरुपयोग/अनुचित लाभ की सम्भावना भी नहीं रहती है। खाद्य पदार्थों के लिये गये उक्त नमूनों की पैकिंग पी० एफ० ए० एक्ट, 1954 की धारा–16 के प्राविधानों के आधार पर की जाती है।

उपरोक्त स्थिति में चूंकि केन्द्र/भारत सरकार द्वारा उच्च स्तरीय निर्णयोपरान्त 1976 के संशोधन द्वारा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा–11 के प्राविधानों के अन्तर्गत संग्रह किये गये नमूने की एक प्रति संबंधित व्यापारी/विक्रेता को देने के स्थान पर संबंधित व्यापारी/विक्रेता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी की व्यवस्था की गयी है तथा संबंधित व्यापारी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी देने से मना करने पर साक्ष्य के रूप में स्थानीय उपलब्ध व्यक्ति/व्यक्तियों के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी प्राप्त कर कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था की गयी है । ऐसी स्थिति में सैम्पुल की एक प्रति व्यापारी/विक्रेता को दिये जाने की पूर्व व्यवस्था को वर्तमान में लागू किया जाना सम्भव/औचित्यपूर्ण नहीं है । उल्लेखनीय है कि प्रकरण में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में भारत सरकार के स्तर से ही संशोधन किया जा सकता है, राज्य सरकार द्वारा संशोधन किया जाना सम्भव नहीं है ।]

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । मेरा प्रश्न था कि जो जनपदों में सैम्पुल भरे जाते हैं पहले यह परम्परा थी कि जब किसी खाद्य वस्तु का नमूना भरा जाता था तो संबंधित व्यापारी को उसकी एक शीशी दी जाती थी । सरकार की तरफ से यह व्यवस्था समाप्त कर दी गयी और इसकी आड़ में नकली माल की सप्लाई उपभोक्ता को हो रही है । 76 में पी० एफ० ए० एक्ट में भारत सरकार ने संशोधन कर दिया गया अब प्रदेश सरकार इस मामले में इसी बात का सहारा लेकर कार्य कर रही है और व्यापारियों को उसके माल का सैम्पुल भरे जाने के बाद भी उसको एक शीशी सैम्पुल के रूप में नहीं देती है जिससे व्यापारियों में रोष है । मैंने निवेदन किया था कि इस तरह की प्रथा को लागू करके उपभोक्ताओं पर जो असर पड़ रहा है कि उन्हें नकली सामान मिल रहा है इससे बचाया जाय । जनता को मिलावटी वस्तुओं से मुक्ति मिल जायेगी और व्यापारी संघ भी संतुष्ट हो जायेगा ।

डा० राम बाबू हरित–

जैसा माननीय सदस्य ने बताया पहले व्यवस्था थी और व्यापारी को सैम्पुल की एक शीशी 1976 से पूर्व दी जाती थी लेकिन जब नियम में परिवर्तन किया गया तब तीन सैम्पुल भरे जाते हैं व्यापारी से उसके हस्ताक्षर करवाये जाते हैं या अंगूठा निशानी लगाई जाती है । जिससे सरकार की पारदर्शिता आती है । व्यापारी संघ के द्वारा कोई ज्ञापन नहीं मिला है अगर मिलेगा तो भारत सरकार को संस्तुति करके भेज देंगे ।

जनपद वाराणसी में प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षिकाओं को बकाये वेतन का भुगतान किये जाने तथा भविष्य में नियमित वेतन भुगतान कराये जाने के संबंध में श्री श्याम देव राय चौधरी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री का वक्तव्य

* बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर त्यागी)–

माननीय श्री श्याम देव राय चौधरी, सदस्य, विधान ने सदन को सूचित किया है कि.....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[वाराणसी के अग्रसेन महाजनी इण्टर कालेज, नेशनल इण्टर कालेज, गुजरात विद्या मंदिर, हरीशचन्द्र इण्टर कालेज, भारतीय शिक्षा मंदिर, रुक्मणि बालिका इण्टर कालेज, नवयुग विद्या मंदिर तथा विश्वनाथ सनातन धर्म इण्टर कालेज की महिला शिक्षिकाओं को माह फरवरी, 92. जून-अगस्त, 1993. दिसम्बर, 1994. मार्च–दिसम्बर, 1996. जनवरी, 1997. दिसम्बर, 1998 जनवरी, फरवरी, अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर, 1999 तथा जनवरी, फरवरी, 2000 का वेतन व एरियर अब तक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

नहीं मिल पाया है। वेतन भुगतान न होने के कारण अनुदान भेजने की त्रुटिपूर्ण व्यवस्था, धन-वितरण की श्रृंखला काफी लम्बी होना सूचित किया गया है।

इस संबंध में मा० अध्यक्ष, विधान सभा–सदन के माध्यम से मा० सदस्य महोदय को अवगत कराना है कि शासन की अनुदान भेजने की व धन वितरण करने की व्यवस्था इस प्रकार है कि शासन से बजट स्वीकृत उपरान्त स्वीकृत धनराशि समय से स्वीकृत कर निदेशक (माध्यमिक) के निर्वतन पर रखी जाती है। निदेशक (माध्यमिक) क्षेत्रीय अधिकारियों (जनपद) की विद्यालयों के बिलों की मांग के आधार पर, मांगी गई धनराशि आवंटित करते हैं। इस बीच जिन विद्यालयों से समय से बिल प्राप्त नहीं होते हैं उनके लिये वांछित धनराशि आगामी मांगों में प्रेषित की जाती है। एक किश्त स्वीकृति के बाद दूसरी किश्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर स्वीकृत की जाती है। अस्तु स्पष्ट है कि स्वीकृत एवं 'भुगतान की व्यवस्था' सही है।

उल्लेखनीय है कि अशासकीय विद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान का प्रथम उत्तरदायित्व विद्यालय के प्रबंधक तंत्र का है। उन्हें समय से वेतन भुगतान कर समय से वेतन बिल क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रस्तुत करना उनका उत्तरदायित्व है। मा० अध्यक्ष महोदय सहमत होंगे कि शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तक वितरण सुनिश्चित कराना भी आवश्यक है। मा० अध्यक्ष महोदय सहमत होंगे कि शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों तक वितरण सुनिश्चित कराना भी आवश्यक है।

उक्त विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन भुगतान की स्थिति निम्नवत् है :—

	भुगतान का माह
1–अग्रसेन महाजनी इण्टर कालेज, वाराणसी	11/98 तक
2–नेशनल इण्टर कालेज, पीली कोठी, वाराणसी	11/98 तक
3–गुजरात विद्या मन्दिर, वाराणसी	12/98 तक
4–हरीश चन्द्र इण्टर कालेज, वाराणसी	11/98 तक
5–भारतीय शिक्षा मंदिर, वाराणसी	11/98 तक
6–रुक्मणि बालिका इण्टर कालेज,	12/98 तक
7–नवयुग विद्या मंदिर	12/98 तक
8–श्री विश्वनाथ सनातन धर्म इण्टर कालेज	11/98 तक

इन विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की उपरोक्तानुसार भुगतान की स्थिति सूचनीय है जहां तक अवशेष वेतन के भुगतान का संबंध है इस संबंध में सूचनीय है कि शासन द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संलग्न प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों/कर्मचारियों के अवशेष भुगतान हेतु वर्ष 1999-2000 में रु० 19,74,70,000.00 स्वीकृत किया जा चुका है। इस धनराशि के समक्ष विद्यालयों से अवशेष भुगतान के बिलों के प्राप्त होने पर, उनके वेतन पुनरीक्षण व अवशेष मांग की जांच के उपरान्त मांग स्वीकृत कर आवंटित की जाती है। इस आधार पर अवशेष भुगतान किया जा रहा है। प्रगति की सूचना शिक्षा निदेशक के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर से मांगी गयी है। नियमित वेतन देने के आदेश भी दिये गये हैं।

उपरोक्त सूचना सदन के माध्यम से मा० सदस्य को सूचित करते हुए कहना है कि भुगतान आदि की वर्तमान व्यवस्था में दोष नहीं है। आशा है मा० सदस्य अनुदान के उचित उपयोग के दृष्टिगत इस व्यवस्था से सहमत होंगे।]

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, मेरा एक स्पष्टीकरण है। मैंने बताया था कि दो तरह के माध्यमिक विद्यालय हैं एक तो वे जो कन्या विद्यालयों से संलग्न हैं और दूसरे वे जो बालकों के विद्यालय से संलग्न हैं। कन्या विद्यालय से संलग्न विद्यालयों के शिक्षक शिक्षिकाओं को नियमित वेतन मिल जाया करता है लेकिन जो दूसरे तरह के विद्यालय हैं उनसे संलग्न विद्यालयों के शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पाता है। उन्हें भी नियमित वेतन दिया जाय। दूसरी बात मैंने एरियर के सम्बन्ध में कही थी कि 93 का एरियर नहीं मिला है? माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह बड़ा ही घुमा फिराकर दिया है। एक बात यह नहीं बतायी कि जो कन्या विद्यालय से संलग्न प्राथमिक विद्यालय हैं उनको वेतन देने का जो हेड है वह अलग है। उसमें जो वेतन जाता है वह नियमित मिल जाता है। दूसरी तरह के विद्यालयों के लिये अलग हेड है मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो विसंगति है इसको दूर करने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है?

श्री बालेश्वर त्यागी–

अनुदानित विद्यालयों को समय से वेतन मिल जाता है क्योंकि उसकी समिति वेतन के बिल बनाकर समय से अधिकारियों को भेज देती है। शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान में से उसका भुगतान होता है।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

मान्यवर, जो उत्तर आया है उसको ही घुमा फिराकर पढ़ रहे हैं।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

यह तथ्य सही नहीं है। वेतन का बिल समय से दूसरे विद्यालयों से प्रस्तुत नहीं किया जाता है जिसको वेतन लेना है वह सतर्क रहता है वह विद्यालय निश्चित समय पर वेतन का बिल प्रस्तुत कर देते हैं। जिसका प्रस्तुत नहीं हो पाता है उसको नहीं मिलता है उनको इसलिये नहीं मिल पाता है क्योंकि जिस मद से धन दिया जाता है वह दोषपूर्ण है। उससे कभी भी एक मुश्त धन निर्गत नहीं किया जाता है वहीं दूसरी तरफ कन्याओं से सम्बन्धित जो विद्यालय हैं, उनको एक मुश्त धन दिया जाता है इसलिये वहां बराबर वेतन मिलता है और एरियर नहीं मिलता है इस बारे में मंत्री जी बता दें ताकि उनको भी वेतन मिल जाए।

श्री अधिष्ठाता–

उसी लेखा शीर्षक के अन्तर्गत उनको भी वेतन मिल जाए इसकी व्यवस्था करेंगे?

श्री बालेश्वर त्यागी–

19 करोड़ 74 लाख 70 हजार की स्वीकृतियां निर्गत कर दी हैं और नियमित भुगतान के आदेश दे दिये हैं।

श्री श्याम देव राय चौधरी–

माननीय मंत्री जी ने गोलमोल उत्तर दिया है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के कतिपय जनपदों में प्रतिवर्ष बाढ़ से होने वाली तबाही रोकने तथा टूटे तटबन्धों से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के सम्बन्ध में श्री विनोद मणि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई राज्य मंत्री का वक्तव्य

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री शिवशंकर सिंह)–

पूर्वी उत्तर प्रदेश के कतिपय जनपदों में:.....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[प्रतिवर्ष बाढ़ से होने वाली तबाही को रोकने तथा टूटे तटबन्धों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी गयी है ।

2—उत्तर प्रदेश के तीन मण्डल क्रमशः बस्ती, गोरखपुर एवं आजमगढ़ प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं । इन मण्डलों में राप्ती, घाघरा, गण्डक एवं उनकी सहायक नदियों में अथाह जल प्रवाह होने के कारण बाढ़ आती है । इन नदियों में से अधिकांश का उद्गम नेपाल राष्ट्र में है । उपलब्ध सूचना के आधार पर नेपाल से आने वाले पानी को रोकने के लिये नेपाल के क्षेत्र में शारदा, घाघरा, राप्ती एवं गण्डक नदी पर ऊंचे बांध बनाये जाने की योजना पर भारत सरकार द्वारा नेपाल राष्ट्र से वार्ता की जा रही है । यदि वहां की भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल पाई गई एवं इतना अधिक धन उपलब्ध हो सकेगा तभी इस योजना को कार्यरूप दिया जाना सम्भव हो सकेगा ।

3—जहां तक वर्ष 1998 की विनाशकारी बाढ़ से टूटे बन्धों को ठीक कराने का प्रश्न है । धन की उपलब्धता के अनुसार प्रदेश में टूटे/कटे समस्त तटबन्धों की पुनर्स्थापना करा दी गयी है । इसके अतिरिक्त आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए तटबन्धों एवं कटाव निरोधक कार्यों में से अधिकांश की मरम्मत भी करा दी गयी है ।

4—प्रत्येक वर्ष धन की उपलब्धता के अनुरूप बाढ़ से बचाव के कार्य कराये जाते हैं ।]

जनपद पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्रान्तर्गत राजस्व विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण भारतीय भूमि पर नैपाली नागरिकों की अवैध कब्जेदारी के सम्बन्ध में श्री गोपाल कृष्ण द्वारा दी गयी सूचना पर नियम–51 के अन्तर्गत निर्धारित वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–16 मंत्री जी के अनुरोध पर स्थगित किया जाता है ।

जनपद मुरादाबाद में अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक स्थलों के निर्माण और पुनर्निर्माण पर रोक लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अकबर हुसैन आदि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री शिव शंकर सिंह)–

प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी, मुरादाबाद से जांच कराई गई.....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[जांच से यह प्रकाश में आया है कि जिला प्रशासन द्वारा इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है कि धार्मिक स्थल के निर्माण के पूर्व किसी प्रकार की कोई अनुमति आवश्यक हो । इस प्रकार धार्मिक स्थल निर्माण में अनुमति की कोई बाध्यता नहीं है कि बिना अनुमति के निर्मित होने वाले धार्मिक स्थल के निर्माण को रोक दिया जाय । धार्मिक स्थलों के निर्माण के संबंध में कोई विवाद

नोट :– [यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जिला प्रशासन के समक्ष आता है तो विस्तृत रूप से उसकी जांच की जाती है और केवल उन्हीं मामलों में निर्माण रोकने का आदेश दिया जाता है जिनमें कतिपय भूमि सम्बन्धी विवाद हों, भूमि के स्वामित्व को लेकर विवाद हो, लोगों की साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाला कार्य हो या जिससे लोक व्यवस्था भंग होने की सम्भावना उत्पन्न होती है। ऐसे मामलों में निर्माण कार्य रुकवा दिया जाता है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे।

2—मा० विधायक द्वारा उल्लिखित स्थल ग्राम मल्लूपुरा–हरदो–डांडी ककरघटा के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है। जहां तक साहू प्रह्लाद किशोर पब्लिक स्कूल, रामलीला ग्राउण्ड, मुरादाबाद के प्रांगण में बिना अनुमति के मंदिर के निर्माण का उल्लेख किया गया है, के संबंध में प्राप्त सूचना के अनुसार स्कूल परिसर के अन्दर 15–20 वर्ष पुराना एक मन्दिर बना है। वर्तमान में किसी नये मन्दिर का निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है, बल्कि पुरानी मूर्तियों व प्रांगण की सफाई कराकर उन्हें पुनः स्थापित कराया जा रहा है।

3—जिन स्थानों पर धार्मिक स्थलों के निर्माण पर शांति व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिकोण से रोक लगाई गई है वहां पर किसी प्रकार का कोई रोष नहीं है और शांति व्यवस्था पूर्ण रूप से बनी हुई है। उल्लेखनीय है कि विगत माहों में जनपद के कई स्थानों पर स्थानीय जनता के मध्य आपसी सौहार्द्र से कई मस्जिदों का निर्माण भी हुआ है।]

जनपद सलीमपुर के हैदराबाद क्षेत्रान्तर्गत श्री कालिका प्रसाद की हत्या तथा थाना मितौली में अबोध बालिका के साथ हुई दुराचार की घटना से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अरविन्द गिरि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन

जनपद गौतम बुद्ध नगर में किसानों की भूमि के प्रतिकर पर आयकर तथा सरचार्ज की कटौती किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री नवाब सिंह नागर द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित राजस्व मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–18 और मद संख्या–19 को मंत्री जी के अनुरोध पर स्थगित किया जाता है।

जनपद मुरादाबाद के हिन्दू कालेज मुरादाबाद का क्रीड़ा मैदान, भवन एवं 20 लाख रुपया अवैध रूप से निजी संस्था को देकर सम्पत्ति का दुरुपयोग किये जाने के सम्बन्ध में श्री सौलत अली एडवोकेट द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री शिवशंकर सिंह)–

इंस्टीट्यूट आफ फारेन ट्रेड एण्ड मैनेजमेंट मुरादाबाद.....

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[के अवैध रूप से गठित बोर्ड आफ डायरेक्टर द्वारा निजी संस्था के रूप में चलाये जाने, जिसका कोई विधिक गठन या अनुमोदन नहीं होने, प्राचार्य एवं प्रबन्धक, हिन्दू कालेज, मुरादाबाद द्वारा नियमों के विरुद्ध एम० जे० पी० रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली को उक्त संस्था की स्थापना के लिये क्रीड़ा मैदान, भवन तथा 20 लाख रुपये दान स्वरूप दिये जाने, संस्थान में तीन वर्षों तक एम० बी०

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ए० कक्षाओं का संचालन बिना विधिक मान्यता के चलाये जाने और छात्रों से वसूले गये अवैध धन का दुरुपयोग कालेज के प्राचार्य, तत्कालीन कुलपति एवं वित्त अधिकारी द्वारा करने, विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डा० बीना शाह ने नियमों के विरुद्ध जाकर बिना किसी भवन या भूमि के आई० एफ० टी० एम० को निजी संस्था के रूप में मान्यता प्रदान करने का उल्लेख किया गया है। मा० सदस्य द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि इस संस्था को स्थापित करने में घोर अनियमितताएं की गयीं और सरकारी सहायता प्राप्त कालेज के खाते से धन, भवन तथा भूमि का निजी संस्था के पक्ष में हस्तान्तरण नियमों के विरुद्ध तथा अवैधानिक है।

2—इस संबंध मे तथ्यात्मक स्थिति यह है कि श्री शाहू शंकर सरन कोठीवाल, प्रबन्धक, हिन्दू कालेज, मुरादाबाद द्वारा प्रबन्धकीय पाठ्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय को 20 लाख रुपये, लगभग 25 लाख रुपये लागत का एक नवनिर्मित भवन एवं 7138.65 वर्ग मीटर भूमि दान दिये जाने सम्बन्धी पत्र के क्रम में विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् द्वारा उक्त दान को सहर्ष स्वीकार किया तथा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–44 के अन्तर्गत मुरादाबाद में विदेश व्यापार एवं प्रबन्धन संस्थान खोलने की स्वीकृति प्रदान की। इस संस्थान का सारा प्रबन्ध कार्य (शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय) एक बोर्ड आफ गवर्नर के माध्यम से करने की व्यवस्था की गयी। बोर्ड के गठन हेतु कुलपति को अधिकृत किया गया। इस संस्थान में एम० बी० ए० (दो वर्षीय पूर्णकालिक), एम० आई० बी० (दो वर्षीय पूर्णकालिक), एम० बी० ए० (तीन वर्षीय अंशकालिक), विभिन्न सम्बन्धित डिप्लोमा एवं विदेशी भाषाओं को चलाने की व्यवस्था जुलाई, 1996 से प्रारम्भ की गयी। कालान्तर में इंस्टीट्यूट आफ फारेन ट्रेड एण्ड मैनेजमेंट, हिन्दू कालेज परिसर, मुरादाबाद को एम० बी० ए० पाठ्यक्रम में अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने का प्रस्ताव महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली से प्राप्त हुआ। अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने हेतु गठित निरीक्षण मण्डल तथा विश्वविद्यालय ने अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की संस्तुति की गयी।

3—इस प्रकरण में कई बिन्दुओं पर विधिक नियमों का पालन नहीं किया गया, ऐसा प्रतीत होता है। इस प्रकरण में अनियमितताओं की जांच एवं उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिये विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–8 के अन्तर्गत मण्डलायुक्त, मुरादाबाद के लिये आदेश जारी किये जा रहे हैं। जांचोपरान्त ही वस्तुस्थिति स्पष्ट हो पायेगी।]

मद संख्या–21 से मद संख्या–25 पर उल्लिखित वक्तव्य पढ़े हुए माने गये।

रिमोट सेन्सिग एप्लीकेशन सेन्टर, लखनऊ के निदेशक पद की चयन प्रक्रिया में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (डा० शिवाकान्त ओझा)–

[रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेन्टर, उ० प्र० के कार्यालय ज्ञाप संख्या 10/उप सभा/99, दिनांक 10 मई, 1999 द्वारा डा० ऐश्वर्य नारायण को निदेशक पद से कार्यमुक्त किया गया था। उक्त कार्यालय ज्ञाप में निहित आदेश के अनुसार डा० ए० एन० सिंह को कार्यवाहक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

रिमोट सेन्सिंग एप्लीकेशन सेंटर, उ० प्र० में पूर्णकालिक निदेशक के पद पर चयन हेतु दिनांक 28 से 30 अक्टूबर, 1999 के मध्य टाइम्स आफ इंडिया के लखनऊ, मुम्बई, अहमदाबाद एवं बंगलौर संस्करण में विज्ञापन दिया गया था। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 15-11-99 रखी गयी

थी। निर्धारित तिथि तक कुल 13 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। उक्त आवेदन पत्रों की जांच एवं निदेशक पद पर चयन हेतु आगे की प्रक्रिया चल रही है।

केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डा० एस० के० शुक्ला ने भी उक्त पद हेतु अपना आवेदन पत्र दिया है एवं वे भी उपरोक्त 13 अभ्यर्थियों में से एक हैं। विज्ञापन में प्रकाशित निदेशक पद हेतु अर्हताओं के अनुसार यदि डा० एस० के० शुक्ला का आवेदन-पत्र जांचोपरान्त अर्ह पाया जायेगा तभी उनके आवेदन पत्र पर विचार किया जा सकेगा। तदोपरान्त चयन समिति द्वारा योग्य अभ्यर्थी का चयन निदेशक पद पर किया जायेगा। अतः इस प्रक्रिया में डा० एस० के० शुक्ला द्वारा किसी प्रकार के अनुचित हस्तक्षेप का प्रश्न नहीं उठता है। डा० एस० के० शुक्ला को पूर्व में निलम्बित तो किया गया था परन्तु उनके आरोप पत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित कोई आरोप नहीं लगाया गया था तथा वर्ष 1996-97 में डा० एस० के० शुक्ला के विरुद्ध विभागीय जांच के उपरान्त उनको अपने पद पर बहाल करते हुए तत्कालीन अध्यक्ष, प्रबन्धकारिणी समिति/नियुक्ति प्राधिकारी/अनुशासनिक अधिकारी द्वारा उन्हें किसी गम्भीर अनियमितता हेतु दोषी नहीं पाया गया था अपितु कुछ मामूली आरोपों में वेतन वृद्धि रोकने का अल्प दण्ड ही दिया गया था।

मा० मंत्री, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी द्वारा डा० एस० के० शुक्ला को किसी प्रकार का कोई संरक्षण नहीं दिया जा रहा है अतः उन्हें कोई अनुचित लाभ दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।]

जनपद संत रविदास नगर, भदोही के विकास खण्ड सुरियावां के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्राम छतरीपुर का राजकीय नलकूप चालू न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री पूर्णमासी पंकज द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री शिवशंकर सिंह)–

[नियम–51 के अन्तर्गत माननीय सदस्य द्वारा जनपद संत रविदासनगर भदोही के विकास खण्ड सुरियावां के अन्तर्गत अम्बेडकर ग्राम–छतरीपुर का राजकीय नलकूप चालू न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना दी गयी है।

2—उक्त ग्राम में ग्राम्य विकास अभिकरण से प्राप्त धनराशि से वर्ष 1998-99 में नलकूप संख्या–448 बी० जी० का निर्माण कराया गया था। नाली के निर्माण हेतु धन प्राप्त न होने के कारण नालियों का निर्माण नहीं कराया गया है। विद्युत विभाग द्वारा इस नलकूप का ऊर्जीकरण माह अप्रैल, 2000 में कर दिया गया है और नलकूप चालू हो गया है।

3—वर्तमान में राजकीय नलकूपों को ग्राम पंचायतों को हस्तानान्तरित कर दिये जाने के कारण अब प्रदेश के राजकीय नलकूपों के विद्युत बीजकों का भुगतान सिंचाई विभाग से सत्यापन के पश्चात् पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाता है। इस नलकूप को भी ग्राम पंचायत को हस्तानान्तरित किया जा रहा है। इस नलकूप पर विद्युत बीजक का भुगतान अप्रैल, 2000 से देय होगा जो ग्राम प्रधान द्वारा नहीं किया जाना है। वर्तमान में नाली के निर्माण हेतु धन उपलब्ध न होने के कारण नाली का निर्माण कराना सम्भव नहीं है।]

नोट:– [ ] वह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तारा गर्ल्स इण्टर कालेज, बहराइच में वर्ष 1998 के हड़ताली शिक्षकों को हड़ताल की अवधि के वेतन भुगतान हेतु निर्गत शासनादेश के अनुरूप वेतन भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में डा० बकार अहमद शाह द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा राज्य मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)–

[प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की दिनांक 1-7-98 से 6-8-98 तक हड़ताल हुई थी । जनपद बहराइच के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भी हड़ताल हुई जिसमें तारा महिला इण्टर कालेज, बहराइच में भी 32 शिक्षिकाओं ने हड़ताल में भाग लिया था । शासनादेश संख्या–2240/15-8-1998. दिनांक 29-9-98 द्वारा हड़ताली शिक्षकों को हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान के संबंध में अध्यापकों के अवकाश लेखों में जितना उपार्जित अवकाश देय हो उसको समायोजित कर केवल उतनी अवधि का वेतन उन्हें भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है । हड़ताल अवधि का विशेष आकस्मिक अवकाश दिया जाना सम्भव नहीं है ।

उक्त शासनादेश के अनुपालन में जिला विद्यालय निरीक्षक, बहराइच के पृष्ठांकन संख्या–ले०स०(1)हड़–98/48 34-58/98-99 दिनांक 24-10-98 द्वारा शासनादेश की प्रतिलिपि समस्त विद्यालयों को निर्गत करके शिक्षकों के खाते में उपलब्ध उपार्जित अवकाश को समायोजित करते हुए हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान किया गया ।

वर्तमान में तारा महिला इण्टर कालेज, बहराइच में वर्ष 1998 में की गयी हड़ताल अवधि का वेतन बिल 23 ऐसी अध्यापिकाओं का प्रस्तुत किया गया जिनके अवकाश लेखे में जितना उपार्जित अवकाश उपलब्ध था जिसे दिनांक 24-3-2000 को पारित करके भुगतान कर दिया गया है ।

जनपद बहराइच में समस्त विद्यालयों का हड़ताल अवधि के वेतन का भुगतान किया जा चुका है । किसी विद्यालय का उक्त हड़ताल अवधि का कोई भुगतान शेष नहीं है ।]

प्रदेश में सड़कों के किनारे लगे हरे पेड़ों को काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम औतार शाक्य द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वन मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

वन मंत्री (श्री राजधारी)–

[प्रदेश में ज्यादातर सड़कों के दोनों तरफ पटरियों (किनारों) पर हरे पेड़ खड़े हैं जिनमें बहुत से पेड़ों में फल भी आते हैं, कीमती कच्ची लकड़ी वाले भी पेड़ हैं, बहुत सारे छायादार पेड़ हैं जिनसे पर्यावरण सन्तुलित होता है तथा आम जनता छाया का लाभ लेती है, परन्तु अचानक वन विभाग की सहमति से कुछ अधिकारी ठेकेदार माफियाओं से अवैध धन लेकर बिना वैधानिक औपचारिकतायें पूरे किये हुए एक मुश्त पेड़ों को कटवाने का क्रम जारी किये हुए हैं । मैनपुरी जनपद में तो मैनपुरी–भोगांव मार्ग पर सड़क के दोनों तरफ अवैध रूप से हरे पेड़ (फलदार व गैर फलदार) कटवा दिये हैं, जिससे वह भू-भाग रेगिस्तान जैसा बन गया है । इसी तरह से लखनऊ, कानपुर, उन्नाव आदि जनपदों में यह क्रम

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ हुआ माना गया ।

जारी है । इस तरह से अवैध पेड़ कटान से पूरे प्रदेश की जनता में आक्रोश व्याप्त है और जनता आन्दोलित है ।

अतः तात्कालिक लोक महत्व के विषय पर अनियमित रूप से काटे गये/काटे जा रहे हरे पेड़ों के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं ।

वक्तव्य

वन विभाग द्वारा सड़कों के किनारे खड़े हुए हरे फलदार एवं गैर फलदार पेड़ों को सड़कों के किनारे छाया, फल, पर्यावरण एवं स्थानीय व्यक्तियों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रबन्ध किया जाता है । इस प्रबन्धन को सम्बन्धित वन प्रभागों की कार्ययोजना में समावेश कर भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर ही कार्यवाही की जाती है । सड़क के किनारे के सूखे, गिरे-पड़े पेड़ों का निस्तारण इसलिये किया जाता है ताकि वे दुर्घटना का कारण न बने, जिससे जानमाल की क्षति बचायी जा सके तथा आवागमन में कोई अवरोध उत्पन्न न हो । गिरे पड़े पेड़ों को प्रथमतः उत्तर प्रदेश वन निगम को निस्तारण हेतु दिया जाता है तथा उनके द्वारा एक माह में कार्य प्रारम्भ न करने की दशा में पेड़ों का निस्तारण सार्वजनिक नीलामी द्वारा कराया जाता है । यह सही नहीं है कि कुछ अधिकारी ठेकेदार माफियाओं से अवैध धन लेकर बिना वैधानिक औपचारिकतायें पूरी किये हुए एक मुश्त पेड़ों को कटवाने का क्रम जारी किये हुए हैं । मैनपुरी-भोगांव मार्ग पर कुल 3 किलोमीटर की लम्बाई में सड़क के दोनों किनारे के पौधों का पातन वन निगम द्वारा किया गया है । इस पातन के पश्चात् इसी वर्ष विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत 3040 पौधे लगाये जा रहे हैं जिसमें आम, शीशम, कंजी, जामुन आदि पौधे हैं । उक्त कटान वैधानिक औपचारिकता पूरी करके कराया गया है । जहां तक लखनऊ, कानपुर, उन्नाव आदि जनपदों में सड़कों के किनारे पेड़ कटान का प्रश्न है, उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण के कार्य में इन जनपदों में पेड़ों का कटान उ० प्र० वन निगम द्वारा किया जा रहा है। उक्त कटान के सम्बन्ध में वन (संरक्षण) अधिनियम–1980 के अन्तर्गत भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करके ही कटान कराया गया है । सड़क के किनारे काफी लम्बाई मे पौधे स्थित होने के कारण यदाकदा छिटपुट रूप से अवैध पेड़ों का पातन हो जाता है परन्तु उसमें भी खोजीबीन कर कार्यवाही की जाती है ।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि सड़क के किनारे के पेड़ों का पातन आवश्यकतानुसार जनहित में तथा वैधानिक औपचारिकतायें पूरी करके ही नियमानुसार किया जाता है ।]

मिर्जापुर नगर में खण्डवा नाला पर गंगा नदी के कटाव को रोककर जन-जीवन की सुरक्षा किये जाने के सम्बन्ध में डा० सरजीत सिंह डंग द्वारा नियम–51 के अर्न्तगत दी गई सूचना पर सिंचाई राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

सिंचाई राज्य मंत्री (श्री शिव शंकर सिंह)–

[नियम–51 के अन्तर्गत मा० सदस्य द्वारा जनपद मिर्जापुर में खण्डवा नाला पर गंगा नदी के कटाव को रोक कर जन-जीवन की सुरक्षा किये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी गई है ।

2—जनपद मिर्जापुर नगर में रूखड घाट के समीप गंगा नदी में खण्डवा नाला मिलता है । बाढ़ के समय इस नाले में गंगा नदी के बैक वाटरिंग के कारण पानी भर जाता है और जब गंगा नदी का जल स्तर गिरने लगता है तब नाले के दोनों किनारे कट कर गिरने लगते हैं जिससे कुछ आवासीय

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ हुआ माना गया ।

मकान क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में आ जाते हैं तथा घाट को जाने वाला रास्ता भी आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाता है ।

3—खण्डवा नाला एवं गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिये नाले के किनारे को पीछे हटाकर स्लोप पिचिंग का कार्य कराना पड़ेगा तथा नाले एवं गंगा नदी के संगम स्थल पर दोनों तरफ पचास-पचास मीटर की लम्बाई में नदी के बैक के स्लोप को सेट करके पिचिंग कराने एवं लांचिंग एप्रन बनाने की आवश्यकता है । इन दोनों कार्यों के लिये भूमि अधिग्रहण एवं कुछ मकानों को शिफ्ट करना होगा ।

उक्त समस्त कार्य को कराने के लिये विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात् ही प्रश्नगत परियोजना पर व्यय होने वाली धनराशि का अनुमान हो सकेगा । विस्तृत सर्वेक्षण कर परियोजना प्राक्कलन बनाने में कुछ समय लगेगा । इन कार्यों को कराया जाना धन की उपलब्धता पर निर्भर है । ।

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं । कल 25-4-2000 को 11 बजे पुनः बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 7 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 24 अप्रैल, 2000

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी०एस०यू०पी०–एल० 239 विधान सभा (449)–2001–813 (डी०टी०पी०) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा